चतुर्दश माला, खंड 31, अंक 17

शुक्रवार, 7 दिसम्बर, 2007
16 अग्रहायण, 1929 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 64
Dated 19 Aug 2008

(खण्ड 31 में अंक 11 से 17 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी. डी. टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए. के. सिंह
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक–I

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक–I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक–II

सुनीता थपलियाल
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नही माना जाएगा।)

विषय-सूची

चतुर्दश माला, खंड 31, बारहवां सत्र, 2007/1929 (शक)

अंक 17, शुक्रवार, 7 दिसम्बर, 2007/16 अग्रहायण, 1929 (शक)

विषय — **कॉलम**

नियम संबंधी उल्लेख 1-2

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या 321, 322, 328, 324, 325 और 327 3-30

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या 323, 326 और 329 से 340 30-52

अतारांकित प्रश्न संख्या 3107 से 3336 52-341

सभा पटल पर रखे गए पत्र 341-367

राज्य सभा से संदेश 367

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश 367

कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति

अट्ठाईसवां से तीसवां प्रतिवेदन 368

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति

पच्चीसवां और छब्बीसवां प्रतिवेदन 369-373

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) विद्युत मंत्रालय से संबंधित ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के अठारहवें, बीसवें, इक्कीसवें और बाईसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री सुशील कुमार शिंदे 369

(दो) शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित "दिल्ली विकास प्राधिकरण" के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के आठवें और सोलहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री विजय हान्डिक 369-370

(तीन) वित्तीय लेखे 2006–2007 और लेखा एक दृष्टि में/बजट एक दृष्टि में दिए गए राजस्व और राजकोषीय घाटे का समाधान

श्री पी. चिदम्बरम 370-372

(चार) ग्रामीण विकास मंत्रालय के पेयजल आपूर्ति विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007–2008) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के अट्ठाईसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री चंद्रशेखर साहू 372-373

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदसय ने ही पूछा था।

(पांच) अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

श्री पी. आर. किन्डिया 373

केन्द्रीय कर अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण, विधेयक, 2007 374

नियम 377 के अधीन मामले 378-383

(एक) कर्नाटक में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास की व्यवस्था हेतु केन्द्रीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री इकबाल अहमद सरडगी 378-379

(दो) गेहूं का आयात किए जाने की आवश्यकता

श्री किरण माहेश्वरी 379

(तीन) उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और सोनौली के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29 (ई) पर 'महेसरा सेतु'' का पुनर्निर्माण किए जाने की आवश्यकता

योगी आदित्यनाथ 380

(चार) मध्य प्रदेश के मुरैना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से होकर गुजरने वाले चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक अर्गल 380

(पांच) बिहार के अररिया जिले में फारबिसगंज स्थित इंडियन ऑयल कारपोरेशन डिपो को फिर से चालू किए जाने की आवश्यकता

श्री सुकदेव पासवान 381

(छह) राजस्थान के उदयपुर जिले में "जल ग्रहण योजना" के लिए धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री महावीर भगोरा 381

(सात) खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा भारतीय कॉफी बोर्ड को छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषय में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री सुधांशु सील 381-382

(आठ) दक्षिण रेलवे में कोलेनगौड और त्रिसूर के बीच नई रेल लाइन बनाए जाने की आवश्यकता

श्री एन. एन. कृष्णदास 382

(नौ) उत्तर प्रदेश के जिला ग्रामीण विकास एजेंसी कर्मचारियों का आमेलन राज्य के पंचायती राज विभाग में किए जाने की आवश्यकता

श्री पारसनाथ यादव 382-383

(दस) उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में ऐतिहासिक स्मारक "सूर्य मंदिर" का जीर्णोद्वार कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री राजनरायन बुधौलिया 383

विदाई उल्लेख 384-388

राष्ट्रगीत 388

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका 389

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका 390-394

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका 395-396

अतारांकित प्रश्नो की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका 395-396

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

शुक्रवार, 7 दिसम्बर, 2007/16 अग्रहायण, 1929 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए)*

[हिन्दी]

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, हमने कार्य-स्थगन का प्रस्ताव दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। अभी तो ऑबीचुअरी का प्रस्ताव है।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.01 बजे

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों मुझे सभा को अपने एक पूर्व सहयोगी श्री सरजू प्रसाद सरोज के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री सरजू प्रसाद सरोज, वर्ष 1989 से 1991 तक नौवीं लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इसके पूर्व श्री सरजू प्रसाद सरोज वर्ष 1980 से 1989 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। श्री सरोज वर्ष 1980 से 1982 तक उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री भी रहे।

श्री सरजू प्रसाद सरोज नौवीं लोक सभा के दौरान विदेश मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य थे। उन्होंने वर्ष 1996 में रेलवे भर्ती बोर्ड, इलाहाबाद के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया।

एक प्रतिबद्ध सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता श्री सरोज पहले जिला परिषद् प्रतापगढ़ के सदस्य भी रहे चुके थे। उन्होंने हमेशा समाज के गरीब, दलित और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए कार्य किया।

श्री सरजू प्रसाद सरोज का निधन 65 वर्ष की आयु में 27 जुलाई, 2007 को प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मैं अपनी और सभा की ओर से शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं।

अब सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी रहेगी।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी बात सुन लीजिए। हमने कार्य-स्थगन का प्रस्ताव दिया है। इस देश में जो परिसीमन हुआ है, ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह समय नहीं है।

[हिन्दी]

प्रभु नाथ सिंह जी, ऑनरेबल मैम्बर, आप जानते हैं कि

[अनुवाद]

यह समय नहीं है। कृपया एक घंटा प्रतीक्षा कीजिए। पहले प्रश्न काल पूरा कर लेते हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, संसद ने परिसीमन आयोग को जो अधिकार दिया था उसका बिल्कुल दुरुपयोग हुआ है। सर, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को देख लीजिए। सच्चर कमेटी ने भी लिखा है कि जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, उसे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उस पर बहस का यह टाइम नहीं है। क्वैश्चन 321 प्लीज।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोज़ाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी क्वैश्चन ऑवर को सस्पेंड करने का नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल पूरा होने के बाद मैं आपको समय दूंगा।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : अध्यक्ष महोदय, क्वैश्चन ऑवर तो चलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : क्वैश्चन ऑवर ओवर होने के बाद हम उसे लेंगे।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

न्यायाधीशों के रिक्त पद

***321. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी : क्या विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में इस समय न्यायाधीशों के कुल कितने पद रिक्त हैं और गत दो वर्षों के दौरान भरे गए रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्तमान रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

5.12.2007 को उच्चतम न्यायालय में 26 न्यायाधीशों की स्वीकृत पदसंख्या में से 25 न्यायाधीश पदासीन थे और भरे जाने के लिए 1 पद रिक्त था। उसी तारीख को, उच्च न्यायालयों में 689 न्यायाधीशों की स्वीकृत पदसंख्या में से 600 न्यायाधीश पदासीन थे और 89 पद भरे जाने के लिए रिक्त थे।

कलैंडर वर्ष 2006 और 2007 के दौरान निम्नलिखित संख्या में रिक्तियों को भरा गया था :

	2006	2007 (5.12.2007 तक)
उच्चतम न्यायालय	03	07
उच्च न्यायालय	110	59

5.12.2007 तक की गई नियुक्तियों के अलावा, विभिन्न उच्च न्यायालयों से प्राप्त कुल 49 प्रस्ताव विभिन्न प्रक्रमों पर विचाराधीन हैं।

यद्यपि, विद्यमान रिक्तियों को शीघ्रता से भरे जाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है, फिर भी न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या प्रोन्नति के कारण रिक्तियां उद्‌भूत होती रहती हैं। उच्चतम न्यायालय की तारीख 28 अक्तूबर, 1998 की सलाहकारी राय के साथ पठित उच्चतम न्यायालय अभिलेख अधिवक्ता और अन्य बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के तारीख 6 अक्तूबर, 1993 के निर्णय के पश्चात् उच्चतम न्यायालय में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव चलाने की संपूर्ण प्रक्रिया भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा और किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव चलाने की संपूर्ण प्रक्रिया उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा आरंभ की जाती है। सरकार आवधिक रूप से उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के सभी रिक्त पदों को भरने के लिए प्रस्ताव चलाने हेतु स्मरण कराती रही है।

श्री एम. राजा मोहन रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा दिए गए उत्तर से मैं बहुत प्रसन्न हूं। सरकार लंबित मामलों की भारी संख्या को निपटाने के लिए न्यायाधीशों के सभी रिक्त पदों को भरने के लिए सभी कदम उठा रही है। लेकिन फिर भी, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में बहुत से मामले लंबित हैं। उदाहरण के लिए, 30 जून, 2007 की स्थिति के अनुसार उच्चतम न्यायालय में लगभग 43,580 मामले लंबित हैं और मार्च, 2007 के अंत तक 21 उच्च न्यायालयों में 36,78,043 मामले लंबित हैं।

अध्यक्ष महोदय : हां, आपको ये ब्यौरे देने की आवश्यकता नहीं है। कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री एम. राजा मोहन रेड्डी : महोदय, केवल आन्ध्र प्रदेश में ही 1,50,037 मामले लंबित हैं। यहां तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी नई दिल्ली में 8 अप्रैल, 2007 को मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में इस पर अपनी चिंता व्यक्त की थी और यह सुझाव दिया था कि इन लंबित पड़े मामलों को निपटाने के लिए न्यायालयों को एक से अधिक पाली में काम करने पर विचार करना चाहिए। अतः मैं, माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या विधि आयोग ने न्यायाधीशों की संख्या और इससे जुड़े अन्य मामलों की जांच की है और क्या उन्होंने कोई सुझाव या सिफारिशें की हैं। यदि हां, तो मैं उसका ब्यौरा जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इतना लंबा अनुपूरक प्रश्न मत पूछिए।

श्री हंस राज भारद्वाज : महोदय, जहां तक न्यायाधीशों की संख्या की समीक्षा किए जाने का संबंध है तो ऐसा हाल ही में किया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि 1.4.2007 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में 65 पदों की वृद्धि की गई थी। इसके बाद, भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ दूसरी बार समीक्षा की गई और 1.11.2007 को विभिन्न उच्च न्यायालयों में 153 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए।

जहां तक आन्ध्र प्रदेश राज्य का संबंध है वहां आज 19 रिक्तियां हैं और 5 प्रस्ताव हमारे पास लंबित हैं।

जहां तक दूसरी पाली का संबंध है तो गुजरात के अलावा अभी तक किसी भी सरकार ने इस पर टिप्पणी नहीं की है गुजरात में निचली अदालतों में प्रायोगिक आधार पर दूसरी पाली की शुरूआत कर दी गई है। देश में लंबित मामलों की संख्या घटाने हेतु इस मामले का विस्तार से अध्ययन किया जा रहा है।

जहां तक उनकी संख्या का संबंध है तो मैं पहले ही यह बता चुका हूं कि कानून के अनुसार प्रत्येक तीसरे वर्ष इसकी समीक्षा की जाती है और पहले की 700 पदों की संख्या को बढ़ाकर 900 कर दिया गया है। उच्चतम न्यायालय में यह संख्या अभी 26 ही है। निचली अदालतों में रिक्तियां हैं और हम मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों से उन्हें शीघ्रातिशीघ्र भरने का अनुरोध कर रहे हैं। यह स्थिति है।

श्री एम. राजा मोहन रेड्डी : महोदय, एक आम आदमी के लिए वर्तमान व्यवस्था में अपने मामले में न्याय पाना बहुत महंगा हो गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की क्षेत्रीय पीठ स्थापित करने का है और क्या कुछ राज्य सरकारों ने उनसे इस संबंध में अनुरोध किया है।

श्री हंस राज भारद्वाज : महोदय, हमें अपने देश पर गर्व है कि यहां के नागरिकों की न्याय तक पूरी पहुंच है और इसीलिए देश में इतने अधिक मामले इन न्यायालयों में चल रहे हैं। जहां तक क्षेत्रीय पीठ का संबंध है तो माननीय सदस्यों ने विभिन्न अवसरों पर मुझे लिखा है और इसके लिए कुछ प्रस्ताव भी हैं। हमने हमेशा इस पर उच्चतम न्यायालय की सहमति मांगी है परन्तु अभी तक हम उच्चतम न्यायालय को इस पर सहमत नहीं कर पाए हैं।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर : अध्यक्ष जी, अभी जो प्रश्न पूछा गया, वही प्रश्न मैं भी पूछना चाह रहा था क्या मध्य भारत में नागपुर में सर्वोच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित करने का सरकार विचार कर रही है? हमने बार-बार इसलिए प्रश्न पूछा था कि देश में कन्याकुमारी और कोचीन से तिरुअनन्तपुरम तक के जो लोग हैं, दिल्ली तक आना उनके लिए मुश्किल हैं, क्योंकि दूरी का बहुत अन्तर होता है, इसलिए देश के मध्य भाग में अगर कहीं सर्वोच्च न्यायालय की खण्डपीठ होती है तो जनता की सुविधा के लिए होगी और जनता को उससे न्याय मिलेगा। क्या सरकार इसके बारे में कुछ कदम उठा रही है, यह मैं जानना चाहता हूं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा प्रश्न है।

श्री हंस राज भारद्वाज : महोदय, मैं इसका उत्तर दे चुका हूं लेकिन मैं सम्मानित सभा को सूचित करना चाहता हूं कि न्यायालय तक पहुंचने की लोगों की इस समस्या को दूसरे तरीके से हल किया जा रहा है। हम 'वीडियो-कान्फ्रेन्सिंग और 'ई-फाइलिंग' जैसे तरीकों को अपनाने जा रहे हैं ताकि नागपुर में बैठा कोई व्यक्ति वहीं से अपना मामला दर्ज करा सके और यहां तक कि नागपुर से ही अपने मामले में बहस भी कर सके। इसे निकट भविष्य में ही संभव बनाया जा रहा है। कुछ न्यायालयों में इसे आरंभ किया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय : वकीलों की फीस का क्या होगा? टेलीविजन पर कौन बहस करेगा? क्या इसमें कोई कमी होगी?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : यह बड़े वकीलों के बीच की लड़ाई है।

अध्यक्ष महोदय : कोई लड़ाई नहीं है।

श्री हंस राज भारद्वाज : मैं कहीं से भी उनके निकट नहीं हूं।

श्री ब्रह्मानन्द पंडा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सनसनीखेज बलात्कार के मामलों और अन्य अपराधों के त्वरित निपटाने हेतु विशेष न्यायालय गठित करने का कोई प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न रिक्त पदों के बारे में है, ये वर्तमान रिक्तियों को ही नहीं भर पा रहे हैं और आप नए न्यायालयों के गठन के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री ब्रह्मानन्द पंडा : महोदय, जहां तक उड़ीसा उच्च न्यायालय का संबंध है, वहां 2,00,000 से अधिक मामले लंबित हैं।

अध्यक्ष महोदय : सभी बलात्कार के मामले हैं।

श्री ब्रह्मानन्द पंडा : महोदय, निचली अदालतों में लगभग 10 लाख मामले लंबित हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी उड़ीसा और अन्य राज्यों जैसे पिछड़े राज्यों में इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं।

श्री हंस राज भारद्वाज : मैं दोनों मामलों के संबंध में सम्मानीय सभा को सूचित करना चाहता हूं। जहां तक बलात्कार के मामलों का संबंध है उन पर विचारण सत्र न्यायालयों में होती है। वे यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि हमने फास्ट-ट्रैक विचारण के माध्यम से सत्र न्यायालयों मे विचारण में तेजी लाए हैं। फास्ट ट्रैक न्यायालयों की संख्या से प्रत्येक राज्य खुश हैं। जहां तक उड़ीसा उच्च न्यायालय का संबंध है, वहां न्यायाधीशों की संख्या पूरी है। हमने हाल ही में पांच जजों की नियुक्ति कर वहां न्यायाधीशों की संख्या पूरी की है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : हाल ही में एक समाचार पत्र में एक समाचार प्रकाशित हुआ था जिसमें भारत के हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति समय पर न होने के कारण बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस संबंध में सिफारिशें न्यायालय द्वारा करनी होती है। राष्ट्रपति को उस पर केवल मुहर लगानी होती है। ये सारी बातें न्यायालय की ओर होनी चाहिए। फिर देर कहां है? क्या सिफारिशें भेजने में विलम्ब हो रहा है? या हस्ताक्षर करने में विलम्ब हो रहा है? कृपया इसे स्पष्ट किया जाए कि स्थिति क्या है।

श्री हंस राज भारद्वाज : मैं किसी भी व्यक्ति को विलम्ब के लिए जिम्मेदार नहीं कह सकता। प्रणाली ही ऐसी है। ये बड़े ही उच्च पदों की नियुक्तियां हैं। प्रस्ताव उच्च न्यायालयों द्वारा किए जाते हैं, फिर वे राज्य सरकार को भेजे जाते हैं। उनको इसकी जांच के लिए दो महीने का समय दिया जाता है। फिर वे केन्द्र सरकार के पास आते है। इसके सत्यापन में केन्द्र सरकार को भी कुछ समय लगता है। फिर यह उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम को भेजा जाता है। इसलिए, कई चरणों पर इसकी छानबीन की जाती है। इस तथ्य को देखते हुए कि उच्च न्यायालयों में नियुक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण नियुक्तिया हैं, यह प्रक्रिया आवश्यक है और इसमें जल्दीबाजी अच्छी नहीं होगी। महोदय, फिर भी, रिक्तियों की संख्या में काफी कमी आई है। वर्ष में हम औसतन 120 या 110 न्यायाधीशों की नियुक्तियां कर रहे हैं। जबकि पूर्व के वर्षों में यह संख्या 55 थी। इसलिए, हम इसमें तेजी ला रहे हैं। मैं किसी पर भी दोष नहीं लगाता कि विलम्ब न्यायालयों द्वारा या किसी अन्य द्वारा किया गया है। उनकी नियुक्तियां हो रही हैं। बकाया मामलों को कम करने के प्रति हमारी चिंता को यह तथ्य दर्शाता है कि हम उच्च न्यायालयों में 200 नये न्यायाधीशों को नियुक्त करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : बिना किसी पर किसी प्रकार के दोषा रोपण के, हम जानना चाहते हैं कि क्या न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त होने की तिथि का पहले से पता नहीं होता है। रिक्ति कब होगी इसका पता उसकी नियुक्ति के दिन से ही पता होता है।

मंत्री महोदय, आपको इसका उत्तर देने की जरूरत नहीं है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, उच्च न्यायालय में जो नियुक्ति भरी जाती हैं, उसमें कुछ तो निचली अदालत से सेशन जज स्तर के लोग होते हैं, उनकी पदोन्नति के माध्यम से भरी जाती हैं और कुछ सीधे तौर पर वकीलों की भी नियुक्ति उच्च न्यायालय में होती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो वहां से अनुशंसा होकर आती है, कितने दिनों तक उसे निलंबित रखने की प्रक्रिया है और कितने दिनों में उनकी नियुक्ति की जाती है? मुझे जो व्यक्तिगत तौर पर जानकारी है, पटना उच्च न्यायालय ने कुछ वकीलों का नाम वर्षों पहले अनुशंसा करके भेजा और अभी वह मंत्रालय स्तर पर लंबित है। वह इसलिए लंबित है कि वे लोग सीबीआई के वकील थे और ईमानदारीपूर्वक काम किये थे। चूंकि वे ईमानदार थे इसलिए उनको जज नहीं बनना चाहिए। मैं आपके माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आखिर राजनीतिक कारणों से निलंबित रखने का क्या औचित्य है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि सरकार की अब कोई भूमिका है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : कितने दिनों तक निलंबित रखा जाएगा? हम जानना चाहते हैं कि उस संचिका को कितने दिनों तक निलंबित रखा जाएगा?

[अनुवाद]

श्री हंस राज भारद्वाज : पटना उच्च न्यायालय के दो प्रस्ताव लंबित हैं। एक अधिवक्ता से संबंधित है, दूसरा न्यायिक अधिकारी से संबंधित हैं। यह मामला कॉलेजियम को भेजा गया था और कॉलेजियम ने हाल ही में दस्तावेज हमें लौटाए हैं।

वास्तव में, एक अधिवक्ता उम्मीदवार को लेकर विवाद था जो न्यायालय में सेना भेजने में उसकी भूमिका से संबंधित था। सकारात्मक रूप से, कुछ जांच हुई और कॉलेजियम को सूचित किया गया। कॉलेजियम के विचार जानने के बाद हम उस प्रस्ताव पर कार्यवाही कर रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : अध्यक्ष महोदय, मैं भी बोलना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)* मैंने नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : तो, फिर?

...*(व्यवधान)*

***श्री एम. शिवन्ना :** धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया? मैं माननीय मंत्री महोदय से उच्चतम न्यायालय और विशेष रूप से कर्नाटक उच्च न्यायालय में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों, और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित न्यायाधीशों की रिक्तियों की संख्या के बारे में जानना चाहता हूं। जो अभी तक भरी नहीं गई हैं। उच्चतम न्यायालय और कर्नाटक उच्च न्यायालय में इन रिक्तियों को भरने के सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं क्योंकि वहां लंबित मामलों की संख्या बहुत अधिक है।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : महोदय, मैं भी उसका समर्थन करता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रतीक्षा कीजिए। किसी अनुपूरक का समर्थन करने का यह तरीका नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बैसीमुथियारी, जब तक मैं आपका नाम न पुकारुं, आप खड़े नहीं हो सकते हैं। कृपया अपनी बारी की प्रतीक्षा कीजिए। आप नई प्रणाली शुरू नहीं कर सकते हैं।

---

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

मंत्री महोदय क्या इसका कोई उत्तर हैं? उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में पूछा है।

श्री हंस राज भारद्वाज : महोदय, यह ऐसा मामला है जिस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। आज आजादी के साठ साल के बाद भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन–जातियों के दिलो–दिमाग में इस बात का दुःख है उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में उनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन हमें यह संतोष है कि हम इस पहलू पर हम उचित ध्यान दे रहे हैं। पहले 1980 के दशक में अनुसूचित जाति के न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय में न केवल अनुसूचित जाति के आधार पर बल्कि योग्यता के आधार पर भी आते रहे हैं। उसी प्रकार उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं हैं लेकिन उनका मुद्दा उचित है कि उनको अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि देश की धर्म निरपेक्ष नीति में ऐसा होगा। जब तक यह होता है, यह ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बैसीमुथियारी, यह अनुमति नहीं है कि आप जब भी चाहें, खड़े हो जाएं।

अब, श्री बैसीमुथियारी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : डा. जगन्नाथ, आजकल आपको क्या हो गया है?

...*(व्यवधान)*

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विधि मंत्री से जानना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय और पूरे देश में उच्च न्यायालयों में अब तक अनुसूचित जनजाति से संबंधित कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं हैं।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : दूसरी बात, मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने बोडोलैंड क्षेत्र की 30 लाख की जनता के लिए कोकराझार में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की एक स्थायी पीठ स्थापित करने पर विचार किया है अथवा नहीं।

मेरा अगला प्रश्न है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माफ करना, आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? आप केवल अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। आप पहले ही दो अनुपूरक प्रश्न पूछ चुके हैं। जो मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है। आप माननीय मंत्री को सूचना दीजिए और वे उत्तर देंगे।

मंत्री महोदय, क्या आप उत्तर देने की स्थिति में हैं?

श्री हंस राज भारद्वाज : महोदय, मैं एक प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप उत्तर दीजिए।

श्री हंस राज भारद्वाज : महोदय, हमारे यहां अनुसूचित जनजाति से संबंधित एक न्यायधीश है, न्यायमूर्ति सेमा। मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि हमारे पास अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष नीति है। हमने यह खोज काफी पहले 1985 में आरंभ की और पूर्वोत्तर में अनुसूचित जनजाति से संबंधित हमें पांच विद्वान न्यायाधीश मिले। न्यायमूर्ति शशांक नागा थे, तत्पश्चात न्यायमूर्ति सेमा, तत्पश्चात न्यायमूर्ति एस. के. सेमा और अनेक अन्य (न्यायाधीश) हुए। पूर्वोत्तर ने अनेक विद्वान न्यायाधीश दिए हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, पूर्वोत्तर क्षेत्र से अत्यंत विद्वान न्यायधीश हुए हैं। उन पर निश्चित रूप से विचार किया जाना चाहिए। इस बारे में कोई संदेह नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही पांच अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति दे चुका हूं। कृपया और अनुपूरक प्रश्न न पूछें।

प्रश्न सं. 322–प्रो. रासा सिंह रावत।

[हिन्दी]

अतिरिक्त विद्युत का अपर्याप्त उत्पादन

\+
322. प्रो. रासा सिंह रावत :
श्री जी. करुणाकर रेड्डी :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कितनी अतिरिक्त विद्युत के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया और उक्त अवधि के दौरान वास्तविक उपलब्धि कितनी रही;

(ख) उपलब्धि में कमी, यदि कोई है, के क्या कारण हैं; और

(ग) अभी तक पता लगाई गई खामियां दूर करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) विद्युत उत्पादन में विकास की दर जो 9वीं योजना के अंत में 3.1% के आस–पास थी, 10वीं योजना के अंत में 7.3% के

महत्वपूर्ण स्तर तक पहुंच गई, जबकि 10वीं योजना के लिए 41,110 मे.वा. के लक्ष्य के मुकाबले वास्तविक क्षमता वृद्धि 21,180 मे.वा. थी। उत्पादन में वृद्धि मुख्यतः संयंत्र भार घटक में सुधार के कारण हुई है, जो 9वीं योजना के अंत में 69.9% से बढ़कर 10वीं योजना के अंत में 76.8% हो गई। 10वीं योजना के दौरान निर्धारित वार्षिक उत्पादन लक्ष्य मामूली विचलन के साथ अधिकतर पूरी तरह से प्राप्त कर लिए गए हैं, जैसा कि नीचे सारणी से देखा जा सकता है।

वर्ष	लक्ष्य (बि.यू.)	वास्तविक उत्पादन (बि.यू.)	उपलब्धि %
2002–03	545.55	531.61	97.4
2003–04	579.90	558.34	97.5
2004–05	586.41	587.42	100.2
2005–06	621.50	617.51	99.4
2006–07	663.00	662.52	99.9

बि.यू. = बिलियन यूनिट

(ख) 10वीं योजना के दौरान निर्धारित उत्पादन लक्ष्य की प्राप्ति में मामूली कमी मुख्यतः पर्याप्त मात्रा में गैस की अनुपलब्धता और 10वीं योजना में चालू होने वाली परियोजनाओं का समय पर पूर्ण न होना है।

(ग) 10वीं योजना के दौरान उत्पादन लक्ष्य की तुलना में समग्र उपलब्धि लगभग 99% और वर्तमान वर्ष में (अप्रैल–नवम्बर 2007) के दौरान 99.7% रही है। अनुमान है कि 11वीं योजना के दौरान प्राकृतिक गैस की अतिरिक्त आपूर्तियां वहनीय कीमत पर घरेलू स्रोतों से उपलब्ध होगी। यह सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं कि 11वीं योजना के दौरान प्रस्तावित सम्पूर्ण क्षमता वृद्धि के लिए आदेश देने की प्रक्रिया को वर्ष 2008 के मध्य तक पूरा कर लिया जाए ताकि मार्च 2012 तक परियोजनाएं चालू की जा सकें। इसके अलावा 11वीं योजना के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लि. (भेल) दिसम्बर 2007 तक प्रतिवर्ष 10,000 मेगावाट और बाद में दिसम्बर, 2009 तक 15,000 मेगा वाट देने के लिए अपनी क्षमता का विस्तार कर रहा है। मानीटरिंग प्रक्रिया को भी सुदृढ़ बनाया गया है।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, सरकार एवं मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, उसमें बहुत भ्रमित करने का प्रयास किया गया है। उत्तर में एक तरफ मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि दसवीं योजना में 41,110 मेगावाट के लक्ष्य के मुकाबले वास्तविक क्षमता वृद्धि 21,180 मेगावाट थी और दूसरी तरफ आंकड़े गिनाते हुए सन् 2002, 2003, पंचवर्षीय योजना का पूरा समय और आंकड़े बिलियन यूनिट के अंदर ले गए हैं, जबकि मेगावाट की बात हो रही थी। मेगावाट में जब आपने 41,110 के मुकाबले ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जो उत्तर में लिखा हुआ है, उसे पढ़कर क्या होगा।

...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत : मैं पढ़ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं कि इन्होंने आंकडों के अंदर भ्रमित करने का प्रयास किया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पर आइए।

...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, वास्तविकता यह है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में जितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उस लक्ष्य का 50 प्रतिशत ही उत्पादन देश के अंदर हुआ है, जैसा बताया गया है। लेकिन देश के सभी हिस्सों तक और सभी लोगों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य अभी काफी दूर है। 10 प्रतिशत कमी बताई जाती है, लेकिन जब पीक आवर्स होते हैं, उस समय यह कमी 13 प्रतिशत और कुछ राज्यों में 25 प्रतिशत हो जाती है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि लक्ष्य को पूरा नहीं करने के पीछे क्या सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं, क्योंकि सीएजी ने अपनी रिपोर्ट के अंदर सरकारी योजनाओं और बिजली मंत्रालय को दसवीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य प्राप्त नहीं करने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। यह मेरे प्रश्न का भाग 'अ' है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का एक ही भाग होता है। आपको एक और मौका मिलेगा।

...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत : क्या सरकार ने सीएजी रिपोर्ट की समीक्षा करवाई है और इस संबंध में गलतियों को दुरुस्त करने का प्रयास किया है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न हो गया है। आपको और सप्लीमैंट्री पूछने का मौका नहीं मिलेगा।

...*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार शिंदे : अध्यक्ष जी, प्रश्न में और उत्तर में देखा जाए तो जो प्रश्न पूछा गया था, उसके बारे में बताया गया है, कोई मिसलीडिंग नहीं किया गया है। आपने पावर जेनरेशन के बारे में प्रश्न पूछा था, इसलिए जेनरेशन के बारे में बताया है और कैपेसिटी एडीशन के बारे में भी बताया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया सभा में शांति बनाएं रखें।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार शिंदे : आपने अभी जो बात कही है वह दसवीं पंचवर्षीय योजना में कैपेसिटी एडीशन के बारे में है। पावर जेनरेशन के

बारे में भी हमने बताया है कि किस तरह होता है। जेनरेशन का टारगेट इयरली फिक्स अप होता है और कैपेसिटी एडीशन का टारगेट फाइव ईयर प्लान में फिक्स अप होता है। आपकी सुविधा के लिए हमने इन दोनों बातों को दिया है। यह बात सही है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में कैपेसिटी एडीशन के लिए जो टारगेट बनाया गया था, उसमें स्लिपेज हुई है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस सभा में कितनी बैठकें चल रही हैं? यह क्या है?

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार शिंदे : उसके बारे में मैंने सदन में यह उत्तर दिया था कि मैंने स्वयं अधिकारियों के साथ बैठकर, बातचीत करके यह देखने का प्रयास किया कि हमसे कहां गलती हो गयी थी और उसे करेक्ट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पिघली बार यह गलती है हो गयी थी कि टारगेट 42,000 मेगावाट रखा गया था और मिडटर्म रिव्यु में हमने देखा कि एक टारगेट 36,000 मेगावाट रखा गया था। जब कमी हो रही थी तो हमने सोचा कि हम इसकी इयरली और मंथली मॉनीटरिंग नहीं करते हैं, इसलिए हमने पिछले साल से आर्डर्स की भी मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में 20,000 मेगावाट के आर्डर्स गए थे, उसके बाद जो आडर्स हुए व अधिकांश प्रोजेक्ट नहीं आए, उसकी वजह से टारगेट कम एचीव हुआ है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में हमने 78,000 मेगावाट का टारगेट तय किया था, तो हमने दसवीं पंचवर्षीय योजना के आखिरी साल में ही आर्डर्स देने के बारे में निर्णय किया और 78,577 मेगावाट का कैपेसिटी एडीशन हमने तय किया जिसमें से आज तक 56,000 मेगावाट के आर्डर्स गए हैं। मुझे सदन को यह बताने में खुशी हो रही है कि अभी तक जो मॉनिटरिंग की गयी है, उसके अनुसार इसी साल में 5,000 मेगावाट बिजली ऑन लाइन है, कमीशन हो गयी है।

प्रो. रासा सिंह रावत : मान्यवर, राष्ट्रीय विद्युत नीति में वर्ष 2012 तक सभी के लिए विद्युत तथा प्रति व्यक्ति विद्युत उपलब्धता 1,000 यूनिट से अधिक करने की संकल्पना है, उसे हासिल करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? हमारे देश में वर्तमान समय में विद्युत संयंत्रों की उपलब्धता अपेक्षाकृत कम है और केवल बीएचईएल ही इन उपकरणों की आपूर्ति कर रही है। उपकरण काफी कम हैं, तो उपकरणों की कमी को दूर करने के लिए और साथ में जो क्षति हो रही है, जो लगभग 25 प्रतिशत है, जिसकी वजह से विद्युत और करों का बोझ सहन करना पड़ रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इसे रोकने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है। ताकि वास्तविक लक्ष्य को 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त किया जा सके?

श्री सुशील कुमार शिंदे : महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं उनसे सहमत हूं कि दसवीं प्रंचवर्षीय योजना में यह हुआ था और इसे देखकर ही हमने आर्डर्स देने शुरू किए हैं। यह बात भी सही है कि हमारे देश में एक ही ऐसी कंपनी है जो इस संयंत्र का निर्माण करती है। जब यह बात सामने आई, हमने भी बताया तो प्रधानमंत्री जी ने माननीय वित्तमंत्री जी के नेतृत्व में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स एप्वाइंट किया था। उस की मीटिंग में यह चर्चा हो रही है कि हमारे देश में जितने ज्यादा वेंडर्स मिल सकें, उनको लाने का प्रयास हो। मैं इस सभा को जानकारी देना चाहूंगा कि एक अन्य कंपनी लार्सन एंड टूब्रो ने मित्सीबुशन से भी एग्रीमेंट किया है। अन्य कई कंपनियां आ रही हैं और हम चाहते हैं कि देश में कंप्टीशन हो जाए। हमारे वर्ष 2003 के एक्ट का जो मुख्य उद्देश्य है, वह सस्ती बिजली, अच्छी बिजली देना है और कंपीटीटिव बिडिंग में आपने देखा होगा कि हमारे अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेकट में एक यूनिट एक रुपए 19 पैसे कीमत बिडिंग से तय हुई। यही हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि भारत में सबको, खासकर गरीबों को सस्ती और अच्छी बिजली मिले। इस तरह से हमारा जो 2012 तक प्रति व्यक्ति एक हजार यूनिट देने का प्रयास है, वह पूरा करें।

[अनुवाद]

श्री जी. करुणाकर रेड्डी : मंत्री जी के उत्तर के अनुसार, उपलब्धियां लगभग 99 प्रतिशत हैं जो तालिका में दर्शाई गई हैं। लेकिन देश अब भी विद्युत आपूर्ति में कमी और निम्न वोल्टेज का सामना कर रहा है।

विद्युत आपूर्ति में कटौती और निम्न वोल्टेज के कारण लोग, विशेषतः किसान अत्यधिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। विद्युत की कमी के कारण किसानों को फसल का भारी नुकसान होता है। विद्युत की कमी पर काबू पाने के लिए, केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ मशविरा करके शीघ्र कदम उठाने चाहिएं। इस उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार को वर्तमान संयंत्रों की क्षमता वृद्धि करके उन्हें मेगा और अल्ट्रा मेगा विद्युत संयंत्रों में परिणत करना चाहिए।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा (क) क्या केन्द्र सरकार को किसी राज्य से विद्युत संयंत्रों को मेगा विद्युत संयंत्रों और मेगा विद्युत संयंत्रों को अल्ट्रा मेगा विद्युत संयंत्रों में परिणत करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार विशेषतः कर्नाटक के संदर्भ में ब्यौरा क्या है; और (ग) राज्यों, विशेषतः कर्नाटक को आबंटित और जारी की गई धनराशि कितनी है।

अध्यक्ष महोदय : यह सब क्या है? आपको अनुपूरक प्रश्न का प्रयोजन पता होना चाहिए। आप कुल विद्युत उत्पादन के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री जी. करुणाकर रेड्डी : मैं सारे देश के बारे में पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है। मंत्री जी के पास सारे उत्तर होंगे पर मैं अनुमति नहीं दूंगा।

श्री सुशील कुमार शिंदे : मैं सभा में बताना चाहूंगा कि देशभर में विद्युत की कमी 7.9 प्रतिशत है तथा व्यस्तम समय में कमी 12.9 प्रतिशत है। यह सही है कि देश में बिजली की कमी है, वर्तमान कमी को पूरा करने हेतु हमें 20,000 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है और इसीलिए ग्यारहवीं योजना में हमारा लक्ष्य 78,577 मेगावाट बिजली उत्पादन करना है। यह लक्ष्य रखा गया है। मैंने इसमें अल्ट्रा मेगा बिजली परियोजना को शामिल नहीं किया है। अल्ट्रा मेगा बिजली परियोजना की एक इकाई 4000 मेगावाट के बराबर है, ऐसी तीन अल्ट्रा मेगा बिजली परियोजनाओं का ठेका दे दिया गया है और एक दिये जाने की प्रक्रिया में है। ये सब बारहवीं योजना में आरंभ होंगी। परन्तु हम प्रयास कर रहे हैं। हमें यह बताया गया है कि दो परियोजनाओं में से एक इकाई को ग्यारहवीं योजना में आरंभ किए जाने का प्रयास किया जा रहा है।

परन्तु, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि कृषि क्षेत्र में बिजली की कमी का एक कारण है। मैं राज्यों से अनुरोध करता रहा हूं कि कृषि प्रयोजन हेतु एक पृथक फीडर स्थापित करें जिससे कि किसी विशेष समय में कृषकों को उनकी इच्छानुसार बिजली दी जा सके। पृथक फीडर स्थापित किए जाने के पश्चात बिजली आपूर्ति में सुधार किया जा सकेगा।

परियोजनाओं को मेगा दर्जा दिए जाने के बारे में, वर्तमान मेगा पावर पालिसी सरकार के विचाराधीन है। परियोजना से जिन्हें हमने आरंभ किया है, तथा परियोजनाओं जिन्हें हम शुरू करने जा रहे हैं और जिनके लिए मेगा परियोजना के लाभ की मांग की जा रही है, हम इसकी जांच कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब हम प्रश्न सं. 328 को सम्बद्ध कर सकते हैं। इस बारे में एक अनुरोध किया गया है। मेरे विचार से यह अच्छा है।

प्रति व्यक्ति विद्युत खपत

***328. श्री कीरेन रिजीजू :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय विद्युत की प्रति व्यक्ति औसतन कितनी यूनिटों की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 2012 तक देश में प्रति व्यक्ति विद्युत की एक हजार यूनिटों की आपूर्ति हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए विद्युत के स्रोतों की पहचान की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने वर्ष 2005–06 के लिए प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 631.41 किलो वाट घंटा का हिसाब लगाया है।

(ख) और (ग) फरवरी, 2005 में अधिसूचित राष्ट्रीय नीति में अन्य बातों के साथ–साथ यह परिकल्पना की गई है कि प्रति व्यक्ति विद्युत उपलब्धता को 2012 तक 1000 यूनिटों से अधिक तक बढ़ाया जाना है। के. वि. प्रा. ने सूचित किया है कि 2012 तक प्रति व्यक्ति 1000 यूनिट विद्युत उपलब्धता कराने के लिए 11वीं योजना में पारम्परिक स्रोतों के माध्यम से 16553 मे.वा. जल विद्युत, 58,644 मे.वा. ताप विद्युत (कोयला 52,795 मे.वा., लिग्नाइट 1450 मे. वा., गैस 4,399 मे.वा.) तथा 3380 मे.वा. न्यूक्लीयर का मिलाकर कुल 78,577 मे.वा. क्षमता अभिवृद्धि प्रस्तावित की गई। इसके अलावा, 11वीं योजना के दौरान एवं नवीकरणीय स्रोतों से 14,000 मे.वा. तथा कैप्टिव पावर संयंत्रों से भी 12,000 मे.वा. क्षमता अभिवृद्धि की परिकल्पना की गई है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त को पूरा करने के लिए पहचान किए गए विद्युत उत्पादन स्रोतों में कोयला, गैस लिग्नाइट, जल विद्युत नाभिकीय तथा अन्य नवीकरणीय स्रोत जैसे पवन, बायोमास, सौर आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

श्री कीरेन रिजीजू : माननीय मंत्री जी ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित लक्ष्य के बारे में बताया है।

[हिन्दी]

मंत्री जी ने इस सदन में आश्वासन दिया था कि हाइड्रो पावर को भी उतना ही महत्व दिया जाएगा, जितना थर्मल पावर को दिया जा रहा है। लेकिन आपने जो दो साल पहले कहा था, वह नीतिगत बात आपके द्वारा दिए गए इस डाक्युमेंट में रिफलेक्ट नहीं हो रही है। आपका 2012 तक सबको बिजली देने का जो लक्ष्य है 16,553 मे. वा. पनः विद्युत द्वारा और 58,644 मे.वा. ताप विद्युत द्वारा अभी आपने अल्ट्रा मेगावाट के बारे में कहा है। जब हमारे देश में हाइड्रो पावर की उपलब्धता है, हमारी नदियां का पानी बे–आफ–बंगाल में यूं ही बह रहा है, तो आप

कब तक हाइड्रो पावर को थर्मल पावर के साथ बराबरी तक लाने का आश्वासन देंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पूर्व में विस्तृत जानकारी दे दी है।

[हिन्दी]

श्री कीरेन रिजीजू : हाइड्रो पावर के बारे में नहीं कहा है।

श्री सुशील कुमार शिंदे : अध्यक्ष जी, हाइड्रो पावर की केपेसिटी इस देश में 1 लाख 50 हजार मेगावाट है और अभी तक हम ने 34,600 मेगावाट ही हासिल की है। लेकिन गए 60 सालों में जो कमी आई है, उसका कारण देखा जाए तो जैसे नार्थ–ईस्ट है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और कई बार हमें इसजेंसी का भी सामना करना पड़ता है। यह सब देखते हुए, लोग वहां जाने के लिए तैयार नही होते हैं। इसलिए कुछ ज्यादा इंसेंटिव देकर, अट्रेक्शन देकर, हम इसे करना चाहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में, जैसे माननीय सदस्य को पता है कि बाहर की पार्टी नहीं आती है, एनटीपीसी और एनएचपीसी वही यूनिट लगाना चाहते हैं और कम से कम 5000 मैगावाट की एन्टीपीसी और एनएचपीसी अरुणाचल प्रदेश में बिजली लगाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हम सबका सहयोग चाहते हैं, क्योंकि वहां एनवायरनमेंट सहित कई और इश्यू है। वहां के लोगों को सुविधा देने के लिए, हमने तय किया है कि वहां के लोगों को पीएपीज की सुविधा मिले। इसलिए जैनरेशन पर, लोकल एरिया एम्प्रूवमेंट के लिए, हम एक पैसा ज्यादा भी दे रहे हैं।

[अनुवाद]

हम उनको 12 प्रतिशत निःशुल्क विद्युत भी दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको और प्रश्न पूछना है?

[हिन्दी]

श्री कीरेन रिजीजू : क्लैरिफिकेशन सर। आपने कहा कि एनटीपीसी ने विदड्रा कर लिया है, 4000 मैगावाट के लिए जो पैसा उन्होंने दिबांग प्रोजैक्ट में लगाया था, वह भी विदड्रा कर लिया है। उसमे मैं यह कहना चाहूंगा कि एनटीपीसी और एनएचपीसी जो आपका पीएसयू है, दोनों का और एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, इसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं?

श्री सुशील कुमार शिंदे : महोदय, एनटीपीसी ने प्रस्ताव पीछे इसलिए ले लिया है क्योंकि वहां डीपीआर तैयार नहीं है, बाकी का डीपीआर तैयार है। अध्यक्ष महोदय, आपको पता होगा कि कई डीपीआर हमारे सेंट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने तैयार किये थे और वहां प्राइवेट लोग आने के लिए तैयार थे। इसलिए अरूणाचल सरकार ने एमओयू के माध्यम से वह योजना प्राइवेट लोगों को देने के लिए तय किया था। देश को आज बिजली चाहिए, इसलिए हम लिबरल रहेंगे और इस सदन में हमने एनाउंस कर दिया था कि डीपीआर पर जो खर्च होगा, वह खर्चा और उस पर इंट्रेस्ट लगाकर उनको दिया जाएगा, ऐसा मैंने यहां बोला था। आज मैं इस सदन में बताना चाहूंगा कि एक जो डैवलेपर है उसका डीपीआर उन्होंने ले लिया है और बाकी के डीपीआर लेने का काम बाकी है। एनटीपीसी के बारे में मैं कहूंगा कि उन्होंने जो योजना ली है उसका डीपीआर तैयार नहीं है और जब तक डीपीआर तैयार नहीं रहता है, उसका फुल असेसमेंट नहीं होता है कि कितना खर्चा होगा, कितनी पूंजी लगानी पड़ेगी, इस सबके लिए वह काम रुका हुआ है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अगले सत्र में हम विस्तृत चर्चा करेंगे।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के प्रयासों की सराहना करता हूं कि देश में बिजली उत्पादन में वृद्धि करने में असार्थिक सफलता प्राप्त कर रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में अत्यधिक प्रगति के बावजूद भी वांछित बिजली उत्पादन का लक्ष्य हम अभी भी प्राप्त नहीं कर सके हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या विद्युत मंत्रालय और योजना आयोग के बीच उत्पादन के लक्ष्य के निर्धारण के बारे में कोई मतभेद हैं? तथा क्या योजना आयोग बिजली उत्पादन के लक्ष्य को कम करना चाहता है या नहीं?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या झगड़ा कराना चाहते हो?

[अनुवाद]

श्री सुशील कुमार शिंदे : महोदय, मैं सभा को बताना चाहूंगा कि योजना आयोग और विद्युत मंत्रालय में इस प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। हमारे संबंध बहुत सौहार्य हैं। हम योजना आयोग के उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष जो देश के प्रधान मंत्री भी हैं, के साथ अनेक मद्दों पर चर्चा करते रहे हैं। अतः हमारी बहुत सी परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त करने और उनके कार्यान्वयन के बारे में हमारे संबंध बहुत ही सौहार्दपूर्ण हैं। इस संबंध में कोई विवाद नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : सौहार्दपूर्ण तरीके से ही अधिक धनराशि प्राप्त करने में मदद मिलती है।

श्री खगेन दास : महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश में भावी विद्युतघर के रुप में देखा जाता है। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में किन–किन परियोजनाओं के लिए लक्ष्य निर्धारित किये गए और लक्ष्यों की वास्तविक उपलब्धियां क्या हैं? इनमें से कितनी परियोजनाएं ग्यारहवीं योजना में स्थानांतरित कर दी गयी हैं?

श्री सुशील कुमार शिंदे : महोदय, इसके लिए तो मुझे पहले सूचना दिये जाने की आवश्यकता है क्योंकि मुझे जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। मैं यह निवेदन करता हूं कि माननीय सदस्य को इस बारे में जानकारी दे दी जाएगी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप जो सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, उसके बारे में लिखित में दे दीजिए और वे आपको सूचना भेज देंगे।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल : महोदय, आपका धन्यवाद। विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, कोयला, प्राकृतिक गैस असम राजय में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। परन्तु इन सभी संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद असम में विद्युत की भारी कमी है। असम राज्य में विद्युत की उपलब्धता की स्थिति में सुधार लाने के लिए माननीय मंत्री महोदय द्वारा क्या प्रस्ताव लाये गए हैं?

दूसरे, खराब डिज़ीटल मीटर प्रणाली के बारे में असम के उपभोक्ताओं और उपभोक्ता उद्योगों के बीच काफी असंतोष है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें खराब डिजीटल मीटर प्रणाली के संबंध में असम राज्य से कोई शिकायत प्राप्त हुई है?

श्री सुशील कुमार शिंदे : महोदय, मुझे असम राज्य से इस बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। तथापि, यह राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले कार्य के संदर्भ में हैं और यह उन्हें ही देखना होगा। परन्तु माननीय सदस्य यह बात तो जानते ही होंगे कि बोंगईगाँव विद्युत केन्द्र में एन.टी.पी.सी. द्वारा 750 मेगावाट का उत्पादन किया जा रहा है।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, ने अपने उत्तर में यह बताया है कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) ने वर्ष 2005–2006 के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिघंटा 631.41 किलोवाट विद्युत खपत की गणना की है और वर्ष 2012 तक यह लगभग 1000 यूनिट हो जाएगी। क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि कुछ राज्यों में प्रति व्यक्ति विद्युत की मांग अन्य राज्यों की तुलना में काफी अधिक है? कुछ राज्यों जैसे हरियाणा और पंजाब में विद्युत की मांग काफी अधिक है क्योंकि वहां काफी मात्रा में विद्युत उपयोग सिंचाई के लिए किया जा रहा है, ताकि हमारे देश के खाद्यान्न पूल की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। क्या मंत्रालय कृषि क्षेत्र में अधिक विद्युत का उपयोग करने वाले राज्यों को रियायती और अतिरिक्त विद्युत की मांग पूरा करने पर विचार कर रहा है? उदाहरण के लिए, हरियाणा अपनी 50 प्रतिशत से अधिक विद्युत का उपयोग कृषि क्षेत्र के लिए कर रहा है।

श्री सुशील कुमार शिंदे : महोदय, यह सही है कि हरियाणा और पंजाब दो ऐसे राज्य हैं जो कि कृषकों के लिए विद्युत का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। हाल ही में, मैंने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अतिरिक्त क्षमता वृद्धि के बारे में चर्चा की थी और उन्होने इसका सकारात्मक उत्तर भी दिया था। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय सदस्य जिस बात की अपेक्षा कर रहे हैं, उसे शीघ्र ही इसी योजना के दौरान पूरा कर लिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : मुझे सही पता चला है कि मीडिया में...

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह बड़ी अजीब आदत है। मुझे मीडिया में यह बात ठीक ही पता लगी है कि युवा संसद सदस्यों के कार्यों को विशिष्ट रूप से नोटिस किया जा रहा है। मुझे उनहें बोलने का और अधिक अवसर देना चाहिए। मैं इसका स्वागत करता हूं।

श्री नवीन जिन्दल : महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। हमारे देश में विद्युत क्षेत्र में विद्युत पारेषण और वितरण क्षति के साथ–साथ विद्युत चोरी की घटनाएं भी ज्यादा हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि पारेषण और वितरण क्षति के साथ–साथ विद्युत चोरी की घटनाएं भी ज्यादा हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि पारेषण और वितरण क्षति के साथ–साथ विद्युत चोरी की घटनाओं में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

श्री सुशील कुमार शिंदे : महोदय, देश में यह क्षति 40 प्रतिशत से अधिक था। परन्तु अब दसवीं योजना से हमने इस संबंध में काफी मेहनत की है और राष्ट्रीय औसत स्तर पर यह घटकर 38 प्रतिशत रह गयी हैं। कई स्थानों पर हमने पारेषण क्षति के साथ–साथ ए.टी.सी. क्षति को कम करने के लिए कदम उठाये हैं।

पारेषण लाइनों के संबंध में, हमने 120 के.वी. लाइनों को 220 के.वी. लाइनों में बदला है; 220 के. वी. लाइनों को 400 के. वी. लाइनों में बदला है और अब हम 700 के.वी. लाइनों में बदल रहे हैं। भारत में अत्यंत उत्तम किस्म के विद्युत ग्रिड हैं, जिन्हें पश्चिमी देशों द्वारा सत्यापित भी किया गया है। अगली पंचवर्षीय योजना हम इन्हें 1200 के.वी. लाइनों में बदला देंगे। इस प्रकार उच्चतर क्षमता की पारेषण लाइनों के बदले जाने पर यह क्षति कम हो जाएगी। हम पारेषण और वितरण क्षति को भी कम कर रहे हैं।

विद्युत चोरी के संबंध में हम क्षति को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय और यह माननीय सभा यह जानती है कि हमने संसद में इस संबंध में एक विधान पारित किया है। यह लागू हो गया है और कठोर उपायों के माध्यम से हम अपने इस घाटे को कम करने की अपेक्षा कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं सदा युवा दिखने वाले श्री के. येरननायडु को भी युवा संसद सदस्य ही मानता हूं।

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, वे अपनी सीट पर नहीं है।

श्री किन्जरपु येरननायडु : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां विद्युत की

बहुत कमी है। आंध्र प्रदेश में भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) द्वारा सुनिश्चित आबंटन करने के पश्चात प्रवर्तकों ने तीन विद्युत परियोजनाओं को पहले ही पूरा कर लिया है, परन्तु गैस की कमी के कारण अभी उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। आंध्र प्रदेश सरकार सैंकड़ों करोड़ रुपए के निर्धारित प्रभारों का भुगतान कर रही है, जिससे आन्ध्र प्रदेश के लोगों और उपभोक्ताओं को बहुत हानि हो रही है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडु जी, आप पुराने संसद सदस्य की तरह प्रश्न पूछ रहे हैं। कृपया अपना प्रश्न शीघ्र पूछिए।

श्री किन्जरपु येरननायडु : आबंटन सुनिश्चित किये जाने के पश्चात भी गैस की आपूर्ति क्यों नहीं की गयी? ये परियोजनाएं कब चालू होंगी? माननीय मंत्री महोदय से मेरा यही प्रश्न है।

श्री सुशील कुमार शिंदे : महोदय, आन्ध्र प्रदेश मे तीन या चार परियोजनाएं निष्क्रिय पड़ी हैं और इसी बीच – जब गैस की कमी थी – हमने मुख्यमंत्री से आग्रह करके इन्हें नाफ्था से चलाने का प्रयास किया। परन्तु यह बहुत महंगा था।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, पहले भी इस पर व्यापक रूप से स्पष्टीकरण दिया गया है।

श्री सुशील कुमार शिंदे : अब, देश में पर्याप्त गैस उपलब्ध नहीं है और वर्ष 2008 तक गैस के नए स्थान उपलब्ध होंगे और स्थिति सुखद हो जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि अगले वर्ष तक गैस उपलब्ध होगी और ये इन तीन या चार यूनिटों में कार्य करना प्रारंभ कर देंगी।

अध्यक्ष महोदय : वे अभी तक युवा ही थे, श्री एन. एन. कृष्णदास जी।

श्री एन. एन. कृष्णदास : महोदय, आपका धन्यवाद। जब हम विद्युत उत्पादन के बारे में बात करते हैं, तो वह विद्युत उत्पादन के नए प्रतिष्ठानों के बारे में होती है। हमारे देश में कायमकुलम थर्मल विद्युत स्टेशन जैसे स्थापित विद्युत उत्पादन एककों के संबंध में स्थिति क्या है? आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस स्थापित क्षमता वाले विद्युत स्टेशन में विद्युत उत्पादन अभी तक शुरू न होने के क्या कारण हैं? यह कब प्रारंभ होगा?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न एक विशिष्ट विद्युत स्टेशन के बारे में है।

श्री सुशील कुमार शिंदे : कायमकुलम विद्युत स्टेशन परमाणु विद्युत स्टेशन है या थर्मल विद्युत स्टेशन।

श्री एन. एन. कृष्णदास : यह थर्मल विद्युत स्टेशन है।

श्री सुशील कुमार शिंदे : मुझे इसके बारे में सूचना एकत्रित करनी होगी। मैं तदनुसार माननीय सदस्य को इस बारे में सूचित कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 323, श्री पुन्नुलाल मोहले –उपस्थित नहीं।

प्रश्न संख्या 324, श्री के विरूपाक्षप्पा–उपस्थित नहीं।

श्री पी. सी. गद्दीगउडर

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की शाखाएं

+

***324. श्री पी. सी. गद्दीगउडर :**
श्री के. विरूपाक्षप्पा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की राज्य–वार कितनी शाखाएं काम कर रही हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों, विशेषकर कर्नाटक राज्य में इस बैंक की और अधिक शाखाएं खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) वर्तमान में देश में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की 64 शाखाएं हैं। शाखाओं की राज्यवार स्थिति अनुबन्ध में दी गई है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने अगले छः से सात महीनों में शाखा कार्यालय खोलने हेतु 10 केन्द्रों का चयन किया है। इसमें हुबली, कर्नाटक में एक शाखा भी शामिल है।

अनुबन्ध

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की शाखाओं का राज्य–वार ब्यौरा

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	शाखाओं की संख्या
1	2
आन्ध्र प्रदेश	03
अरुणाचल प्रदेश	01
असम	01
बिहार	01
चण्डीगढ़	01
छत्तीसगढ़	01
दिल्ली	02
गोवा	01
गुजरात	06
हरियाणा	02

1	2
हिमाचल प्रदेश	01
जम्मू और कश्मीर	01
झारखण्ड	03
कर्नाटक	02
केरल	01
मध्य प्रदेश	02
महाराष्ट्र	08
मणिपुर	01
मेघालय	01
मिजोरम	01
नागालैण्ड	01
उड़ीसा	02
पांडिचेरी	01
पंजाब	02
राजस्थान	02
सिक्किम	01
तमिलनाडु	05
त्रिपुरा	01
उत्तर प्रदेश	06
उत्तराखण्ड	02
पश्चिम बंगाल	01
कुल	64

श्री पी. सी. गद्दीगउडर : महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि देश में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की 64 शाखाएं हैं; जल्द ही 10 और शाखाएं खोल दी जाएगी। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि हुबली में भी एक शाखा खोली जाएगी।

मैं माननीय मंत्री महोदय से जोर देकर कहना चाहूंगा कि लघु उद्योग के विकास के लिए कई अन्य शाखाएं खोली जानी चाहिए। यह युवकों के लिए भी मददगार होगा।

दूसरी बात, मैं यह पूछना चाहता हूं कि ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : दूसरा प्रश्न बाद में पूछा जा सकता है। मंत्री महोदय क्या आप अधिक शाखाएं खोलेंगे।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, यह एक सुझाव है। मैं इसे ध्यान में रखूंगा।

श्री पी. सी. गद्दीगउडर : मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि बैंक खोलने के लिए क्या शर्तें हैं?

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, सिडबी एक नियमित वाणिज्यिक बैंक नहीं है। बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। प्रत्यक्ष वित्त एवं पुनवित्त, दोनों ही के माध्यम से लघु उद्योगों को उधार देने के लिए सिडबी एक विशिष्ट बैंक है। सिडबी अन्य बैंकों के माध्यम से भी कार्य करता है। सिडबी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का आधार स्वरूप उपयोग करता है। इसलिए, सिडबी उस क्षेत्र में लघु व मध्यम स्तर के उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार उस क्षेत्र या राज्य में शाखा खोलता है। परंतु जब उस क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों का विकास हो जाता है तो इसके लिए विशिष्ट सिडबी शाखा की आवश्यकता होती है, सिडबी उस क्षेत्र में शाखा खोलेगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री जे. एम. आरून रशीद – उपस्थित नहीं।

मोहम्मद सलीम : महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, जब हम इस देश में औद्योगिक परिदृश्य को देखते हैं तो हम क्षेत्रीय असंतुलन पाते हैं। सरकार विशेषरुप से लघु व सूक्ष्म उद्यमों पर बल दे रही है चूंकि इस क्षेत्र में रोजगार क्षमता मौजूद है। आप सिडबी की पृष्ठभूमि में न केवल शाखाओं की संख्या व इसकी मौजूदगी से क्षेत्रीय असन्तुलन पाएंगे परंतु इसकी गतिविधि में तथा प्रायोजित स्कीमों की संख्या मे भी असंतुलन पाऐगें। अब आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से मेरा प्रश्न यह है कि क्या वे लघु व सूक्ष्म उद्यमों के ग्राहक आधार के संबंध में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए प्रक्रिया आरंभ करेंगे। क्या मंत्री महोदय, सिडबी को क्षेत्रवार इसकी मौजूदगी व गतिविधियों के संबंध में एक संतुलन बैठाने के लिए अनुदेश जारी करेंगे?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मुझे उत्तर देने के लिए नहीं कह रहे हैं। आप मेरे माध्यम से मंत्री महोदय को उत्तर देने के लिए कहेंगे।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मुझे सिडबी की मौजूदगी में कोई स्पष्ट क्षेत्रीय असंतुलन नजर नहीं आता है–महाराष्ट्र में आठ शाखाएं हैं, गुजरात में छह, तमिलनाडु में पांच, उत्तर प्रदेश में छह एव सभी अन्य राज्यों में इसकी शाखाएं मौजूद हैं।

मोहम्मद सलीम : पश्चिम और पूर्व, दक्षिण और उत्तर।

श्री पी. चिदम्बरम : यह औद्योगिक विकास, औद्योगिक वृद्धि, निवेश तथा लघु व सूक्ष्म उद्योगों के संवर्धन का कार्य है। राज्य जो सक्रिय हैं तथा लघु व मध्यम उद्योगों का संवर्धन करते हैं निश्चित ही अधिक लघु व मध्यम उद्योगों को आकर्षित करेंगे तथा इसलिए सिडबी अधिक ऋण देगा।

महोदय, दूसरे सिडबी स्वयं ही प्रत्यक्ष रूप से ऋण नहीं आबंटित करता है। सिडबी का काम प्रत्यक्ष रुप से ऋण देना नहीं है। प्रत्यक्ष ऋण सिडबी के कुल ऋण आबंटन का एक छोटा भाग है। सिडबी वास्तव पुर्नवित्त सहायता प्रदान करता है तथा पुर्नवित्त पोषण मूल रुप से ऋण प्रदाता संस्थाओं को किया जाता है जो कि मूल रुप से राज्य स्तरीय वित्त संस्थान होते हैं। अधिकांश राज्यों में एक राज्य वित्त निगम होता है, परंतु आज इनमें से अनेक राज्य निगमों की नकारात्मक कुल सम्पत्ति है। जब तक कि राज्य वित्त निगमों को सकारात्मक कुल सम्पति नहीं होती है तथा वे छोटे व मध्यम उद्योगों को ऋण नहीं प्रदान करते हैं तब तक राज्य वित्त निगम किस प्रकार यह आशा कर सकते है कि सिडबी उनका पुर्नवित्तपोषण करेगा? मात्र शाखाओं की संख्या पर ध्यान देने की बजाय समस्या कहीं अधिक गंभीर है। मेरा विचार है कि महत्वपूर्ण यह

है कि राज्यों को सक्रिय रुप से औद्योगिकरण को बढ़ावा देना चाहिए। लघु व मध्यम उद्योगों में निवेश को सक्रिय रुप से आकर्षित करना चाहिए। अपने राज्यों के वित्त निगमों का पुर्नरुद्धार एवं उन्हें पुर्नजीवित करना चाहिए तथा आप सिडबी को प्रत्यक्ष वित्त व पुर्नवित्त के क्षेत्र में नहीं चाहेंगे।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में छः शाखाएं खोली गई हैं जबकि भारत का ह्रदय उत्तर प्रदेश की आबादी 18 करोड़ के करीब हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या छोटे और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए तहसील और ब्लॉक स्तर पर शाखाएं खोलने के लिए प्रयास करेंगे?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उस प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

श्री पी. चिदम्बरम : मैंने कहा है कि सिडबी एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की भांति नहीं है। जो कि बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष वित्त पोषण करे। सिडबी वास्तव में एक पुर्नवित्तपोषण करने वाला संस्थान है। यह प्राथमिक ऋण प्रदाता संस्थानों को वित्त पोषित करता है। इसका जनसंख्या से कुछ लेना देना नहीं है। यह औद्योगिककरण की सीमा पर निर्भर करता है, जो विशेषकर लघु व मध्यम क्षेत्रों में किया जा रहा है। यदि औद्योगिककरण रफ्तार पकड़ता है, अधिकाधिक इकाईयां सामने आएगी तथा जब सिडबी को आवश्यकता महसूस होगी, निश्चित ही वह तहसील स्तर पर भी शाखा खोलेगी।

जैव कृषि

***325. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जैव कृषि पद्धति अपनाने वाले किसानों को रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) मूल राशि पर 3 लाख रुपए की उपरी सीमा 7 प्रतिशत पर किसानों को अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को उनकी अपनी निधि के उपयोग करने पर प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी प्रदान की जा रही है। सरकार इस उद्देश्य के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को रियायती पुनर्वित्त हेतु नाबार्ड को ब्याज आर्थिक सहायता भी दे रही है। खरीफ 2006-07 से इसकी शुरूआत से यह योजना जैव कृषि के लिए भी लागू है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा : मैं जैविक खेती के लिए रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए माननीय वित्त मंत्री महोदय का धन्यवाद करती हूं। अपने पहले अनुपूरक प्रश्न पर आती हूं कि जैविक खेती बहुत ही पर्यावरण अनुकूल तथा निर्यात उन्मुखी है। क्या वित्त मंत्री महोदय बैंकों को दिशानिर्देश जारी करेंगे कि वे कृषि ऋण का 30% विशेष रुप से उन कृषकों को उपलब्ध कराए जो जैविक खेती कर रहे हैं? क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वे वित्त मंत्री यह बताने की कृपा स्वयं सेवी समूहों को जैविक खेती के लिए रियायती दरों पर ऋण प्रदान करेंगे? सभा अवगत है कि संपूर्ण देश विशेषकर आंध्र प्रदेश में स्वय सेवी समूह अत्यंत सक्रिय हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : हम ऋण देने के मामले में उन किसानों के बीच कोई भेद नहीं करते है जो रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं तथा जो जैविक कृषि करते हैं। यह प्रश्न का स्पष्ट उत्तर है। कृषि क्षेत्र में उपलब्ध सभी रियायतें उन किसानों को भी उपलब्ध है जो जैविक खेती करते हैं।

जहां तक स्वयं सेवी समूह का संबंध है, वे रसायनिक उर्वरक का उपयोग करने अथवा जैविक खेती करने के लिए स्वतंत्र है। इसमें कोई भी भेद नहीं है।

तथापि, जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया जाना है। मेरा विचार है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन में एक घटक जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरा विचार है कि महोदय, एक प्रश्न पूछा गया था तथा कृषि मंत्री जी ने जैविक खेती पर विस्तार से उत्तर दिया। परन्तु यदि वे जैविक खेती के बारे में अधिक जानना चाहती हैं तो, मेरा विचार है कि कृषि मंत्री से प्रश्न पूछा जाना चाहिए। जहां तक बैंकों का संबंध है, हम कोई अंतर नहीं करते हैं। वे सभी रियायतें जो किसानों को उपलब्ध हैं वे उन किसानों को भी उपलब्ध हैं जो जैविक खेती करते हैं।

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा : महोदय, क्या सरकार उन उद्यमियों को आसान ऋण उपलब्ध कराने हेतु जैविक कृषि पर राष्ट्रीय परियोजना का विस्तार करने का विचार कर रही है जो बायोडायनमिक कम्पोस्ट तरल खाद तथा अन्य जैविक उत्पाद करने के व्यवसाय में संलग्न है? महोदय, मेरा विचार यह है कि मंत्रालय ने जैविक कृषि के संबंध में सरकारों को अनुदेश जारी नहीं किए हैं। क्या मंत्री महोदय राज्य सरकारों से एक निश्चित समय सीमा के भीतर कार्य योजना प्रस्तुत करने के लिए कहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे बेहतर ढंग से कर सकते हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, जैसा कि मैंने कहा, बैंक रासायनिक उर्वरकों और जैविक कृषि के बीच कोई अंतर नहीं करते। लेकिन चूंकि माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है, इसलिए मैंने अन्य मंत्रालयों से सूचना एकत्रित की है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन संबंधी एक केन्द्र-प्रायोजित योजना है, जो जैविक कृषि को बढ़ावा देती है। जैविक उत्पादन के लिए

वाणिज्य मंत्रालय ने अप्रैल 2000 में राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया। उस कार्यक्रम के उद्देश्य मैं पढ़ कर सुना सकता हूं। 'एपीईडीए' जैविक कृषि में लगे किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। जैविक उत्पादन और प्रमाणीकरण उपायों के लिए राष्ट्रीय मानक 'एपीईडीए' कार्यान्वित किए जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि विभिन्न मंत्रालय, जो कृषि और उत्पादों के निर्यात से सीधे संबद्ध हैं, जैविक कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं।

श्री प्रबोध पाण्डा : महोदय, किसानों को रियायती दरों पर दिए गए ऋणों के बारे में यद्यपि दर को घटाकर नौ प्रतिशत से सात प्रतिशत कर दिया गया है लेकिन यह केवल लघु अवधि के ऋणों के लिए नही किया गया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे डा. स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, रियायती दर को घटा कर चार प्रतिशत करने पर विचार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता आप कहां–से–कहां जा रहे हैं। यह प्रश्न जैविक कृषि के बारे में है।

श्री प्रबोध पाण्डा : महोदय, यह किसानों को रियायती दरों पर ऋण दिए जाने के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : इसका अर्थ यह नहीं है कि किसानों से संबंधित कोई भी प्रश्न हो। मंत्री महोदय, क्या आप इसका उत्तर देना चाहते हैं? मैं आपको इसके लिए बाध्य नहीं करूंगा।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, फसल ऋणों के लिए सात प्रतिशत ब्याज दर इस सरकार द्वारा दो वर्ष पहले शुरू की गई थी और निस्सन्देह राज्य सरकारों ने एक या दो प्रतिशत की राजसहायता देकर इसे अनुपूरित किया है; एक मामले में तो यह तीन प्रतिशत भी है।

जहां तक निवेश ऋण का संबंध है, जिसे हम दीर्घावधि ऋण कहते हैं, इसके लिए द्वितीय वैद्यनाथन समिति रिपोर्ट है। हम उस रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं। हमने सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों से एकबार विचार–विमर्श किया है। कुछ सहमति बनी है। उस बैठक में बनी सहमति मैंने राज्यों के वित्त मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों के पास भेजी है। उनसे उत्तर आने पर हम निश्चित रुप से उस पर विचार करेंगे जो माननीय सदस्य ने कहा है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वह ऑर्गेनिक फार्मिंग के लोन की दर सात परसैन्ट से घटाकर चार परसैन्ट करेंगे?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : जो ब्याज दर कृषि पर लागू होगी। क्या वहीं जैविक कृषि पर भी लागू होगी।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, किसानों ने फार्मिंग के लिये कर्ज लिये। इसी तरह जम्मू कश्मीर में किसानों ने कर्ज लिये लेकिन स्टेट में टरमॉयल और टैररिज्म की वजह से वे अपने आपको खड़े नहीं कर पाये। जब पूर्व प्रधानमंत्री श्री देवगौड़ा आये थे तो उन्होंने अनाऊंस किया था किसानों के कर्जे माफ किये जाते हैं। सरकारें बदलती गईं और यह सब चलता रहा लेकिन किसानों के कर्जे आज तक माफ नहीं हो पाये हैं। किसान ने फर्टिलाइज़र के लिये जो कर्ज दो हजार रुपये का लिया था, वह अब २० हजार रुपये तक पहुंच गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि ऑनरेबल पूर्व प्रधानमंत्री ने जो कमिटमेंट किया था लेकिन टरमॉयल की वजह से किसान का नुकसान हुआ, क्या सरकार उन कर्जों को वेव–ऑफ करने की व्यवस्था करेगी?

अध्यक्ष महोदय : ऑनरेबल मिनिस्टर क्या कहेंगे?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, इस प्रश्न के लिए हमे पूर्व सूचना मिलनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : निस्सन्देह।

आप एक विशिष्ट प्रश्न पूछिए, महत्वपूर्ण लेकिन विशिष्ट।

चौधरी लाल सिंह : ...*

अध्यक्ष महोदय : यह टिप्पणी हटा दी जाएगी। श्री लाल सिंह, कृपया ऐसा न करें।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नाबार्ड को ब्याज के लिये जो आर्थिक सहायता दी जाती है, उसका आधार क्या है? सरकार नाबार्ड को आर्थिक सहायता दिये जाने की व्यवस्था करती है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने जैव कृषि के लिये किसानों का उत्थान करने के लिये क्या व्यवस्था की है?

अध्यक्ष महोदय : राम कृपाल जी, यह क्वैश्चन इसमें नहीं आता है। पता नही आप लोग क्या करते हैं, प्रश्न कुछ होता है, आप पूछते कुछ और हैं।

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि किसानों को जो सब्सिडी दे रहे हैं, उनके ब्याज दर में कटौती करेंगे या नहीं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अन्य माननीय सदस्य ने वह प्रश्न पूछा है और फिर आप वही प्रश्न दोबारा पूछ रहे हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं सादर पूर्वक यह बात दोहरा रहा हूं कि इस सरकार ने ब्याज दर को 10 प्रतिशत से घटाकर सात प्रतिशत किया। इसमें और कमी के किसी भी प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।

श्री मंजुनाथ कुन्नुर : महोदय, जैविक कृषि इस देश में अपनाने के लिए सर्वोतम विधि है। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए, बैंक आवश्यकतानुसार ऋण देने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न कृषि मंत्री जी से पूछिए।

श्री मंजुनाथ कुन्नुर : मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे अनुदेश दें, खासकर जैविक कृषि के मामले में कि ऋणों का आवश्यकतानुसार वितरण किया जाए और वर्तमान में निर्धारित धनराशि 3 लाख रुपए की राशि दीर्घावधि सहित को बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : आज इस सत्र का अंतिम दिन है। इसलिए मैं कुछ उदार हूं।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं माननीय सदस्य की बात से पूर्णतः सहमत हूं। बैंकों के साथ अगली समीक्षा बैठक में मैं इसे कार्यसूची में शामिल करूंगा और उन्हें जैविक कृषि हेतु अधिक ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। अन्य योजनाएं भी हैं, जिनका कि मैंने जिक्र किया है – राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जैविक उत्पादन संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम आदि – जिनके कुछ विशिष्ट लाभ हैं लेकिन मैं सुनिश्चित करूंगा कि ये लाभ जैविक कृषकों को दिए जाएं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 326–श्री रामदास आठवले–उपस्थित नहीं। प्रश्न सं. 327 – श्री विजय कृष्ण।

आदर्श आचार संहिता संबंधी विधान

***327. श्री विजय कृष्ण :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निर्वाचन आयोग से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों को अनर्ह करने और शक्तियां अधिरोपित करने की शक्तियां मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रदान करने के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता संबंधी विधान बनाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) और (ख) सरकार को इस संबंध में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, पूर्व में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, आदर्श आचार–संहिता को कानूनी आधार प्रदान करने का एक प्रस्ताव किया गया था, किंतु जुलाई, 1998 में आदर्श आचार–संहिता को कोई कानूनी आधार दिए बिना देश में बड़ी संख्या में सफलतापूर्वक चुनावों का संचालन करने से हुए अनुभव के पश्चात्, निर्वाचन आयोग ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री विजय कृष्ण : अध्यक्ष महोदय, हमारे लोकतांत्रिक देश ने चुनाव आयोग को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि चुनावों के जो प्रयोग हुए हैं, उसमें अब भी धांधलियां होती हैं और निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। कई सवाल चुनावों से संबंधित हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार चुनाव सुधार से संबंधित किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है?

[अनुवाद]

श्री हंस राज भारद्वाज : हमें कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं। हम राजनैतिक दलों में सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लंबित परियोजनाएं

***323. श्री पुन्नूलाल मोहले :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त अनेक प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार/संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (ग) स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) की अप्रैल, 1999 में शुरूआत के बाद से इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों से प्राप्त विशेष परियोजना प्रस्तावों की संख्या एवं उनकी स्थिति का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। योजना की शुरूआत से सरकार को 794 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें से अब तक 236 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं, 421 परियोजना प्रस्तावों को एसजीएसवाई विशेष परियोजनाओं के दिशा–निर्देशों का अनुपालन न किए जाने, परियोजनाएं व्यवहार्य न होने, गरीबी रेखा से नीचे के लाभार्थियों पर ध्यान न दिए जाने आदि जैसे विभिन्न कारणों से संबंधित राज्य सरकारों का अन्य प्रायोजक एजेंसियों को वापस लौटा दिया गया है और 137 परियोजना प्रस्ताव सरकार के पास प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं जिनमें तकनीकी एजेंसियों को टिप्पणी हेतु संदर्भित प्रस्ताव एवं वे प्रस्ताव शामिल हैं जिन्हें परियोजना जांच समिति ने मंजूर कर दिया है, परंतु इन्हें परियोजना मंजूरी समिति को भेजा जाना है।

राज्य सरकारों तथा अन्य एजेंसियों से एसजीएसवाई के अंतर्गत अनेक विशेष परियोजना प्रस्ताव मंजूरी हेतु प्राप्त होते हैं। चूंकि ये अधिकांशतः जीविकोपार्जक परियोजनाएं होती हैं जिनकी लागत 15 करोड़ रु. तक हो सकती है, इसलिए ऐसे प्रस्तावों की पहले एसजीएसवाई के तहत विशेष परियोजनाओं के दिशा निर्देशों के अनुपालन के संदर्भ में जांच की जाती है जिनमें मुख्य रूप से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लाभार्थियों, राज्य सरकारों द्वारा परियोजना लागत के 25% मैचिंग शेयर के प्रति वचनबद्धता, क्रेडिट घटक आदि पर ध्यान दिया जाता है। जो परियोजनाएं इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती हैं, उन्हें संबंधित

राज्य सरकारों को लौटा दिया जाता है। राज्य सरकारें ऐसे प्रस्तावों में संशोधन एवं उनकी पुनर्रचना करती रहती हैं। इन प्रस्तावों को जहां आवश्यक होता है, सबंधित लाइन विभागों/एजेंसियों की तकनीकी टिप्पणियों हेतु उन्हें भेजा जाता है। दिशानिर्देश के मूल मानदंडों का अनुपालन करने वाले परियोजना प्रस्तावों की जांच एवं मंजूरी हेतु इनका दो अन्तः मंत्रालयीय समितियों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। परियोजनाओं की पहले संयुक्त सचिव (एसजीएसवाई) की अध्यक्षता वाली परियोजना जांच समिति (पीएससी) द्वारा जांच की जाती है जिसमें आंतरिक वित्त स्कन्ध एवं योजना आयोग के सदस्य शामिल हैं। अंत में परियोजना जांच समिति द्वारा मंजूर की गई परियोजनाओं पर सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय की अध्यक्षता वाली परियोजनाओं मंजूरी समिति, जिसमें अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सलाहकार (ग्रा.वि.), योजना आयोग और संयुक्त सचिव (एसजीएसवाई) सदस्य होते हैं, द्वारा विचार किया जाता है और उन्हें अनुमोदित किया जाता है। परियोजना प्रस्तावों की प्राप्ति, उत्तरदायी राज्य सरकारों द्वारा उनमें संशोधन तथा उपर्युक्त दो–स्तरीय अंतर–मंत्रालय समितियों द्वारा उनका मूल्यांकन एवं अनुमोदन एक सतत् प्रक्रिया है। एसजीएसवाई के अंतर्गत विशेष परियोजनाओं के मौजूदा दिशा–निर्देशों में संशोधन करने का भी प्रस्ताव किया गया है ताकि उन्हें वर्तमान प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाया जा सके। चूंकि प्रस्तावों का मूल्यांकन और अनमोदन/मंजूरी एक निरंतर प्रक्रिया है और यह विभिन्न तथ्यों अर्थात् निर्धारित दिशा–निर्देशों को पूरा करने, प्रस्तावों की आर्थिक व्यवहार्यता, परियोजनाओं में बीपीएल पर विशेष ध्यान आदि पर आधारित होती है, इसलिए ऐसे परियोजना प्रस्तावों की अंतिम मंजूरी के लिए कोई समय सीमा दर्शाई नहीं जा सकती है।

विवरण

अद्यतन स्थिति के अनुसार प्राप्त एसजीएसवाई परियोजनाएं

(4.12.07 की स्थिति)

राज्य	कुल प्राप्त	अनुमोदित	लंबित*	लौटा दी गई
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	57	24	3	30
अरुणाचल प्रदेश	23	4	9	10
असम	33	11	3	19
बिहार	31	8	7	16
छत्तीसगढ़	21	6	9	6
विविध राज्य	43	23	3	17
गोवा	1	1	0	0
गुजरात	23	9	4	10
हरियाणा	9	1	1	7
हिमाचल प्रदेश	18	9	5	4
जम्मू व कश्मीर	15	4	3	8
झारखंड	9	3	0	6
कर्नाटक	42	6	8	28
केरल	24	9	7	8
महाराष्ट्र	52	13	10	29
मणिपुर	36	6	4	26
मेघालय	11	2	0	9
मिजोरम	13	5	1	7
मध्य प्रदेश	74	21	24	29
नागालैंड	29	5	8	16
उड़ीसा	22	2	4	16
पंजाब	9	5	1	3
राजस्थान	59	21	5	33
सिक्किम	2	1	0	1
तमिलनाडु	34	8	1	25
त्रिपुरा	17	5	2	10
उत्तर प्रदेश	32	7	5	20
उत्तरांचल	31	13	5	13
पं. बंगाल	24	4	5	15
कुल	794	236	137	421

*विभिन्न प्रक्रिया स्तरों, निर्दिष्ट, आस्थगित के अंतर्गत सभी परियोजना प्रस्ताव शामिल हैं।

जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों को धनराशि का आबंटन

***326. श्री रामदास आठवले :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों (डीआरडीए) और जिला परिषदों को किस आधार पर धनराशि आबंटित की जा रही है;

(ख) क्या उन्हें आबंटित की जाने वाली धनराशि में एकरूपता है;

(ग) यदि हां, तो देश में गत तीन वर्षों के दौरान विकास एजेन्सियों को कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) क्या सरकार के पास जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों के व्यय पर निगरानी के लिए कोई प्रणाली मौजूद है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उपशमन, रोजगार सृजन, ग्रामीण अवसंरचना निर्माण और लोगों के लिए बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के जरिए अनेक केन्द्र प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित करता है। ये कार्यक्रम है – स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए), इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), डीआरडीए प्रशासन, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी), संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी), समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी), भू–अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण (सीएलआर) और राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाना एवं भू–अभिलेखों को अद्यतन बनाना (एसआरए एवं यूएलआर)। एसजीआरवाई, एसजीएसवाई, आईएवाई, डीआरडीए प्रशासन, आईडब्ल्यूडीपी, डीपीएपी, डीडीपी और एनआरईजीएस के मामलों में जिला ग्रामीण विकास एजेंयियों केन्द्रीय अंश रिलीज किया जाता है। आईडब्ल्यूडीपी, डीपीएपी, डीडीपी और एनआरईजीएस मांग आधारित कार्यक्रम हैं और अन्य आबंटन आधारित। पीएमजीएसवाई, एआरडब्ल्यूएसपी, सीएलआर और एसआरए एवं यूएलआर के संबंध में निधियां राज्य सरकारों को रिलीज की जाती हैं तथा टीएससी के संबंध में निधियां जिला जल एवं स्वच्छता समितियों को रिलीज की जाती है।

सभी योजनाओं के अंतर्गत निधियां अनुमोदित दिशानिर्देशों में निर्धारित मानदंड के अनुसार रिलीज की जाती हैं। एसजीआरवाई के मामले में, जिलों को निधियों का आबंटन जिले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की कुल आबादी के अनुपात और उस जिले में कृषि कामगारों के प्रति व्यक्ति उत्पादन के व्युत्क्रम के आधार पर बनाए गए पिछड़ापन सूचकांक के आधार पर किया जाता है। एसजीएसवाई के अंतर्गत आबंटन जिले में गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) जीवन बसर करने वाले परिवारों के आधार पर किया जाता है। आईएवाई के अंतर्गत, किसी राज्य के भीतर अंतर–जिला आबंटन मकानों की कमी को 75 प्रतिशत और संबंधित जिलों की ग्रामीण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को 25 प्रतिशत वेटेज देकर किया जाता है। डीआरडीए प्रशासन कार्यक्रम के अंतर्गत, जिलों का श्रेणीकरण ब्लॉकों की संख्या के आधार पर किया जाता है और प्रति जिला प्रशासनिक लागत निर्धारित की जाती है। आईडब्ल्यूडीपी, डीपीएपी, डीडीपी परियोजना आधारित मांग जनित कार्यक्रम हैं और प्रति हेक्टेयर लागत मानदंडों के आधार पर परियोजनाएं वित्तपोषित की जाती हैं। एनआरईजीएस मांग आधारित योजना है और कोई आबंटन मानदंड नहीं है।

(ग) मंत्रालय की विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2004–05, 2005–06 और 2006–07 के लिए आबंटन (बजट अनुमान) क्रमशः 15998.40 करोड़ रु. 24480.00 करोड़ रु. और 31443.62 करोड़ रु. था। उसी अवधि के दौरान वास्तविक रिलीज 18166.83 करोड़ रु., 27488.83 करोड़ रु. तथा 30981.94 करोड़ रु. थी। वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान एसजीआरवाई और एसजीएसवाई, आईएवाई और डीआरडीए प्रशासन के आबंटन आधारित कार्यक्रमों के अंतर्गत डीआरडीए के लिए केन्द्रीय आवंटन क्रमशः 7955.92 करोड़ रु., 9128.90 करोड़ रु. तथा 6919.07 करोड़ था। वर्ष 2004–05, 2005–06 और 2006–07 के दौरान जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों को एसजीआरवाई, एसजीएसवाई, आईएवाई, डीआरडीए प्रशासन, आईडब्ल्यूडीपी, डीपीएपी, डीडीपी और एनएफएफडब्ल्यूपी/एनआरईजीएस के अंतर्गत केन्द्रीय रिलीज क्रमशः 11380.07 करोड़ रुपए, 14941.47 करोड़ रुपए और 16991.57 करोड़ रुपए है।

(घ) और (ङ) जी, हां। कारगर निगरानी तंत्र विद्यमान है। मंत्रालय ऑनलाइन प्रबंधन आसूचना प्रणाली के जरिए मासिक प्रगति की निगरानी भी कर रहा है। कार्यान्वयन एजेसियों द्वारा प्रस्तुत उपयोग प्रमाण–पत्रों के आधार पर विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत व्यय की भी निगरानी की जाती है। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत किए गए व्यय की निगरानी करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार योजनाओं के कार्यान्वयन का अनुपालन तथा कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी हेतु आवधिक प्रगति रिपोर्टों, निष्पादन समीक्षा समिति, क्षेत्र अधिकारियों की योजना, संसद सदस्यों, राष्ट्रस्तरीय निगरानीकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी वाली राज्य और जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति के माध्यम से निधियों के उपयोग सहित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और प्रभाव की निगरानी की एक व्यापक प्रणाली भी बनाई गई है।

लघु बचत योजनाएं

***329. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :**

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों और डाकघरों द्वारा चलाई जा रही लघु बचत योजनाओं में लोगों द्वारा किए जाने वाले निवेश में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2005–06 की तुलना में वर्ष 2006–07 के दौरान कमी की क्या दर दर्ज की गई है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा लोगों को उक्त बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) जी, हां। सकल लघु बचत संग्रहण, जो वर्ष 2005–06 के दौरान 1,99,794 करोड़

रुपए था, वर्ष 2006–07 के दौरान घटाकर 1,81,705 करोड़ रुपए (अनन्तिम) हो गया। विभिन्न लघु बचत योजनाओं के तहत सकल संग्रहणों में 9 प्रतिशत की गिरावट का कारण, अन्य बातों के साथ–साथ, निवेशकों की वैकल्पिक बचत योजनाओं के प्रति तरजीह को व्यक्त करता है।

(ग) भारत सरकार द्वारा प्रशासित विभिन्न शर्तों और ब्याज–दर वाली लघु बचत योजनाएं इस प्रकार तैयार की जाती हैं कि वे इन बचत योजनाओं में निवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को निवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को निवेश का सुरक्षित और आकर्षक विकल्प प्रदान करें। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से तथा विचार गोष्ठियों, बैठकों का आयोजन करके और इन योजनाओं के तहत जमाराशियां जुटाने में लगी विभिन्न एजेंसियों को प्रशिक्षण देकर लघु बचत योजनाओं को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए समय–समय पर अनेक उपाय करती हैं। लघु बचतों के संबंध में सूचना के व्यापक प्रचार के जरिए जनता से संपर्क को सुगम बनाने और निवेशकों की शिकायतों को ऑन–लाइन दर्ज करने और उनका निपटान करने की सुविधा के लिए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय बचत संस्थान की वैबसाइट भी शुरू की गई है। वैबसाइट का पता nsindia.gov.in है।

[अनुवाद]

अवसंरचना हेतु समेकित आवास और मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम निधि का उपयोग

***330. श्री रायापति सांबासिवा राव :** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान अवसंरचना विकास हेतु समेकित आवास ओर मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम के लिए निर्धारित निधि के आबंटन और उपयोग का राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवास तथा अवस्थापना घटकों के लिए संयुक्त रूप से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देने का प्रावधान है। चूंकि उक्त स्कीम के अधीन अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता वर्ष 2006–07 और वर्तमान वित्त वर्ष (2007–08) में ही दी गई है इसलिए किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा स्लम क्षेत्रों में अवस्थापना के संबंध में अभी तक कोई उपयोगिता प्रमाण–पत्र नहीं भेजा गया है। वर्ष 2006–07 तथा 2007–08 के लिए आबंटित तथा जारी की गई धनराशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

आईएचएसडीपी के तहत स्वीकृत और जारी 7 वर्ष निधि आबंटन – 13.11.2007 (06.10.07 तक अनुमोदित परियोजनाएं)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कुल एसीए आवंटन 2005–12 (आईएचएसडीपी)	योजना आयोग आबंटन		अनुमोदित एसीए				कुल जारी एसीए			13.11.07 तक जारी एसीए
			वर्ष 2006–07 के लिए	वर्ष 2007–08 के लिए	वर्ष 2005–06	वर्ष 2006–07	वर्ष 2007–08	कुल प्रतिबद्ध एसीए (06.10.07)	वर्ष 2005–06	वर्ष 2006–07	वर्ष 2007–08	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	579.71	65.38	63.83	0.00	210.57	37.75	248.32	0.00	83.33	40.83	124.16
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.52	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	47.25	5.33	5.20	0.00	10.79	22.33	33.11	0.00	5.09	5.20	10.29
4.	बिहार	140.06	16.91	15.42	0.00	36.55	23.21	59.76	0.00	8.96	15.40	24.36
5.	छत्तीसगढ़	68.44	7.00	7.54	0.00	122.00	0.00	122.00	0.00	31.26	29.74	61.00
6.	गोवा	15.79	1.78	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	213.54	24.08	23.51	0.00	51.54	66.44	117.98	0.00	18.00	23.38	41.38
8.	हरियाणा	133.05	15.01	14.65	0.00	182.96	0.00	182.96	0.00	49.61	41.87	91.48
9.	हिमाचल प्रदेश	16.19	1.83	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	80.22	9.05	8.83	0.00	0.00	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	झारखण्ड	113.33	11.67	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	137.34	15.49	15.12	0.00	41.90	63.94	105.84	0.00	14.93	14.97	29.90
13.	केरल	165.69	18.69	18.24	0.00	50.10	31.07	81.17	0.00	21.46	18.19	39.65
14.	मध्य प्रदेश	230.53	26.72	25.38	0.00	138.00	15.38	153.38	0.00	45.77	25.38	71.15
15.	महाराष्ट्र	484.82	54.66	53.39	0.00	120.71	55.84	176.55	0.00	55.80	32.49	88.29
16.	मणिपुर	12.35	1.38	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	8.97	1.01	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	7.65	0.86	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैण्ड	6.79	0.77	0.75	0.00	44.14	0.00	44.14	0.00	9.63	12.44	22.07
20.	उड़ीसा	140.85	15.89	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	पंजाब	143.80	16.22	1583	0.00	0.00	7.15	7.15	0.00	0.00	3.58	3.58
22.	राजस्थान	353.80	39.90	38.96	7.22	110.88	22.30	139.60	0.00	39.26	30.54	69.80
23.	सिक्किम	0.90	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	291.15	32.83	32.06	0.00	112.56	42.24	154.80	0.00	43.37	31.92	75.29
25.	त्रिपुरा	8.36	0.94	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	712.01	80.15	78.40	0.00	22.11	0.00	22.11	0.00	11.05	0.00	11.05
27.	उत्तरांचल	43.58	5.06	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	पं. बंगाल	271.51	30.62	29.90	0.00	150.57	54.84	205.41	0.00	55.08	29.83	84.91
29.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	पाण्डिचेरी	6.95	0.78	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	अंडमान और निकोबार द्वीप	7.29	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दादरा और नगर हवेली	0.56	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	1.03	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	दमन और दीव	1.97	C.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	4450.00	499.99	490.00	7.22	1404.58	474.73	1886.52	0.00	492.61	355.75	848.36

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत अतिरिक्त मजदूरी का संदाय

331. श्री सुकदेव पासवान : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) के अंतर्गत जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों का कुछ राज्यों द्वारा पालन न किए जाने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष और चालू वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि राज्यों द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत अतिरिक्त मजदूरी का संदाय किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या अतिरिक्त मजदूरी का भार सरकार वहन कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। राज्यों द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) के अंतर्गत मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन न किए जाने संबंधी शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। तथापि, क्षेत्र स्तर पर अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्राप्त शिकायतों की राज्य वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। ब्यौरे वेबसाइट www.nrega.nic.in पर उपलब्ध है।

(ग) जी, नहीं। कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 3 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार एनआईजीए के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान किया जाता है। केन्द्र सरकार एनआरईजी अधिनियम के प्रयोजनार्थ किसी भी राज्य अथवा किसी भी राज्य के क्षेत्र के लिए मजदूरी दर अधिसूचित नहीं करती है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	शिकायतों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2
2.	असम	5
3.	बिहार	19
4.	गुजरात	5
5.	हरियाणा	2
6.	कर्नाटक	3
7.	मध्य प्रदेश	22
8.	महाराष्ट्र	5
9.	मिजोरम	1
10.	उड़ीसा	10
11.	राजस्थान	7
12.	तमिलनाडु	2
13.	उत्तर प्रदेश	33
14.	पं. बंगाल	10
15.	छत्तीसगढ़	7
16.	झारखण्ड	11

कृषि ग्रामीण ऋण कार्यक्रम

***332. श्री सुग्रीव सिंह :**

श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि ग्रामीण ऋण कार्यक्रम में सुधार की आवश्यकता है जैसाकि दिनांक 9 नवम्बर, 2007 के "फाइनेन्शियल एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रोफेसर विजय शंकर व्यास की अध्यक्षता वाली ऋण प्रवाह विशेषकर लघु और सीमांत किसान संबंधी सलाहकार समिति ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ) कृषि को ऋण की उपलब्धता तीन वर्षों में वर्ष 2003-04 के 86,981 करोड़ रुपए से वर्ष 2006-07 के 2,03,297 करोड़ रुपए तक होकर दोगुना से ज्यादा हो गया है। यह कृषि क्षेत्र को समय पर और वहनीय ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार द्वारा उठाए गए नीचे लिखे कदमों के कारण संभव हुआ है:-

* भारत सरकार निचले स्तर पर 7 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से किसानों को 3 लाख रुपए तक अल्पकालिक फसल ऋण सुनिश्चित करने के लिए खरीफ 2006-07 से सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को उनकी निधियों पर 2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज आर्थिक सहायता तथा सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को रियायती पुनर्वित्त प्रदान कर रही है।
* भारत सरकार ने वर्ष 2007-08 के दौरान सभी बैंकों द्वारा कृषि ऋण उपलबधता हेतु 2,25,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया है।
* वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पिछले तीन वर्षों में

हर वर्ष के दौरान 50 लाख नए किसानों को वित्त प्रदान करने की सलाह दी गई है।

- बैंकों को कृषि ऋण की कागजी कार्रवाई को सरल बनाने की सलाह दी गई है।
- 50,000 रुपए तक के ऋण को संपार्श्विक तथा मार्जिन राशि मुक्त कर दिया गया है और "अदेयता प्रमाण पत्र" की जरुरत को समाप्त कर दिया गया है।
- बैंकों को सभी पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया कराने की सलाह दी गई है।
- बैंकों को परिवारों के लिए सामान्य क्रेडिट कार्ड के प्रावधान के जरिए वित्तीय पहुंच बनाने, सीमित ओवरड्राफ्ट सुविधा वाले अतिरिक्त सुविधारहित खाता खोलने, किसान क्लबों, गैर–सरकारी संगठनों, कारोबार सुसाधक/कारोबार सम्पर्ककर्ता मॉडल आदि के रुप में डाकघर जैसे नागरिक सामाजिक संगठन की सेवाएं प्रयोग करके वित्तीय पहुंच प्रदान करने हेतु अनुदेश दिए गए हैं।

प्रो. वी. एन. व्यास की अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित बैंकिंग प्रणाली से कृषि और संबंधित कार्यकलापों के लिए ऋण की उपलबधता से संबंधित परामर्शी समिति ने कृषि ऋण से जुड़े अनेक मुद्दों की जांच की थी और 30 जून, 2004 को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी।

व्यास समिति की अनेक सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और कार्यान्वयन के लिए बैंकों को भेज दिया गया है। इनमें, अन्य बातों के साथ–साथ, शामिल है : (i) 50,000 रुपए तक के कृषि ऋण और 5 लाख रुपए तक के कृषि क्लीनिक व कृषि कारोबार ऋण के लिए मार्जिन/जमानत राशि मानदण्ड की छूट, (ii) प्रक्रिया सरलीकरण करना, और (iii) स्व–सहायता समूह और दायित्व समूह पद्धति के माध्यम से मौखिक पट्टाकर्ताओं और भूमिहीन कृषि श्रमिकों को वित्त प्रदान करना।

ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं/किसानों को ऋण

***333. श्रीमती किरण माहेश्वरी :**

श्री हेमलाल मुर्मू :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा धनराशि और ऋण (एडवांस) के बीच भारी अंतर है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के ऋण–जमा अनुपात के बीच अन्तराल लगातार घट रहा है, जिसके परिणामस्वरूप ऋण–जमा अनुपात वर्ष 2004–05 में 50.89 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2006–07 में 60.15 प्रतिशत हो गया है।

[अनुवाद]

एन.टी.पी.सी. द्वारा विद्युत केंद्रों की स्थापना

***334. श्री उदय सिंह :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) ने विद्युत केंद्र स्थापित करने हेतु कुछ राज्य विद्युत बोर्डों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एन.टी.पी.सी. का विचार विशेषकर गंभीर विद्युत संकट का सामना कर रहे राज्यों में और अधिक विद्युत केंद्र स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) जी हां।

(ख) पावर स्टेशनों की स्थापना हेतु राज्य विद्युत बोर्डों/राजय विद्युत यूटिलिटियों के साथ एनटीपीसी द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू)/करार ज्ञापन (एमओए) के ब्यौरे संलग्न विवरण–I दिए गए हैं।

(ग) और (घ) किफायती उत्पादन एवं आपूर्ति की स्थिति पर निर्भर करते हुए एनटीपीसी लि. ने देश के विभिन्न राज्यों में ताप एवं जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने की योजना है। चल रही तथा 11वीं योजना के दौरान स्थापित की जाने वाली परिकल्पित नई जल विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए है।

विवरण-I

एनटीपीसी द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू)/ करार ज्ञापनों (एमओए) के ब्यौरे :–

(i) वेल्लूर तमिलनाडु राज्य में 2×500 मे.वा. कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना की संयुक्त रूप से स्थापना एव प्रचालन हेतु 12/7/2002 को तमिलनाडु विद्युत बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। 500 मे.वा. की तीसरी यूनिट के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है।

(ii) झज्जर, हरियाणा राज्य में 3×500 मे.वा. कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु 24/8/2006 को हरियाणा पावर जेनरेशन कारपोरेशन लि. (एचपीजीसीएल) तथा इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लि. दिल्ली (आईपीजीसीएल) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

(iii) बीएसईबी के 2×110 मे.वा. मुजफ्फरपुर ताप विद्युत स्टेशन के पुनरूत्थान एवं प्रचालन हेतु संयुक्त रूप से अधिग्रहण करने हेतु 26/12/2005 को एनटीपीसी, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बीएसईबी) तथा बिहार सरकार के बीच करार ज्ञापन कर हस्ताक्षर किए गए।

(iv) नबीनगर, जिला औरंगाबाद, बिहार राज्य में 3x660 मे. वा. कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना की स्थापना एवं प्रचालन के लिए बिहार राज्य विद्युत बोर्ड तथा बिहार सरकार के साथ 14/10/2007 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए जो तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता की स्थापना के अध्याधीन है।

(v) मेजा तहसली, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश राज्य में 2x660 मे. वा. कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना के संयुक्त रूप से स्थापना एवं प्रचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. के साथ 22/11/2007 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए जो तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता की स्थापना के अध्यायधीन है।

(vi) जल विद्युत परियोजना के लिए एनटीपीसी ने निम्नलिखित समझौता ज्ञापनों/करार ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं:–

(क) कोलडैम (800 मे. वा.) जल विद्युत परियोजना के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (एचपीएसईबी) के साथ 26.02.2000 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

(ख) एनटीपीसी जल विद्युत लि. (एनटीपीसी लि. की 100% सहायक कंपनी) ने राम्म–।।। (120 मे.वा.) जल विद्युत परियोजना के लिए पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड (डब्लूबीएसईबी) के साथ 29.04.2005 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) लोहारी नाग पाला (600 मे.वा.) के लिए 23.06.2004, तपोवन विष्णुगाड (520 मेगावाट) के लिए 23.6.2004, लता तपोवन (171 मे.वा.) के लिए 18.08.2003 तथा रूपसियाबागड़ खसियाबाड़ा (261 मे.वा.) के लिए 21.11.2005 को उत्तरांचल सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

(घ) इटालिन (4000 मे.वा.) तथा अट्टूनली (500 मे.वा.) जल विद्युत परियोजनाओं के लिए अरूणाचल प्रदेश सरकार के साथ 21.09.2006 को करार ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

उपर्युक्त के अलावा, बदरपुर, दिल्ली में 2x490 मेगा वाट कोयला आधारित विस्तारण विद्युत परियोजना की स्थापना एवं प्रचालन हेतु दिल्ली ट्रांस्को लि. के साथ भी 24.8.2006 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए जो अनुमति मिलने तथा तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता की स्थापना के अध्यायधीन है। हालांकि किए गए विस्तृत तकनीकी अध्ययन के आधार पर परियोजना तकनीकी–आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाई गई है।

विवरण-II

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एनटीपीसी का क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम

परियोजना (ईंधन)/राज्य	क्षमता	11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12)
1	2	3
I. चालू क्षमता		
सीपत–II (कोयला)/छत्तीसगढ़	1000	500
उप जोड़–I		500
II. निर्माणाधीन क्षमता		
कहलगांव – II फेज–1 (कोयला)/बिहार	1000	500
कहलगांव – II फेज – II (कोयला)/बिहार	500	500
सीपत–II (कोयला)/छत्तीसगढ़	1000	500
सीपत–I (कोयला)/छत्तीसगढ़	1980	1980
कोलडैम (हाइडल)/हि.प्र.	800	800
बाढ़ (कोयला) बिहार	1980	1980
कोरबा–III (कोयला) छत्तीसगढ़	500	500
भिलाई विस्तार विद्युत (कोयला) – सेल/छत्तीसगढ़ के साथ संयुक्त उद्यम	500	500
एनसीटीपीपी–II दादरी (कोयला)–यूनिट–/उ.प्र.	980	980

1	2	3
फरक्का–III (कोयला)/पश्चिम बंगाल	500	500
लोहारीनागपाला (हाइडल)/उत्तरांचल	600	600
तपोवन विष्णुगाड (हाइडल)/उत्तरांचल	520	520
सिम्हाद्री–II (कोयला)/आंध्र प्रदेश	1000	1000
झज्जर में इंदिरा गांधी एसटीपीपी–एचपीजीसीएल व आईपीजीसीएल (कोयला)/हरियाणा के साथ संयुक्त उद्यम	1500	1500
वल्लूर (कोयला)–टीएनईबी/तमिलनाडु के साथ संयुक्त उद्यम (मुख्य संयंत्र का ठेका जुलाई 07 में दिया गया)	1000	1000
उप जोड़–II		13360
III. क्षमता आदेशाधीन		
मौदा (कोयला), महाराष्ट्र	1000	1000
बोंगईगांव (कोयला), असम	750	750
बाढ़–II (कोयला), बिहार	1320	1320*
नबीनगर – रेलवे (कोयला)/बिहार के साथ संयुक्त उद्यम	1000	1000
नॉर्थ करनपुरा (कोयला)/झारखंड	1980	1320*
कवास–II (गैस)/गुजरात $	1300	1300
झनोर गांधार–II गैस/गुजरात $	1300	1300
उप जोड़ – III		7990
IV. क्षमता जिनकी व्यवहार्यता रिपोर्ट को अंतिम रुप दे दिया गया है।		
रिहंद – III (कोयला), उ. प्र.	1000	500
उप जोड़ IV		500
कुल योग (I से IV)		22350
10वीं योजना के अंत में क्षमता	27404 मेगावाट (कोयला 22709 और गैस 4695)	
वर्तमान क्षमता	27904 मेगावाट (कोयला 23209 और गैस 4695)	
11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में क्षमता	49754 मेगावाट (कोयला 40539, गैस 7295 और हाइड्रो 1920	

*यूनिट–2 सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर

$जीएसपीए पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद ही इन परियोजनाओं पर कार्य शुरू किया जाएगा।

[हिन्दी]

घरेलू और विदेशी पूंजी निवेश में वृद्धि

***335. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय शेयर बाजार में घरेलू पूंजी निवेश की तुलना में विदेशी पूंजी निवेश की धनराशि में निरन्तर वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पूंजी निवेश की दोनों श्रेणियों की अर्धवार्षिक वृद्धि दर क्या है;

(ग) सितम्बर, 2007 के अंत तक देश के शेयर बाजार में कुल कितना घरेलू और विदेशी पूंजी निवेश हुआ है;

(घ) वर्ष 2004 के दौरान और इसी अवधि तक शेयर बाजार में प्रत्येक श्रेणी में कौन–कौन सी तारीख को 500 प्वाइंट से अधिक की वृद्धि और गिरावट दर्ज की गई; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) घरेलू पूंजी निवेश की तुलना में भारतीय शेयर बाजार में विदेशी पूंजी निवेश की राशि और पिछले तीन वर्षों के दौरान निवेश की दोनों श्रेणियों की वृद्धि दर का पैटर्न नीचे दिया गया है:–

तारीख	विदेशी पूंजी निवेश (एफसीआई)		घरेलू पूंजी निवेश (डीसीआई)		एफसीआई/डीसीआई का अनुपात
	मूल्य (करोड़ रुपए)	वृद्धि दर	मूल्य (करोड़ रुपए)	वृद्धि दर	
31 मार्च, 05	308713		1276872		
30 सितम्बर, 05	462038	49.67%	1636225	28.14%	0.28
31 मार्च, 06	647880	40.22%	216521	32.34%	0.30
30 सितम्बर, 06	566490	−12.56%	2427642	12.11%	0.23
31 मार्च, 07	678858	19.84%	2688492	10.74%	0.25
30 सितम्बर, 07	984642	45.04%	3901919	45.13%	0.25

(ग) भारतीय शेयर बाजार में सितम्बर, 2007 के अन्त तक सभी सूचीबद्ध कंपनियों के विदेशी पूंजी निवेश का कुल मूल्य 9,84,642 करोड़ रुपए था और घरेलू पूंजी निवेश का मूल्य 39,01,919 करोड़ रुपए था।

(घ) सूचीबद्ध कंपनियों की बाजार पूंजीकरण में वृद्धि या कमी एनएसई के बीएसई और निफ्टी के सूचकांकों द्वारा दर्ज की जाती है। विदेशी और घरेलू निवेशकों द्वारा किए गए निवेश के आधार पर सूचकांक का पृथक्करण नहीं किया जाता।

एनएसई में 2004 से सितम्बर, 2007 की अवधि के दौरान किसी भी तारीख को 500 अंक से अधिक की वृद्धि या गिरावट की कोई घटना नहीं हुई है। बम्बई शेयर बाजार (बीएसई) में वर्ष 2004 से सितम्बर, 2007 की अवधि के दौरान 10 मौकों पर 500 अंक से अधिक की वृद्धि या गिरावट पायी गयी है : 17 मई, 04 (–564.71 अंक, 11.14%); 18 मई, 06 (–826.38 अंक, 6.76%); 9 जून, 06 (+514.65% अंक, 5.54%); 15 जून, 06 (+615.62 अंक, 6.89%), 28 फरवरी, 07 (–540.74 अंक, 4.01%); 2 अप्रैल, 07 (–616.73 अंक, 4.72%); 27 जुलाई, 07, (–541.74 अंक, 3.43%); 1 अगस्त, 07, (615.22 अंक, 3.96%); 16 अगस्त 07 (–642.7 अंक, 4.28%); और 19 सितम्बर, 07 (+653.63 अंक, 4.17%)

(ङ) किसी भी समय पर किसी विशेष सूचकांक में घटबढ़ के लिए किसी एक कारक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। शेयर बाजारों में अस्थिरता अन्तर्निहित होती है। प्रतिभूतियों के बाजार में अस्थिरता अर्थव्यवस्था, सेक्टर और कंपनी के बारे में घरेलू और विदेशी, खुदरा और संस्थागत निवेशकों का प्रत्यक्ष ज्ञान संबंधी कार्य है। यह प्रत्यक्ष ज्ञान अनेक कारकों द्वारा प्रभावित होता है जिसमें वृहद–आर्थिक वातावरण, अर्थव्यवस्था की विकास संभावना, कंपनी कार्यनिष्पादन, घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं और बाजार के मनोभाव शामिल है।

सेबी और एक्सचेंजों ने एक सुरक्षित, पारदर्शी और कारगर बाजार को संवर्धित करने तथा बाजार की सत्यनिष्ठा को संरक्षित करने हेतु प्रणालियों और कार्यपद्धतियों को लागू किया है। प्रणालियों में अग्रवर्ती जोखिम प्रबंधन तंत्र शामिल है जिसमें ऑन लाइन मानीटरिंग और निगरानी तथा स्थितियों, मार्जिन आवश्यकताओं, सर्किट फिल्टर्स आदि पर विभिन्न सीमाएं समहित हैं जो बाजार में अस्थिरता के आधिक्य के लिए गुंजाइश को कम करती हैं। अस्थिरता की अवधि के दौरान, शेयर बाजार सर्किट फिल्टर्स की मानीटरिंग पर ध्यान केन्द्रित रखते हैं और अलग–अलग स्टाकों के लिए सर्किट फिल्टर्स को संशोधित करने हेतु उपयुक्त कार्रवाई करते हैं।

[अनुवाद]

हिमालयी हिमनद विज्ञान संबंधी अध्ययन

***336. श्री इकबाल अहमद सरडगी :**

श्री कुलदीप बिश्नोई :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बर्फ पिछलने की समस्या से निपटने हेतु हिमालयी हिमनद विज्ञान संबंधी पूर्ण अध्ययन और सभी महत्वपूर्ण हिमनदों की निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे केन्द्र को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या गत तीन दशकों के दौरान गंगोत्री हिमनद के सिकुड़ने की दर पिछले दशक की अपेक्षा अधिक है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपर्युक्त हिमनद के सिकुड़ने के क्या प्रभाव पड़े हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ङ) सचिवों की समिति द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को हिमालयी हिमनदों पर एक राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास संस्थान की स्थापना करने का अधिदेश सौंपा गया है। तदनुसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने "हिम, बर्फ और हिमनद अध्ययन" के लिए एक संस्थान की स्थापना करने हेतु एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्शी प्रक्रिया आरंभ कर दी है।

राष्ट्रीय हिम, बर्फ एवं हिमनद अध्ययन संस्थान (एन आई एस आई जी एस), जैसा कि इसे नाम दिया गया है, को आगामी 2 महीनों में वाडिया हिमालयी भू विज्ञान संस्थान, देहरादून में एक प्रकोष्ठ के रूप में शुरू किया जाएगा। इसके पश्चात, राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना करने के लिए एक उपयुक्त स्थान का चयन किया जाएगा जहां से हिमालयी हिमनद गतिकी को बेहतर रूप से समझने के लिए हिमालय के तीन जलवायु क्षेत्रों नामतः, पश्चिमाभिमुख के प्रभावाधीन क्षेत्र (जम्मू और कश्मीर); दक्षिण–पश्चिम मानसून (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड और दक्षिण – पश्चिम तथा पूर्वोत्तर मानसून दोनों (सिक्किम– अरूणाचल क्षेत्र) में चयनित हिमनदों के एक नेटवर्क पर एक एकीकृत अनुसंधान कार्यकलाप का समन्वयन किया जा सकेगा।

कार्य नीति, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और ई. एफ. सी. टिप्पणी को तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समूह का गठन आरंभ कर दिया गया है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण वर्ष 1935 से गंगोत्री हिमनद के सिकुड़ने के संबंध में अध्ययन करता आ रहा है। वर्ष 1935 और 1996 के बीच गंगोत्री हिमदन के सिकुड़ने की औसत दर 18.80 मीटर प्रति वर्ष थी लेकिन 1976–1996 के दौराम यह बढ़कर 28.25 मीटर हो गई थी। इसके अतिरिक्त, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और जी. बी. पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान द्वारा किए गए अध्ययनों में गंगोत्री हिमनद के सिकुड़ने की दर 1971 से 2004 के बीच 17.15 मीटर प्रति वर्ष तथा 2004–05 के दौरान 12.10 मी. दर्ज की गई थी।

जहां तक गंगोत्री हिमनद के सिकुड़ने के प्रभाव का संबंध है, इसमें बड़ी चिंता का तत्काल कोई कारण प्रतीत नहीं होता। पश्चगमन अथवा अग्रगमन हिमनद के लिए एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हिमालयी हिमनदों की स्थिति और गतिकी को समझने का सबसे महत्वपूर्ण कारण इस तथ्य में निहित है कि वे उपमहाद्वीप की जलवायु के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा कृषि की प्रकृति और उसकी उत्पादकता, जल–विद्युत उत्पादन और पर्यावरणीय परिवर्तनों पर उनका गहरा प्रभाव है जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्र में रह रहे लोगों के जीवन और जीविकोपार्जन पर हो सकता है।

बैंकों में भर्ती

***337. डा. एच. टी. संगलिआना** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड को भंग कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बैंक अधिकारियों/कर्मचारियों के समुचित चयन हेतु क्या वैकल्पिक प्रबंध किए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) सरकार ने बैंकों द्वारा संचालित किए जाने एवं प्रतिस्पर्द्धा का सामना करने योग्य बनाने के उद्देश्य से बैंक प्रबंधकों को स्वयं की भर्ती कार्य नीति बनाने एवं उसका कार्यान्वयन करने हेतु अधिक स्वायत्त दे दी है। इसके अनुवर्तन में सभी बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड दिनांक 31.12.2001 तक बंद कर दिए थे।

(ग) बैंकों से दिनांक 19.9.2001 को कहा गया था कि अपने संबंधित वार्डों के अनुमोदन से स्वयं की भर्ती कार्य नीति बनाएं, ताकि वे अपनी भावी श्रम शक्ति अपेक्षाओं को पूरा कर सके। तथापि, बैंकों से कहा गया है कि अपनी कार्य नीति बनाते समय यह सुनिश्चित करे कि भर्ती नीति पारदर्शी हो और चयन प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायसंगत, वस्तुनिष्ठ परक और पूर्वाग्रह रहित हो तथा उसमें सरकारी मार्गनिर्देशों के अनुसार अनुचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्गों हेतु आरक्षण नीति को ध्यान में रखा जाए।

एन.टी.पी.सी. द्वारा पवन ऊर्जा का उत्पादन

***338. श्री असादूद्दीन ओवेसी** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) देश में 650 मेगावाट पवन ऊर्जा का उत्पादन करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका उत्पादन किन–किन स्थानों पर किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या एन. टी. पी. सी. ने ऐसी परियोजनाएं चलाने हेतु संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) जी हां। एनटीपीसी ने अक्षय ऊर्जा स्रोतों के जरिये 1000 मे.वा. क्षमता अभिवृद्धि हेतु अपनी व्यापार योजना तैयार की है, जिसमें पवन उर्जा के जरिये

650 मे.वा. क्षमता भी शामिल है। इसके एक भाग के रूप में एन टी पी सी का तीव्र गति आधार पर 50 मे.वा. विंड फार्म स्थापित करने का प्रस्ताव है। बोली प्रक्रिया को अंतिम रूप प्रदान किये जाने के बाद ही स्थान इत्यादि के ब्यौरे उपलब्ध हो सकते हैं।

(ग) और (घ) जी हां। एनटीपीसी ने अक्षय विद्युत उत्पादन आरम्भ करने के लिए एक संयुक्त उद्यम कम्पनी की स्थापना हेतु एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ 23 जुलाई, 2007 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किया है।

एमओयू का उद्देश्य एनटीपीसी, एडीबी और एनटीपीसी व ए डी बी द्वारा चयनित किये जाने वाले उपयुक्त नीतिगत निवेशकों के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करना है। अन्ततः इक्विटी धारिता इस प्रकार होगीः एनटीपीसी – 40% एडीबी – 20% नीतिगत निवेशक–40% ।

संयुक्त उद्यम के पोर्टफोलियों में पवन विद्युत, लघु व सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाओं और अन्य अक्षय विद्युत उत्पादन संसाधन यथा औद्योगिक सह उत्पादन, वेस्ट–टू–इनर्जी, सोलर, जियो–थर्मल, बायो–मास और बायो–फ्यूल परियोजनाएं निहित होंगी।

लघु जल विद्युत परियोजनाएं

***339. श्री रवि प्रकाश वर्मा :**

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 25 मेगावाट क्षमता तक लघु जल विद्युत उत्पादन की भारी क्षमता है जिसे अभी तक विकसित नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा देश में लघु जल विद्युत उत्पादन को विकसित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) देश में लघु पनबिजली (25 मेवा. तक) की अनुमानित संभाव्यता लगभग 15,000 मेगावाट है। तथापि, इसमें से संपूर्ण संभाव्यता तकनीकी रूप से संभाव्य और आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं हो सकती है। अब तक 609 परियोजनाओं के माध्यम से 2018 मेगावाट की लघु पनबिजली संभाव्यता का दोहन किया गया है। इसके अतिरिक्त समग्र रूप से 695 मेगावाट की 227 परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं।

(ख) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देश में लघु/मिनी/माइक्रो पनबिजली परियोजनाओं के विकास के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। संभाव्यता वाले नए स्थलों की पहचान एवं राज्य की भावी योजना की तैयारी, नवीन लघु पनबिजली (एसएचपी) परियोजनाओं की स्थापना, मौजूदा एसएचपी परियोजनाओं की मरम्मत और आधुनिकीकरण और पिछड़ रही परियोजनाओं को पूरा करने हेतु राज्य सरकारों/एजेंसियों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है। मंत्रालय द्वारा नवीन एसएचपी परियोजनाओं की स्थापना हेतु निजी क्षेत्र को सब्सिडी दी जाती है। पनचक्कियों के विकास और उन्नयन हेतु राज्य एजेंसियों/स्थानीय निकायों/गैर–सरकारी संगठनों को भी सब्सिडी दी जाती है। तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन और लघु/मिनी/माइक्रो पन बिजली परियोजनाओं के परीक्षण के लिए मंत्रालय ने आई.आई.टी., रूड़की में एक केन्द्र नामतः एलटरनेट हाइड्रो एनर्जी सैंटर (एएचईसी) की स्थापना की है। विभिन्न प्रकार के एसएचपी संयंत्रों के इंजीनियरिंग स्टाफ और ऑपरेटरों को आधुनिकतम प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु अभी हाल ही में एएचईसी में लघु पनबिजली संयंत्रों हेतु एक रियल टाइम डिजिटल सिमुलेटर स्थापित किया गया है।

विश्व बैंक ऋण तथा एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) ऋण की शर्तों में परिवर्तन

***340. श्री के. सुब्बारायण :**

श्री पी. सी. थामस :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य से संबद्ध सभी परियोजनाओं/निजी परियोजनाओं के मामले में विश्व बैंक/एशियाई विकास बैंक/अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं द्वारा ऋण की शर्तों में परिवर्तन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने शर्तों में परिवर्तन का अनुरोध किया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं और इस पर संबद्ध बैंकों की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के शहरों में पेयजल की गुणवत्ता

3107. श्री रेवती रमन सिंह : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के कई शहरों में आपूर्ति किया जा रहा पेयजल पीने योग्य नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जल के लगभग 80% नमूने निगेटिव पाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी?

फार्मूला वन कार रेसिंग की जांच

3108. सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंदन में हुई फार्मूला वन कार रेसिंग प्रतियोगिता ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिदेशों का उल्लंघन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रवर्तन निदेशालय इस मुद्दे की जांच कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) एक भारतीय कम्पनी मैसर्स यूनाइटेड ब्रेवरीज़ लि. ने भारतीय रिजर्व बैंक (भा. रि. बै) से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना किंगफिशर ब्रांड प्रदर्शनी के लिए मैसर्स बैनट्टोन फार्मूला लि., यू. के. के साथ एक अनुबन्ध किया था और इस प्रकार 15 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण प्राप्त किया।

(ख) और (ग) विदेशी मुद्रा अधिनियम, 1973 (फेरा) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई जांच के आधार पर मैसर्स यूनाइटिड ब्रेवरीज लिमिटिड, बंगलौर और इसके अध्यक्ष श्री विजय मालया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। मामला न्यायनिर्णयण प्राधिकरण के पास निर्णय के लिए गया था तथा आरोपों को समाप्त कर दिया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण (ए.टी.एफ.ई.), नई दिल्ली के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की थी, जिसे खारिज़ कर दिया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण के आदेश के विरुद्ध माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर किया है जो लंबित है।

[हिन्दी]

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं की सेवाएं

3109. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं का केन्द्र पर आठ घंटे की सेवा के अलावा अन्य कार्य दिए जाते हैं; जो आई.सी.डी.एस. योजना में नहीं आते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उन्हें इसके लिए अतिरिक्त पारितोषिक देती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस) स्कीम के अंतर्गत, अधिकांश राज्यों में आंगनवाड़ी केन्द्र प्रतिदिन 4–5 घंटे चलाये जाते हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार, बहुत से राज्यों ने आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत कार्यों के अलावा अन्य दायित्व सौंपे रखे हैं। इन दायित्वों में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के सर्वेक्षण, कुष्ठ रोगियों का पता लगाने, जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण, वृद्धों तथा विधवाओं को पेंशन के वितरण आदि से संबंधित कार्य शामिल हैं।

(ग) से (ङ) अतिरिक्त कार्य के लिए राज्य अपने संसाधनों से पारिश्रमिक प्रदान कर रहे हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदत्त पारिश्रमिक की राशि 100/– रुपये से लेकर 3200/– रुपये के बीच है।

[अनुवाद]

चीनी पर उत्पाद शुल्क

3110. श्री मोहन रावले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से चीनी तथा शीरा पर उत्पाद शुल्क माफ करने या तीन वर्ष तक उत्पाद शुल्क की अदायगी नहीं करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाएंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां। महाराष्ट्र सरकार के मुख्य मंत्री ने केन्द्र सरकार से चीनी की कीमतों में कमी के रूझान के कारण चीनी और शीरा पर उत्पाद शुल्क माफ करने और माफ करना संभव नहीं होने पर तीन वर्षों तक उत्पाद शुल्क का भुगतान माफ करने का अनुरोध किया है।

(ख) केन्द्र सरकार ने अनुरोध पर विचार किया है और निजी, सार्वजनिक तथा सहकारी क्षेत्र में चीनी मिलों को विशेष दिशा–निर्देशों के अंतर्गत बैंक लोन, जिसमें ब्याज में अनुदान भी शामिल होगा, देने का निर्णय लिया है।

सम्पत्ति कर की पुनर्व्याख्या

3111. श्री जी. एम. सिद्दीश्वर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों की बड़े भू–स्वामियों को शामिल करने के लिए संपत्ति कर की पुनर्व्याख्या करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) सरकार के समक्ष विभिन्न कर प्रस्ताव जिनमें कर कानूनों के उपबंधों में परिवर्तन भी शामिल हैं, बजटीय प्रक्रिया के अंग हैं और उन्हें इस स्तर पर प्रकट नहीं किया जा सकता है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सुनामी उपरांत पुनर्निर्माण कार्य

3112. श्री ए. साई प्रताप : क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक तथा संयुक्त राष्ट्र के विकास कार्यक्रम के संयुक्त आकलन मिशन ने वर्ष 2005 में सुनामी उपरांत पुनर्निर्माण कार्य के लिए आवश्यक सहायता की राशि का पता लगाने के लिए आंध्र प्रदेश का दौरा किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इन एजेंसियों से प्राप्त सहायता की प्रकृति क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप अब तक क्या कार्य किए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ग) आवश्यक जानकारी एकत्र की जा रही है और समय पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

पेयजल परियोजनाओं हेतु संयुक्त राष्ट्र सहायता

3113. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ पेयजल परियोजनाओं को संयुक्त राष्ट्र द्वारा उच्च प्राथमिकता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य के लिए धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सरकार को देश में ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ पेयजल परियोजनाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा दी जा रही उच्च प्राथमिकता के बारे में जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

किसानों के लिए मौसम का पूर्वानुमान

3114. श्री एस. के. खारवेन्थन : क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास यह सुनिश्चित करने की कोई योजना है कि देश में किसानों को मौसम का उचित पूर्वानुमान उपलब्ध हो सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) जी हां । देश में किसानों को स्थान विशेष के बारे में मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि-मौसम विज्ञान से जुड़ी परामर्श सेवाएं (ए ए एस) कृषि विश्वविद्यालय/आई सी ए आर केन्द्रों के सहयोग से देश के 107 कृषि जलवायवीय मंडलों में उपलब्ध कराई जा रही है।

एएस इकाइयां सप्ताह में दो बार अर्थात् मंगलवार और शुक्रवार को आगामी चार दिनों के लिए संचयी साप्ताहिक वर्षा के साथ छः मौसम पैरामीटरों का मात्रात्मक पूर्वानुमान उपलब्ध कराती हैं। मौसम पूर्वानुमान में वर्षा, मेघावरण, अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान, पवन की गति और दिशा से संबंधित सूचना शामिल होती है। एएएस इकाई स्तर पर, फसल विशिष्ट के बारे में किसानों के लिए परामर्श-सूचनाएं कृषि विश्वविद्यालयों/भा.कृ.अ.प. केन्द्रों के विशेषज्ञों के पैनल द्वारा तैयार की जाती हैं और जन संचार माध्यमों तथा किसानों से निजी संपर्क करके भी इन्हें प्रसारित किया जाता है।

कृषि-जलवायवीय मंडल स्तर पर कृषि-मौसम विज्ञानी परामर्श सेवाओं की सटीकता, गुणवत्ता और उत्कृष्टता को बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र (एनसीएमआरडब्ल्यूएफ) और भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को एकीकृत किया जा रहा है। एकीकृत एएएस के तहत, जिला स्तर पर कृषि मौसम विज्ञान परामर्श-सूचनाओं का विस्तार और इनका प्रसारण करने की योजना है।

विदेशों में भारतीय बैंकों की शाखाओं द्वारा लाभ/हानि

3115. श्री महावीर भगोरा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश में चल रहे भारत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की देशवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या विदेश में कार्य कर रहे अधिकांश भारत के सरकारी क्षेत्र के बैंक घाटे में चल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन्हें लाभकारी बनाने के लिए उपाय करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) 31 मार्च, 2007 को, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 112 शाखाएं विदेश में कार्य कर रही थी, इनमें से युनाइटेड किंग्डम में 22, हांगकांग में 9, फिजी द्वीपसमूह और मारिशस में 8–8, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात में 7–7, संयुक्त राज्य अमेरिका और श्रीलंका में 6–6, जापान, केन्या, बांग्लादेश और ओमान में 4–4, बहामा द्वीपसमूह, बहरीन, चीन, फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका में 2–2 और अफगानिस्तान, आस्ट्रेलिया, केमन द्वीप, चैनल द्वीपसमूह, जर्मनी, इजराइल, दक्षिण कोरिया, मालदीव, सेशल्स और थाइलैंड में 1–1 थीं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की विदेशी शाखाओं ने 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के दौरान 285.28 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कुल लाभ अर्जित किया है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की केवल 9 विदेशी शाखाओं को वर्ष 2006–07 के दौरान 4.11 मिलियन अमेरिकी डालर का घाटा हुआ है, इनमें से नई खोली गई 6 शाखाएं थीं और उन्हें खुद को अभी स्थापित करना था।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक निरन्तर आधार पर विदेश स्थित शाखाओं वाले बैंकों की वित्तीय स्थित पर नजर रखता है और संबंधित बैंकों को उनकी विदेशी शाखाओं की लाभ देयता बढ़ाने के लिए समुचित कदम उठाने की सलाह दी गई है।

युवाओं का पलायन

3116. प्रो. प्रेम कुमार धूमल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण युवकों के शहरी क्षेत्रों में पलायन के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण युवाओं के शहरी क्षेत्रों में पलायन के संबंध में कोई सर्वेक्षण नहीं कराया है। तथापि, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन करने वाले व्यक्तियों की संख्या आदि के संबंध में नमूना सर्वेक्षण के माध्यम से जानकारी एकत्र करता है। 55वें चक्र के एनएसएस (जुलाई 1999 से जून 2000) की रिपोर्ट सं. 470 में प्रमुख शहरों में अप्रवासियों की अनुमानित संख्या की जानकारी दी गई है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों के माध्यम से संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) जो एक मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है तथा देश के ग्रामीण निर्धन परिवारों के सदस्यों को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) जैसी प्रमुख योजनाओं को कार्यान्वित करता है। सरकार ने भी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) शुरू की है जिसका उद्देश्य किसी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को, जो शारीरिक श्रम का कार्य करना चाहते हैं, एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है। प्रारंभ में, इस योजना के अंतर्गत केवल 200 जिले शामिल किए गए थे और 1.4.2008 से सभी जिलों को एनआरईजीए के अंतर्गत कवर किया जाना है तथा एसजीआरवाई को इसमें मिला दिया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंदिरा आवास योजना, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति, संपूर्ण स्वच्छता अभियान और वाटरशेड विकास कार्यक्रम जैसी अन्य योजनाओं को भी कार्यानिवत कर रहा है जिनका उद्देश्य ग्रामीण जनता के रहन–सहन के स्तर को सुधारने के लिए ग्रामीण अवसंरचना एवं बुनियादी सुविधाओं का विकास करना है। ग्रामीण अवसंरचना एवं बुनियादी सुविधाएं सृजित करने के अलावा ये योजनाएं मुख्य रूप से ग्रामीण निर्धनों को उनके गांवों में या आसपास के गांवों में रोजगार मुहैया कराने के लिए बनाई गई हैं जिससे गांवों से शहरी क्षेत्रों में लोगों को पलायन में कमी लाई जा सके।

आन्ध्र प्रदेश से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रस्ताव

3117. श्री गिरिधारी यादव : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास हेतु केन्द्र सरकार को कुछ प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रस्तावों पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा अस्वीकृत किए गए/लंबित पड़े प्रस्तावों की संख्या कितनी है तथा इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, नहीं। केन्द्र सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी

मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाती है। तथापि केन्द्र सरकार आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के अनुसंधान तथा विकास संस्थानों, विश्वविद्यालयों, स्वयंसेवी संगठनों, राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों और अन्य स्वायत्त संगठनों से प्राप्त वैज्ञानिक शोध प्रस्तावों को सहायता प्रदान करती है। उपलब्ध सरकारी आंकड़े के अनुसार केन्द्र सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य में वर्ष 2002–2003, 2003–2004 और 2004–2005 के दौरान क्रमशः 27.94 करोड़ रु. 32.17 करोड़ रु. और 56.90 करोड़ रु. की कुल लागत पर क्रमशः 175, 141 और 188 अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं को निधिकृत किया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

कंपनियों के विलय/अधिग्रहण के संबंध में नीति

3118. श्री के. एस. राव : क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतयी कंपनियों के विलय/अधिग्रहण को बढ़ावा देने के लिए एक उदार तथा खुली नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश के बाहर इंडिया कारपोरेट द्वारा कितने विलय/अधिग्रहण किए गए?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : (क) और (ख) नया कंपनी विधेयक तैयार किया जा रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ भारत में कंपनियों द्वारा विलियनों एवं अधिग्रहणों की प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाने के प्रस्ताव हैं और इस विधेयक को उचित समय पर संसद में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

(ग) सूचनए एकत्र की जा रही है।

हैबिटेट अवसंरचना योजना

3119. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या **आवास और शहरी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हैबिटेट अवसंरचना योजना नामक एक नई योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ग) राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास अवस्थापना कार्य योजना" तैयार करने को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

[अनुवाद]

न्याय मिलने में विलंब के संबंध में मुआवजा

3120. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार न्याय मिलने में विलंब के मामले में प्रभावित पार्टियों को मुआवजा देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) और (ख) सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत सुरक्षित परिवहन प्रणाली

3121. श्री के.सी. पल्लानी शामी : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों को उनके शहर में सुरक्षित परिवहन प्रणाली शुरू करने के लिए कोई सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने शहर की सड़कों पर पैदल चलने वालों तथा साइकिल चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई सुरक्षोपाय किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ङ) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएननयूआरएम) के शहरी अवस्थापना और शासन (यूआईजी) घटक के अंतर्गत सड़कें/राजमार्ग एक्सप्रेस मार्ग/एमआरटीएस/मैट्रो सहित शहरी परिवहन एक स्वीकार्य सेक्टर है। इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एनयूटीपी) तैयार की है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ पैदल चलने वालें और साइकिल चलाने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।

[हिन्दी]

ग्रामीण लोगों के लिए बीमा

3122. डा. रामेश्वर उरांव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी बीमा कंपनियों को बीमा योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों तथा किसानों को शामिल करने के कोई अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर निजी बीमा कंपनियों की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने सूचित किया है कि गैर–सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों सहित सभी बीमा कंपनियों को ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के संबंध में, आईआरडीए (ग्रामीण या सामाजिक क्षेत्रों के संबंध में बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियमावली, 2002 के अंतर्गत यथा अधिसूचित दायित्वों का अनुपालन करना अपेक्षित है। ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के संबंध में गैर–सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों के दायित्व इस प्रकार हैं:

क. ग्रामीण क्षेत्र

(i) जीवन बीमाकर्ता के संबंध में %

- पहले वित्तीय वर्ष में 7%
- दूसरे वित्तीय वर्ष में 9%
- तीसरे वित्तीय वर्ष में 12%
- चौथे वित्तीय वर्ष में 14%
- पांचवें वित्तीय वर्ष में 16%
- छठे और सातवें वित्तीय वर्ष में उस वर्ष में प्रत्यक्ष कुल लिखित पालिसियों का 18%

(ii) गैर–जीवन बीमाकर्ता के संबंध में :

- पहले वित्तीय वर्ष में 2%
- दूसरे वित्तीय वर्ष में 3%
- तत्पश्चात् उस वर्ष में कुल सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय का 5%

ख. सामाजिक क्षेत्र

- पहले वित्तीय वर्ष में पांच हजार व्यक्ति
- दूसरे वित्तीय वर्ष में सात हजार व्यक्ति
- तीसरे वित्तीय वर्ष में दस हजार व्यक्ति
- चौथे वित्तीय वर्ष में पन्द्रह हजार व्यक्ति
- पांचवें वित्तीय वर्ष में बीस हजार व्यक्ति
- छठे और सातवें वित्तीय वर्ष में पच्चीस हजार व्यक्ति

(ग) गैर–सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों सहित सभी कंपनियों के ग्रामीण क्षेत्र संबंधी दायित्वों की आईआरडीए द्वारा निगरानी की जाती है। गैर–सरकारी क्षेत्र की सभी जीवन और गैर–जीवन बीमा कंपनियों द्वारा वर्ष 2006–07 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किया गया है।

[अनुवाद]

गोद लेने के मामले

3123. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बच्चों को गोद लेने के मामलों में गैर–हिन्दू माता–पिताओं को अभी तक प्राप्त मात्र 'अभिभावक का दर्जा देने की बजाय पूर्ण माता–पिता का दर्जा देने के लिए हाल ही में कानून में संशोधन किया है क्योंकि इसके कारण न केवल बच्चों को संपत्ति के विरासत में प्राप्त करने के अधिकार से वंचित होना पड़ता था बल्कि विद्यालय में प्रवेश दिलाने के समय माता–पिताओं के लिए प्रक्रियात्मक कठिनाइयां पेश आती थीं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री : (क) और (ख) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार, बच्चे अथवा सम्भावित दत्तक–ग्रहण करने वाले माता–पिता के लिंग अथवा धर्म के आधार पर दत्तक–ग्रहण पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम के अनुसार, दत्तक–ग्रहण का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से कोई बच्चा अपने नैसर्गिक माता–पिता से स्थाई आधार पर अलग कर दिया जाता है और वह दत्तक माता–पिता की वैध संतान बन जाता है। इसके साथ ही उसे नये संबंध के सभी अधिकार, विशेषाधिकार व दायित्व मिल जाते हैं।

आईपीओ के संबंध में शिकायत

3124. श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को रिलायंस पावर लिमिटेड द्वारा इनिशियल पब्लिक आफरिंग (आईपीओ) हेतु भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पास दायर किए गए एक आवेदन के संबंध में बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है तथा शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या सेबी बोर्ड के समक्ष मामला लाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सेबी बोर्ड की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) रिलायंस पावर लिमिटेड (आरपीएल) द्वारा आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के समक्ष दायर किए गए आवेदन के विरुद्ध संघ सरकार को बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। चूंकि ये सेबी अधिनियम, 1992 द्वारा शासित होते हैं, अतः उन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए सेबी के पास भेज दिया गया है। शिकायतों की प्रतियां कारपोरेट कार्य मंत्रालय को भी भेजी गई है।

सेबी ने इन शिकायतों को आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के अग्रणी प्रबंधकों के पास इस अनुरोध के साथ भेज दिया है कि वे इनका निपटान अपने स्तर पर करें।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) उत्तर (ग) के दृष्टिगत लागू नहीं होता।

इलेक्ट्रॉनिक मीटरों के नमूनों की जांच

3125. श्री पी. एस. गढ़वी :
श्री जे. एम. आरून रशीद :
डा. राजेश मिश्रा :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल पावर रिसर्च इंस्टीटयूट (सी पी आर आई), बंगलौर सभी प्रकार के इलेक्ट्रो–मैकेनिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक मीटरों में नमूनों की जांच में लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा तीन वर्षों के दौरान सी पी आर आई द्वारा कराए गए परीक्षण के क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या 75% से ज्यादा मीटर सी पी आर आई द्वारा अस्वीकृत कर दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सी पी आर आई मीटर तथा इलेक्ट्रॉनिक मीटरों के परीक्षण में ज्यादा समय लेता है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीटयूट (सीपीआरआई) बंगलौर सभी प्रकार के लो टेंशन एवं हाईटेंशन तथा ट्राइवेक्टर मीटर सहित सिंगल फेज तथा थ्री फेज मीटर्स वाले इलेक्ट्रो–मैकेनिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर के नमूनों की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप जांच में लगा है। ये जांच सी पी आर आई, बंगलौर तथा सीपीआरआई, भोपाल में उपलब्ध सुविधाओं से किए जा रहे हैं। सीपीआरआई वितरण कंपनियों, विद्युत विनियामक आयोगों तथा अन्य सरकारी एजेंसियों की अपेक्षानुसार, तृतीय पक्ष निरीक्षण, ऊर्जा मीटर्स का क्षेत्रीय मूल्यांकन (उपभोक्ता के स्थल पर एनर्जी मीटर्स का स्थलीय परीक्षण) भी कर रहा है।

गत तीन वर्षों से सीपीआरआई, बंगलौर एवं भोपाल में, सिंगल फेज एवं थ्री–फेज दोनों प्रकार के लगभग 275 मीटर्स की किस्म जांच की जा चुकी हैं। इनमें से लगभग 136 मीटर मानकों के अनुरूप नहीं है।

इसके अतिरिक्त उपभोक्ता की आवश्यकताओं के अनुरूप सीपीआरआई, बंगलौर और भोपाल ने विभिन्न प्रकार के ऊर्जा मीटरों की उनकी स्वीकार्यता, दैनिक निष्पादन, टेम्पर टेस्ट और चुनिन्दा टेस्ट के लिए जांच कर ली है। 3282 नमूनों में से लगभग 238 मीटरों ने मानक संबंधी अपेक्षाओं/ग्राहक अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया है।

सीपीआरआई दिनांक 28.5.2007 के बाद लोक शिकायत कक्ष, विद्युत विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के तत्वावधान में विभिन्न उपभोक्ता स्थलों में इलेक्ट्रोनिक इनर्जी मीटरों का भी परीक्षण कर रहा है। पहले वर्ष 2005–06 में सीपीआरआई ने मैं बॉम्बे सब–अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई, (बीएसईएस), न्यू दिल्ली पावर लिमिटेड (एनडीपीएल) और दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेग्यूलेटरी कमीशन (डीबीईआरआई) से प्राप्त अनुरोधों के अनुसार विभिन्न उपभोक्ता परिसरों में इलेक्ट्रोनिक्स इनर्जी मीटरों का परीक्षण किया। सीपीआरआई दिल्ली में 21.11.2007 तक कुल 555 मीटरों का परीक्षण किया है। परीक्षण किये गये मीटरों में से 7 को दोषपूर्ण पाया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) सीपीआरआई परीक्षण के संबंधित मानकों जिसके तहत् यह निर्धारित है कि जो कि यह कि एक मीटर का परीक्षण न्यूनतम कितने घंटे/दिन होना चाहिए के अनुसार परीक्षण करता है। ये विभिन्न प्रकार के मीटरों और परीक्षा के लिए 45 मिनट से 40 दिन तक भिन्न–भिन्न हो सकता है।

डीआईपी दिशानिर्देशों की समीक्षा

3126. श्री अवतार सिंह भडाना : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने अपने प्रकटीकरण और निवेशक सुरक्षा (डीआईपी) दिशानिर्देशों की व्यापक समीक्षा करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) सेबी ने प्रकटीकरण और निवेशक सुरक्षा (डीआईपी) दिशानिर्देशों को विनियमों में परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया है। प्रकटीकरण मानदंडों को सुदृढ़ करने के सिवाय प्रकटीकरण और निवेशक सुरक्षा दिशानिर्देशों को अंतर–वस्तु में बहुत अधिक परिवर्तन की संभावना नहीं है। दिशानिर्देशों को विनियमों में परिवर्तित करने का उद्देश्य इसे अधिकाधिक कानूनी बल प्रदान करना है।

एस बी आई आर आई

3127. श्रीमती मनोरमा माधवराज : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख के अनुसार उन उद्यमियों का उद्यमवार और श्रेणीवार ब्यौरा क्या है जिन्हें "स्माल बिजनेस इनोवेशन रिसर्च इनीशिएटिव स्कीम" (एसबीआईआरआई) के अंतर्गत अनुदान/ऋण प्रदान किया गया है;

(ख) इस स्कीम के अंतर्गत निर्धारित धनराशि का पूरी तरह से उपयोग कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उपर्युक्त धनराशि के उपयोग की निगरानी हेतु कोई तंत्र है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) आज की तारीख के अनुसार स्कीम को कितनी सफलता मिली है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने "स्माल बिजनेस इनोवेशन रिसर्च इनीशिएटिव स्कीम (एसबीआईआरआई)" योजना के अंतर्गत अभी तक 26 कंपनियों/उद्यमियों को सहायता प्रदान की हैं। चरण–I के अंतर्गत 17 परियोजनाओं का वित्तपोषण किया गया है जब कि चरण–II के अंतर्गत 13 परियोजनाओं को सहायता दी गई है। एक परियोजना चरण–I तथा चरण–II गतिविधि का संयोजन है। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) चालू वित्तीय वर्ष के लिए उद्दिष्ट निधियों के 50 प्रतिशत से भी अधिक का उपयोग किया जा चुका है। शेष निधियों का उपयोग पंक्ति में रखी गई परियोजनाओं के लिए किए जाने की संभावना है। चालू तथा नई परियोजनाओं के लिए धनराशि दी जाएगी।

(घ) और (ङ) जी हां। इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त प्रत्येक परियोजना के लिए अलग–अलग परियोजना अनुवीक्षण समितियों (पीएमसी) का गठन किया जाएगा। ये समितियां तकनीकी प्रगति तथा निधियों की उपयोगिता का अनुवीक्षण करेंगी। पीएमसी की बैठकें नियमित रूप से बुलाई जाएंगी। कंपनियां अपने उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को प्रस्तुत करती हैं।

(च) इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं का वित्तपोषण दिसम्बर, 2006 से शुरू किया गया था। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग ने इस स्कीम के प्रति बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया दर्शायी है। जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्कीम के क्रियान्वयन के माध्यम से सार्वजनिक–निजी साझेदारी को सुदृढ़ करने का एक वातावरण तैयार किया गया है।

विवरण

क्र.सं.	उद्यमी	श्रेणी
1	2	3
1.	एबीएल बायोटेक्नोलॉजी, लिमिटेड, चैन्नई (2)	चरण I और चरण II
2.	एक्टीस बायोलोजी प्राईवेट इण्डियन लिमिटेड, मुम्बई	चरण II
3.	बेजो शीतल सीड्स प्राईवेट लिमिटेड, जालना	चरण I
4.	भारत बायोटेक इन्टरनेशनल लिमिटेड, हैदराबाद	चरण II
5.	भारत सिरम एण्ड वैक्सीन्स लिमिटेड, मुम्बई (2)	चरण I और चरण II
6.	भट्ट बायो–टेक इण्डिया (प्रा.) लिमिटेड बंगलौर	चरण I
7.	बायोसीड रिसर्च इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद (2)	चरण I और चरण II
8.	कस्टमाइस्ड टेक्नोलोजीस (प्रा.) लिमिटेड	चरण II
9.	एक्सेल मैट्रीक्स बायोलोजीकल डिवाइसीज़ प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद	चरण I
10.	फ्रन्टीयर लाइफलाईन प्राईवेट लिमिटेड, चैन्नई	चरण I
11.	हैल्थलाईन प्राईवेट लिमिटेड, बंगलौर	चरण I
12.	इमजिनेक्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, भुवनेश्वर	चरण I
13.	लैबलैन्ड बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड, मैसूर	चरण II
14.	मैप्स (इण्डिया) लिमिटेड, अहमदाबाद (2)	चरण I और चरण II
15.	मेडीक्लोन बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड, चैन्नई (2)	चरण I और चरण II
16.	मल्टीप्लेक्स बायो–टेक प्राईवेट लिमिटेड, बैंगलोर	चरण I
17.	नव्या बायोलोजिकल्स प्राईवेट लिमिटेड, बैंगलोर	चरण I
18.	ओरिएन्टल एक्वामेरिन बायोटेक इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, कोयम्बटूर	चरण II

1	2	3
19.	पेलीकन बायोटेक एण्ड केमिकल लैब्स, अलापुजा, केरल	चरण I
20.	पोसीडन बायोटेक, चैन्नई	चरण I
21.	स्किजेनिक्स बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड, चैन्नई	चरण II
22.	श्री सूर्या अन्जनेय इन्डस्ट्रीज, विशाखापट्नम	चरण I
23.	यूएसवी लिमिटेड, मुम्बई	चरण II
24.	वीरचाऊ बायोटेक (प्रा.) लिमिटेड हैदराबाद	चरण II
25.	यशराज बायोटेक्नोलोजी लिमिटेड, नवी मुम्बई	चरण I और चरण II
26.	जेनोटेक लेबोरेटरीज़, हैदराबाद	चरण I

[हिन्दी]

बेरोजगारी भत्ता

3128. श्री सुभाष महरिया : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) के अंतर्गत श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) और (ख) यदि रोजगार का अनुरोध करने वाले किसी व्यक्ति को उसके रोजगार संबंधी आवेदन की प्राप्ति की तारीख अथवा अग्रिम आवेदन के मामले में जिस तिथि से रोजगार की मांग की गई है, उस तिथि से, इनमें से जो भी बाद की हो, के 15 दिन के भीतर यदि रोजगार मुहैया नहीं कराया जाता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता राज्य सरकार द्वारा अपने स्वयं के स्रोतों से दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि बरवानी जिले में 1574 आवेदकों को कुल 475386 रु. बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिए गए हैं। उड़ीसा के बोलनगीर जिले (बोलनगीर ब्लॉक में मिर्धापल्ली ग्राम पंचायत) और नवरंगपुर जिले (ब्लॉक तेंतुलीखुंटी) में भी बेरोजगारी भत्ता दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा रामपुर ब्लाक की गोपीनाथपुर ग्राम पंचायत के तहत कालाहांडी जिले और नराला ब्लॉक की गिगिन्डा ग्राम पंचायत में भी बेरोजगारी भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। किसी अन्य राज्य से बेरोजगारी भत्ते के भुगतान की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

रक्षित विद्युत उत्पादन

3129. श्री सनत कुमार मंडल : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के रक्षित विद्युत संयंत्रों में विद्युत का इष्टतम स्तर पर उत्पादन नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो विद्युत उत्पादन क्षमता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा वास्तव में कितना विद्युत उत्पादन किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा देश की विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) कैप्टिव विद्युत संयंत्र (सीपीपी) उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार विद्युत उत्पादन करते हैं। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार सीपीपी का समग्र उपयोग लगभग 40% है। डीजल आधारित सीपीपी का उपयोग 20% से भी कम है। स्टीम एवं गैस संयंत्रों का संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) औसतन लगभग 50% है। विगत तीन वर्षों के दौरान सीपीपी की विद्युत उत्पादन क्षमता तथा वास्तविक विद्युत उत्पादन क्षमता निम्नानुसार है–

वर्ष	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	विद्युत उत्पादन (मि.यू.)
2003–04	18740	68170
2004–05	19100	71420
2005–06	21470	73640

*वर्ष 2006-07 से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) सरकार ने ऐसी अनेक नीतिगत पहलें की हैं, जिनसे सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में निवेश के जरिए विद्युत उत्पादन में वृद्धि होने की आशा है। इनमें से कुछ मुख्य पहल नीचे बतायी गयी हैं–

i) थर्मल उत्पादन तथा कैप्टिव उत्पादन को लाइसेंसमुक्त कर अनुमति प्रदान करना।

ii) राज्य विद्युत बोर्डों के लिए संरचनात्मक सुधार।

iii) केंद्रीय एवं राज्य विद्युत विनियामक आयोगों का गठन।

iv) राष्ट्रीय ग्रिड का निर्माण।

v) पारेषण एवं वितरण में खुली प्रवेश।

vi) विद्युत व्यापार को एक पृथक कार्य के रूप में मान्यता।

vii) त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम।

viii) पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी के लिए प्रोत्साहन।

पश्चिम बंगाल में दुर्गादीनी ज्वारीय विद्युत परियोजना

3130. श्री सुरेश अंगड़ि : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन में अपनी तरह की अनूठी दुर्गादीनी लघु ज्वारीय विद्युत परियोजना का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ आवश्यक धनराशि स्वीकृत कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संयंत्र का काम कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) से (ङ) पश्चिम बंगाल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (वब्रेडा) ने पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन द्वीप में दुर्गाद्वानी स्थान पर 3.65 मेगावाट क्षमता की ज्वारीय विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए वर्ष 2001 में एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत की। एक विशेषज्ञ ग्रुप द्वारा इस रिपोर्ट की जांच की गई और वब्रेडा को आवश्यक कानूनी अनापत्तियां प्राप्त करने और लागत अनुमानों को संशोधित करने की सलाह दी गई। ये विवरण जून, 2006 में मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए। इस परियोजना हेतु प्रस्तुत किए गए संशोधित लागत अनुमान 40.15 करोड़ रु. थे।

इसी बीच, वब्रेडा ने इस डीपीआर को अद्यतन करने और उसके उन्नयन तथा कार्यान्वयन के लिए नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी), फरीदाबाद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एनएचपीसी द्वारा तैयार किया गया अद्यतन डीपीआर मंत्रालय में नवम्बर, 2007 में प्राप्त हुआ और इसकी जांच की जा रहा है।

इस डीपीआर के अनुसार, 53.98 करोड़ रु. की अनुमानित लागत और परियोजना पूर्ण होने की अवधि इसकी मंजूरी की तिथि से 33 माह के साथ, परियोजना की क्षमता 3.75 मेगावाट तक बढ़ा दी गई है। मंत्रालय ने इस पर पहले ही सहमति दे दी है। किंतु औपचारिक मंजूरी निवेश की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात जारी की जाएगी।

राजनैतिक दलों को भूमि का आबंटन

3131. श्री अनंत गंगाराम गीते :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री प्रकाश बी. जाधव :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद में विनिर्दिष्ट प्रतिनिधित्व वाले राष्ट्रीय और राज्य स्तर के राजनैतिक दलों को दिल्ली में केन्द्रीय कार्यालय बनाने के लिए भूमि आबंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक किए गए आबंटनों की सूची का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राजनैतिक दलों को पहले ही नई दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर भूमि आबंटित कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या किसी अन्य राजनैतिक दल ने भी नई दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर भूमि आबंटित करने हेतु आवेदन किया था;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी हां। भूमि का आबंटन सरकार की दिनांक 17.7.2006 की नीति के आधार पर किया गया है।

(ख) से (घ) उक्त नीति के आधार पर, राष्ट्रीय जनता दल तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भूमि आबंटित की गई है। राष्ट्रीय जनता दल को दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर 1904 वर्ग मी. भूमि आबंटित की गई है तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को पाकेट 9, राउज एवेन्यु पर 8093.72 वर्ग मी. (2 एकड़) भूमि आबंटित की गई है।

(ङ) जी, हां।

(च) और (छ) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्किर्सट), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिव सेना संसदीय पार्टी और समाजवादी पार्टी से दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर भूमि का आबंटन करने हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं। सामान्यतया भूमि आबंटन की प्रक्रिया में भूमि की उपलब्धता, वित्त प्रभाग की सहमति और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन सहित विभिन्न पहलुओं के आधार पर जांच समिति द्वारा विचार करना शामिल है। यह प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

एनटीपीसी द्वारा तमिलनाडु के चेय्यूर में विद्युत परियोजना की स्थापना

3132. श्री एम. अप्पादुरई : क्या **विद्युत मंत्री** यह **बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन टी पी सी) का विचार तमिलनाडु के चेय्यूर में एक ताप विद्युत परियोजना की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजना की वित्तपोषण पद्धति क्या है और इसके पूरा होने की समयावधि कितनी है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (ग) एनटीपीसी लि. ने 2400 मेगावाट क्षमता की विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए तमिलनाडु में कांचीपुरम में चेय्यूर गांव के नजदीक एक स्थल की पहचान की है। इस परियोजना पर 12वीं योजना में लाभ हेतु 70:30 के ऋण-इक्विटी अनुपात में काम शुरू किया जाना है जहां इक्विटी हिस्सा एनटीपीसी लि. से पूरा किया जाना प्रस्तावित है।

अधिवक्ता के रूप में नामांकन हेतु आयु सीमा

3133. श्री मिलिन्द देवरा : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिवक्ता अधिनियम के अंतर्गत अधिवक्ताओं के रूप में नामांकन हेतु किसी आयु सीमा का प्रावधान है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

2004 के सुनामी पीड़ितों के लिए आश्रय

3134. श्री मनोरंजन भक्त : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों के 2004 के सुनामी पीड़ितों के लिए अस्थायी आश्रयों के निर्माण हेतु कुल कितनी राशि खर्च की गई है;

(ख) इस खाते में अप्रयुक्त राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) 2004 के सुनामी पीड़ितों के लिए स्थायी आश्रय निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) आज की तारीख तक उन पर कुल कितनी राशि खर्च की गई?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

घाव की मरहम-पट्टी हेतु कोलाजन आधारित उत्पाद

3135. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीटयूट (सीएलआरआई), चेन्नई ने घाव की मरहम-पट्टी हेतु 'ड्रग डिलीवरी सिस्टम'' सहित दो कोलाजन आधारित उत्पादों को विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त उत्पादों के वाणिज्यिक उत्पादन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी हां। सीएलआरआई ने घाव की मरहम पट्टी हेतु ड्रग डिलीवरी सिस्टम सहित दो कोलैजन आधारित उत्पादों को विकसित किया है।

(ख) विकसित उत्पादों का ब्यौरा निम्नवत है:-

(i) सिल्वर सल्फाडायाजाइन की नियंत्रित डिलीवरी के लिए प्रथम कोलैजन आधारित मरहम-पट्टी, घाव भरने की प्रक्रिया के दौरान संक्रमण को समाप्त करने के लिए विकसित की गई है। सिल्वर सलफाडायाजाइन (एसएसडी) लोडिड एल्जिनेट माइक्रोस्फियरों के साथ अंतर्भरित कोलैजन स्कैफोल्ड के विरचन में औषध को नियंत्रित ढंग से डिलीवर करने की क्षमता है, अतः इसमें मरहम-पट्टी को बार-बार नहीं बदलना पड़ता और घाव का मूल्यांकन व प्रबंधन आसान हो जाता है।

(ii) सिप्रोफ्लोक्सासिन नामक प्रति जैविक को डिलीवर करने हेतु कोलैजन आधारित घाव मरहम-पट्टी अन्य उत्पाद है।

(ग) सिल्वर सल्फाडायाजाइन की नियंत्रित डिलीवर हेतु प्रथम उत्पाद, अर्थात कोलैजन आधारित मरहम-पट्टी से संबंधित तकनीकी जानकारी को वाणिज्यिक उत्पादनों हेतु लाइसेंस कर दिया गया है।

एन. बी. सी. सी. की मेडि-क्लेम पॉलिसी

3136. श्री चन्द्र शेखर दूबे : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) ने अपने कर्मचारियों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए एक मेडि-क्लेम पॉलिसी (कैशलैस) शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके अंतर्गत सभी श्रेणी के कर्मचारी आते हैं;

(घ) गत दो वर्षों के दौरान उपचार हेतु निपटाए गये, अस्वीकार किए गए और समाधान हेतु लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मेडिक्लेम पॉलिसी सीबीसी के दिशानिर्देशानुसार दी जा रही है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार ने एनबीसीसी द्वारा सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर क्या कार्यवाही की है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	बीमा कम्पनी	प्रीमियम
2005-06	मैसर्स इफ्को-टोकियो	11477865/- रुपये
2006-07	मैसर्स चोलामण्डलम मैसर्स इंश्योरेंश कम्पनी	15395000/- रुपये
2007-08	मैसर्स नेशनल इंश्योरेंश कम्पनी (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)	15500000/- रुपये

(ग) नियमित संस्थापन में सभी श्रेणियों के सेवारत कर्मचारी तथा नियमित संस्थापन से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी इसके अन्तर्गत आते हैं।

(घ) वर्ष 2005-06 के दौरान 1051 दावों में से 18771469/- रुपये के 1026 दावों का निपटारा किया गया था और 25 दावों को नामंजूर कर दिया गया था। वर्ष 2006-07 के दौरान 1,95,15,401/- रुपये के 912 दावों का निपटारा किया गया, 38 दावों को नामंजूर किया गया तथा प्रक्रिया में होने के कारण अथवा ईलाज से संबंधित अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने आदि जैसे कारणों की वजह से 164 दावे लंबित है।

(ङ) और (च) चिकित्सा बीमा का कार्य करने वाली सभी बीमा कम्पनियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे और जिसका कम्पनी ने सबसे कम प्रीमियम कोट किया था उससे पॉलिसी ली गयी थी।

दवाओं की देश से बाहर तस्करी

3137. चौ. मुनव्वर हसन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स फाइजर के कोरेक्स और मैसर्स निकोल्स पिरामल के फैंसीड्रिल जैसे कफ सीरप को तस्करी के माध्यम से बंगलादेश भेजा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है;

(ग) क्या कुछ अन्य देशों ने भी सरकार को इस बारे में सूचित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी हां। सीमा शुल्क के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा फैंसीड्रिल और कोरेक्स सिरप की की गई जब्ती के मामलों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(लाख रुपये में)

वर्ष	कफ सिरप के ब्रांड का नाम	जब्ती के मामलों की सं.	मूल्य
2004-2005	कोरेक्स	02	0.70
	फैंसीड्रिल	341	48.63
2005-2006	कोरेक्स	01	0.05
	फैंसीड्रिल	455	58.64
2006-2007	कोरेक्स	28	2.40
	फैंसीड्रिल	602	90.90
2007-2008	कोरेक्स	23	0.76
(अक्तूबर, 07 तक)	फैंसीड्रिल	438	34.97

अपराध करने वालों के खिलाफ सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत यथोचित कार्रवाई शुरू की गई है। क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे कड़ी निगरानी रखें जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कफ सिरप की तस्करी को रोका जा सके। दवाओं से संबंधित मामलों में परस्पर सहयोग करने की दृष्टि से भारत और बंगलादेश के बीच एक द्विपक्षीय करार सम्पन्न हुआ है।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर कुछ भी नहीं।

[हिन्दी]

न्यायाधीशों द्वारा संपत्ति विवरणी दाखिल करना

3138. श्री मोहन सिंह : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए अपने सेवाकाल में वार्षिक विवरणी दाखिल करने और अपनी सेवानिवृत के समय अपने परिवार की परिसंपत्तियों की विवरणी दाखिल करने के बारे में कोई कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) से (ग) 7 मई, 1997 को भारत के उच्चतम न्यायालय की पूर्ण न्यायालय बैठक में निम्नलिखित संकल्प अंगीकृत किया गया था:

> "यह और संकल्प किया जाता है कि प्रत्येक न्यायाधीश को उसके द्वारा पद ग्रहण किए जाने के युक्तियुक्त समय के भीतर और आसीन न्यायाधीशों की दशा में, इस संकल्प को अंगीकृत किए जाने के युक्तियुक्त समय के भीतर रीयल एस्टेट या निवेशों (उसके द्वारा उसके नाम पर या उसके/उसकी पति/पत्नी या उस पर निर्भर किसी व्यक्ति के नाम पर धारित) के रूप में उसकी सभी आस्तियों की घोषणा करनी चाहिए और तत्पश्चात् जब कभी किसी सारवान् प्रकृति का कोई अर्जन किया जाता है तो उसे युक्तियुक्त समय के भीतर प्रकट किया जाएगा। इस प्रकार की जाने वाली घोषणा न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को की जानी चाहिए। मुख्य न्यायमूर्ति को भी अभिलेख के प्रयोजन के लिए ऐसी ही घोषणा करनी चाहिए। यथास्थिति, न्यायाधीशों या मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा की गई घोषणा गोपनीय होगी।"

न्यायाधीश (जांच) विधेयक, 2006 जो अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों के विरुद्ध कदाचार के आरोपों की जांच करने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक परिषद् की स्थापना के लिए उपबंध करता है, को

19.12.2008 को लोकसभा में पुरः स्थापित किया गया था। प्रस्तावित राष्ट्रीय न्यायिक परिषद्, न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने के अलावा न्यायाधीशों के लिए एक आचार–संहिता भी तैयार करेगी। इस विधेयक को कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय की संसदीय स्थायी समिति को निर्दिष्ट किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। स्थायी समिति की रिपोर्ट की समीक्षा की जा रही है।

[अनुवाद]

मानव जीनोम विविधता परियोजना

3139. श्री एल. राजगोपाल : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अमेरिकी वैज्ञानिकों के सहयोग से मानव जीनोम विविधता परियोजना के अंतर्गत कैंसर के कारणों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कैंसर के कारणों का पता चलने से कैंसर की रोकथाम में किस प्रकार की सहायता मिलगी?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) जी, नहीं, कैंसर से संबंधित किसी भी मार्कर का पता लगाने के लिए मानव जीनोम विविधता परियोजना के अंतर्गत आंध्र विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों और अमेरिकी वैज्ञानिकों के बीच कोई भी औपचारिक सहयोग नहीं है।

(ग) यदि कैंसर का शीघ्र पता लगाया जाए तो कैंसर जैव मार्कर कैंसर विकास को रोकने में बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इसका सर्वोत्तम उदाहरण है सरवाईकल कैंसर का पैप स्मियर डिटेक्शन। इससे पश्चिमी देशों में सरवाईकल कैंसर की घातकता में अत्यधिक कमी आई है। इसी प्रकार प्रोस्ट्रेट विशिष्ट प्रतिजन स्तरों का पता लगने से प्रोस्ट्रेट कैंसर के निदान मे सहायता मिलती है और प्रारंभिक स्तरों पर कैंसर का पता लगाने से इस रोग की रोकथाम में सहायता मिलती है। वास्तव में, सभी आंकड़े इस ओर संकेत देते हैं कि प्रारंभिक स्तरों पर कैंसर का पता लगाने के लिए संपूर्ण आबादी की यदि जांच की जाए तो समग्र मृत्यु दर और आर्थिक भार में काफी कमी लाई जा सकती है।

बच्चों के विरुद्ध मामले

3140. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
डा. वीरेंद्र अग्रवाल :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में छह वर्ष के बच्चों के विरुद्ध भी मामले चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत पांच वर्षों से ऐसे कितने मामले लंबित हैं; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे बच्चों को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) से (ग) किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख ओर संरक्षण) अधिनियम 2000 तथा इसके संशोधन अधिनियम, 2006 के उपबंधों के अनुसार, राज्य सरकारों को प्रत्येक जिले में या एक से अधिक किशोर न्याय बोर्डों तथा बाल कल्याण समितियों का गठन करना है, ताकि ये बोर्ड तथा समितियां कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों तथा देख–रेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के संबंध में इन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और इन्हें सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। संबंधित बोर्ड तथा समिति प्रत्येक मामले के सार के साथ–साथ उसका विस्तृत रिकार्ड भी रखते हैं। केन्द्र सरकार ऐसा कोई ब्यौरा नहीं रखती है। मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी अथवा मुख्य महानगर दण्डाधिकारी छह माह में एक बार बोर्ड के समक्ष लंबित मामलों की समीक्षा करेगा और बोर्ड को यह निदेश देगा कि वे अपनी बैठकों की संख्या बढ़ायें अथवा आवश्यकता होने पर अतिरिक्त बोर्डों का गठन करायें।

(घ) किशोर न्याय बोर्ड किसी किशोर को अधिकतम तीन वर्ष के लिए विशेष गृह में भेजे जाने का आदेश देंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत तैयार की गई मॉडल नियमावली, 2007 में संस्थानों द्वारा देख–रेख तथा इन संस्थाओं में रहने वाले बच्चों को प्रदान की जाने वाली वस्त्र एवं बिस्तर, पोषण, चिकित्सा सुविधाओं, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, परामर्श, चिकित्सीय देख–रेख, मनोरंजन जैसी सुविधाओं के मानक निर्धारित किये गये हैं।

[हिन्दी]

वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम रिपोर्ट

3141. श्री धर्मेन्द्र प्रधान :
श्री कीरेन रिजीजू :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम" की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में लिंग भेद पर आधारित अर्थव्यवस्थाओं में अव्वल है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी के मामले में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की दस अर्थव्यवस्थाओं में से सबसे अधिक शोचनीय है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी और संभावनाओं को बढ़ाने हेतु उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) स्वतंत्र अन्तर्राष्ट्रीय संगठन विश्व आर्थिक मंच, जेनेवा द्वारा प्रकाशित 'ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2007' सरकार के ध्यान में लाई गई हैं। लेकिन सरकार ने इस रिपोर्ट की समीक्षा नहीं की हैं इस रिपोर्ट में समग्र वैश्विक लिंग–भेद सूचकांक के आधार पर 128 देशों में भारत को 114वां स्थान दिया गया है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2007 के अनुसार आर्थिक भागीदारी और प्राप्त अवसरों के क्षेत्र में, भारत का स्थान 122वां था और लिंग भेद उप–सूचकांक 0.398 था।

(ङ) महिला और बाल विकास मंत्रालय महिलाओं के चहुंमुखी सशक्तीकरण के लिए अनेक कार्यक्रम और स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है जैसे प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम को सहायता (एसटीईपी–स्टेप); स्वावलम्बन कार्यक्रम; स्वयंसिद्धा परियोजना और स्व–शक्ति परियोजना। इसके अलावा, महिलाओ की आर्थिक सृजन की क्षमता और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए दूसरे विभागों की संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम योजना (इस कार्यक्रम के तहत 40 प्रतिशत लाभ महिलाओं के लिए निर्धारित हैं), स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना, शहरी क्षेत्रों में महिला और बाल विकास (डीडब्ल्यूसीयूए), इत्यादि जैसी अन्य स्कीमें भी हैं महिलाओं को भी स्व–सहायता समूहों के रूप में संगठित होने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और इन समूहों को संसाधन प्रदान किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

कम्पनियों द्वारा संदत्त प्रत्यक्ष कर

3142. श्री सुनील खां : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी कम्पनियां हैं और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उनके द्वारा प्रदत्त कर राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इन कम्पनियों को कर और संबधी प्रोत्साहन देती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमणिक्कम) : (क) गत 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कंपनियों द्वारा संदत्त प्रत्यक्ष कर निम्नवत हैं:

(करोड़ रुपए में)

वित्तीय वर्ष	कंपनियों द्वारा संदत्त प्रत्यक्ष कर
2004–05	82,680
2005–06	1,01,277
2006–07	1,44,318

(ख) और (ग) जी, हां। सरकार ने भारत में कंपनियों/निगमित कर दाताओं को आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अनेक कर संबंधी प्रोत्साहन प्रदान किए हैं। ये प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10, 32, 35, 36, 80 तथा 115 की संगत उपधारा में निहित हैं।

कपास पर आयात शुल्क में वृद्धि

3143. श्री प्रकाश वी. जाधव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कपास पर आयात शुल्क में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमणिक्कम) : (क) वर्तमान में कपास पर आयात शुल्क बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एनआरईजीएस के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान न करना

3144. श्री शैलेन्द्र कुमार :
श्री हरिभाऊ राठौड़ :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत एक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान न करने/कम भुगतान करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) से (ग) जी, हां। अपेक्षित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	शिकायतकर्ता का नाम	लगाया गया आरोप	मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई	राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश					
1.	आंध्र प्रदेश	डा. मीडियम बाबू राव, सांसद (लोक सभा)	आंध्र प्रदेश में कार्यरत फील्ड सहायकों को 40 रु. प्रति दिन का भुगतान (जो निम्नतम मजदूरी से कम है तथा न्यूनतम पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने में अपर्याप्त है) निम्नलिखित बिंदु भी उठाए गए हैं। (i) न्यूनतम मजदूरी को 125 रु. प्रति दिन निर्धारित करना (ii) मंडल मुख्यालय जाने के लिए यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्तों का भुगतान (iii) पहचान पत्र का प्रावधान (iv) अपने क्षेत्र में पर्यवेक्षण कार्य के लिए परिवहन भत्ता (v) दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराना (vi) चिकितसा सुविधा उपलब्ध कराना	24.1.2007 को राज्य सरकार को अग्रेषित किया गया। उत्तर की प्रतीक्षा है। पहला अनुस्मारक 23.3.2007 को भेजा गया था। दूसरा अनुस्मारक 16.7.2007 को भेजा गया था। तीसरा अनुस्मारक 22.8.2007 को भेजा गया था।	फील्ड सहायक मजदूरों को कम से कम 100 दिनों का मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार हैं। रोजगार सृजन मुख्यतया कृषि मौसम के दौरान होता है। गैर कृषि मौसम के दौरान ये काम एकदम ठप्प हो जाते हैं। इस मौसमी प्रवृत्ति को देखते हुए अनुभवों से पता चलता है कि फील्ड सहायक को पूरे वर्ष काम नहीं करना पड़ता। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जब कभी भी मांग पैदा हो तो कार्मिक उपलब्ध हो, उसे पूरे 12 महीने 1200 रुपये प्रति माह की दर से शुल्क की अदायगी की जाती है। जब भी फील्ड सहायक १२५० से अधिक रोजगार दिवसों का सृजन करेगा, उसे प्रतिमाह २००० रुपये का भुगतान किया जाएगा इस प्रकार फील्ड सहायकों के वेतन ढांचे के दो भाग होते हैं–पहला उसे बनाए रखने के लिए एक मासिक शुल्क तथा दूसरा निष्पादन आधारित प्रोत्साहन। उपर्युक्त के अतिरिक्त फील्ड सहायकों को मंडल/जिला मुख्यालय में बैठक में भाग लेने की स्थिति में यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जाता है। आंध्र प्रदेश में फील्ड सहायक को एक संकल्प के माध्यम से ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसलिए सरकार पहचान पत्र जारी नहीं कर सकती। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक फील्ड सहायक तैनात किया जाता है तथा जहां 5 पल्ली/

1	2	3	4	5	6
					बसावट हों वहां दो फील्ड सहायक तैनात किए जाते हैं। चूंकि कार्य ग्राम पंचायत के भीतर ही होता है। इसलिए परिवहन भत्ते के भुगतान की कोई संभावना नहीं है। जीओएपी एक व्यापक मानव संसाधन नीति तैयार कर रही है जिसमें बीमा, चिकित्सा सुविधाएं इत्यादि शामिल हैं। इन मदों पर आगे की कार्रवाई समयानुसार कर ली जाएगी। सरकारी स्तर पर मानव संसाधन नीति के अंतर्गत इस पर विचार किया जा रहा है। भारत सरकार मजदूरी की मांग करने वालों की संख्या के आधार पर एनआरईजीएस के केंद्रीय अंश से व्यय को पूरा करने की अनुमति प्रदान कर सकती है।
2.	आंध्र प्रदेश	श्री के. परन्ना डोरा तथा श्री कोप्पारा संगय्या, ईजीएस	नागुर (वी), गुरुगुबिल्ली (एम), विजयानगरम जिला, आंध्र प्रदेश में एनआरईजीएस अनुपयुक्त कार्यान्वयन	24.5.2007 को राज्य सरकार को अग्रेषित किया गया। उत्तर की प्रतीक्षा है। अनुस्मारक 16.7.2007 को भेजा गया था। तीसरा अनुस्मारक 22.8.2007 को भेजा गया था।	नागुर (वी) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दो कौलोनियां हैं तथा अनुसूचित जाति कॉलोनी के मजदूरी मांगने वालों ने कहा है कि उन्हें मजदूरी का भुगतान डाक घर के जरिए पे आर्डर के अनुसार प्राप्त हुई है। अनुसूचित जनजाति कॉलोनी में यह आरोप सिद्ध हुआ तथा संबंधित फील्ड सहायकों और शाखा डाक पाल को नवंबर, 2006 से सेवा से हटा दिया गया और उनसे वह राशि वसूलने की कार्रवाई शुरू की जा रही है जो उन्होंने कम मजदूरी देकर हड़पी थी। नागुरू (वी) में चिन्ताला चेरुवू की गाद निकालने में सामाजिक लेखा परीक्षा से पता चला कि एक बिचौलिये ने फील्ड सहायक तथा

1	2	3	4	5	6
					शाखा डाक पाल के साथ दुरभि संधि की तथा मजदूरी का कम भुगतान किया। एमपीडीओ, गुरूगुबिल्ली (एम) विजयनगरम जिला को उनके खिलाफ दण्डात्मक मामला दर्ज करने तथा दुर्विनियोजित निधियों की वसूली का अनुदेश दिया गया है।
असम					
1.	असम	श्री बंकिमचन्द्र ब्रह्मा, कोकराझार जिला समिति, असम	खराब सुविधाओं तथा गैर कानूनी गतिविधियों के करण असम में एनआरईजीए का अनुचित कार्यान्वयन।	14.6.07 को राज्य सरकार को भेजा गया। उत्तर की प्रतीक्षा है। पहला अनुस्मारक 16.7.07, दूसरा 22.8.07 तथा अंतिम 28.11.07 को भेजा गया।	
2.	असम	श्री शेरभाई क्षेत्री, हाफलांग, एनसी हिल्स	एनआरईजीए के अंतर्गत मजदूरी न मिलने की शिकायत।	15.6.07 को राज्य सरकार को भेजा गया। उत्तर की प्रतीक्षा है। पहला अनुस्मारक 16.7.07, दूसरा 22.8.07 तथा अंतिम 28.11.07 को भेजा गया।	
3.	असम	श्री नगेन्द्रनाथ राय और अन्य	असम में सरकारी निधियों का दुर्विनियोजन और एनआरईजीए का अनुचित कार्यान्वयन।	26.7.07 को राज्य सरकार को भेजा गया। उत्तर की प्रतीक्षा है। पहला अनुस्मारक 22.8.07 तथा अंतिम 28.11.07 को भेजा गया।	
4.	असम	सचिव, कालीनगर नागरिक अधिकार सुरक्षा समिति, हेलाकांडी (असम) तथा श्री बीमंता थोसेन, एनसी हिल्स	वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिए हमारे परियोजना निदेशक, डीआरडीए हेलाकांडी द्वारा स्वीकार्य योजना के संबंध में स्वीकृत ग्रामीण विकास निधियों की रिलीज में असाधारण विलंब का आरोप।	19.9.07 को राज्य सरकार को भेजा गया। 28.11.07 को अनुस्मारक भेजा गया।	
5.	असम	श्री बीमंता थोसेन, निवासी ग्राम टोपोडीसा, बीपीओ, सरकारी बगान, हाफ लांग, जिला एनसी हिल्स (ग्रा. वि.मं. द्वारा अग्रेषित)	निधियों का बड़े पैमाने पर दुरूपयोग एनआरईजीए के अंतर्गत डीआरडीए कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार	15.10.07 को राज्य सरकार को भेजा गया। 28.11.07 को अनुस्मारक भेजा गया।	

1	2	3	4	5	6
बिहार					
1.	बिहार	श्री निखिल कुमार सांसद (लोक सभा)	औरंगाबाद में एनआरईजीए का अनुचित कार्यान्वयन	28.9.06 को राज्य सरकार को अग्रेषित की गई। राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त होना है। पहला अनुस्मारक 4.1.07 को, दूसरा अनुस्मारक 23.3.07 को, तीसरा अनुस्मारक 16.7.07 को, चौथा अनुस्मारक 22.8.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 भेजा गया।	
2.	बिहार	कैप्टन जे. एन. पी. निषाद, सांसद (राज्य सभा)	छपरा के दरियापुर (सारण) ब्लॉक में एनआरईजीए के अंतर्गत निधियों का गबन	16.9.06 को राज्य सरकार को अग्रेषित की गई। राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त होना है। पहला अनुस्मारक 4.1.07 को, दूसरा अनुस्मारक 23.3.07 को, तीसरा अनुस्मारक 16.7.07 को, चौथा अनुस्मारक 22.8.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।	
3.	बिहार	प्रधानमंत्री कार्यालय	रहुआ पंचायत, काको ब्लॉक, जहानाबाद में जॉबकार्ड नहीं बनाया गया	24.1.07 को राज्य सरकार को अग्रेषित की गई। राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त होना है। पहला अनुस्मारक 23.3.07 को, दूसरा अनुस्मारक 16.7.07 को, तीसरा अनुस्मारक 22.8.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।	
4.	बिहार	श्री तारिक अनवर, सांसद (राज्य सभा)	कटिहार में एन एफ एफ डब्ल्यू पी के अंतर्गत निधियों का दुर्विनियोजन और अनियमितताएं	6.6.07 को राज्य सरकार को अग्रेषित की गई। राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त होना है। पहला अनुस्मारक 16.7.07 को, दूसरा अनुस्मारक 22.8.07 को, तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।	
5.	बिहार	श्री निखिल कुमार, सांसद (लोक सभा) (नियम 377 के तहत उठाया गया मामला)	बिहार में एनआरईजीए का अनुचित कार्यान्वयन	14.6.07 को राज्य सरकार को अग्रेषित की गई। राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त होना है। पहला अनुस्मारक 16.7.07 को, दूसरा अनुस्मारक 22.8.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।	

1	2	3	4	5	6
6.	बिहार	श्री राजनंदन प्रसाद सिंह, उपाध्यक्ष, समस्तीपुर जिला कांग्रेस समिति	समस्तीपुर, बिहार के वारिस नगर ब्लॉक में एनआरईजीए कार्यान्वित न करना	27.7.2006 को राज्य सरकार को जांच के लिए अग्रेषित की गई। राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त होना है। पहला अनुस्मारक 15.9.06 को, दूसरा अनुस्मारक 4.1.07 को, तीसरा अनुस्मारक 23.3.07 को, चौथा अनुस्मारक 16.7.07 को, पांचवा अनुस्मारक 22.8.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।	
7.	बिहार	श्री अलीमुद्दीन अंसारी, पूर्णिया	पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज में एनआरईजीए का अनुचित कार्यान्वयन	21.11.06 को राज्य सरकार को अग्रेषित की गई। पहला अनुस्मारक 23.3.07 को, दूसरा अनुस्मारक 16.7.07 को, तीसरा अनुस्मारक 22.8.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।	
8.	बिहार	डा. जगन्नाथ मिश्र, राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसान सभा	एनआरईजीए के बारे में बिहार की ग्रामीण आबादी में जानकारी का अभाव	24.1.07 को राज्य सरकार को अग्रेषित की गई। राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त होना है। पहला अनुस्मारक 23.3.07 को, दूसरा अनुस्मारक 16.7.07 को, तीसरा अनुस्मारक 22.8.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।	
9.	बिहार	श्री राजेश यादव, उपाध्यक्ष जिला परिषद	दरभंगा में एनआरईजीए के अंतर्गत वृक्षारोपण में अनियमितताएं	6.6.07 को राज्य सरकार को अग्रेषित की गई। राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त होना है। पहला अनुस्मारक 16.7.07 को, दूसरा अनुस्मारक 22.8.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।	

1	2	3	4	5	6
10.	बिहार	श्री नीरज कुमार झा, अध्यक्ष, डीवाईसीसी, मधुबनी	एनआरईजीए के कार्यान्वयन में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां	19.7.07 को राज्य सरकार को अग्रेषित की गई। पहला अनुस्मारक 22.8.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।	
11.	बिहार	डा. शकील अहमद दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री	मधुबनी में एनआरईजीए के कार्यान्वयन में अनियमितताएं	26.7.07 को राज्य सरकार को अग्रेषित की गई। पहला अनुस्मारक 22.8.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।	
12.	बिहार	श्री सुरेश राय, समन्वयक, मीनापुर मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर में एन एफ एफ डब्ल्यू पी का अनुचित कार्यान्वयन और अनियमितताएं	15.2.07 को राज्य सरकार को अग्रेषित की गई। राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त होना है। पहला अनुस्मारक 23.3.07 को, दूसरा अनुस्मारक 16.7.07 को, तीसरा अनुस्मारक 22.8.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।	
13.	बिहार	श्री महेश्वर प्रसाद यादव, विधायक, बिहार विधान सभा	रोजगार गारंटी योजना, कटरा के अंतर्गत भ्रष्टाचार	3.7.07 को प्राप्त शिकायत राज्य सरकार को भेजी जा रही है।	
14.	बिहार	श्री दिग्विजय सिंह महासचिव एआईसीसी	एनआरईजीए के कार्यान्वयन में अनियमितताएं	प्राप्त शिकायत राज्य सरकार को भेजी गई।	
15.	बिहार	श्री गणेश प्रसाद सिंह, सांसद (लोक सभा)	एनआरईजीए के अंतर्गत कृषि कामगारों को पेंशन का भुगतान करने का अनुरोध	प्राप्त शिकायत राज्य सरकार को भेजी गई।	
16.	बिहार	श्री दिग्विजय सिंह महासचिव, एआईसीसी	बिहार के मुंगेर जिले में एनआरई जीए के अंतर्गत भ्रष्टाचार, अनियमितताएं और अनुचित कार्यान्वयन	24.8.07 को प्राप्त शिकायत 10.9.07 को राज्य सरकार को भेजी गई। अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।	
17.	बिहार	सुश्री इन्दु झा, सदस्य, जिला परिषद, दरभंगा, बिहार	दरभंगा जिला परिषद की 27.6.07 की बैठक की कार्यवाही एवं अन्य संबंधित मामलों के बारे में सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जानकारी मांगी।	राज्य सरकार को 19.9.07 को भेजा गया। अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।	

1	2	3	4	5	6
18.	बिहार	श्री महेश्वर प्रसाद, सदस्य, बिहार विधान सभा, पटना	भ्रष्टाचार, अनियमितताओं तथा कटरा ब्लॉक, बिहार में एनआरई जीए के अनुचित कार्यान्वयन संबंधी शिकायत	राज्य सरकार को 28.9.07 को भेजा गया। अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।	
19.	बिहार	श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह	मोकर, रोहतार जिला, बिहार की ग्राम पंचायत के अध्यक्ष तथा सचिव द्वारा वित्तीय अनियमितताएं	राज्य सरकार को 01.01.07 को भेजा गया। अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गाया।	
छत्तीसगढ़					
1.	छत्तीसगढ़	श्री द्विग्विजय सिंह विधायक	भ्रष्टाचार अनियमितताएं तथा एनआरईजीए का अनुचित कार्यान्वयन	14.6.07 को राज्य सरकार को भेजा गया। उत्तर की प्रतीक्षा है। पहला अनुस्मारक 16.7.07, दूसरा 22.8.07 को भेजा गया।	राज्य सरकार ने अपने 24.8.07 के पत्र के माध्यम से बताया है कि शिकायत एनआरईजीए से संबंधित नहीं है बल्कि यह राष्ट्रीय समविकास योजना से संबंधित है।
2.	छत्तीसगढ़	श्री एस. एल. सलूजा, राष्ट्रीय संयोजक	छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एनआरईजीए के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार	8.1.07 को राज्य सरकार को भेजा गया। उत्तर की प्रतीक्षा है। पहला अनुस्मारक 23.3.07, दूसरा 16.7.07 तथा तीसरा 22.8.07 को भेजा गया।	राज्य सरकार ने पहले से चल रही छत्तीसगढ़ आरईजीएस योजना का नाम बदलकर अब एनआरईजीएस. छत्तीसगढ़ कर दिया है। अन्य मुद्दों के बारे में राज्य सरकार ने बताया है कि वे सही नहीं हैं।
3.	छत्तीसगढ़	इंडियन एक्सप्रेस, का समाचार 5.8.07	एनआरईजीए निधियों का उपयोग करके 5 करोड़ रु. मूल्य के कीटनाशक की खरीद में अनियमितताएं	5.8.07 को राज्य सरकार को भेजा गया। अनुस्मारक 22.08.07 को भेजा गया।	छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री ने रोजगार गारंटी योजना के आयुक्त श्री पी सी मिश्रा की अध्यक्षता में 3 सदस्य समिति गठित करने का आदेश दिया है ताकि मामले की जांच की जा सके। कांकेर के जिला कलेक्टर को स्थानांतरित कर दिया है और सीईओ को निलंबित कर दिया है। कांकेर में कीटनाशक और खाद की खरीद पर खर्च की गई राशि एनआरईजीए से वसूली नहीं जाएगी और ऐसे खर्च को राज्य सरकार द्वारा चलाई गई कृषि योजनाओं में वहन किया जाएगा।

1	2	3	4	5	6
4.	छत्तीसगढ़	श्रीमती मोहसिना किदवई, संसद सदस्य (लोक सभा)	आरोप है कि छत्तीसगढ़ सरकार एनआरईजीए के बजाय छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नाम का उपयोग कर रही है।	14.6.07 को राज्य सरकार को भेजा गया। अनुस्मारक 22.8.07 को भेजा गया।	राज्य सरकार ने 14.6.07 को भेजा पत्र प्राप्त नहीं किया है। इसलिए राज्य सरकार को फिर से प्रति भेजें।
5.	छत्तीसगढ़	श्री देवव्रत सिंह, संसद सदस्य (लोक सभा)	जॉब कार्ड भेजने में देरी, जॉब कार्ड न भेजना, कम वरीयता या अनुपयुक्त कार्य का चयन और कार्यस्थल पर मशीनों का उपयोग	7.9.07 को राज्य सरकार को भेजा गया।	
6.	छत्तीसगढ़	श्रीमती इंग्रिड मिकलोड, संसद सदस्य (लोक सभा)	बिलासपुर जिले में एनआरईजीए के अंतर्गत चल रहे कार्यों के संबंध में जानकारी	24.9.07 को राज्य सरकार को भेजा गया।	
7.	छत्तीसगढ़	श्री रामधार कश्यप, संसद सदस्य (लोक सभा)	कबीरधाम जिले में एनआरईजीके कार्यान्वयन में ठेकेदारों को शामिल करना तथा भ्रष्टाचार का आरोप	1.10.07 को राज्य सरकार को भेजा गया।	
गुजरात					
1.	गुजरात	श्री एम. डी. वसावा, सांसद (लोक सभा)	नर्मदा जिले में मजदूरों को मजदूरी का भुगतान न होना	15.6.2007 को राज्य सरकार को अग्रेषित किया गया। राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा है। पहला अनुस्मारक 16.7.2007 को भेजा गया था। अंतिम अनुस्मारक 22.8.2007 को भेजा गया था।	1. नर्मदा जिले के देदिया पाड़ा तालूका के 18 गांवों सहित सभी आंतरिक गांवों को एनआरईजी कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया है। 2. नर्मदा जिले के मजदूरों को पहले ही 25 करोड़ रुपये की बकाया मजूदरी का भुगतान कर दिया गया है। 3. डगवैल की लागत को 1.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने के प्राक्कलन पर निदेशक, डीआरडीए, नर्मदा द्वारा विचार किया जा रहा है तथा जैसे ही दर मंशोधित हो जाती है इस संबंध में माननीय सांसद को अवगत करा दिया जाएगा।

1	2	3	4	5	6
					4. मजदूरों को समय से मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया गया है तथा मजदूरी के भुगतान में 15 दिन से अधिक कोई अदायगी बाकी नहीं है। (निदेशक डीआरडीए, नर्मदा ने 20.3.2007 तथा 185.2007 को अपने दो शिकायती पत्रों के संबंध में माननीय संसद को उत्तर दिया गया है तथा माननीय सांसद द्वारा उठाए गए मुद्दों में से कोई बाकी नहीं है। जिसे नोट किया जाना हो।)
2.	गुजरात	श्री मनसुख भाई डी. वसावा, सांसद (लोक सभा)	एनआरईजीए के अंतर्गत मजदूरों को मजदूरी का भुगतान न होना	13.7.2007 को राज्य सरकार का अग्रेषित किया गया। उत्तर की प्रतीक्षा है। अतिम अनुस्मारक 22.8.2007 को भेजा गया था।	1. नर्मदा जिले के देदिया पाड़ा तालूका के 18 गांवों सहित सभी आंतरिक गांवों को एनआरईजी कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया है। 2. नर्मदा जिले के मजूदरों को पहले ही 25 करोड़ रुपये की बकाया मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है। 3. डगवैल की लागत को 1.50 लाख रुपये से बढाकर 2 लाख रुपये करने के प्राक्कलन पर निदेशक, डीआरडीए, नर्मदा द्वारा विचार किया जा रहा है तथा जैसे ही दर संशोधित हो जाती है इस संबंध में माननीय सांसद को अवगत करा दिया जाएगा। 4. मजदूरों को समय से मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया गया है तथा मजदूरी के भुगतान में 15 दिन से अधिक कोई अदायगी बाकी नहीं है। (निदेशक डीआरडीए, नर्मदा ने 20.3.2007 तथा 18.5.2007 के अपने दो शिकायती पत्रों के संबंध में माननीय सांसद को उत्तर दिया गया है तथा माननीय सांसद द्वारा उठाए गए मुद्दों में से कोई बाकी नहीं है। जिसे नोट किया जाना हो।

1	2	3	4	5	6
3.	गुजरात बनासकांठा, गुजरात	एनआरईजीए के कर्मचारी,	एनआरईजीए के अंतर्गत ग्राम वाटिका योजन के तहत कदाचार	14.8.2007 को राज्य सरकार को अग्रेषित किया गया। पहला अनुस्मारक 23.3.2007 को भेजा गया था। दूसरा अनुस्मारक 16.7.2007 को भेजा गया था। तीसरा अनुस्मारक 22.8.2007 को भेजा गया था।	एनआरईजीए की धारा 4 की अनुसूची 1 के अंतर्गत अनुमेय कार्यों के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में वन रोपण तथा वृक्षा रोपण से संबंधित कार्य शुरू किए जाते हैं। योजना तथा अनुमान 30.5.2006 के राज्य सरकार संकल्प द्वारा निर्धारित एसओआर के आधार पर तैयार किए जाते हैं तथा वे कार्य स्थल की स्थिति तथा जगह उपलब्धता के अनुसार भी तैयार किए जाते हैं तथा तकनीकी मंजूरी उपनिदेशक (वाटरशेड), डीआरडीए द्वारा दी जाती है क्योंकि अपनाई गई दरें प्राक्कलन में वन विभाग के एसओआर के अनुसार होती है इसलिए एनआरईजीए के अंतर्गत किए गए कार्य अधिनियम के प्रावधानों तथा भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार हैं तथा इस योजना के कार्यान्वयन में कोई कदाचार नहीं है।
4.	गुजरात	श्री हसमुख पटेल गुजरात कांग्रेस समिति	गुजरात सरकार यह अधिनियम कार्यान्वित करने की इच्छुक नहीं है।	4.9.2006 को राज्य सरकार को अग्रेषित किया गया। उत्तर की प्रतीक्षा है। पहला अनुस्मारक 4.1.2007 को भेजा गया था। दूसरा अनुस्मारक 23.3.2007 को भेजा गया था। तीसरा अनुस्मारक 16.7.2007 को भेजा गया था। अंतिम अनुस्मारक 22.8.2007 को भेजा गया था।	राज्य सरकार से प्राप्त विस्तृत बिन्दुवार उत्तर के अनुसार शिकायत के अधिकतर बिंदुओं का खंडन किया गया है।
5.	गुजरात	श्री प्रवीण राष्ट्रपाल, संसद सदस्य, राज्य सभा	उन्हें सितम्बर, 2006 में इस मंत्रालय द्वारा राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति में नामांकित किया गया था किंतु अब तक समिति के अध्यक्ष द्वारा कोई बैठक नहीं बुलाई गई है और इस संबंध में उनके द्वारा राज्य सरकार को लिखे गए पत्रों का उत्तर भी नहीं दिया गया है।	15.6.2007 को राज्य सरकार को अग्रेषित किया गया।	

1	2	3	4	5	6
हरियाणा					
1.	हरियाणा	श्री खेर सिंह	महेन्द्रगढ़ के धोलेरा गांव में एन आरईजीए के कार्यान्वयन में अनियमितता।	16.1.07 को राज्य सरकार को जांच के लिए भेजा गया। उनके उत्तर की प्रतीक्षा है। 23.3.07 को एक अनुस्मारक भेजा गया। दूसरा अनुस्मारक 16.7.07 को भेजा गया। तीसरा अनुस्मारक 22.8.07 तथा अंतिम अनुस्मारक 21.11.07 को भेजा गया।	
2.	हरियाणा	श्री मणिशंकर अय्यर, पंचायती राज तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री	हरियाणा के महेन्द्रगढ़ जिले में जाली मस्टर रोल तैयार करना, जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल करना तथा एनआरईजीए निधियों के गबन संबंधी शिकायतें।	19.9.07 को राज्य सरकार को भेजा गया। 22.11.07 को अनुस्मारक भेजा गया।	
झारखंड					
1.	झारखण्ड	श्री चंद्रशेखर दुबे, सांसद (लोक सभा)	एनआरईजीए के कार्यान्वयन की समीक्षा करने की आवश्यकता है। नियम 377 के अंतर्गत उठाया गया मामला	जांच, आवश्यक कार्रवाई करने तथा मंत्रालय को रिपोर्ट भेजने के लिए 9.6.2006 को राज्य सरकार को अग्रेषित की गई। राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त होना है। पहला अनुस्मारक 15.9.06 को, दूसरा अनुस्मारक 4.1.07 को, तीसरा अनुस्मारक 23.3.07 को, चौथा अनुस्मारक 16.7.07 को, पांचवां अनुस्मारक 22.08.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 22.11.07 को भेजा गया।	
2.	झारखण्ड	श्री नियेल तिरकी, विधायक	एनआरईजीए के अंतर्गत कार्यों के चयन में अनियमितताएं	जांच, आवश्यक कार्रवाई करने तथा मंत्रालय को रिपोर्ट भेजने के लिए 12.7.2006 को राज्य सरकार को अग्रेषित की गई। राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त होना है। पहला अनुस्मारक 22.8.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।	राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त हुआ। तदनुसार, एनआइजीए के दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं किया गया है; इसलिए अनियमितता का प्रश्न नहीं उठता।

1	2	3	4	5	6
3.	झारखण्ड	श्री सुबोध कांत सहाय, राज्य मंत्री (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ने श्री के. एन. त्रिपाठी, महासचिव, झारखंड प्रदेश कांग्रेस समिति से प्राप्त अभ्यावेदन अग्रेषित किया।	झारखंड में एनआरईजीए का अनुचित कार्यान्वयन और निधियों का गबन	18.10.2006 को राज्य सरकार को अग्रेषित की गई। राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त होना है। पहला अनुस्मारक 4.1.07 को, दूसरा अनुस्मारक 23.3.07 को, तसरा अनुस्मारक 16.7.07 को, चौथा अनुस्मारक 22.8.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।	
4.	झारखण्ड	श्री जनार्दन प्रसाद महासचिव, झारखंड मजदूर किसान समिति, झांकीस	एनआरईजीए के कार्यान्वयन में प्रशासनिक अनियमितताएं	जांच करने के लिए 9.6.2006 को राज्य सरकार को अग्रेषित की गई। राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त होना है। पहला अनुस्मारक 15.9.06 को, दूसरा अनुस्मारक 4.1.07 को, तीसरा अनुस्मारक 23.3.07 को, चौथा अनुस्मारक 16.7.07 को, पांचवां अनुस्मारक 22.8.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।	
5.	झारखण्ड	सुश्री बेगम नूर बानो, पूर्व सांसद	एनआरईजीए के कार्यान्वयन में झारखंड राज्य सरकार द्वारा कदाचार	जांच करने के लिए 9.2.2006 को राज्य सरकार को अग्रेषित की गई। राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त होना है। पहला अनुस्मारक 15.9.06 को, दूसरा अनुस्मारक 4.1.07 को, तीसरा अनुस्मारक 23.3.07 को चौथा अनुस्मारक 16.7.07 को, पांचवां अनुस्मारक 22.8.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।	
6.	झारखण्ड	श्री राजेंद्र यादव और श्री काशी नाथ महतो, रांची	रांची में एनआरईजीए का अनुचित कार्यान्वयन	21.11.06 को राज्य सरकार को अग्रेषित की गई। राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त होना है। पहला अनुस्मारक 4.1.07 को, दूसरा अनुस्मारक 23.3.07 को, तीसरा अनुस्मारक 16.7.07 को, चौथा अनुस्मारक 22.8.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।	

1	2	3	4	5	6
7.	झारखण्ड	श्री सोमरा सोरेन और अन्य ग्रामवासी तथा श्री ए. भट्टाचार्य, कार्यकारी निदेशक, सुहरीत	निधियों का गबन, भ्रष्टाचार और एनआरईजीए का अनुचित कार्यान्वयन	14.6.07 को राज्य सरकार को अग्रेषित की गई। राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त होना है। पहला अनुस्मारक 16.7.07 को, दूसरा अनुस्मारक 22.8.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।	
8.	झारखण्ड	श्री सुरेश यादव और मलहुंगई, झारखंड के ग्रामवासी	एनआरईजीए के अंतर्गत मशीनरी का उपयोग, भ्रष्टाचार और निधियों का गबन	26.7.2007 को राज्य सरकार को अग्रेषित की गई। राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त होना है। पहला अनुस्मारक 22.8.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।	
9.	झारखण्ड	23.5.2007 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित समाचार	झारखंड के चार ब्लॉकों में सामाजिक लेखों परीक्षा के दौरान एनआरईजीए के अंतर्गत भ्रष्टाचार और अनुचित कार्यान्वयन	31.5.2007 को राज्य सरकार को अग्रेषित की गई। राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त होना है। पहला अनुस्मारक 16.7.07 को, दूसरा अनुस्मारक 22.8.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।	
10.	झारखण्ड	श्री धीरेंद्र अग्रवाल, सांसद (लोक सभा)	झारखंड के चतरा जिले में एनआरआईजीए के अंतर्गत भ्रष्टाचार	21.8.2007 को राज्य सरकार को अग्रेषित की गई। अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।	
11.	झारखण्ड	श्री के. एन. त्रिपाठी, सदस्य, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद, झारखंड	प. सिंहभूम और सरायकेला–खारसावां जिले में निधियों का कम उपयोग, कार्य का अनुचित चयन, गैर सरकारी संगठम को निधियां मंजूर करने में अनियमितता	21.9.2007 को राज्य सरकार को अग्रेषित की गई। अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।	

1	2	3	4	5	6
कर्नाटक					
1.	कर्नाटक	दावनगेरे तथा चित्रदुर्ग जिले में कर्नाटक ग्रामीण रोजगार अधिनियम में काम कर रहे श्रमिक तथा सीबीओ सदस्य	कर्नाटक के दावनगेरे तथा चित्रदुर्ग जिले में एनआरईजीए का अनुचित कार्यान्वयन	जांच, आवश्यक कार्रवाई तथा इस मंत्रालय को सूचना देने के लिए इसे 9.1.2007 को राज्य सरकार को अग्रेषित किया गया। राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा है। पहला अनुस्मारक 23.3.2007 को भेजा गया था। दूसरा अनुस्मारक 16.7.2007 को भेजा गया था। तीसरा अनुस्मारक 22.8.2007 को भेजा गया था।	
2.	कर्नाटक	डेक्कन हेराल्ड में दिनांक 21.8.2007 को छपी खबर	कर्नाटक के जिले चामराज नगर में स्थित बिलीगिरी रंगास्वामी टैंपल वन्यजीव अभयारण्य की सोलीगास जनजाति के लिए एनआरईजीए के कार्यान्वयन की आवश्यकता	राज्य सरकार को 21.8.2007 की खबर की प्रति भेज दी गई है।	
3.	कर्नाटक	श्री अलोयसिस पी. फर्नांडिस कार्यकारी निदेशक, एमवाई आरएबीए, बैंगलोर	रायचूर, कर्नाटक में एनआरईजीए की स्थिति	1.10.2007 को राज्य सरकार को अग्रेषित की गई।	
मध्य प्रदेश					
1	मध्य प्रदेश	दिग्विजय सिंह विधायक, बारवानी में सुश्री माधुरी की शिकायत को अग्रेषित करते हुए	एनआरईजीए का अनुचित कार्यान्वयन	28.9.06 को जांच के लिए राज्य सरकार भेजा गया। उत्तर की प्रतीक्षा है। पहला अनुस्मारक 15.9.06 को भेजा गया। दूसरा अनुस्मारक 04.1.07 को भेजा गया। तीसरा अनुस्मारक 23.3.07 को भेजा गया। चौथा अनुस्मारक 16.7.07 को भेजा गया। 5वां 22.8.07 को और अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।	

1	2	3	4	5	6
2.	मध्य प्रदेश	श्री एम. वी. राजशेखरन, राज्यमंत्री (योजना)	बरवानी में एनआरईजीए का अनुचित कार्यान्वयन	21.11.06 को जांच के लिए राज्य सरकार को भेजा गया। उत्तर की प्रतीक्षा है। 04.1.07 को अनुस्मारक भेजा गया। दूसरा अनुस्मारक 23.3.07 को भेजा गया। तीसरा अनुस्मारक 16.7.07 को भेजा गया। चौथा अनुस्मारक 22.08.07 को और अंतिम 28.11.07 को भेजा गया।	
3.	मध्य प्रदेश खरगोन जिला	श्री सिलदर पटेल अध्यक्ष, डीसीसी	क. मशीनरी का उपयोग ख. ठेकेदारों को शामिल करना ग. महिला श्रमिकों को जॉब कार्ड नहीं दिया जाना घ. बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाना ङ तसीलदार द्वारा महिला श्रमिकों को परेशान किया जाना च. सूचना पट पर जानकारी प्रदर्शित न करना छ. बढ़ा हुआ अनुमान ज. निजी काम कराया जाना	जिले का दौरा करने के लिए एनएलएम प्रतिनियुक्त किया गया। उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। एनएलएम रिपोर्ट के अनुसार, जांच के दौरान शिकायत के अधिकांश मुद्दे सिद्ध नहीं हुए। एक मामले में पंचायत सचिव द्वारा पंचायत के एक पंच के साथ मिलकर कुछ गंभीर वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं। जिले के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने पंचायत के निरीक्षक को आगामी कार्रवाई के लिए बुलाया था। रिपोर्ट को 14.8.2006 को जांच, आवश्यक, कार्रवाई और इस मंत्रालय को रिपोर्ट के लिए राज्य सरकार को भेजा गया है। चौथा अनुस्मारक 16.07.07 को भेजा गया था, पांचवां 22.08.07 को भेजा गया है। अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया है।	
4.	मध्यप्रदेश शिवपुर जिला	श्री सुभाष यादव, अध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी	क. शिवपुर जिले को रिलीज किए गए 45 करोड़ रु. में से 30 करोड़ रु. की लागत कार्य लाइन विभागों द्वारा किया जा रहा है और वे	जिले का दौरा करने के लिए एनएलएम प्रतिनियुक्त किया गया। उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। एनएलएम रिपोर्ट के अनुसार, जांच	

1	2	3	4	5	6
			ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे हैं और उसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं को ठेका दिया जा रहा है। ख. मशीनरी का उपयोग ग. ठेकेदारों को शामिल करना।	के दौरान शिकायत के अधिकांश मुद्दे सिद्ध नहीं हुए। एक मामले में पंचायत सचिव द्वारा पंचायत के एक पंच के साथ मिलकर कुछ गंभीर वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं। जिले के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने पंचायत के निरीक्षक को आगामी कार्रवाई के लिए बुलाया था। रिपोर्ट को 24.8.2006 को जांच, आवश्यक, कार्रवाई और इस मंत्रालय को रिपोर्ट के लिए राज्य सरकार को भेजा गया है। एक अनुस्मारक 22.08.07 को भेजा गया था। अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया है।	
5.	मध्यप्रदेश (शिवपुर जिला)	श्री ब्रिजराज सिंह, चौहान	वही	जिले का दौरा करने के लिए एनएलएम प्रतिनियुक्त किया गया। उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। एनएलएम रिपोर्ट के अनुसार, जांच के दौरान शिकायत के अधिकांश मुद्दे सिद्ध नहीं हुए। एक मामले में पंचायत सचिव द्वारा पंचायत के एक पंच के साथ मिलकर कुछ गंभीर वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं। जिले के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने पंचायत के निरीक्षक को आगामी कार्रवाई के लिए बुलाया था। रिपोर्ट को 24.8.2006 को जांच, आवश्यक, कार्रवाई और इस मंत्रालय को रिपोर्ट के लिए राज्य सरकार को भेजा गया है। एक अनुस्मारक 22.08.07 को भेजा गया था। अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया है।	

1	2	3	4	5	6
6.	मध्य प्रदेश बरवानी जिला	श्री शिवबालक प्रसाद साकेत	सतना में एनआरईजीए का अनुचित कार्यान्वयन	08.1.07 को जांच के लिए राज्य सरकार को भेजा गया। उत्तर की प्रतीक्षा है। पहला अनुस्मारक 23.3.07 को भेजा गया। दूसरा अनुस्मारक 16.7.07 को भेजा गया। तीसरा 22.8.07 को और अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।	
7.	मध्य प्रदेश	श्री शकील कुरेशी, अधिवक्ता	शिवपुर जिले में श्री अशोक शर्मा द्वारा एनआरईजीए के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार	08.1.07 को राज्य सरकार को भेजा गया। उत्तर की प्रतीक्षा है। 23.3.07 को अनुस्मारक भेजा गया। दूसरा अनुस्मारक 16.7.07 को भेजा गया। तीसरा अनुस्मारक 22.8.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।	
8.	मध्य प्रदेश	श्री वी.बी. शुक्ला, अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, डिंडोरी, मध्य प्रदेश	कम मजदूरी दिए जाने की शिकायत और उप-अभियंताओं द्वारा मजदूरी का शोषण	15.6.07 को राज्य सरकार को भेजा गया। उत्तर की प्रतीक्षा है। 16.7.07 को अनुस्मारक भेजा गया। दूसरा अनुस्मारक 22.8.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।	
9.	मध्य प्रदेश	श्री दिग्विजय सिंह विधायक, मं.प्र. विधान सभा	जिला राजनंदगांव में एनआरईजी योजना के अंतर्गत तालाब के निर्माण में अनियमितताएं	14.6.07 को राज्य सरकार को भेजा गया। एक अनुस्मारक 22.8.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया	
10	मध्य प्रदेश	दिनांक 20.08.07 के दैनिक जागरण में समाचार	शिवपुरी जिले में निर्माण कार्यों में मशीनों क., उपयोग, मस्टर रोल गलत रखरखाव एवं एनआरईजीए दिशानिर्देशों के अन्य उल्लंघन और एनआरईजीए का अनुचित कार्यान्वयन	06.09.07 को राज्य सरकार को भेजा गया। एक अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।	
11.	मध्य प्रदेश	श्री लाल साहेब यादव, अध्यक्ष, जिला कांग्रेस समिति, शिवपुरी जिला का 21.08.07 को पत्र	शिवपुरी जिले में जॉब कार्ड प्राप्त करने में विलंब, जॉब कार्ड जारी न करना, जॉब कार्डधारी मजदूरों को काम न दिया जाना, कार्यस्थल पर पीने के पानी की व्यवस्था न होना, काम बेकार तरीके से किया जाना।	06.09.07 को राज्य सरकार को भेजा गया। एक अनुस्मारक 28.11.07 को गया।	

1	2	3	4	5	6
12.	मध्य प्रदेश	श्री घनश्याम सिंह, विधायक एवं अध्यक्ष जिला कांग्रेस का दिनांक 21.8.07 पत्र	एनआरईजीए निधियों का गलत उपयोग, निम्न वरीयता या अनुपयुक्त कार्य का चयन, व्यक्तिगत हित वाले कार्य का चयन, जॉब कार्ड जारी न किया जाना।	06.09.07 को राज्य सरकार को भेजा गया। एक अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।	
13.	मध्य प्रदेश	श्री धर्मेन्द्र चौधरी, अध्यक्ष जिला–कांग्रेस कमेटी, अशोक नगर के दिनांक 21.8.07 का पत्र	जॉब कार्डों का जारी न किया जाना विशेषकर उन्हें जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, आबंटित निधियों का कम उपयोग, अशोक नगर जिलें में निम्न स्तर का कार्य किया जाना।	6.9.07 को राज्य सरकार को अग्रेषित किया गया। 28.11.07 को अनुस्मारक भेजा गया।	
14.	मध्य प्रदेश	श्री कुंवर कृष्ण कुमार सिंह (घुरहाट), विधायक के दिनांक 9.8.07 का पत्र	प्रधान, ग्राम पंचायत, पौड़ी गांव द्वारा निधियों का दुर्विनियोजन, सिद्धि जिले में फर्जी लोगों इत्यादि को मजदूरी का भुगतान।	6.9.07 को राज्य सरकार को अग्रेषित किया गया। 28.11.07 को अनुस्मारक भेजा गया।	
15.	मध्य प्रदेश	श्री बृज राज सिंह चौहान, अध्यक्ष जिला–कांग्रेस कमेटी, जिला–शिवैपुर के दिनांक 21.8.07 का पत्र	अपात्र लोगों को जॉब कार्ड जारी करना, कार्यों का आबंटन न करना, मशीनों का उपयोग, एनआरईजीए के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक सामग्री का प्रयोग तथा शियोपुर जिले में एनआरईजीए के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार	6.9.07 को राज्य सरकार को अग्रेषित किया गया। 28.11.07 को अनुस्मारक भेजा गया।	
16.	मध्य प्रदेश	श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधियां, संसद सदस्य, लोक सभा के दिनांक 21.8.07 का पत्र	गुना जिला, मध्य प्रदेश में एनआरईजीए के कार्यान्वयन में अनियमितताएं तथा कुप्रबंध।	7.9.07 को राज्य सरकार को अग्रेषित किया गया। 28.11.07 को अनुस्मारक भेजा गया।	
17.	मध्य प्रदेश	श्री रमेश जाटव और जनपद पंचायत, विजयपुर, ग्राम पंचायत गोनहारा, जिला शियोपुर, मध्य प्रदेश के निवासी तथा अन्य	ग्राम पंचायत, गोनहारा के अध्यक्ष तथा सचिव द्वारा जाली जॉब कार्ड, मस्टर रोल जारी करना।	19.9.07 को राज्य सरकार को अग्रेषित किया गया। 28.11.07 को अनुस्मारक भेजा गया।	

1	2	3	4	5	6
18.	मध्य प्रदेश	श्री हेमेंद्र सिंह, ग्राम तथा पीओ धनोरा, जनपद पंचायत, पंढहाना, जिला खंडवा	मजदूरी का कम भुगतान, कार्यस्थल पर मशीनों का उपयोग ठेकेदारों को काम दिया जा रहा है, जॉब कार्डों में हैराफेर करके फर्जी भुगतान तथा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में एनआरईजीए के कार्यान्वयन में अनियमितताएं।	19.9.07 को राज्य सरकार को अग्रषित किया गया। 28.11.07 को अनुस्मारक भेजा गया।	
19.	मध्य प्रदेश	श्री प्रवीण राष्ट्रपाल, संसद सदस्य, राज्य सभा	मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी जॉब कार्डों में एनआरईजीए का नाम का एमपी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के रूप में उल्लेख किया जा रहा है।	15.10.07 को राज्य सरकार को अग्रेषित किया गया। 28.11.07 को अनुस्मारक भेजा गया।	
20.	मध्य प्रदेश	श्री सीता प्रसाद माझी, अध्यक्ष जनपद पंचायत, अमरपाटन	17 जिले में अमरपाटन में जल संसाधन विभाग के कर्मचारियों द्वारा अनियमितताएं तथा भ्रष्टाचार।	4.10.07 को राज्य सरकार को अग्रेषित किया गया। 28.11.07 को अनुस्मारक भेजा गया।	
21.	मध्य प्रदेश	श्री ब्रजभूषण तिवारी संसद सदस्य राज्य सभा	एनआरईजीए के कार्यान्वयन में सतना जिले की खांच ग्राम पंचायत के अध्यक्ष द्वारा भ्रष्टाचार।	9.10.07 को राज्य सरकार को अग्रेषित किया गया। 28.11.07 को अनुस्मारक भेजा गया।	
22.	मध्य प्रदेश	प्रो. रामगोपाल यादव, संसद सदस्य, लोक सभा	बेतुल जिले में कार्य का आबंटन न करना तथा बेरोजगारी भत्ते का भुगतान न करना।	12.10.07 को राज्य सरकार को अग्रेषित किया गया। 28.11.07 को अनुस्मारक भेजा गया।	
महाराष्ट्र					
1.	महाराष्ट्र	श्री हंसराज ग. अहीर, सांसद (लोक सभा)	चन्द्रपुर जिले में मजदूरी के भुगतान में भ्रष्टाचार	जांच, आवश्यक कार्रवाई करने तथा मंत्रालय को रिपोट भेजने के लिए 9.6.2006 को राज्य सरकार को अग्रेषित की गई। राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त होना है। पहला अनुस्मारक 15.9.06 को, दूसरा अनुस्मारक 4.1.07 को, तीसरा अनुस्मारक 23.3.07 को, चौथा अनुस्मारक 16.7.07 को, पांचवां अनुस्मारक 22.8.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 22.11.07 को भेजा गया।	

1	2	3	4	5	6
2.	महाराष्ट्र	श्री ए. विजय राघवन, सांसद (राज्य सभा)	नन्दूबार जिले में मजदूरों को कम मजदूरी का भुगतान	जांच, आवश्यक कार्रवाई करने तथा मंत्रालय को रिपोर्ट भेजने के लिए 13.7.2006 को राज्य सरकार को की गई। राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त होना है। पहला अनुस्मारक 15.9.06 को, दूसरा अनुस्मारक 4.1.07 को, तीसरा अनुस्मारक 23.3.07 को, चौथा अनुस्मारक 16.7.07 को, पांचवां अनुस्मारक 22.8.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 22.11.07 को भेजा गया।	
3.	महाराष्ट्र	श्री हंसराज गं. अहीर, सांसद (लोक सभा)	एनआरईजीए के अंतर्गत कम मजदूरी दर, अनियमितताएं तथा अनुचित कार्यान्वयन	14.6.2006 को राज्य सरकार को अग्रेषित की गई। राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त होना है। पहला अनुस्मारक 16.7.06 को तथा दूसरा अनुस्मारक 22.2.07 को भेजा गया।	राज्य सरकार ने सरकार के दि. 24.4.07 के संकल्प के माध्यम से न्यूनतम मजदूरी दर को 47.00 रु. से बढ़ाकर 66.00 रु. दिया है। जहां तक महाराष्ट्र में एनआरईजीए के अंतर्गत कम मजदूरी दिए जाने तथा अनुचित कार्यान्वयन की शिकायत का संबंध है, राज्य कबीना मंत्री ने माननीय सांसद को उत्तर दे दिया है।
4.	महाराष्ट्र	श्री हंसराज जी. अहीर सांसद (लोक सभा)	महाराष्ट्र में एनआरईजीए के कार्यान्वयम में भ्रष्टाचार तथा मजदूरी को 100 रु. से बढ़ाकर 125 रु. किया जाना	14.6.2006 को राज्य सरकार को अग्रेषित की गई। पहला अनुस्मारक 22.8.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 22.11.07 को भेजा गया।	
5.	महाराष्ट्र	श्री अनंत एम. गूढे सांसद (लोक सभा)	महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, महाराष्ट्र की जगह महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार योजना नाम दिए जाने के संबंध में शिकायत	19.9.2007 को राज्य सरकार को अग्रेषित की गई। 22.11.07 को अनुस्मारक भेजा गया।	

1	2	3	4	5	6
मिजोरम					
1.	मिजोरम	श्री लालमिंग चौंगा गांव/पो. सियाचंगकांव, बील–सांगू, जि. लौंगतई, मिजोरम	ब्लॉक सांगू, जिला–लौंगतई में एनआरईजीए रिकार्डों का रखरखाव न किया जाना और जॉब कार्ड जारी न किया जाना।	राज्य सरकार को 19.09.07 को भेजा गया। अनुस्मारक 22.11.07 को भेजा गया।	
उड़ीसा					
1.	उड़ीसा	श्री चन्द्रशेखर साहू, श्रम और रोजगार राज्य मंत्री	एनआरईजीए का अनुचित कार्यान्वयन।	राज्य सरकार को जांच, आवश्यक कार्रवाई करने तथा मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट भेजने के लिए 12.7.06 को अग्रेषित की गई। राज्य सरकार से उत्तर प्रतीक्षित। पहला अनुस्मारक 15.9.06 को, दूसरा अनुस्मारक 04.01.07 को, तीसरा अनुस्मारक 23.3.07 को, चौथा अनुस्मारक 16.07.07 को, पांचवां अनुस्मारक 22.08.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।	
2.	उड़ीसा	उड़ीसा के दौरे के दौरान राज्य मंत्री के ध्यान में लाया गया परिपत्र	पंचायत राज विभाग में कनिष्ठ इंजीनियरों द्वारा एनआरईजीएस कार्यों का कार्यान्वयन।	राज्य सरकार को 06.06.07 को अग्रेषित की गई। राज्य सरकार से उत्तर प्रतीक्षित। पहला अनुस्मारक 16.07.07 को, दूसरा अनुस्मारक 22.08.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।	
3.	उड़ीसा	श्री नभकुमार मिश्रा, वकील	एनआरईजीए के अंतर्गत जानबूझकर अनदेखी की गई तथा अनियमितताएं हुई।	राज्य सरकार को जांच, आवश्यक कार्रवाई करने तथा मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट भेजने के लिए 05.07.06 को अग्रेषित की गई। राज्य सरकार	

1	2	3	4	5	6
				से उत्तर प्रतीक्षित। पहला अनुस्मारक 15.9.06 को, दूसरा अनुस्मारक 04.01.07 को, तीसरा अनुस्मारक 23.3.07 को, चौथा अनुस्मारक 16.07.07 को, पांचवा अनुस्मारक 22.08.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 का भेजा गया।	
4.	उड़ीसा	श्री ज्ञानेश्वर मांझी, वार्ड सदस्य	एनआरईजीए के अंतर्गत सार्वजनिक संपत्ति का दुरूपयोग।	राज्य सरकार को जांच, आवश्यक कार्रवाई करने तथा मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट भेजने के लिए 16.01.07 को अग्रेषित की गई। राज्य सरकार से उत्तर प्रतीक्षित। पहला अनुस्मारक 23.3.07 को, दूसरा अनुस्मारक 16.7.07 को, तीसरा अनुस्मारक 22.08.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।	
5.	उड़ीसा	सचिव, एनआरईजीए समिति, नवरंगपुर	श्री सर्वेश्वर राउत्रे द्वारा एनआरईजीए निधियों का दुर्विनियोजन।	राज्य सरकार को जांच, आवश्यक कार्रवाई करने तथा मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट भेजने के लिए 16.01.07 को अग्रेषित की गई। राज्य सरकार से उत्तर प्रतीक्षित। पहला अनुस्मारक 23.3.07 को, दूसरा अनुस्मारक 16.7.07 को, तीसरा अनुस्मारक 22.08.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।	
6.	उड़ीसा	11.2.07 को "संबंध" में छपा समाचार	उड़ीसा में एनआरईजीए के कार्यान्वयन में अनियमितताएं।	राज्य सरकार को 06.06.07 को अग्रेषित की गई। राज्य सरकार से उत्तर प्रीक्षित। पहला अनुस्मारक 16.07.07 को, दूसरा अनुस्मारक 22.08.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।	

1	2	3	4	5	6
7.	उड़ीसा	श्री गिरिधर गमांग, सांसद (लोक सभा)	एनआरईजीएस, आईएवाई और पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन में उड़ीसा सरकार द्वारा गलत कार्यपद्धति अपनाए जाने का आरोप।	राज्य सरकार को 04.06.07 को अग्रेषित की गई। पहला अनुस्मारक 22.08.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।	
8.	उड़ीसा	श्री आर. सी. खुटिया, पूर्व सांसद, सचिव, एआईसीसी, नई दिल्ली	जनता के बीच एनआरईजीए के बारे में राज्य सरकार की योजना के रूप में गलत प्रचार करने का आक्षेप।	राज्य सरकार को 24.08.07 को अग्रेषित की गई। पहला अनुस्मारक 22.08.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।	
9.	उड़ीसा	श्री जयदेव जेना, विधायक और अध्यक्ष, उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस समिति, भुवनेश्वर	उड़ीसा के क्योंझर जिले में जोड़ा ब्लॉक के अंतर्गत घमकपुर ग्राम पंचायत के लौना पाटनी गांव में एनआरईजीए के अंतर्गत जॉब कार्ड जारी न किए जाने का आरोप।	राज्य सरकार को 19.09.07 को अग्रेषित की गई। अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।	
10.	उड़ीसा	श्री सनातन बीसी, पूर्व सांसद (राज्य सभा), संबलपुर, उड़ीसा	यह जानकारी मांगना कि क्या केन्द्रीय प्रतिनिधियों ने उड़ीसा के केबीके जिलों में पंचायत स्तरों पर मस्टर रॉल सहित जॉब कार्डों की जांच की है?	राज्य सरकार को 21.09.07 को अग्रेषित की गई। अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।	
राजस्थान					
1.	राजस्थान	डा. डी.बी. काला, विधायक	एनआरईजीए के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार तथा अनियमितता	8.5.06 को राज्य सरकार को जांच, आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भेजा गया ताकि इस मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी जा सके। उनके उत्तर की प्रतीक्षा है। 15.9.06 को एक अनुस्मारक भेजा गया। दूसरा अनुस्मारक 4.1.07 को भेजा गया। तीसरा अनुस्मारक 23.3.07, चौथा 16.7.07 तथा अंतिम अनुस्मारक 22.08.07 को भेजा गया।	राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि एनआरईजीए के संशोधन के बाद पहले से चल रही राजस्थान आरईजीएस योजना का नाम अब एनआरईजीएस है। अन्य शिकायतों के बारे में उन्होंने बताया है कि वे बेबुनियाद हैं तथा राजस्थान में एनआरईजीए के कार्यान्वयन में अनियमितताएं नहीं हैं।

1	2	3	4	5	6
2.	राजस्थान	श्री चन्द्रसिंह कोठारी, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस समिति, उदयपुर	राजस्थान में भ्रष्टाचार तथा एनआरईजीए का अनुचित कार्यान्वयन	1.09.06 को राज्य सरकार को जांच, आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भेजा गया ताकि इस मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी जा सके। उनके उत्तर की प्रतीक्षा है। 15.9.06 को एक अनुस्मारक भेजा गया। दूसरा अनुस्मारक 4.1.07 को भेजा गया। तीसरा अनुस्मारक 23.3.07, चौथा 16.7.07 तथा अतिम अनुस्मारक 22.08.07 को भेजा गया।	योजना में 8 बिंदुओं में से 5 बिंदु सराहनीय हैं। शेष बिन्दु में से 1 बिन्दु सभी जनजातीय परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाने के बारे में जो कि संभव नहीं है क्योंकि यह योजना सभी ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए है न कि केवल जनजातीय परिवारों को। अधिनियम में संशोधन के बाद योजना का नाम अब एनआरईजीए है।
3.	राजस्थान	श्री राजेश संघवी प्रसाद, डीवाईएफआई, जिला समिति, उदयपुर	राजस्थान में भ्रष्टाचार तथा एनआरईजीए का अनुचित कार्यान्वयन	26.7.07 को राज्य सरकार को भेजा गया। उत्तर की प्रतीक्षा है। 22.08.07 को अनुस्मारक भेजा गया।	पीस–रेट मानदंड न होने के कारण मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से भी कम दी जा रही है। इसलिए शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए योजना में कोई प्रावधान नहीं है।
4.	राजस्थान	श्री रघुराज सिंह, अध्यक्ष जिला कांग्रेस समिति, झालावाड़	राजस्थान में भ्रष्टाचार तथा एनआरईजीए का अनुचित कार्यानवयन	26.7.07 को राज्य सरकार को भेजा गया। उत्तर की प्रतीक्षा है। 22.8.07 को अनुस्मारक भेजा गया।	शिकायतों के 5 बिंदुओं में से 4 बिंदु राज्य ग्रामीण विकास से संबंधित नहीं है। जहां तक 5वें बिन्दु का प्रश्न है उसमें कोई अनियमितता नहीं है।
5.	राजस्थान	श्री चमना राम मीणा, सरपंच ग्राम पंचायत, वीरवाड़ा सिरोही	सचिव तथा विकास अधिकारी द्वारा उनकी जानकारी के बिना एनआरईजीए के अंतर्गत एमजीबी बैंक से चैक संख्या 1408261 के माध्यम से 193600 रुपये का भुगतान	26.7.07 को राज्य सरकार को भेजा गया। उत्तर की प्रतीक्षा है। 22.8.07 को अनुस्मारक भेजा गया।	डीसी सिरोही के उत्तर के अभाव में अंतिम उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।
6.	राजस्थान	श्री अशोक गहलोत, महासचिव, एआईसीसी	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में अनियमितताएं, जिला–बांसवाड़ा, राजस्थान	शिकायत 10.9.2007 को राज्य सरकार को अग्रेषित की गई।	

1	2	3	4	5	6
7.	राजस्थान	अध्यक्ष, पंचायत समिति, नवलगढ़, झुनझुनु, राजस्थान	चिराना ग्राम पंचायत, नवलगढ़, झुनझुनु, राजस्थान में सड़कों के निर्माण में घटिया/अनुपयुक्त सामग्री के प्रयोग के संबंध में शिकायत	शिकायत 19.9.2007 को राज्य सरकार को अग्रेषित की गई।	
तमिलनाडु					
1.	तमिलनाडु	डा. के. धनराजू, सांसद (लोक सभा)	तमिलनाडु में, तमिलनाडु सरकार ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को एनआरईजीए के रूप में पुनः कायम किए जाने की जरूरत।	राज्य सरकार को जांच, आवश्यक कार्रवाई करने तथा मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट भेजने के लिए 23.08.06 को अग्रेषित की गई। एक अनुस्मारक 23.3.07 को भेजा गया। राज्य सरकार से उत्तर प्रतीक्षित। पहला अनुस्मारक 15.9.06 को, दूसरा अनुस्मारक 23.3.07 को, तीसरा अनुस्मारक 16.7.07 को, चौथा अनुस्मारक, 22.08-07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 22.11.07 को भेजा गया।	
2.	तमिलनाडु	श्री एम. वेणुगोपाल, उपाध्यक्ष	एनआरईजीए निधियों का दुरुपयोग।	राज्य सरकार को 14.06.07 को अग्रेषित। राज्य सरकार से उत्तर प्रतीक्षित। पहला अनुस्मारक 16.7.07 को, दूसरा अनुस्मारक 22.08.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 22.11.07 को भेजा गया।	
उत्तर प्रदेश					
1.	उत्तर प्रदेश	श्री इलियास आजमी, सांसद (लोक सभा)	राज्य सरकार को जांच, आवश्यक कार्रवाई करने तथा मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट भेजने के लिए 17.04.06 को अग्रेषित की गई। पांचवों अनुस्मारक 26.07.07 को सचिव द्वारा मुख्य सचिव को भेजा गया। छठा अनुस्मारक 22.08.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।		

1	2	3	4	5	6
2.	उत्तर प्रदेश	श्री जी. सी. दिनकर, विधायक	राज्य सरकार को जांच, आवश्यक कार्रवाई करने तथा मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट भेजने के लिए 09.06.06 को अग्रेषित की गई। राज्य सरकार से उत्तर प्रतीक्षित। पहला अनुस्मारक 15.9.06 को, दूसरा अनुस्मारक 04.01.07 को, तीसरा अनुस्मारक 23.3.07 को, चौथा अनुस्मारक 16.07.07 को, पांचवां अनुस्मारक 22.08.2007 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।		
3.	उत्तर प्रदेश	श्री लालचंद कौल, सांसद (लोक सभा)	राज्य सरकार को जांच, आवश्यक कार्रवाई करने तथा मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट भेजने के लिए 28.06.06 को अग्रेषित की गई। पहला अनुस्मारक 15.9.06 को दूसरा अनुस्मारक 04.01.07 को, तीसरा अनुस्मारक 23.3.07 को, चौथा अनुस्मारक 16.07.07 को, पांचवों अनुस्मारक 22.08.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।		
4.	उत्तर प्रदेश	श्री श्यामचरण गुप्त, सांसद (लोक सभा)	राज्य सरकार को जांच के लिए अग्रेषित की गई। राज्य सरकार से उत्तर प्रतीक्षित। पहला अनुस्मारक 15.09.06 को, दूसरा अनुस्मारक 04.01.07 को, तीसरा अनुस्मारक 23.3.07 को, चौथा अनुस्मारक 16.07.07 को, पांचवां अनुस्मारक 22.08.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।		
5.	उत्तर प्रदेश	श्री प्रवीण राष्ट्रपाल, सांसद (राज्य सभा)	राज्य सरकार को 16.11.06 को अग्रेषित की गई। राज्य सरकार से उत्तर प्रतीक्षित। पहला अनुस्मारक 04.01.07 को, दूसरा अनुस्मारक 23.3.07 को, तीसरा अनुस्मारक 16.07.07 को चौथा अनुस्मारक 22.08.07 को, पांचवां अनुस्मारक 15.10.2007 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया। 24.10.07 को एनएलएम की तैनाती की गई। उसके रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।		
6.	उत्तर प्रदेश	श्री अशोक गहलोत, महासचिव, एआईसीसी	राज्य सरकार को 23.01.07 को अग्रेषित की गई। राज्य सरकार से उत्तर प्रतीक्षित। पहला अनुस्मारक 23.3.07 को, दूसरा अनुस्मारक 16.07.07 को, तीसरा अनुस्मारक 22.08.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया। 24.10.07 को एनएलएम की तैनाती की गई। उसके रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।		
7.	उत्तर प्रदेश	श्री अशोक गहलोत, महासचिव, एलआईसीसी	राज्य सरकार को 23.01.07 को अग्रेषित की गई। राज्य सरकार से उत्तर प्रतीक्षित। पहला अनुस्मारक 23.3.07 को, दूसरा अनुस्मारक 17.07.07 को, तीसरा अनुस्मारक 22.08.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया। 24.10.07 को एनएलएम की तैनाती की गई। उसके रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।		
8.	उत्तर प्रदेश	श्री शैलेन्द्र कुमार, सांसद (लोक सभा)	राज्य सरकार को 21.09.07 को अग्रेषित की गई। अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।		

1	2	3	4	5	6
9.	उत्तर प्रदेश	श्री जी. सी. दिनकर, विधायक, बसपा	राज्य सरकार को 23.01.07 को अग्रेषित की गई। राज्य सरकार से उत्तर प्रतीक्षित। पहला अनुस्मारक 23.3.07 को, दूसरा अनुस्मारक 16.07.07 को, तीसरा अनुस्मारक 22.08.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।		
10.	उत्तर प्रदेश	श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद, सांसद (लोक सभा)	राज्य सरकार को 07.09.06 को अग्रेषित की गई। राज्य सरकार से उत्तर प्रतीक्षित। पहला अनुस्मारक 15.9.06 को, दूसरा अनुस्मारक 23.3.07 को, तीसरा अनुस्मारक 16.07.07 को, चौथा अनुस्मारक 22.08.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया। 24.10.07 को एनएलएम की तैनाती की गई। उसके रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।		
11.	उत्तर प्रदेश	श्री जी. सी. दिनकर विधायक बबेरू	राज्य सरकार को 15.02.07 को अग्रेषित की गई। राज्य सरकार से उत्तर प्रतीक्षित। पहला अनुस्मारक 23.3.07 को, दूसरा अनुस्मारक 16.07.07 को, तीसरा अनुस्मारक 22.08.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया। 24.10.07 को एनएलएम की तैनाती की गई। उसके रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।		
12.	उत्तर प्रदेश	श्री जी. सी. दिनकर, विधायक बांदा	राज्य सरकार को 25.05.07 को अग्रेषित की गई। राज्य सरकार से उत्तर प्रतीक्षित। पहला अनुस्मारक 16.07.07 को, दूसरा अनुस्मारक 22.08.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।		
13.	उत्तर प्रदेश	श्री प्रवीण राष्ट्रपाल, सांसद (राज्य सभा)	राज्य सरकार को 06.06.07 को अग्रेषित की गई। राज्य सरकार से उत्तर प्रतीक्षित। पहला अनुस्मारक 16.07.07 को, दूसरा अनुस्मारक 22.08.07 को, तीसरा 15.10.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।		
14.	उत्तर प्रदेश	श्री चित्रांगढ़ यादव	राज्य सरकार को जांच, आवश्यक कार्रवाई करने तथा मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट भेजने के लिए 09.06.2006 को अग्रेषित की गई। पहला अनुस्मारक 04.01.07 को, दूसरा अनुस्मारक 23.3.2007 को, तीसरा अनुस्मारक 16.07.07 को, चौथा अनुस्मारक 22.08.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 भेजा गया।		
15.	उत्तर प्रदेश	सुश्री राज कुमारी प्रधान	राज्य सरकार को जांच, आवश्यक कार्रवाई करने तथा मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट भेजने के लिए 21.07.06 को अग्रेषित की गई। राज्य सरकार से उत्तर प्रतीक्षित। पहला अनुस्मारक 15.09.06 को, दूसरा अनुस्मारक 04.01.078 को, तीसरा अनुस्मारक 23.3.07 को, चौथा अनुस्मारक 16.07.07 को, पांचवां अनुस्मारक 22.08.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।		

1	2	3	4	5	6
16.	उत्तर प्रदेश	श्री धर्मेन्द्र देव पांडे	राज्य सरकार को जांच, आवश्यक कार्रवाई करने तथा मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट भेजने के लिए 21.07.06 को अग्रेषित की गई। राज्य सरकार से उत्तर प्रतीक्षित। दूसरा अनुस्मारक 04.01.07 को, तीसरा अनुस्मारक 23.3.07 को, चौथा अनुस्मारक 11.07.07 को, पांचवां अनुस्मारक 22.08.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 22.11.07 को भेजा गया।		
17.	उत्तर प्रदेश	श्री वी. के. पांडे, अध्यक्ष ग्राम प्रधान संगठन	राज्य सरकार को 08.01.07 को अग्रेषित की गई। राज्य सरकार से उत्तर प्रतीक्षित। पहला अनुस्मारक 23.3.07 को, दूसरा अनुस्मारक 16.7.07 को, तीसरा 22.08.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।		
18.	उत्तर प्रदेश	बाराबंकी जिले के प्रधान	राज्य सरकार को 08.01.07 को अग्रेषित की गई। राज्य सरकार से उत्तर प्रतीक्षित। पहला अनुस्मारक 23.03.07 को, दूसरा अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा था।		
19.	उत्तर प्रदेश	श्री तेज नारायण और विकास खण्ड सिंहपुर, अमेठी के अन्य निर्धन श्रमिक	राज्य सरकार को 23.01.07 को अग्रेषित की गई। राज्य सरकार से उत्तर प्रतीक्षित। पहला अनुस्मारक 23.03.07 को, दूसरा अनुस्मारक 16.07.07 को, तीसरो 22.08.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।		
20.	उत्तर प्रदेश	श्री कमलेश कुमार, बांदा	राज्य सरकार को 23.01.07 को अग्रेषित की गईं। राज्य सरकार से उत्तर प्रतीक्षित। पहला अनुस्मारक 23.03.07 को, दूसरा अनुस्मारक 16.07.07 को, तीसरो 22.08.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।		
21	उत्तर प्रदेश	उमेश बहादुर सिंह, अध्यक्ष वाईसीसी, रायबरेली	राज्य सरकार को 15.02.07 को अग्रेषित की गई। राज्य सरकार से उत्तर प्रतीक्षित। पहला अनुस्मारक 23.03.07 को, दूसरा अनुस्मारक 16.07.07 को, तीसरो 22.08.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।		
22	उत्तर प्रदेश	श्री मनोज कुमार द्विवेदी अध्यक्ष, ग्राम प्रधान सभा	राज्य सरकार को 25.05.07 को अग्रेषित की गई। राज्य सरकार से उत्तर प्रतीक्षित। पहला अनुस्मारक 16.07.07 को, दूसरा अनुस्मारक 22.08.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।		

1	2	3	4	5	6
21	उत्तर प्रदेश	उमेश बहादुर सिंह, अध्यक्ष बीवाईसीसी, रायबरेली	राज्य सरकार को 15.02.07 को अग्रेषित की गई। राज्य सरकार से उत्तर प्रतीक्षित। पहला अनुस्मारक 23.03.07 को, दूसरा अनुस्मारक 16.07.07 को, तीसरो 22.08.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।		
22.	उत्तर प्रदेश	श्री मनोज कुमार द्विवेदी अध्यक्ष, ग्राम प्रधान सभा	राज्य सरकार को 25.05.07 को अग्रेषित की गई। राज्य सरकार से उत्तर प्रतीक्षित। पहला अनुस्मारक 16.07.07 को, दूसरा अनुस्मारक 22.08.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।		
23.	उत्तर प्रदेश	श्री अवधेश कुमार सिंह अध्यक्ष, ग्राम प्रधान सभा	राज्य सरकार को 25.05.07 को अग्रेषित की गई। राज्य सरकार से उत्तर प्रतीक्षित। पहला अनुस्मारक 16.07.07 को, दूसरा अनुस्मारक 22.08.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।		
24.	उत्तर प्रदेश	श्री राम गणेश प्रजापति सदस्य, यूपीसीसी	राज्य सरकार को 25.05.07 को अग्रेषित की गई। राज्य सरकार से उत्तर प्रतीक्षित। पहला अनुस्मारक 16.07.07 को, दूसरा अनुस्मारक 22.08.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।		
25.	उत्तर प्रदेश	श्री पुष्पेन्द्र सिंह, अध्यक्ष डीसीसी, चित्रकूट	राज्य सरकार को 15.06.07 को अग्रेषित की गई। राज्य सरकार से उत्तर प्रतीक्षित। पहला अनुस्मारक 16.07.07 को, दूसरा अनुस्मारक 22.08.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।		
26.	उत्तर प्रदेश	श्री अशोक गहलोत, महासचिव, एआईसीसी	राज्य सरकार को 25.05.07 को अग्रेषित की गई। पहला अनुस्मारक 22.08.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।		
27.	उत्तर प्रदेश	श्री जी. सी. दिनकर, विधायक, उत्तर प्रदेश विधान सभा	राज्य सरकार को 25.05.07 को अग्रेषित की गई। पहला अनुस्मारक 22.08.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।		
28.	उत्तर प्रदेश	श्री श्याम सिंह पटेल, विधायक, उत्तर प्रदेश विधान सभा	राज्य सरकार को 05.09.07 को अग्रेषित की गई। अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया। 24.10.07 को एनएलएम की तैनाती की गई। उसके रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।		
29.	उत्तर प्रदेश	श्री अशोक गहलोत महासचिव, एआईसीसी	राज्य सरकार को 05.09.07 को अग्रेषित की गई। अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।		
30.	उत्तर प्रदेश	श्री जयकरण सिंह गौड़	राज्य सरकार को 05.09.07 को अग्रेषित की गई। अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।		
31.	उत्तर प्रदेश	आऊटलूक में 23.04.07 को प्रकाशित समाचार	राज्य सरकार को 05.09.07 को अग्रेषित की गई। अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।		

1	2	3	4	5	6
32.	उत्तर प्रदेश	श्री शैलेन्द्र कुमार, सांसद (लोक सभा)	राज्य सरकार को 21.09.07 को अग्रेषित की गई। अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।		
33.	उत्तर प्रदेश	श्री मित्रसेन यादव, सांसद (लोक सभा)	राज्य सरकार को 19.10.07 को अग्रेषित की गई। अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।		
34.	उत्तर प्रदेश	श्री कुंवर अक्षयप्रताप सिंह (लोक सभा)	राज्य सरकार को 22.10.07 को अग्रेषित की गई। अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।		
प. बंगाल					
1.	प. बंगाल	सुश्री रंजीता खापांगी	जलपाईगुड़ी जिले में एनआरईजीए के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार, भाई–भतीजावाद तथा पारदर्शिता की कमी	राज्य सरकार को 24.05.07 को अग्रेषित की गई। राज्य सरकार से उत्तर प्रतीक्षित है। पहला अनुस्मारक 16.07.07 को, दूसरा अनुस्मारक 22.08.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 28.11.07 को भेजा गया।	
2.	पं. बंगाल	08.11.06 के "न्यूज लाइन" में प्रकाशित रिपोर्ट	प. बंगाल में पंचायतें पंजीकरण के बिना जॉब कार्ड जारी कर रही हैं, जिसके कारण मजदूरी के इच्छुक व्यक्ति न तो कार्य के लिए दावा कर सकते हैं और न ही भत्ते का दावा कर सकते हैं।	राज्य सरकार को जांच, आवश्यक कार्रवाई करने तथा मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट भेजने के लिए 02.02.07 को अग्रेषित की गई है। राज्य सरकार से उत्तर प्रतीक्षित। पहला अनुस्मारक 23.3.07 को, दूसरा अनुस्मारक 16.07.07 को, तीसरा अनुस्मारक 22.08.07 को तथा अंतिम अनुस्मारक 22.11.07 को भेजा गया।	
3.	पं. बंगाल	श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी सांसद लोकसभा का दिनांक 8.8.07 का पत्र	पानीगहाटा पंचायत, कालीगंज ब्लॉक, जिला नादिया द्वारा कम मजदूरी का भुगतान और पर्याप्त कार्य न दिया जाना।	राज्य सरकार को 07.09.07 को भेजा गया। अनुस्मारक 22.11.07 को भेजा गया।	
4.	पं. बंगाल	श्री समन पाठक, सांसद राज्य सभा का पत्र दिनांक 21.8.07	दार्जिलिंग में एनआरईजीए का कार्यान्वयन	राज्य सरकार को 07.09.07 को भेजा गया। अनुस्मारक 22.11.07 को भेजा गया।	राज्य सरकार से प्राप्त 16.11.07 के उत्तर में बताया गया है कि चूंकि वर्तमान में दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में कोई चुनी हुई ग्राम पंचायत एवं पहाड़ी परिषद नहीं है, इसलिए दार्जीलिंग गोरखा हिल परिषद के पहाड़ी क्षेत्रों में एनआरईजीए के परिचालन के लिए एक अलग व्यवस्था की गई है।

1	2	3	4	5	6
5.	प. बंगाल	पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति, कोलकाता	द. चौबीस परगना जिला में एनआरईजीए संबंधी 502 शिकायतें।	12.06.07 की शिकायत राज्य सरकार को 10.09.07 को भेजी गई। अनुस्मारक 22.11.07 को भेजा गया।	
6.	प. बंगाल	श्री आर. सी. खुंटिया सचिव, एआईसीसी	द. चौबीस परगना जिला में एनआरईजीए का कार्यान्वयन न किया जाना।	23.08.07 को प्राप्त शिकायत राज्य सरकार को 10.09.07 को भेजी गई। अनुस्मारक 22.11.07 को भेजा गया।	
7.	प. बंगाल	श्री अधिर रंजन चौधरी, सांसद (लोकसभा)	लाभार्थियों के पंजीकरण हेतु आवेदनों पर असंतोषजनक कार्रवाई, बेरोजगारी भत्ते का भुगतान न किया जाना और एनआरईजीए के तहत कार्य आबंटित न किया जाना।	राज्य सरकार को 10.09.07 को भेजा गया। अनुस्मारक 22.11.07 को भेजा गया।	
8.	प. बंगाल	श्री पी. आर. दासमुंशी सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्यमंत्री	चंचल पीएस, भगवानपुर, जिला मालदा ने एनआरईजीएस में भाई-भतीजावाद एवं भ्रष्टाचार।	राज्य सरकार को 21.11.07 को भेजा गया। अनुस्मारक 22.11.07 को भेजा गया।	
9.	प. बंगाल	प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा अग्रेषित श्री अजीजुपर रहमान, निवासी ग्राम पेजोल, पो. परहारीपुर, थाना-इताहार, जिला-उ. दिनाजपुर, प. बंगाल का पत्र दिनांक 31.8.07	प्रधान, सुरन-1 ग्राम पंचायत, जिला उ. दिनाजपुर, पं. बंगाल द्वारा मजदूरी का भुगतान न किया जाना और भ्रष्टाचार।	राज्य सरकार को 05.11.07 को भेजा गया। अनुस्मारक 22.11.07 को भेजा गया।	
10.	प. बंगाल	माननीय प्रधानमंत्री को संबोधित श्री ए. एच. खान चौधरी, सांसद लोकसभा का दिनांक 26.10.07 का पत्र	जिला मालदा में एनआरईजीएस के अंतर्गत जॉब कार्डधारकों को कार्य देने में धीमी प्रगति बेरोजगारी भत्ते का भुगतान न किया जाना और इस संबंध में उनके द्वारा जिला प्राधिकारियों तथा राज्य सरकारों को भेजे पत्रों का उत्तर न दिया जाना।	राज्य सरकार को .11.07 को भेजा गया। अनुस्मारक 22.11.07 को भेजा गया।	

चीनी मिलों को ऋण

3145. श्री रशीद मसूद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने चीनी उद्योगों को उबारने के लिए चीनी मिलों को आसान किश्तों पर ऋण देने संबंधी कोई नीति बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) सरकार ने, दिनांक 1 मई, 2007 से एक वर्ष के लिए 20 लाख टन चीनी का एक बफर स्टॉक (सुरक्षित भंडार) बनाया है जिसमें चीनी विकास निधि से ली गई 378 करोड़ रुपए की बफर सब्सिडी सम्मिलित है। बफर स्टॉक बनाने में बैंक चीनी मिलों को अतिरिक्त ऋण प्रदान करता है क्योंकि सुरक्षित भंडार के लिए मार्जिन राशि नहीं रखी जाती है। तदनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 11 जुलाई, 2007 के अपने परिपत्र डीबीओडी. बीपी. बीसी. सं. 20/8.07.06/2007–08 के द्वारा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अनुदेश दिया है कि मार्जिन राशि को संबंधित चीनी मिलों को अतिरिक्त ऋण के रूप में जारी करें, यह राशि 420 करोड़ रुपए आंकी गई है।

[अनुवाद]

निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए विधान

3146. श्रीमती सुशीला बंगारू लक्ष्मण: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने केन्द्र सरकार के अनुमोदन से वित्तीय संस्थाओं में निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए कानून बनाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राजस्थान सरकार का ऐसा ही विधेयक केन्द्र सरकार के अनुमोदन के लिए लंबित है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नई दिल्ली, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तराखंड की सरकारों ने जमाकर्ताओं के हितों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ कानून बनाएं हैं।

(ख) और (ग) गृह मंत्रालय ने राजस्थान सरकार को संकेत दिया है कि यदि भारत के संविधान के अधिकारातीत महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हित संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठान में) अधिनियम, 1999 को बनाए रखते हुए महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के आदेश पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा विशेष अनुमति याचिका में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के साथ राजस्थान जमाकर्ताओं के हित संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठानों में) विधेयक, 2005 की जांच की जाती है तो उपयुक्त होगा।

एन.आर.ई.जी.एस. में पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी

3147. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार की जानकारी में यह बात आयी है कि कतिपय राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एन.आर.ई.जी.एस.) के क्रियान्वयन से दूर रखा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) और (ख) जी, नहीं। एनआरईजी अधिनियम, 2005 की धारा 13(1) के अनुसरण में जिला, मध्यवर्ती तथा ग्राम स्तर की पंचायतें इस अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई योजनाओं के नियोजन तथा कार्यान्वयन के लिए प्रधान प्राधिकरण होंगी। इस अधिनियम की धारा 16 के अनुसार कार्यान्वयन प्रक्रिया में ग्राम पंचायतों को केन्द्रीय भूमिका सौंपी गई है। वे कार्यों की योजना बनाने, परिवारों का पंजीकरण करने, जॉब कार्ड जारी करने, रोजगार आबंटित करने, लागत के आधार पर कम से कम 50% कार्य निष्पादित करने तथा ग्राम स्तर पर योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

[हिन्दी]

श्रेणी III और IV के कर्मचारियों की घटती संख्या

3148. श्री काशीराम राणा :

श्री गिरिधारी यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 में सरकारी विभागों में श्रेणी IV और श्रेणी III कर्मचारियों की संख्या कितनी थी और आज की तिथि के अनुसार कितनी है;

(ख) क्या सरकारी विभागों में श्रेणी IV और श्रेणी III के कर्मचारियों की संख्या धीरे-धीरे घट रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसे कर्मचारियों की घटती संख्या का सरकारी प्रशासन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) रिकार्डों के अनुसार वर्ष 1990 ओर 2005 में IV और III श्रेणी के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है:–

	श्रेणी III	श्रेणी IV
31.3.90 की स्थिति के अनुसार	17,74,005	16,39,62
1.3.05 की स्थिति के अनुसार	19,94,449	8,60,319

(ख) संख्या में कमी केवल श्रेणी IV कर्मचारियों के मामले में आई है।

(ग) और (घ) अपनी रिक्तियों की नियमित तौर पर समीक्षा करना और उन समीक्षाओं के संदर्भ में आवश्यक कदम उठाना सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए अपेक्षित होता है। प्रावधान है कि सरकारी विभागों द्वारा रिक्तियों को भरा जाए बशर्ते कि मौजूदा दिशा–निर्देशों और मामले से संबंधित नियम इसकी अनुमति देते हों।

[अनुवाद]

बंगलौर मेट्रो रेल परियोजना में विलम्ब

3149. श्री एम. शिवन्ना : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन (बी.एम.आर.सी.) न्यू गवर्नमेण्ट इलेक्ट्रिक फैक्टरी (एन.जी.ई.एफ.) की भूमिका पर एक टर्मिनल और एक डिपो का निर्माण करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बी.एम.आर.सी. की इस योजना में अत्यधिक विलम्ब हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी हां।

(ख) बंगलौर मैट्रो के पूर्व पश्चिम कोरीडोर हेतु कार्यशाला सह डिपो, न्यू गवर्नमेंट इलैक्ट्रिक फैक्ट्री (एनजीईएफ) क्षेत्र में बायापनहल्ली में बनाने की योजना है। डिपो के लिए एनजीईएफ की कुल 53.017 एकड़ भूमि अपेक्षित है।

(ग) और (घ) बंगलौर मैट्रो रेल कारपोरेशन ने सूचित किया है कि इस योजना में दो माह का विलम्ब हो गया है क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भूमि के संबंध में अगस्त, 2007 के 21वें दिन के अनुसार यथा स्थिति आदेश दिया हैं मामला अब उच्चतम न्यायालय में लंबित है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

3150. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जनजातियों के कल्याण कार्यों में लगे गैर–सरकारी संगठनों को दी जाने वाली सहायता से संबंधित मौजूदा योजना की हाल ही में समीक्षा की गई है अथवा किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी समीक्षा से अनुसूचित जनजातियों को क्या लाभ प्राप्त होंगे;

(घ) क्या अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु आबंटित निधियों का अन्य उपयोग किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सुस्थापित प्रक्रिया के अनुसार व्यय वित्त समिति के माध्यम से "अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान" की योजना के मूल्यांकन के लिए पहले से ही कार्रवाई कर ली है।

(ग) योजना के संशोधित दिशानिर्देशों का उद्देश्य सरकार की कल्याा योजनाओं तक पहुंच में वृद्धि करना और स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों के माध्सम से शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कृषि–बागवानी उत्पादकता, सामाजिक सुरक्षा आदि जैसे क्षेत्रों में सेवा वंचित जनजातीय क्षेत्रों में अंतराल को दूर करना है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मताधिकार

3151. डा. के. एस. मनोज : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में रह रहे केरल के लोगों को मताधिकार देने हेतु मलयाली एसोसिएशनों की ओर से कोई अनुरोध/ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है/की जा रही है;

(घ) क्या सरकार का विचार अनिवासी भारतीय (एन.आर. आई.)/प्रवासी भारतीयों को मताधिकार देने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) और (ख) सरकार को इस संबंध में ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ) भारत के ऐसे नागरिकों, जो उनके नियोजन, शिक्षा या अन्यथा के कारण भारत में अपने निवास के सामान्य स्थान से अनुपस्थित होकर भारत से बाहर रह रहे हैं, को निर्वाचक नामावलियों में उनके नामों को सम्मिलित कराने तथा मतदान के समय जब वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में हों, मतदान करने में समर्थ बनाने के विचार से सरकार ने 27 फरवरी, 2008 को राज्य सभा में लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2006 पुरःस्थापित किया था। उक्त विधेयक को कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय की विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति को समीक्षा की रिपोर्ट हेतु निर्दिष्ट किया गया था। समिति ने लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2006 के संबंध में अपनी 16वीं रिपोर्ट राज्य सभा को प्रस्तुत कर दी थी तथा उसे 4 अगस्त, 2006 को लोक सभा के पटल पर रख दिया गया था। सरकार ने अभी तक समिति की सिफारिशों पर कोई विनिश्चय नहीं किया है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

अवैध निर्माण के मामले

3152. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने अवैध निर्माण के अनेक मामलों को दर्ज किया परन्तु मात्र कुछ मामलों में ही कार्रवाई की;

(ख) यदि हां, तो सभी अवैध निर्माणों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) डी.डी.ए. के उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है जो अवैध निर्माण रोकने में विफल रहे हैं?

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) डीडीए ने यह बताया है कि जब भी अनधिकृत निर्माण की सूचना मिलती है, इसके लिए मामले दर्ज किए जाते हैं और पुलिस बल की उपलब्धता को देखते हुए नियमित रूप से कार्रवाई की जाती है।

(ग) डीडीए अनधिकृत निर्माणों के लिए जिम्मेदार दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करता रहता है। दिनांक 1.4.2002 से 30.9.2007 तक की अवधि के दौरान डीडीए ने 125 कार्मिकों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही आरंभ की है और 14 कार्मिकों पर शस्ति लगाई है।

[हिन्दी]

पेयजल योजनाओं की समीक्षा

3153. श्री हरिसिंह चावड़ा :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
श्री अनंत कुमार :
श्री पी.सी. थामस :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार विभिन्न राज्यों में ऐसे गांवों की संख्या का ब्यौरा क्या है जहां सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है;

(ख) ऐसे गांवों को सुरक्षित पेयजल मुहैया कराने हेतु सरकार की वर्तमान और प्रस्तावित योजनाएं कौन-कौन सी हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा इन योजनाओं के अंतर्गत निधियों का किस हद तक उपयोग किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) गांवों में स्वच्छ पेयजल की स्थिति और उपलब्धता एक परिवर्तनशील अवधारणा है और यह प्रति मौसम और प्रतिवर्ष अलग-अलग होती है। तथापि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कराए गए बसावट सर्वेक्षण – 2003 और 1.4.2007 की स्थिति के अनुसार सूचित बसावटों की परवर्ती कवरेज के आधार पर देश में 1,65,368 कवर न की गई, 2,20,615 आंशिक रूप से कवर की गई ग्रामीण बसावटें हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ 1,66,693 बसावटों में जल गुणवत्ता की समस्या होने की भी जानकारी दी गई है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-। में दिया गया है।

(ख) जल आपूर्ति राज्य का विषय है। इसीलिए, राज्य सरकारें गांव में लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। राज्यों के प्रयासों में मदद करने के लिए भारत सरकार केन्द्र प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारें अपने राज्यों में पेयजल योजनाएं/परियोजनाएं बनाने, मंजूर करने और उन्हें कार्यान्वित करने में सक्षम है।

(ग) विगत तीन वर्षों में निधियों के राज्य-वार उपयोग को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

1.4.2007 की स्थिति के अनुसार एआरडब्ल्यूएसपी मानदंड के अनुसार बसावटों की स्थिति (सर्वेक्षण 2003 और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बताई गई कवरेज पर आधारित)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बसावटों की सं. एनसी	पीसी	गुणवत्ता प्रभावित
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1,935	23,613	1,330
2.	अरुणाचल प्रदेश	1,809	1,607	552
3.	असम	26,707	14,566	26,027
4.	बिहार	18,452	36,813	19,126
5.	छत्तीसगढ़	3,643	1,848	4,956
6.	गुजरात	1,263	6,286	3,370
7.	हरियाणा	50	1,806	189
8.	हिमाचल प्रदेश	4,613	5,942	0
9.	जम्मू और कश्मीर	1,887	3,564	114
10.	झारखण्ड	12,746	1,923	1,007
11.	कर्नाटक	22	9,704	19,007
12.	केरल	291	4,916	628
13.	मध्य प्रदेश	6,411	11,326	2,567
14.	महाराष्ट्र	1,826	30,171	10,704
15.	मणिपुर	एन.	एन.	0
16.	मेघालय	1,389	1,826	86
17.	मिजोरम	140	57	0
18.	नागालैंड	0	856	127
19.	उड़ीसा	11,759	12,049	26,441
20.	पंजाब	3,151	3,662	1,827
21.	राजस्थान	53,748	0	23,135
22.	सिक्किम	0	675	76
23.	तमिलनाडु	6,519	25,250	725
24.	त्रिपुरा	800	2,212	2,527
25.	उत्तर प्रदेश	974	1,722	4,718
26.	उत्तराखंड	382	5,077	0
27.	पश्चिम बंगाल	4,851	13,137	17,337
28.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	एन.	एन.	26
29.	दिल्ली	एन.	एन.	0
30.	लक्षद्वीप	0	7	0
31.	पांडिचेरी	0	0	59
	कुल योग	1,65,368	2,20,615	1,66,693

एन.ए.—आंकड़े उपलब्ध नहीं।

विवरण-II

एआरडब्ल्यूएसपी के अंतर्गत रिलीज की गई निधियां और राज्यों द्वारा सूचित व्यय

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2004-05 रिलीज	व्यय	2005-06 रिलीज	व्यय	2006-07 रिलीज	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	37387.51	29668.16	29586.53	16360.05	33732.34	29324.23
2.	अरुणाचल प्रदेश	7078.97	7645.94	10696.98	10634.50	13883.01	8921.44
3.	असम	14075.88	9947.42	16573.99	12755.43	15505.69	21664.90

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	बिहार	9671.86	5229.42	17874.98	701.74	15799.08	17195.69
5.	छत्तीसगढ़	2690.41	1567.20	5192.15	2738.50	7652.50	7566.65
6.	गोवा	60.61	551.33	189.87	96.08	139.19	161.14
7.	गुजरात	11405.69	7530.42	15149.29	12669.97	20763.11	17962.22
8.	हरियाणा	2963.81	2730.27	4953.40	2612.54	6681.95	6452.28
9.	हिमाचल प्रदेश	6602.60	5794.03	14373.90	12076.52	16880.03	13195.31
10.	जम्मू और कश्मीर	15021.51	14841.26	26349.76	18278.97	23664.44	27092.31
11.	झारखण्ड	3166.21	2104.50	7545.89	4334.99	6004.21	4356.78
12.	कर्नाटक	19894.13	14361.16	24660.63	21188.05	38786.11	24762.62
13.	केरल	6324.82	4746.63	7592.89	5316.13	7413.11	6357.35
14.	मध्य प्रदेश	12027.38	7794.45	18178.81	15600.98	22784.82	18117.73
15.	महाराष्ट्र	29367.45	20987.50	40629.67	32286.40	40133.52	33156.87
16.	मणिपुर	2103.00	2506.70	3053.45	845.27	1938.30	2694.82
17.	मेघालय	3085.58	3201.18	3539.49	3280.47	5211.59	4674.67
18.	मिजोरम	2076.96	1891.72	2936.77	2564.11	4450.87	3552.48
19.	नागालैंड	2084.83	1583.08	3094.33	1683.81	3110.77	4018.71
20.	उड़ीसा	10437.58	7095.62	16734.55	9847.70	11916.72	12185.23
21.	पंजाब	3532.63	2889.26	4961.17	3823.18	5371.63	2790.10
22.	राजस्थान	37078.97	26336.03	55093.15	35903.11	54909.86	72190.18
23.	सिक्किम	902.59	798.51	1372.44	1191.59	1721.01	1586.01
24.	तमिलनाडु	16158.57	10215.33	14990.71	9374.62	13595.74	14591.20
25.	त्रिपुरा	2443.31	2069.28	3560.15	3255.38	5122.41	4387.05
26.	उत्तर प्रदेश	16992.37	12605.26	33010.95	18176.12	40040.37	35180.21
27.	उत्तराखंड	4070.57	3961.90	7922.12	5709.21	9193.37	6984.71
28.	पश्चिम बंगाल	10304.76	10089.41	17723.45	14323.08	28808.21	22699.93
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2037.00	238.45	1750.37	0.00	3.21	0.00
30.	दादर नगर हवेली	52.06	0.00	2.92	0.00	3.33	0.00
31.	दमन और द्वीव	0.00	0.00	1.97	0.00	2.80	0.00
32.	दिल्ली	0.00	0.00	7.94	0.00	7.84	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	3.78	0.00	2.69	0.00
34.	पांडिचेरी	100.00	0.00	3.01	0.00	3.61	0.00
35.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01	0.00
	कुल	291199.62	221681.32	409310.86	284008.50	455240.45	423822.81

कंपनी लॉ बोर्ड के समक्ष धोखाधड़ी के मामले

3154. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या **कॉरपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और 31 अक्तूबर, 2007 के अनुसार कंपनी लॉ बोर्ड द्वारा धोखाधड़ी के कुल कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) क्या उक्त कंपनियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी–वार ब्यौरा क्या है?

कॉरपोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा 31 अक्तूबर, 2007 तक कंपनी लॉ बोर्ड द्वारा जांच–पड़ताल हेतु उपयुक्त पाए जाने पर कथित धोखाधड़ी के मामले में 32 कंपनियों की जांच के आदेश दिए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) सीएलबी द्वारा पारित आदेश के परिणामस्वरूप, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत विचाराधीन कंपनियों के मामले में जांच की गई है। अपेक्षित जांचों का ब्यौरा तथा जांच की प्रगति/अनुवर्ती कानूनी कार्रवाई के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्रम.सं.	कंपनी का नाम	जांच के आदेश की तारीख	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	रंगोली टेक्सडाई प्रा. लि.	06.08.2004	जांच की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है तथा माननीय सीएलबी की जांच के आदेश के विरुद्ध श्री माहेश्वरी, प्रबंध निदेशक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मद्रास के समक्ष दायर की गई अपील की अद्यतन स्थिति का पता लगाने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
2.	ट्रायम्फ इंटरनेशनल फाइनेंस इंडिया लि.	20.10.2004	जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है तथा एसएफआईओ को अभियोजन दायर करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत अभियोजन दायर किए गए हैं तथा आईपीसी के तहत अभियोजन, जहां लागू हो, दायर किए जा रहे हैं।
3.	एनएच सिक्युरिटीज लि.	–तदैव–	–तदैव–
4.	के.एन.पी. सिक्युरिटीज प्रा. लि.	–तदैव–	–तदैव–
5.	वी.एन. पारेख सिक्युरिटीज प्रा. लि.	–तदैव–	–तदैव–
6.	पैन्थर फिनकैप एंड मैनेजमेंट सर्विसेज लि.	–तदैव–	–तदैव–
7.	पैन्थर इन्वेस्ट्रेड लि.	–तदैव–	–तदैव–

1	2	3	4
8.	पैन्थर इंडस्ट्रीयल प्रोडक्ट्स लि.	–तदैव–	–तदैव–
9.	साइमंगल इन्वेस्ट्रेड लि.	–तदैव–	–तदैव–
10.	क्लासिक क्रेडिट लि.	–तदैव–	–तदैव–
11.	क्लासिक शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसैज लि.	–तदैव–	–तदैव–
12.	लुमिनेंट इन्वेस्ट्रेड प्रा. लि.	–तदैव–	–तदैव–
13.	गोल्डफिश कंप्यूटर्स प्रा. लि.	–तदैव–	–तदैव–
14.	ट्रायम्फ सिक्युरिटीज प्रा. लि.	–तदैव–	–तदैव–
15.	नक्षत्र सॉफ्टवेयर प्रा. लि.	–तदैव–	–तदैव–
16.	चित्रकूट कंप्यूटर्स प्रा. लि.	–तदैव–	–तदैव–
17.	मनमंदिर एस्टेट डेवलपमेंट प्रा. लि.	–तदैव–	–तदैव–
18.	श्रीनाथ स्टील्स लि.	26.12.2004	जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई तथा आवश्यक निर्देश जारी किए गए।
19.	साउंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज लि.	28.2.2005	जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई तथा एसएफआईओ को अभियोजन दायर करने के लिए निर्देश जारी किए गए। कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत अभियोजन दायर किए गए हैं तथा आईपीसी के तहत अभियोजन, जहां लागू हो, दायर किए जा रहे हैं।
20.	एडम काम्साफ लि.	28.2.2005	–तदैव–
21.	कोलार बायोटेक लि.	28.2.2005	–तदैव–
22.	उषा इंडिया लि.	18.5.2005	–तदैव–
23.	मालविका स्टील लि.	–तदैव–	–तदैव–
24.	कोशिका टेलिकाम लि.	–तदैव–	–तदैव–
25.	इन्फारमेशन टेक आफ इंडिया लि.	14.10.2005	इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने याचिका में उठाए गए प्रश्नों को निर्धारित करने के लिए अब इस मामले को सीएलबी को सौंप दिया है। अतः जांच स्थगित रखी गयी है। सीएलबी के आदेशों की प्रतीक्षा है।
26.	शोंख टेक्नोलोजीज लि.	16.5.2006	रिपोर्ट प्राप्त हुई है तथा प्रक्रियाधीन है।
27.	शोख टेक्नोलोजीज इन्टरनेशनल लि.	16.5.2006	लम्बित
28.	स्पोटिंग पासमे इंडिया लि.	21.11.2006	जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई और निर्देश जारी किए गए हैं।

1	2	3	4
29.	राजस्थान ब्रीवरीज लि.	6.6.2007	सीएलबी के दिनांक 6.6.2007 के आदेश के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधान के तहत कंपनी की जांच के लिए एक निरीक्षक की नियुक्ति की गई है।
30.	इंदग्लोनल इनवेस्टमेंट एंड फाइनेंस लि.	6.6.2007	तदैव
31.	एसकेए कमर्शियल प्रा. लि.	6.6.2007	तदैव
32.	टेक्सास ब्रीविंग कंपनी लि.	6.6.2007	तदैव

[अनुवाद]

शहरी विकास योजनाओं में गैर-सरकारी संगठन

3155. श्री एम. अंजनकुमार यादव :

श्री काशीराम राणा :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के अधीन योजनाओं के क्रियान्वयन में गैर-सरकारी संगठनों को शामिल किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी गैर-सरकारी संगठन को धनराशि के दुरुपयोग में संलिप्त पाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव

3156. श्री रामजीलाल सुमन :

डा. चिन्ता मोहन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इन दिनों शेयर बाजार में हो रहे उतार-चढ़ाव के कारणों का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रतिभूति लेनदेनों को "पैन" के उल्लेख को अनिवार्य किए जाने से सट्टेबाज हतोत्साहित नहीं हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) स्टॉक बाजार में उतार-चढ़ाव घरेलू तथा विदेशी, खुदरा तथा संस्थागत निदेशकों की अर्थव्यवस्था, क्षेत्र तथा कंपनी के बारे में धारणाओं का परिणाम होती है। यह धारणा अनेक कारकों से प्रभावित होती हैं जिनमें वृहद-आर्थिक माहौल, अर्थव्यवस्था की विकास क्षमता, कारपोरेट निष्पादन, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं तथा बाजार संबंधी मनोभाव शामिल हैं । अक्तूबर, 2007 में हुए उतार-चढ़ाव के कारणों में अन्य बातों के अलावा, अपतटीय व्युत्पाद लिखतों से संबंधित नीतिगत उपाय, यूएसए में सबप्राइम संकट, यूएस फेड द्वारा ब्याज दर में कटौती, येन कैरी, कारोबार तेल की कीमतों में बढ़ोतरी आदि थे। सामान्यतः प्राधिकारी तब तक प्रतिक्रिया नहीं करते हैं जब तक कि उतार-चढाव बाजार में हेराफेरी के कारण नहीं होते हैं। तथापि, सेबी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को अनुचित पैटर्नों अथवा विषम संकेन्द्रण का पता लगाने के लिए बाजार में अत्यधिक उतार-चढाव का विश्लेषण करने का निदेश दिया गया है। उनके द्वारा किए गए प्रारंभिक विश्लेषण से ऐसे निष्कर्ष नहीं निकले हैं।

(ग) और (घ) सेबी ने यह शर्त लगायी है कि 2 जुलाई, 2007 से प्रतिभूति बाजार में सभी भागीदारों के लिए पैन संख्या एकमात्र पहचान होगी, चाहे लेन-देन की राशि जो भी हो। उक्त उपेक्षा का उद्देश्य, प्रतिभूति बाजार में सभी भागीदारों के लिए एक ही पहचान संख्या के द्वारा अपने ग्राहक को जानो (केवीईसी) के मानदंडों को मजबूत बनाना है और इसके द्वारा सभी लेनदेनों की अच्छी लेखा परीक्षा के नक्शे-कदम पर चलना सुकर बनाना है।

[अनुवाद]

फ्लोरोसिस उपशमन केन्द्र

3157. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्लोरोसिस समस्या से निजात पाने हेतु आंध्र प्रदेश में स्थापित फ्लोरोसिस उपशमन केन्द्र अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में सफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य में अभी तक फ्लोरोसिस उपशमन केन्द्र स्थापित नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य से विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करके निर्माण

3158. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

डा. धीरेंद्र अग्रवाल :

श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए पुलिस और एम.सी.डी. के अधिकारियों से मिलीभगत करके फार्म हाउसों का निर्माण कार्य अभी भी जारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि फार्म हाउसों का निर्माण रोकने हेतु कोई न्यायालय आदेश नहीं है। तथापि, जब कभी भवन उप नियमों के उल्लंघन का कोई मामला नोटिस में आता है तो दिल्ली नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसे उल्लंघन के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्रों में न्यायालय आदेशों के उल्लंघन का कोई मामला नोटिस में नहीं आया है।

एस.बी.आई. द्वारा साधारण बीमा

3159. श्री पंकज चौधरी :

श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने साधारण बीमा कारोबार में प्रवेश करने हेतु अपनी योजना का खाका तैयार करने के लिए अर्न्स्ट एंड यंग के साथ अनुबंध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एस. बी. आई. अपने प्रस्तावित संयुक्त उद्यम को कब तक अंतिम रूप देगा और अपना नया व्यवसाय शुरू करेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) जी, हां। भारतीय स्टेट बैंक ने साधारण बीमा व्यवसाय में प्रवेश करने की प्रक्रिया में सहायता हेतु अर्न्स्ट एंड यंग प्राइवेट लि. की परामर्शदाता के रूप में सेवाएं ली हैं। सहायता में व्यवसाय योजना का खाका खींचना; प्रवेश कार्ययोजना बनाना, एक संयुक्त उद्यम भागीदार की वांछनीयता तथा, यदि आवश्यक हो, एक उपयुक्त संयुक्त उद्यम भागीदार ढूंढना, विनियामक अनुमोदन प्राप्त करना, आदि शामिल होंगे। तथापि, नए व्यवसाय की शुरूआत, बैंक की व्यवसाय योजना, विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने, विनियामक तथा अन्य अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने, आदि पर निर्भर करता है।

नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी नीति

3160. श्री अनंत गुढे :

डा. रामेश्वर उरांव :

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास हेतु नई प्रारूप नीति सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इसे स्वीकृत कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने एक समेकित ऊर्जा नीति रिपोर्ट (आईईपीआर) तैयार की है जिसमें अक्षय ऊर्जा स्रोतों सहित सभी ऊर्जा स्रोतों को शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट में घरेलू आपूर्ति विकल्पों का अधिकतम विकास करने और ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। इसमें यह भी अनुमान है कि 2031–32 तक अक्षय स्रोतों का भाग भारत के ऊर्जा मिश्रण का 2 से 6 प्रतिशत हो जाएगा और यह अवलोकन है कि अक्षय स्रोतों की संवितरित प्रकृति देश के लिए, विशेषकर दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में, बहुत से सामाजिक–आर्थिक लाभ प्रदान कर सकती है।

(ग) से (ङ) आईईपीआर की सिफारिशें अभी सरकार द्वारा स्वीकार की जानी है। उनकी स्वीकार्यता हेतु कोई समय–सीमा निश्चित नहीं की जा सकती क्योंकि यह उनके गुणों और साथ ही साथ राष्ट्रीय कार्य–नीति और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

बायो-मास कोजेनरेशन पावर प्रोजेक्ट्स

3161. डा. एम. जगन्नाथ : क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बायोमास और खोई के माध्यम से विद्युत उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) बायोमास और खोई आधारित विद्युत उत्पादन की क्षमता वाले किन-किन क्षेत्रों को राज्य-वार चिन्हित किया गया है; और

(ग) देश में बायोमास और कोजेनरेशन पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने हेतु निजी कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा किन विभिन्न प्रोत्साहनों की घोषणा की गई है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) 11वीं योजना अवधि के दौरान अर्थात् वर्ष 2012 तक 1700 मेगावाट की क्षमता के संयोजन के लक्ष्य का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें 500 मेगावाट की बायोमास विद्युत परियोजनाएं और 1200 मेगावाट की खोई सह-उत्पादन परियोजनाएं शामिल हैं।

(ख) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय बायोमास संसाधन एटलस के अनुसार मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एक परियोजना के अंतर्गत देश में अतिरिक्त कृषिगत अपशिष्टों से लगभग 18,000 मेगावाट समतुल्य की संचयी बायोमास विद्युत संभाव्यता का अनुमान लगाया गया है। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 100 मेगावाट या उससे अधिक की बायामोस आधारित विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने की संभाव्यता है। उपर्युक्त राज्यों के पहचाने गए जिलों में 10 मेगावाट से 100 मेगावाट के बीच संभाव्यता मौजूद है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, पंजाब और हरियाणा राज्यों में प्रतिदिन 2500 टन गन्ना पेराई की क्षमता वाली चीनी मिलों में ईष्टतम खोई आधारित सह-उत्पादन के माध्यम से लगभग 5000 मेवा. की अतिरेक विद्युत के उत्पादन की संभाव्यता का अनुमान लगाया गया है।

(ग) सरकार, बायोमास और खोई सह-उत्पादन पर आधारित विद्युत उत्पादन परियोजनाएं स्थापित करने के लिए पूंजीगत सब्सिडी और राजकोषीय प्रोत्साहन जैसे त्वरित मूल्यह्रास, करों और शुल्कों से राहत, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) से आवधिक ऋण के रूप में प्रोत्साहन उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा वाणिज्यिक बायोमास विद्युत और खोई सह-उत्पादन परियोजनाओं से उत्पादित बिजली की व्हीलिंग, बैंकिंग और खरीद-वापसी के लिए संभाव्यता वाले राज्यों में नीतियां आरंभ की गई हैं।

जनसंख्या वृद्धि और मलिन बस्ती

3162. श्री अबु अयीश मंडल : क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान सरकार के पास शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि के अनुपात के संबंध में कोई रिपोर्ट है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनको मुहैया करायी जा रही स्वच्छता, शुद्ध पेयजल और मूलभूत सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) पिछले दो वर्षों में शहरी और गरीबी सेक्टर के बीच जनसंख्या वृद्धि अनुपात पर कोई रिपोर्ट नहीं है। तथापि, भारत के महापंजीयन और जनगणना आयुक्त 2001 की जनगणना और इससे पहले की प्रवृत्तियों के आधार पर विभिन्न वर्षों के लिए ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अनुमान लगाया है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) शहरी विकास राज्य का विषय है शहर वासियों को सफाई, पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं संबंधित शहरी स्थानीय निकायों और राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाती है।

विवरण

वर्ष 2005 एवं 2006 में कुल शहरी और ग्रामीण जनसंख्या

(जनसंख्या मिलियन में)

राज्यों/संघ शासित क्षेत्र	2005			2006		
	कुल	शहरी	ग्रामीण	कुल	शहरी	ग्रामीण
1	2	3	4	5	6	7
समस्त भारत	1097.14	314.06	783.08	1114.2	321.23	792.97
आंध्र प्रदेश	79.5	21.58	57.92	80.43	21.85	58.58
अरुणाचल प्रदेश	1.16	0.28	0.88	1.17	0.3	0.87

1	2	3	4	5	6	7
असम	28.54	3.83	24.71	29.01	3.95	25.06
बिहार	89.32	39.38	79.94	90.83	9.54	81.29
छत्तीसगढ़	22.44	4.77	17.67	22.86	4.92	17.94
गोवा	1.49	0.8	0.69	1.54	0.83	0.71
गुजरात	54.01	20.8	33.21	54.81	21.28	33.53
हरियाणा	22.67	7	15.67	23.04	7.22	15.82
हिमाचल प्रदेश	6.36	0.65	5.71	6.43	0.67	5.76
जम्मू और कश्मीर	11.26	2.9	8.36	11.6	3.01	8.59
झारखंड	28.74	6.52	22.22	29.17	6.42	22.75
कर्नाटक	55.49	19.56	35.93	56.14	19.97	36.17
केरल	33.22	8.56	24.66	33.57	8.65	24.92
मध्य प्रदेश	65.53	17.85	47.68	66.8	18.29	48.51
महाराष्ट्र	102.69	45.08	57.61	104.1	46.1	58
मणिपुर	2.53	0.57	1.96	2.56	0.57	1.99
मेघालय	2.44	0.49	1.95	2.47	0.5	1.97
मिजोरम	0.94	0.48	0.46	0.96	0.49	0.47
नागालैंड	2.11	0.38	1.73	2.13	0.38	1.75
उड़ीसा	38.6	6.05	32.55	39.05	6-18	32-87
पंजाब	25.66	9.19	16.47	25.98	9.42	16.56
राजस्थान	61.29	14.46	46.83	62.43	14.76	47.67
सिक्किम	0.57	0.07	0.5	0.58	0.07	0.51
तमिलनाडु	64.65	31.01	33.64	65.26	31.95	33.31
त्रिपुरा	3.38	0.6	2.78	3.42	0.61	2.81
उत्तर प्रदेश	180.32	38.31	142.01	183.86	39.27	144.59
उत्तरांचल	9.07	2.42	6.65	9.22	2.48	6.74
प. बंगाल	84.7	23.93	60.77	85.78	24.29	61.49
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.39	0.14		0.39	0.14	
चंडीगढ़	0.99	0.89	0.1	1.01	0.91	0.1
दादरा और नगर हवेली	0.24	0.08	0.16	0.25	0.09	0.16
दमन और दीव	0.17	0.06	0.11	0.18	0.06	0.12
लक्षद्वीप						
पांडिचेरी	1.03	0.69	0.34	1.04	0.71	0.33

बिहार में उच्च न्यायालय की खंड पीठ

3163. श्री राम कृपाल यादव :

श्री आलोक कुमार मेहता :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने बिहार में मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, भागलपुर, दरभंगा और कटिहार में उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है; और

(घ) इन्हें कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

निर्यातोन्मुखी इकाइयों द्वारा कर अपवंचन

3164. श्री बी. के. हुम्मर :

श्री काशीराम राणा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यातोन्मुखी इकाइयां करों के भुगतान के मामले में सरकार को धोखा दे रही हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान आज तक कितनी धनराशि का कर भुगतान किया गया और उनके पास कितनी कर राशि बकाया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) ऐसे दृष्टान्त रहे हैं जहां निर्यातोन्मुखी इकाइयों ने (इ. ओ.यू.) को घरेलू सीमा शुल्क क्षेत्र (डी.टी.ए.) में गैर कानूनी निकासी सहित उत्पाद शुल्क अपवंचन करने का प्रयास किए गए हैं। गत तीन वर्षों के लिए अपवंचन किया गया शुल्क निम्नानुसार है:–

(रुपये लाखों में)

2004–05	71981.10
2005–06	32011.66
2006–07	34176.47

प्रत्यक्ष करों के मामले में निर्यातोन्मुखी इकाइयों के संबंध में सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान चूककर्ताओं निर्यातोन्मुखी इकाइयों द्वारा अपवंचित शुल्क में से भुगतान किया गया शुल्क 4744.62 लाख रुपये है और निर्यातोन्मुखी इकाइयों के विरुद्ध 133424.61 लाख रुपये शुल्क बकाया है।

(घ) उत्पाद शुल्क अपवंचन के मामलों में चूक करने वाली निर्यातोन्मुखी इकाइयों के विरुद्ध शुल्क की मांग करते हुए और शास्ति अधिरोपित करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। कार्यवाहियां पूर्ण हो गई हैं। अथवा प्रक्रियाधीन हैं। जहां तक कानूनी रूप से संभव है, वहां सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 तथा धारा 142 के अंतर्गत शुल्क की वसूली के लिए कार्रवाई भी आरम्भ कर दी गई है।

आयकर अधिनियम के अंतर्गत जैसा निर्धारित किया गया है, बकाया कर देय की वसूली के लिए कानूनी कदम उठाने (बैंक खातों, ऋणियों, आदि के अभिग्रहण, अंचल संपत्ति की बिक्री तथा कुर्की, आदि सहित) के अलावा प्रत्यक्ष कर बकाया की वसूली में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित विशेष उपाय भी किये जा रहे हैं:–

i) एक कार्यदल द्वारा बड़ी मात्रा वाले मामलों में वसूली की मॉनिटरिंग।

ii) आयुक्तों (अपील) तथा आयकर अपील अधिकरण के समक्ष लंबित बकाया की भारी राशियों वाले मामलों की पहचान करना तथा इन प्राधिकारियों को अनुरोध करना कि वे ऐसी अपीलों का शीघ्र निपटान करें ताकि मांग राशि की चालू वित्त वर्ष के दौरान ही वसूली की जा सके।

iii) आयकर अपील अधिकरण के अध्यक्ष से अनुरोध कि वे मांग को आयकर अधिनियम की धारा 254(2क) में निर्धारित 180 दिनों से ज्यादा समय के लिए स्थगन की अनुमति न दें।

iv) समझौता आयोग से अनुरोध कि वे अधिक मांग वाले मामलों का निपटान शीघ्र करें।

डी.डी.ए. द्वारा कम दरों पर जमीन की नीलामी

3165. श्री जीवाभाई ए. पटेल :

डा. धीरेंद्र अग्रवाल :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने पिछले दो वर्षों के दौरान विद्यमान बाजार दर से कम दरों पर जमीन की नीलामी की है और इसके परिणामस्वरूप बीस हजार करोड़ रुपए का घाटा उठाया है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करवायी है; और

(ग) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम रहे हैं?

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, नहीं। डीडीए ने यह सूचित किया है कि वाणिज्यिक भूमि, संस्थागत भूमि और रिहायशी भूमि की पिछले वर्ष के औसतन नीलामी दरों के आधार पर आरक्षित मूल्य का निर्धारण करने के पश्चात ही नीलामी की गई है। अतः घाटे का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आदिम जनजातीय समूहों का विकास

3166. श्री मोहन जेना : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा के जैपुर जिले में मन्किडिया अथवा माकिडिया नामक आदिम जनजाति समूह अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया) : (क) और (ख) जैसाकि उड़ीसा सरकार द्वारा सूचित किया गया है, उड़ीसा में जैपुर नाम से कोई जिला नहीं है। तथापि, राज्य सरकार द्वारा 2007 में किए गए, बेसलाइन सर्वेक्षण के अनुसार, मनकिरडिया आदिम जनजातियां मुख्यतः मयूरभंज जिले के जशिपुर क्षेत्र में बसी हुई हैं और इनकी जनसंख्या में वृद्धि की प्रवृति दिखाई देती है।

[हिन्दी]

मोटर वाहन बीमा दावों के निपटान में अनियमितताएं

3167. डा. धीरेंद्र अग्रवाल :

श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कंपनी–वार, जोन–वार मोटर वाहन बीमा दावों के कितने मामले निपटाए गए;

(ख) क्या कुछ अधिकारियों को आचरण अनुशासन एवं अपील (सीडीए) नियमावली के उपबंधों के अंतर्गत कर्तव्यच्युति का दोषी पाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी–वार, जोन–वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त में से कितने अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और कितने अधिकारी उन्हीं पदों पर अभी भी सेवारत हैं; और

(ङ) इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सौर ऊर्जा

3168. श्री वसंतराव मोरे :

श्री भाईलाल :

श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विशेषकर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकासात्मक क्रियाकलापों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विशेषकर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए आबंटित निधियों तथा किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) विभिन्न राज्यों में अभी तक स्थापित अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों का ब्यौरा क्या है; और

(च) ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) जी नहीं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देश में सौर ऊर्जा सहित अक्षय ऊर्जा के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान, डिजाइन और विकास कार्यकलापों को सहायता प्रदान की जाती है। इस संबंध में, उक्त प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में 550 से अधिक परियोजनाओं को वित्तीय सहायता की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान नवीन और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास पर 72.65 करोड़ रु. का व्यय किया गया है जिसमें सौर ऊर्जा पर 13.15 करोड़ रु. का व्यय शामिल है।

(घ) 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए नवीन और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास हेतु 1500 करोड़ रु. की राशि का प्रस्ताव किया गया है।

(ङ) इस मंत्रालय द्वारा देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों, संस्थाओं तथा उद्योग में अनुसंधान, डिजाइन एवं विकास कार्यों में सहायता की जाती है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय द्वारा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, लघु पनबिजली और बायोमास ऊर्जा में विशेषज्ञता सम्पन्न निम्नलिखित केन्द्रों की स्थापना/सहायता की गई है:–

(i) सौर ऊर्जा केन्द्र, ग्वालपहाड़ी, गुडगांव (हरियाणा)

(ii) पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी–वैट), चैन्नई (तमिलनाडु)

(iii) अलटरनेट हाइड्रो एनर्जी सेंटर (एएचईसी), आईआईटी, रुडकी (उत्तरांचल), और

(iv) सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा संस्थान (एसएसएस–एनआईआरई), कपूरथला (पंजाब)–संस्थापनाधीन।

(च) मंत्रालय ने 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में सौर तथा अन्य अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए अनुसंधान एवं विकास के बल दिए जाने वाले क्षेत्रों की पहचान की है। अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास की सहायता करने और इसे तेज करने के लिए दिशा–निर्देश बनाए गए हैं जिनके फलस्वरूप सौर ऊर्जा सहित विभिन्न अक्षय ऊर्जा प्रणालियों का उत्पादन तथा संस्थापना होगी। इसके अतिरिक्त, 11वीं योजना अवधि के दौरान देश में विभिन्न सौर ऊर्जा और युक्तियों के संवर्धन हेतु विभिन्न प्रकार के राजकोषीय तथा वित्तीय प्रोत्साहनों को जारी रखने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

ए.टी.एम. से धनराशि का कपटपूर्ण आहरण

3169. श्री अधीर चौधरी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ए.टी.एम. के माध्यम से विभिन्न बैंकों से धनराशि के कपटपूर्ण आहरण के मामलों के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान नोटिस किए गए ऐसे मामलों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्राहकों के हितों की रक्षा करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि एटीएम/डेबिड कार्ड द्वारा कपटपूर्ण आहरण के कुछ मामलों की सूचना बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को दी गयी है। वर्ष 2006–2007 (अप्रैल से मार्च) के दौरान, बैंकों ने धोखाधड़ी के ऐसे 238 मामलों की सूचना दी है, जिसमें 188.17 लाख रुपये की राशि अंर्तग्रस्त है और वर्ष 2007–2008 (सितम्बर, 2007 तक) के दौरान ऐसे मामलों की संख्या और अंर्तग्रस्त राशि क्रमशः 80 ओर 161.43 लाख रुपए है। ऐसे मामलों के राज्य–वार आंकड़े और पिछले वर्षों के आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक के पास नहीं हैं।

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक अपने पर्यवेक्षी दायित्वों का निर्वाह करते हुए बैंकों को समय–समय पर धोखाधड़ी के आम आशंकित क्षेत्रों और बैंकों में धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने/कम करने के लिए उनके द्वारा लिए जाने वाले उपायों के बारे में, सलाह देता रहता है। एटीएम/डेबिट/क्रेडिट कार्डों का दुरूपयोग करते हुए कपटपूर्ण आहरण से संबंधित धोखाधड़ी से निबटने के लिए विभिन्न निरोधक उपायों के बारे में सलाह देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 26 जून, 2006 को एक परिपत्र जारी किया था। बैंकों को पर्चे, इ–मेल, एटीएम केन्द्रों पर प्रदर्शित करने, वेबसाइट इत्यादि के जरिए ग्राहकों को शिक्षित करने की सलाह दी है। उल्लिखित परिपत्र में भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम केन्द्रों पर लिए जाने वाले परिचालनगत/सुरक्षा उपायों का भी विस्तार से वर्णन किया है।

[हिन्दी]

सहकारी बैंकों की शाखाओं का खोला जाना

3170. श्री संतोष गंगवार :

श्री जी. एम. सिद्दीश्वर :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशी बैंकों को एक वर्ष में वर्तमान 12 शाखाओं की तुलना में 20 शाखाओं को खोलने की अनुमति देने के लिए सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार सुदृढ़ सहकारी बैंकों को भी एक भी शाखा खोलने की अनुमति नहीं दे रही है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कोई प्रतिबंध लगाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 28.02.2005 को जारी "भारत में विदेशी बैंकों की मौजूदगी के लिए रूपरेखा" में नए मौजूदा विदेशी बैंकों के लिए एक वर्ष में 12 शाखाओं की विश्व व्यापार संगठन की वर्तमान प्रतिबद्धता से अधिक और कम बैंक सुविधा वाले क्षेत्रों के लिए एक ज्यादा उदार नीति अपनाने का प्रस्ताव है। तथापि भारत में अपनी शाखाएं/कार्यालय खोलने के लिए विदेशी बैंकों के आवेदनों पर भारतीय रिजर्व बैंक/सरकारी द्वारा लागू कानून, विनियमन, नियम और प्रक्रियाओं के तहत योग्यता के आधार पर विचार किया जाता है।

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 23 के प्रावधानों के संबंध में शाखाएं खोलने के लिए राज्य सहकारी बैंकों के आवेदनों की जांच की जाती है और यह मामले के गुणावगुणों पर निर्भर करता है। जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के संबंध में शाखाएं खोलने की अनुमति देने का अधिकार संबंधित राज्य सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्रार के पास है।

इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक और संबंधित राज्य सरकारों के बीच समझौता ज्ञापन के हस्ताक्षर के माध्यम से और सहकारी शहरी बैंक कार्य दल के सकारात्मक अनभव के आधार पर किए गए विनियमन संबंध के विचार से, भारतीय रिजर्व बैंक ने, कुछ मानदंड पूरे करने के बाद ऐसे राज्यों के सुप्रबन्धित व वित्तीय रूप से मजबूत शहरी सरकारी बैंकों को शाखा लाइसेंस देने पर विचार करने के लिए वर्ष 2007–08 में वार्षिक नीति वक्तव्य में घोषणा की है। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए शाखा लाइसेंस नीति में शिथिलता देते हुए, 4 जुलाई, 2007 को एक परिपत्र भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध है।

[अनुवाद]

लॉकर धारकों को निदेश

3171. श्री निखिल कुमार : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों ने लॉकरधारकों को लॉकर में रखने से पहले मदों एवं उनके मूल्य की घोषणा करने का निदेश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी सूचित किया है कि उसने लॉकर धारकों को लॉकर में समान रखने से पहले मदों एवं मूल्य की घोषणा करने की सलाह देने के संबंध में कोई निदेश बैंकों को जारी नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नकद आरक्षी अनुपात

3172. श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नकदी आरक्षी अनुपात (सी.आर.आर.) में हाल ही में की गई वृद्धि से उन ग्रामीण सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो आयकर आरोपित किए जाने के कारण पहले से ही दबाव में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आयकर से छूट की उनकी मांग पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उन्हें कुछ राहत देने का है ताकि ग्रामीण सहकारी बैंक अपनी वित्तीय स्थिति को क्षति पहुंचाए बिना किसानों की मदद करना जारी रख सके; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) रिजर्व बैंक ने वर्ष 2007–08 के लिए मौद्रिक नीति संबंधी वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में यह निर्णय लिया था कि 10 नवम्बर, 2007 से शुरू होने वाले पखवाड़े से अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों (एससीबी) के आरक्षित नकदी निधि अनुपात को 50 आधार अंक बढ़ाकर उनकी मांग एवं मीयादी देयताओं का 7.50% कर दिया जाए। उपर्युक्त वृद्धि का प्रभाव केवल 16 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों पर पड़ा है चूंकि लगभग सभी राज्य सहकारी बैंकों की शुद्ध मालियत धनात्मक है, अतः आरक्षित नकदी निधि अनुपात में इस वृद्धि का प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। इसके अतिरिक्त, आरक्षित नकदी निधि अनुपात जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के लिए लागू नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) सहकारी बैंकों को आय कर अधिनियम की धारा 80त के तहत आयकर से छूट देने की मांग पर सरकार ने विचार किया था। तथापि, इसे स्वीकार्य नहीं पाया गया है।

आयकर लगाना सरकार के इस उद्देश्य के अनुरूप है कि आर्थिक रूप से अनावश्यक एवं अपर्याप्त समझी जाने वाली छूटों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके कर का आधार बढ़ाया जाए। आय कर लाभों पर लगाया जाता है और लाभ कमाने वाले सहकारी बैंकों को आय–कर भुगतान से छूट देने का कोई औचित्य नहीं है। उन सहकारी बैंकों को छूट देने का कोई औचित्य नहीं है, जो अपने बैंकिंग कार्यकलापों से भरपूर लाभ अर्जित करने वाली पूर्ण व्यावसायिक कंपनियों में बदल गई हैं।

(ङ) और (च) भारत सरकार ने अल्पावधि ग्रामीण सहकारी ऋण ढांचे (एसटीसीसीएस) को सुदृढ़ बनाने के लिए पुनरूज्जीवन पैकेज अनुमोदित किया है। इस पैकेज को क्रियान्वित करने के इच्छुक राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे केन्द्रीय सरकार एवं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ कुछ कानूनी एवं संस्थागत सुधार करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करें।

इस पैकेज के तहत एसटीसीसीएस के लिए 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र को ठीक करने तथा कानूनी एवं संस्थागत सुधारों के अध्यधीन निर्धारित न्यूनतम स्तर तक पूंजी बढ़ाने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध है। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि एसटीसीसीएस सुदृढ़ वित्तीय, प्रबंधकीय एवं अभिशासन मानदंडों के अनुसार बने रहें, एसटीसीसीएस के संस्थागत एवं मानव संसाधनों को उन्नत बनाने, कंप्यूटरीकरण तथा समुचित आंतरिक नियंत्रण एवं लेखा–व्यवस्था स्थापित करने के लिए तकनीकी सहायता दी जाएगी।

अवसंरचना परियोजनाओं के लिए विदेशी वाणिज्यिक उधार मानदण्ड

3173. श्रीमती निवेदिता माने :

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी वाणिज्यिक उधार (ई.सी.बी.) संबंधी एक उच्च–स्तरीय समिति अवसंरचना परियोजनाओं के लिए ई.सी.बी. मानदण्डों में छूट देने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ई.सी.बी. मानदण्डों में कब तक छूट दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार द्वारा समय–समय पर भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से वर्तमान वृहद आर्थिक परिस्थितियों, बदलती हुई बाजार की स्थितियों, क्षेत्रगत जरूरतों, विदेशी क्षेत्र के प्रबंधन का सामना करने में आई चुनौतियों और ईसीबी नीति का प्रशासन करने में अब तक प्राप्त किए गए अनुभवों को ध्यान में रखते हुए जब कभी भी नीति की समीक्षा की गई है, विदेशी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के मानदंडों में ढील देने संबंधी मुद्दों पर विचार किया गया है।

[हिन्दी]

शहरी गरीबों के लिए नागरिक सुविधाएं

3174. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के अनुसार देशभर में शहरों में लगभग सात करोड़ लोग अमानवीय दशाओं में रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन शहरी गरीबों को आवास तथा अन्य नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई कारगर योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 61वें राउंड डाटा के आधार पर योजना आयोग ने शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे लोगों की संख्या के बारे में आंकड़े प्रकाशित किए हैं। योजना आयोग ने दो तरीके अपनाए हैं–यूनिफार्म रिकॉल अवधि तरीका तथा मिश्रित रिकॉल अवधि तरीका। यूनिफार्म रिकॉल अवधि तरीके के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले शहरी लोगों की अनुमानित संख्या 8.08 मिलियन है। मिश्रित रिकॉल अवधि तरीके के अनुसार 2004–05 में इन लोगों की अनुमानित संख्या 6.82 मिलियन है।

(ग) और (घ) सरकार ने देश में 63 नगरों में रह रहे गरीबों के लिए आवास तथा अन्य नागरिक सुविधाएं मुहैया कराने के मसलों को शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवा कार्यक्रम (बीएसयूपी) के अधीन हल करने के उद्देश्य से जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) शुरू किया है। शेष अन्य नगरों/कस्बों को एकीकृत आवास तथा स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अधीन शामिल किया जाता है। शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवा कार्यक्रम (बीएसयूपी) तथा एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) नामक दोनों ही कार्यक्रमों का कार्यान्वयन 3 दिसम्बर, 2005 से किया जा रहा है। मिशन की अवधि 2005 से 2012 है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को घाटा

3175. श्री मंजुनाथ कुन्नुर : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र का कोई उपक्रम घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

जनजातीय कलाओं एवं खेलकूद को बढ़ावा

3176. श्री एन.एन. कृष्णदास : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जनजातीय कलाओं तथा खेलकूद के संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए कोई विशेष योजना क्रियान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके विचारार्थ विषय क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन क्रियाकलापों के समन्वय के लिए किसी राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठान की स्थापना की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया) : (क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय कलाओं और खेलकूद के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए कोई विशेष योजना क्रियान्वित नहीं कर रहा है। तथापि, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय तथा संस्कृति मंत्रालय क्रमशः खेलकूद और जनजातीय कलाओं के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं। इन योजनाओं के संबंध में संबंधित मंत्रालयों से प्राप्त ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ग) और (घ) केवल युवा कार्य और खेल मंत्रालय स्वदेशी खेलों के प्रोत्साहन के लिए मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई राष्ट्रीय खेल परिसंघों की सूची का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

युवा कार्य और खेल मंत्रालय भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों सहित देश में स्वदेशी खेलों और मार्शल आर्ट्स को प्रोत्साहन दे रहा है। ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में इन खेलों तथा आधुनिक खेलों में प्रशिक्षण के लिए इन खेलों में प्रतिभाओं की स्काउटिंग को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से आज की तारीख तक 27 विद्यालयों को अपनाया गया है। अपनाए गए इन विद्यालयों को उपकरणों के क्रय के लिए 20,000/– रुपए वार्षिक अनुदान देने के अतिरिक्त प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए 25,000/– रुपए वार्षिक अनुदान दिया गया है। चुने गए प्रशिक्षार्थियों को राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी) योजना के अंतर्गत अपनाए गए जवाहर नवोदय विद्यालय की भांति चुने गए अन्य प्रशिणार्थियों को स्वीकार्य, स्पोर्ट किट, कम्पीटीशन एक्पोजर और वजीफा दिया जाता है।

इसके अलावा, इन विद्यालयों को संस्थावासियों (इनमेट्स) को प्रशिक्षण देने के लिए विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

संस्कृति मंत्रालय जनजातीय/लोक कला और संस्कृति के संवर्धन और प्रसार के लिए वित्तीय सहायता की योजना का कार्यान्वयन कर रहा है तथा विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों/संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

विवरण-II

राष्ट्रीय खेल परिसंघों की सूची

क्र.सं.	परिसंघ का नाम/पता
1.	इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन
2.	आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया
3.	अमैच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया
4.	इंडियन वूमेन हॉकी फेडरेशन
5.	जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया
6.	अमैच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया
7.	इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन
8.	रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, नई दिल्ली
9.	यचटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया
10.	इंडियन हॉकी फेडरेशन
11.	स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया
12.	ब्रिज फेडरेशन ऑफ इंडिया
13.	टग–आफ–वार फेडरेशन आफ इंडिया
14.	साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया
15.	आल इंडिया फुटबाल फेडरेशन, फुटबाल हाउस
16.	आल इंडिया कराटे डो फेडरेशन
17.	मल्लाखंब मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया
18.	वालीबॉल फेडेरेशन ऑफ इंडिया
19.	विंटर गेम्स फेडरेशन
20.	रेसलिंग (इंडियन स्टाइल), इंडियन स्टाइल रेसलिंग फेडरेशन

राष्ट्रीयकृत बैंकों में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ

3177. श्री प्रतीक पी. पाटील : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास राष्ट्रीयकृत बैंकों में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और

(ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 जुलाई 2007 के अपने मूल परिपत्र में (भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध) सभी अनुसूचित वाणिज्यि बैंकों के विशेष प्रकोष्ठ बनाने के लिए कहा है, ताकि अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। अभी तक सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों में से 26 बैंकों ने ऐसे प्रकोष्ठ खोले हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एन.टी.पी.सी. विद्युत परियोजनाओं में निधियों का दुर्विनियोजन

3178. श्री मानिक सिंह : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एन.टी.पी.सी. की विंध्यनगर एवं शक्ति नगर विद्युत परियोजनाओं के विकासात्मक कार्यों के लिए प्रदान की गई निधियों के दुर्विनियोजन के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[अनुवाद]

वैज्ञानिक अभिरूचि का प्रसार

3179. श्री प्रहलाद जोशी : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजनाएं हैं जिनके माध्यम से इसका इरादा लोगों तथा विद्यार्थी समुदाय के बीच वैज्ञानिक अभिरूचि का प्रसार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने पिछले 25 वर्षों से संचार के पारंपरिक और आधुनिक साधनों का उपयोग करते हुए अनेक उपायों के द्वारा वैज्ञानिक अभिरूचि का प्रसार किया है। स्वयंसेवी संगठनों की साझेदारी में व्यापक अभियान शुरू किए गए हैं और इसके अनुलाभों को सघन अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से समेकित किया गया है। छात्रों और शिक्षकों की जरूरत को रेडियो धारावाहिकों, टेलीविजन कार्यक्रमों, संगठनों पत्रिकाओं और क्षेत्र कार्यकलापों सहित विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से पूरा किया जाता है। इस प्रकार के प्रयासों से विज्ञान के प्रति लोगों की समझ के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

सोने के सिक्कों की बिक्री

3180. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न भारतीय/अंतर्राष्ट्रीय बैंकों द्वारा विशेषकर त्यौहारों के दौरान विभिन्न मूल्य वर्ग के सोने के सिक्कों की बिक्री की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए थे;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ङ) आयात की उदारीकृत नीति के अंतर्गत, सरकार ने आभूषण निर्माताओं, निर्यातकों, अप्रवासी भारतीयों, विशेष आयात लाइसेंसधारियों और घरेलू प्रयोक्ताओं को बिक्री के लिए खनिज और धातु व्यापार निगम, भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड, स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन, भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत अन्य एजेंसियों को स्वर्ण आयात की अनुमति दी है। इस नीति के अंतर्गत, भारतीय रिजर्व ने सोने के सिक्कों सहित सोने के आयात के लिए 20 बैंकों को अब तक प्राधिकृत किया है। संबंधित बैंक अपनी-अपनी कारोबार कार्यनीतियों के अनुसार सोने के सिक्कों सहित, सोने चांदी को खरीदना, बेचना अथवा सौदा करने के लिए निर्णय लेते हैं।

डी.डी.ए. फ्लैटों में अनियमितता

3181. श्री मो. ताहिर :

श्री शिशुपाल एन. पटले :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी.डी.ए. फ्लैटों का कब्जा दिए जाने में कोई अनियमितता/भ्रष्टाचार सरकार की नोटिस में आया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और डीडीए में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) में भ्रष्टाचार रोकने के उद्देश्य से कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा तैयार त्रिस्तरीय कार्यनीति

का अनुपालन किया जाता है अर्थात् निवारक, निगरानी तथा पता लगाना और भयरोपित दण्डात्मक कार्यवाही करना। भ्रष्टाचार रोधी तंत्र की समय–समय पर समीक्षा की जाती है। भ्रष्टाचार के मामलों से कडाई से निपटा जाता है। जहां कहीं आवश्यक पाया जाता है दण्डात्मक तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है। डीडीए में कार्य संचालन में बेहतर पारदर्शिता लाने, भ्रष्टाचार का निवारण करने तथा अनियमितताओं अथवा भ्रष्टाचार की गुंजाइश का निराकरण करने के लिए भी कई उपाय किए गए हैं। डीडीए के साथ सम्पर्क में नागरिकों की सहायता हेतु सविधा केन्द्र स्थापित किए गए हैं; जनता की शिकायतें सुनने के लिए जन–सुनवाई के माध्यम से वरिष्ठ डीडीए अधिकारियों से जनता की मुलाकात को सुविधाजनक बनाया गया है; स्कीमों, नियमों, प्रक्रियाओं, आवेदन फार्मों आदि को वेबसाइट पर लाया गया है; मकानों के लिए निकाले जाने वाले ड्रा को कम्प्यूटरीकृत किया गया है; निविदा नोटिस की प्रविष्टि को वेबसाइट में लाने की प्रथा लागू की गई है; वाणिज्यिक भू–खण्डों का निपटान सुप्रचारित सार्वजनिक नीलामी द्वारा किया जाता है और डीडीए के कार्य संचालन में विवेकाधिकारों का उन्मूलन करने तथा निष्पक्षता लाने और पादर्शिता के लाने के लिए कई अन्य उपाय किए गए हैं।

विद्युत की ट्रेडिंग

3182. **श्री लक्ष्मण सिंह : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फारवार्ड मार्केट्स कमीशन (एफ. एम. सी.) ने वायदा कारोबार के लिए अनुमति प्राप्त अन्य कमोडिटी में शामिल करने के लिए विद्युत को अधिूसचित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका विद्युत शुल्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) जी, हां।

(ख) उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार ऊर्जा को वायदा कारोबार हेतु फोरवार्ड कांट्रेक्ट्स (रेग्यूलेशन) एक्ट 1952 की धारा 15(1) के तहत् अधिसूचित किया गया है। तथापि, वायदा कारोबार अभी तक किसी वस्तु विनिमय में आरंभ नहीं हुआ है।

(ग) भाग (ख) के उत्तर के मद्देनज़र प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी कालोनियों में अनधिकृत निर्माण

3183. **श्री रवि प्रकाश वर्मा :**

श्री नकुल दास राई :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान एन.डी.एम.सी. क्षेत्रों में स्थित सरकारी कालोनियों में अनधिकृत अतिरिक्त कमरे के निर्माण के कितने मामलों का पता है; और

(ख) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बैंकों की ग्राहक सेवा में सुधार करना

3184. **श्री जी. करूणाकर रेड्डी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैकों में ग्राहकों के असंतोष के लिए समीक्षा तंत्र विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार मौजूदा तंत्र में परिवर्तन करने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) भारतीय बैंक संघ द्वारा सभी सदस्य बैंकों को यह सलाह दी गई है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि :

(i) ग्राहकों/घटकों से शिकायतें प्राप्त करने और उन पर ध्यान देने के लिए तथा ऐसी शिकायतों को उनके स्रोत पर ध्यान दिए बिना निष्पक्षता तथा तेजी से सुलझाने के लिए एक उपयुक्त तंत्र स्थापित किया गया है।

(ii) विभिन्न स्तरों पर प्राप्त शिकायतें सुलझाने के लिए एक समय सीमा तय की गई है।

(iii) निवारण तंत्र की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए, शिकायत निवारण हेतु ग्राहकों द्वारा सही प्रकार से व समय पर संपर्क करने के लिए शाखाओं पर अधिकारियों के नाम उनके सीधे दूरभाष संख्या, फैक्स संख्या, पूरे पते (पोस्ट बाक्स संख्या नहीं) और ई–मेल पते इत्यादि सहित विधिवत प्रदर्शित किए जाएं।

(iv) बैंक द्वारा अपने विज्ञापनों और अपनी वेबसाइट के माध्यम से शिकायत निवारण तंत्र का व्यापक प्रचार किया जाए।

(v) ग्रामीण क्षेत्रों और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र तथा सरकार के गरीबी उपशमन कार्यक्रमों से संबंधित शिकायतों का निवारण भी उपर्युक्त प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए।

इसके अलावा, "शाखा स्तर" पर ग्राहक और बैंक के बीच सम्पर्क के औपचारिक माध्यम को बढ़ावा देने के लिए बैंकों को ग्राहकों की व्यापक भागीदारी सहित शाखा स्तरीय ग्राहक सेवा समितियों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गयी है।

बैंकिंग लोकपाल योजना 1995 से प्रचलन में है। बैंकिंग लोकपाल एक स्वतंत्र निकाय है जिसे विवादों को शीघ्र और सस्ते में सुलझाने के अधिकार दिए गए हैं। बैंक की कुछ सेवाओं से संबंधित किसी ग्राहक की कोई शिकायत संतोषजनक रूप से नहीं सुलझायी गयी है तो वह सम्बद्ध बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकता है।

बैंकिंग लोकपाल योजना 2002 के अंतर्गत बैंकिंग लोकपाल के फैसलों के विरुद्ध बैंक से अपील का विकल्प ("समीक्षा" के रूप में) प्रदान किया गया। हालांकि बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 में शिकायतकर्ता को भी विकल्प दिया गया है। 24 मई, 2007 को बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 में बाद में किए गए संशोधन के अनुसार, बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 के संशोधित खंड (13) में उल्लिखित कारणों से ग्राहक की शिकायत नामंजूर किए जाने की स्थिति में बैंक ग्राहक बैंकिंग लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध भी अपील कर सकता है।

[हिन्दी]

टाउनशिप डेवलपमेंट एवं फर्जी कंपनियां

3185. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 'टाउनशिप डवलपमेंट' के नाम पर कई फर्जी कंपनियां चल रही हैं;

(ख) क्या ऐसी कई कंपनियां लोगों के लाखों एवं करोड़ों रुपए लेकर गायब हो गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसी फर्जी कंपनियों की निगरानी के लिए कानून बनाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (च) भूमि का विषय भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में निहित सूची-।। राज्य सूची में आता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित कुछ विकास प्राधिकरणों ने यह सूचित किया है कि निजी बिल्डरों द्वारा आवासीय/वाणिज्यिक स्कीमों की गैर-कानूनी प्रिलांचिंग किए जाने के संबंध में कतिपय शिकायतों के आधार पर इन प्राधिकरणों ने सार्वजनिक सूचना जारी करके लोगों को आगाह किया है कि वे ऐसे विज्ञापनों से भ्रमित नहीं हो।

जहां तक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का संबंध है, निजी डीलरों द्वारा टाउनशिप का विकास प्राधिकृत नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के संबंध में स्थावर संपदा के विनियमन के लिए विधायी उपाय भी एक विकल्प है। यह प्रस्ताव अभी प्रारूप स्तर पर है।

बिल्डरों/डेवलपरों के लिए ऋण

3186. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कार्यरत विभिन्न बिल्डरों/डेवलपरों इत्यादि और अन्य कंपनियों/फर्मों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिया गया बैंक-वार और वर्ष-वार, कुल ऋण कितना है;

(ख) इसमें से चूककर्ता कंपनियों/फर्मों की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

न्यायालयों के नाम पर जाली आदेश जारी करना

3187. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को न्यायालयों के नाम पर जाली आदेश जारी किए जाने की रिपोर्टों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य बीमा योजना

3188. श्री मोहन रावले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में शास्त्री समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रयोजनार्थ

वरिष्ठ नागरिक की आयु 65 वर्ष से कम कर 60 वर्ष करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने सूचित किया है कि उसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा पर शास्त्री समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने दिनांक 26.11.2007 को आईआरडीए के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जो उनकी जांच के अधीन है।

लागत लेखा परीक्षा से छूट

3189. श्री एस. के. खारवेन्थन : क्या कॉर्पोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास सीमेन्ट तथा पेट्रोरसायन सहित विनिर्माण क्षेत्र के कुछ उद्योगों को अनिवार्य लागत लेखा–परीक्षा से छूट देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण विकास योजनाओं हेतु राज्यों को धनराशि आबंटन में कमी

3190. श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष से विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए राज्यों को वित्तीय आबंटन में कटौती करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय चालू वित्तीय वर्ष से विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए राज्यों को वित्तीय आबंटन में कटौती करने पर कोई विचार नहीं कर रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

नई आवास नीति

3191. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र की भागीदारी से नई आवास नीति को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ग) शहरी क्षेत्र के बदलते सामाजिक आर्थिक मानदण्डों आश्रय और संबंधित अवसंरचना की बढ़ती आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, एक नई राष्ट्रीय शहरी आवास तथा पर्यावास नीति, 2007 बनाई गई।

इस नीति का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को किफायती दरों पर भूमि, आश्रय तथा सेवाओं की समान आपूर्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से पर्यावास के सतत विकास को बढ़ावा देना है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों दोनों, की बजट बाधाएं और आवास की कमी की मात्रा को देखते हुए राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति, 2007 में बहुत से स्टॉक होल्डरों नामतः निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, मजदूर आवास हेतु औद्योगिक क्षेत्र तथा कर्मचारियों के आवास के लिए सेवाओं/संस्थागत क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इस तरीके से, नीति का उद्देश्य "सभी के लिए किफायती आवास" के लक्ष्य को हासिल करने के लिए विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक निजी सहभागिता को बढ़ावा देना होगा।

शहरों का श्रेणीकरण

3192. श्री के. सी. पल्लानी शामी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शहरों के क, ख, ग आदि में श्रेणीकरण के लिए क्या मानदण्ड अपनाएं जाते हैं;

(ख) क्या गत दो वर्षों के दौरान कुछ शहरों का उन्नयन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन्नयन के बाद इन शहरों को कौन–कौन से विशेषाधिकार/सुविधाएं प्राप्त होंगी?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आवासीय उद्देश्यों हेतु दिल्ली में भूमि की कमी

3193. श्री जी. एम. सिद्दीश्वर : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवासीय उद्देश्यों हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भूमि की अत्यधिक कमी है; और

(ख) यदि हां, तो योजनाबद्ध तरीके से आवासीय भूमि उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह बताया है कि दिल्ली मास्टर प्लान–2021 में वर्ष 2021 तक अनुमानित 230 लाख की आबादी के लिए रिहायश की व्यवस्था किए जाने का अनुमान लगाया गया है, जिसके लिए 15–16 वर्षों की विकास अवधि में 20,000 से 22,000 हेक्टेयर शहरी योग्य भूमि की शहरी विस्तार के लिए अतिरिक्त आवश्यकता होगी।

दिल्ली मास्टर प्लान 2021 तक 230 लाख की अनुमानित आबादी के लिए रिहायश की व्यवस्था करने हेतु निम्नलिखित त्रि–आयामी कार्यनीति की सिफारिश की गई है:–

(i) आबादी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कस्बों की ओर विस्थापित करने को प्रोत्साहित करना।

(ii) मौजूदा शहरी सीमाओं के भीतर पुनर्विकास करके क्षेत्र की आबादी नियंत्रण क्षमता को बढाना; तथा

(iii) आवश्यकतानुसार मौजूदा शहरी सीमाओं का विस्तार करना।

बैंकों में हड़ताल

3194. श्री एम. अप्पादुरई : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों ने अपनी प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल के बारे में सरकार को सूचित किया है;

(ख) यदि हां, तो बैंक कर्मचारियों द्वारा उठाई गई मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

लुटियन्स बंगला क्षेत्र में भवनों को तोड़ा जाना

3195. श्री मिलिन्द देवरा : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली लुटियन्स बंगला क्षेत्र (एलबीजेड) में कुछ भवनों को तोड़ने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) लुटियन्स बंगला क्षेत्र में कितने आवास हैं, कितने आवासों को तोड़े जाने की संभावना है और उनके स्थान पर कितने आवास का निर्माण किया जाएगा;

(घ) क्या इस संबंध में संरक्षण विशेषज्ञों, वास्तुविदों तथा गैर–सरकारी संगठनों की राय ले ली गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) अधिभोगियों के पुनर्वास हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) सरकार ने लुटियन बंग्लो जोन, नई दिल्ली में कुछ भवनों में तोड़–फोड़ करने का निर्णय नहीं लिया है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में गरीबों के लिए शहरी सुविधाएं

3196. श्री रायपति सांबासिवा राव : क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास आंध्र प्रदेश सरकार का गरीबों हेतु आंध्र प्रदेश शहरी सुविधाओं (एपीयूएसपी) को एक वर्ष और बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) जी, नहीं। अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी, यूके) ने गरीबों के लिए आंध्र प्रदेश शहरी सेवाओं (एपीयूएसपी) को एक वर्ष और बढ़ाने पर सहमत नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोग

3197. श्री रामदास आठवले : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की कुल संख्या लगभग कितनी है; और

(ख) उनके पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने यह सूचना दी है कि इस संबंध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। यह अनुमान 35 से लेकर 40 लाख तक है।

(ख) अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

दैनिक मजदूरों को नियमित किया जाना

3198. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के विद्युत विभाग में दैनिक मजदूरों को नियमित किए जाने के संबंध में अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन से सूचनाएं मांगी हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) जी हां। अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के विद्युत विभाग में मजदूरों (श्रेणी घ) में 677 पदों के सृजन के लिए प्रशासन के प्रस्ताव के संबंध में, अक्तूबर, 2007 में विद्युत मंत्रालय द्वारा अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन से निम्नलिखित सूचना मांगी गई है:–

(i) सभी 677 व्यक्तियों की संपूर्ण वरिष्ठता सूची तथा इसकी तुलना में उन व्यक्तियों की वरिष्ठता जिन्हें पहले ही नियमित किया जा चुका है।

(ii) नए पदों के सृजन की कार्यात्मक न्यायसंगतता।

(iii) मजदूरों की परियोजनावार वर्तमान तैनाती।

अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन ने, अब तक केवल मजदूरों की परियोजनवार वर्तमान तैनाती से संबंधित सूचना ही दी है।

रुपये का अधिमूल्यन

3199. श्री के. सुब्बारायण :
श्री मोहन सिंह :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :
श्री असादूद्दीन ओवेसी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया बहुत अधिक मजबूत हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वित्त मंत्रालय ने हाल ही में फडेरेशन ऑफ इण्डियन एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउन्सिल के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) डॉलर के मुकाबले रुपये के मजबूत होने से वस्त्र क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में आयात तथा निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा;

(च) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इसके परिणामस्वरूप रोजगार के अवसरों में कमी हो रही है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) अप्रैल 2007 से अक्तूबर 2007 के बीच अमरीकी डालर की तुलना में रुपये के मूल्य में 6.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) जी, हां। वित्त मंत्री ने कपड़ा और हस्तशिल्प निर्यात संघों के प्रतिनिधियों के साथ 15 नवंबर, 2007 को एक बैठक की थी। इस बैठक के बाद, सरकार ने अतिरिक्त उपायों की घोषणा की जिनमें अन्य उपायों के साथ–साथ मौजूदा स्कीम के अंतर्गत कपड़े की सभी श्रेणियों को जिनमें तैयार परिधान (आरएमजी) और कालीन शामिल हैं लेकिन मानव निर्मित रेश, चमड़ा और चमड़े के उत्पाद, समुद्री उत्पाद और हस्तशिल्प क्षेत्र शामिल नहीं हैं, लदान–पूर्व एवं लादान पश्च ऋण पर 2 प्रतिशत की अतिरिक्त सहायता (पहले पेश की गई 2% सहायता के अतिरिक्त) देना शामिल है। कपड़ा क्षेत्र से जुड़ी कई मदों का बुनियादी सीमा शुल्क कम कर दिया गया था और निर्यातों से जुड़ी कर योग्य सेवाओं पर निर्यातकों द्वारा अदा किए गए सेवा कर की वापसी करने के लिए सेवाओं की संख्या बढ़ाई गई है।

(ङ) से (छ) रुपये की मूल्य वृद्धि तथा निर्यातों के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है क्योंकि निर्यात कई अन्य कारकों पर निर्भर करते हैं। रुपये के मूल्य में वृद्धि होने के बावजूद डालर के संदर्भ में निर्यातों में अप्रैल–अक्तूबर, 2007 में पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि की तुलना में 20.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अक्तूबर, 2007 में डालर के संबंध में निर्यात वृद्धि दर अक्तूबर 2006 की दर की तुलना में 35.6% थी।

डालर–मूल्य में हुई आयात वृद्धि अप्रैल–अक्तूबर 2007 में पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि की तुलना में 25.3% थी। वैसे रुपये के मूल्य में वृद्धि से आयात सस्ते होते हैं, फिर भी निर्यातों पर मूल्यवृद्धि का प्रभाव निर्यातों की आयात गहनता पर निर्भर होता है। वैसे रत्न तथा आभूषण, इंजीनियरी की वस्तुएं, पीओएल उत्पाद जैसे क्षेत्रकों ने तदनरूप अवधि की तुलना में अप्रैल–जून 2007 में 20 प्रतिशत और उसमें अधिक वृद्धि दरें दर्ज की हैं, वहीं कपड़ा उद्योग, हस्तशिल्प, कालीन इत्यादि जैसे क्षेत्रकों ने कम अथवा ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की है।

चूंकि रुपये के मूल्य में हुई वृद्धि और निर्यात क्षेत्र में रोजगार पर संभावित अंतर के प्रतिकूल प्रभाव को लेकर बहुत चिंता जताई जा रही थी, इसलिए सरकार ने निर्यातकों के लिए राहत पैकेजों की घोषणा की है, जिनमें निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम (ईसीजीसी) के प्रीमियम को घटाना, अंतिम सीमा उत्पाद शुल्क तथा केन्द्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति की समस्त बकाया राशि के समाशोधन के लिए 600 करोड़ रुपये जारी करना, शुल्क वापसी दरों में बढ़ोत्तरी करना, 9 क्षेत्रों, जिनमें श्रम प्रधान क्षेत्र भी शामिल हैं, के लिए बढ़ी हुई शुल्क पात्रता पासबुक (डीईपीबी) दरें, और 9 क्षेत्रों एवं लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र इत्यादि के सभी निर्यातकों के लिए लदान–पूर्व एवं लदान–पश्च ऋण की ब्याज दरें घटाना शामिल है।

एफडी आई संबंधी दिशानिर्देश

3200. श्री सुकदेव पासवान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी निवेशक देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए निर्धारित मानदंडों तथा दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक पकड़े गए मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास इस संबंध में मानदंडों तथा दिशानिर्देशों का निवेशकों से उचित पालन करवाने के लिए कोई समुचित तंत्र बनाने की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

दिल्ली को जलापूर्ति

3201. श्री रशीद मसूद : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिल्ली को छोड़ा गया 140 एम जी डी अस्वच्छ जल दिल्ली में जलाशय न होने के कारण यमुना में बहा चला जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा जलाशय बनाने में असफल रहने के क्या कारण हैं;

(ग) उत्तर प्रदेश से प्राप्त कितने प्रतिशत पानी का दिल्ली सरकार द्वारा वास्तव में उपयोग किया गया;

(घ) क्या ग्रेटर कैलाश क्षेत्र में 'मास्टर बैलेंसिंग रिजरवायर' (एमबीबार) का निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं किया जा सका है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली जल बोर्ड ने सूचित किया है कि पूरी मात्रा का उपयोग किया जा रहा है।

(घ) जी, हां।

(ङ) 5 जलाशयों में से एक मास्टर बेलेन्सिंग जलाशय के निर्माण कार्य एकल संविदा के अंतर्गत एक कोनसोरटियम को दिया गया था। करार के अनुसार, इस कार्य के 9.1.2005 तक पूरा किए जाने का कार्यक्रम था। अभी तक कोनसोरटियम ने एक यूजीआर पूरा कर इसे चालू कर दिया है। दूसरे यूजीआर के दिसंबर, 2007 में चालू किए जाने की सभावना है। प्रश्नाधीन कार्य सहित शेष 3 यूजीआर का कार्य लगभग 80% तक पूरा हो गया है तथा इन्हें पूरा करने में 2–3 महीने और लग जाएंगे।

मोबाइल लर्निंग रिसॉर्स वैन

3202. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रत्येक राज्य में मोबाइल लर्निंग रिसॉर्स वैन का उपयोग कर बेसहारा बच्चों को शिक्षित करने के लिए यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड (यूनिसेफ) से धनराशि प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना पर प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा तथा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पेट्रोल तथा डीजल की कीमतें

3203. श्री पी. सी. गद्दीगउडर :

श्री के. विरूपाक्षप्पा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पेट्रोल तथा डीजल जैसी वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए इन पर से आयात शुल्क वापस लेने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसा शुल्क कब तक वापस ले लिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की घरेलू कीमतें कई कारकों पर निर्भर करती हैं, जिनमें कर भी शामिल है। इस समय पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर लगने वाले सीमा शुल्क की दरों में परिवर्तन करने पर सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बंगलौर मेट्रो रेल के संबंध में मुआवजा पैकेज

3204. श्री एम. शिवन्ना : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बी एम आर सी के कारण विस्थापित होने वालों/भूमि खोने वालों के लिए कोई मुआवजा पैकेज तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रभावित पक्षों को चैक सौंप दिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो अंतिम रूप से मुआवजा कब तक वितरित किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) बीएमआरसी ने यह बताया है कि उसने विस्थापित व्यक्तियों/भूमि गंवाने वाले व्यक्तियों के लिए क्षतिपूर्ति पैकेज तैयार किया है। क्षतिपूर्ति पैकेज में निम्नलिखित शामिल है:–

1. भूमि का उचित बाजार मूल्य : – श्री पी. एस. एस. थोमस समिति द्वारा संस्तुत राशि + 30% मुआवजा+प्रारंभिक अधिसूचना जारी होने की तारीख से कब्जा या अवार्ड देने की तारीख तक भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 23 (1क) के अंतर्गत राशि, जो भी पहले हो।

2. भवन की स्थपन्न कीमत दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, मुआवजा तथा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 23(1क) के अंतर्गत राशि दी जाएगी।

3. परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास पैकेज :– इसमें निम्नलिखित शामिल है :–

* स्थनापन्न भत्ता
* असुविधा भत्ता
* मलवा रखने का अधिकार
* परिवर्ती भत्ता
* किराया आय हानि मुआवजा
* व्यवसायिक परिसर पुनर्स्थापन भत्ता

(ग) और (घ) बीएमआरसी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मुआवजे का वितरण पहले ही आरंभ कर दिया गया है और 100 फुटा रोड, इंदिरानगर के निवासी श्री एस. वेंकटेश को 100 फुटा रोड, इंदिरानगर स्थित उनकी 2009 वर्ग फुट अर्जित करने के लिए नवम्बर, 2007 के दौरान 2,38,82,075.00 रुपए का चैक (आयकर के 30,51,585.00 रुपए काटकर) सौंप दिया गया है।

शेष सभी भूमि/संपत्ति गंवाने वालों के लिए मुआवजे का भुगतान अप्रैल, 2008 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

महिला आरक्षण विधेयक

3205. डा. के. एस. मनोज : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का वर्तमान प्रतिशत अन्य सभी पड़ोसी देशों तथा देश में उनकी जनसंख्या की तुलना में बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) विभिन्न राज्य विधान सभाओं तथा देश में स्थानीय स्व–शासनों की त्रि–स्तरीय प्रणाली में महिला प्रतिनिधियों/की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रावार संख्या कितनी है; और

(घ) प्रस्तावित महिला आरक्षण विधेयक की वर्तमान स्थिति क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) से (ग) मांगी गई जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) सरकार, महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पुरः स्थापित किए जाने से पूर्व उक्त विधेयक के उपबंधों पर आम सहमति बनाने के लिए सभी प्रयास कर रही है।

न्याय पंचायतों का गठन

3206. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :
प्रो. रासा सिंह रावत :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्याय पंचायतों के गठन हेतु औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) और (ख) ग्राम न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

सीएसआईआर में अक्रियात्मक वेतनमान

3207. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री 27.4.2007 के अतारांकित प्रश्न सं. 3635 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीएसएस के अनुभाग अधिकारियों का 8000–13500 रु. का अक्रियात्मक वेतनमान सीएसआईआर के अनुभाग अधिकारियों को दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह किस तारीख से लागू है;

(ग) क्या सीएसएस के निजी सचिवों का 8000–13500 रु. का अक्रियात्मक वेतनमान सीएसआईआर के निजी सचिवों को नहीं दिया गया;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस वेतनमान को कब तक दिए जाने की संभावना है?;

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) जी हां। सीएसएस के अनुभाग अधिकारियों का 8000-13500 रुपये अक्रियात्मक वेतनमान सीएसआईआर के अनुभाग अधिकारियों को दिनांक 3.10.03 से दिया गया था।

(ग) से (ङ) सीएसआईआर के निजी सचिवों के लिए इसे अभी लागू नहीं कर दिया गया है। शासी निकाय द्वारा इस मामले पर दिनांक 22.6.07 को संपन्न अपनी 169वीं बैठक में विचार किया गया था। इस बैठक की प्रारूप कार्यवाही को अनुमोदन हेतु सक्षम प्राधिकारी के पास भेजा गया था। सक्षम प्राधिकारी ने इस प्रस्ताव को अंतरमंत्रालयी परामर्शों के बाद पुनः प्रस्तुत करने की सलाह दी है।

एटीएम सुविधा

3208. श्री विजय कृष्ण :
श्री महावीर भगोरा :
श्री के. सी. पल्लानी शामी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और बिहार में किन–किन स्थानों पर विभिन्न बैंकों द्वारा बैंकवार एटीएम सुविधा प्रदान की गई है; और

(ख) चालू तथा अगले वित्त वर्ष में उपरोक्त राज्यों में नए एटीएम लगाने हेतु क्या योजना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) उदारीकृत शाखा प्राधिकार नीति के तहत, शाखा/स्थलेतर एटीएम के केन्द्र/अवस्थिति का चुनाव बैंकों के विवेक पर छोड़ दिया गया है, जिसके बारे में बैंक व्यावसायिक संभाव्यता, वाणिज्यिक अर्थक्षमता, आधारभूत सुविधाओ की उपलब्धता, आदि के आधार पर निर्णय लेते हैं। इस नीति में यह प्रावधान किया गया है कि बैंक, वार्षिक योजना के अंतर्गत दिए गए अनुमोदनों के अलावा, वर्ष में किसी भी समय, विशेषतः ग्रामीण/कम बैंकिंग वाले क्षेत्रों में शाखाएं/एटीएम खोलने संबंधी किसी भी तात्कालिक प्रस्ताव पर भारतीय रिजर्व बैंक से संपर्क कर सकते हैं। यहां यह बताना भी आवश्यक होगा कि बैंकों द्वारा स्थलेतर एटीएम खोलने के सभी प्रस्तावों पर सामान्यतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुकूल तरीके से विचार किया जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में स्थापित एटीएम की कुल संख्या का बैंकवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

उत्तर प्रदेश और बिहार में एटीएम की बैंकवार अवस्थिति

(सितम्बर 2007 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	बैंक का नाम	स्थापित एटीएम की कुल संख्या	
		उत्तर प्रदेश	बिहार
1	2	3	4
	राष्ट्रीयकृत बैंक		
1	इलाहाबाद बैंक	63	8
2.	आंध्रा बैंक	3	0
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	136	10
4.	बैंक ऑफ इंडिया	14	10
5.	बैक ऑफ महाराष्ट्र	16	0
6.	केनरा बैंक	91	26
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	41	1
8.	कार्पोरेशन बैंक	56	4
9.	देना बैंक	15	1
10.	इंडियन बैंक	9	2

1	2	3	4
11.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	23	2
12.	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	78	2
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	0	0
14.	पंजाब नैशनल बैंक	154	27
15.	सिंडिकेट बैंक	72	6
16.	यूको बैंक	13	2
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	79	10
18.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	7	2
19.	विजया बैंक	8	0
स्टेट बैंक समूह			
20.	भारतीय स्टेट बैंक	443	200
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	3	2
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	0	0
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	5	0
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	1	0
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	17	1
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	3	0
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	2	0
सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक			
28.	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई)	29	5
	कुल	1381	331

[हिन्दी]

अल्ट्रा मेगा पॉवर प्रोजेक्ट्स

3209. श्री कीरेन रिजीजू :

श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 4000 मेगावाट की परियोजनाओं के माध्यम से अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स (यू एम पी पी) की उत्पादन क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया ठीक कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पहले से चल रही 4000 मेगावाट की परियोजनाओं में एक और यू एम पी पी को जोड़ दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) की बोली प्रक्रिया अन्य के साथ-साथ मानक बोली दस्तावेजों के आधार पर संपादित की जाती है जिसके आधार पर परियोजना विशेष बोली दस्तावेजों को तैयार किया जाता है। मानक बोली दस्तावेज 31 मार्च, 2006 को जारी करने के बाद छह बार संशोधित किए जा चुके हैं। विभिन्न स्टेकहोल्डरों से प्राप्त फीडबैक और यूएमपीपी के प्रथम समूह के क्रियान्वयन के दौरान प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए ये संशोधन दिनांक 18 मई, 2006, 21 अगस्त, 2006, 22 सितंबर, 2006, 31 जनवरी, 2007, 21 सितम्बर, 2007 और 12 नवंबर, 2007 को जारी किए गए थे।

(ख) और (ग) विद्युत मंत्रालय द्वारा शुरू की गई यूएमपीपी पहल के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने यूएमपीपी की स्थापना के लिए विभिन्न राज्यों में 9 स्थलों की पहचान की है। परियोजनाओं को आरंभ करना अन्य बातों के साथ-साथ स्थल की उपयुक्तता और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही अपेक्षित स्वीकृतियों पर निर्भर करता है। यद्यपि आरंभ में कर्नाटक और तमिलनाडु में अभिज्ञात स्थलों के लिए स्वीकृतियां अपेक्षित हैं तो भी हाल ही में इन प्रत्येक राज्यों में एक अतिरिक्त यूएमपीपी की स्थापना की संभावना का पता लगाने के लिए इन राज्यों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

[अनुवाद]

ग्यारहवीं योजना में ग्रामीण स्वरोजगार योजना

3210. श्री सुग्रीव सिंह :

श्री किसनभाई वी. पटेल :

श्री जी. एम. सिद्दीश्वर :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार प्रदान करने हेतु 11वीं योजना में कोई स्कीम तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 11वीं योजना के दौरान इस स्कीम के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस स्कीम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) और (ख) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) को

स्व–रोजगार के सभी पहलुओं अर्थात् सामाजिक जागरुकता एवं ग्रामीण निर्धन का क्षमता निर्माण की प्रक्रिया के जरिए ग्रामीण गरीबों का स्व–सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठन, सामूहिक क्रियाकलापों का नियोजन, अवसंरचना सृजन, प्रौद्योगिकी, ऋण और विपणन को शामिल करते हुए माइक्रो– एन्टरप्राइजेज के एक व्यापक कार्यक्रम के रूप में स्वीकार किया गया है। 11वीं योजना में एसजीएसवाई को जारी रखा जा रहा है ताकि ग्रामीण बीपीएल परिवारों को स्व–रोजगार मुहैया कराने का उद्देश्य पूरा किया जा सके।

(ग) योजना आयोग ने 11वीं योजना के दौरान एसजीआरवाई कार्यक्रम के लिए वर्तमान दर पर 17523 करोड़ रु. का अनुमान लगाया है।

(घ) निधियों का पूर्णतः उपयोग करने के लिए, केन्द्र स्तर से लेकर निचले स्तर तक एसजीएसवाई की निगरानी की जाती है। केंद्र स्तर पर, केंद्र स्तरीय समन्वय समिति (सीएलसीसी) कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरात्री एवं समीक्षा करती है तथा एसजीएसवाई के लिए ऋण से संबंधित सभी पहलुओं के लिए नीतिगत दिशानिर्देश निर्धारित करती है। ग्रामीण विकास विभाग की निष्पादन समीक्षा समिति भी एसजीएसवाई के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। राज्य स्तर पर, राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) कार्यक्रम की निगरानी करती है। जिला एवं ब्लॉक स्तर पर जिला स्तरीय एसजीएसवाई समिति एवं ब्लॉक स्तरी" एसजीएसवाई समिति कार्यक्रम की निगरानी करती है। इसके अलावा, जि.ग्रा.वि. एजेंसियों/राज्यों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों और विवरणियों के जरिए भी एसजीएसवाई के अंतर्गत हुई प्रगति की आवधिक रूप से निगरानी की जाती है। ब्लॉक/डीआरडीए स्तर पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से परियोजना निदेशकों की कार्यशालाओं और राज्य सचिवों के साथ होने वाली आवधिक बैठकों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाी है। ब्लॉक/डीआरडीए स्तर पर क्षेत्र दौरों तथा परिसंपत्तियों के वास्तविक सत्यापन के माध्यम से निगरानी की जाती है। जिलों से केन्द्र तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तक सूचना की सुगम उपलब्धता के लिए देश की सभी जि.ग्रा.वि. एजेंसियां ऑन लाइन नेटवर्क से जुड़ गई हैं। इसके अलावा, मंत्रालय के अन्य निगरानी तंत्रों अर्थात क्षेत्र अधिकारी योजना, जिला स्तरीय निगरानी, राष्ट्र स्तरीय निगरानी प्रभाव निर्धारण एवं मूल्यांकन अध्ययन के जरिए भी कार्यक्रम की निगरानी की जाती है।

अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाना

3211. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदायों विशेषकर करीमपालन, मावीलन, वेदान तथा वेत्तुवान को शामिल करने के लिए केरल सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 7.1.2003 के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2003 की सं. 10) द्वारा करीमपालन एवं मावीलन समुदायों को केरल राज्य की अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित किया गया है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सूची के विनिर्देशन से संबंधित आदेशों में शामिल करने, हटाने एवं अन्य संशोधनों के दावों के निर्धारण के लिए जून, 1999 में अनुमोदित प्रविधियों के अनुसार वेदान एवं वेत्तुवान समुदायों के प्रस्तावों पर कार्रवाई की गई है।

गुटखा विनिर्माताओं पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क आसूचना का छापा

3212. श्री उदय सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क महानिदेशालय ने हाल ही में गुटखा (पान मसाला), विनिर्माताओं पर छापा मारा और पिछले कुछ माह में कई करोड़ रुपए के कर अपवंचन का पता लगाया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार गुटखा विनिर्माताओं के विरुद्ध आगे और कार्रवाई करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय ने हाल ही में कुछ गुटखा (पान मसाला) विनिर्माताओं पर छापा मारा और कई करोड़ रु. के कर अपवंचन का पता लगाया है।

(ख) चालू वित्त वर्ष 2007–08 (नवम्बर, 2007 तक) में दर्ज किए गए मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जांच पूरी होने पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे गुटखा विनिर्माताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का अपवंचन करते पाए गए हैं।

विवरण

वर्ष 2007–08 (नवम्बर, 2007 तक)

क्र.सं.	विनिर्माता का नाम	पता लगाए गए अपवंचन की राशि (करोड़ रु. में)	वर्तमान स्थिति
1.	मै. के. पी. पउचेज, दिल्ली	0.04	मामला जांच के अधीन
2.	मै. एस. पी. फ्लेवर्स प्राइवेट लिमिटेड, बंगलोर	0.50	मामला जांच के अधीन। पक्षकार द्वारा स्वेच्छया 50 लाख रु. शुल्क देयता के नाम पर जमा कराया गया है।
3.	मै. श्री राज पान मसाला, जोधपुर	0.50	मामला जांच के अधीन।
4.	मै. सनराईज फूड प्रोडक्ट्स, नई दिल्ली	3.50	मामला जांच के अधीन। पक्षकार द्वारा स्वेच्छया 50 लाख रु. शुल्क देयता के नाम पर जमा कराया गया है।
5.	मै. कुरेले पान प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, गाजियाबाद	118.00	मामला जांच के अधीन। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पक्षकार द्वारा स्वेच्छया 5 करोड़ रु. शुल्क देयता के नाम पर जमा कराया गया है।
6.	मै. कुरेले फ्रेगरेंसेज प्राइवेट लिमिटेड, कानपुर	38.00	मामला जांच के अधीन

ई. प्रशासन कार्यक्रम के अंतर्गत लाए गए शहर

3213. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों में ई–प्रशासन के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी क्या विशेषताएं हैं;

(ग) इस कार्यक्रम हेतु पहचान किए गए शहरों के राज्यवार नाम क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार संपूर्ण देश में इसका विस्तार करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर क्षेत्रों के एलटीसी

3214. डा. एच. टी. संगलिआना : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को पूर्वोत्तर क्षेत्र विभाग से जम्मू और कश्मीर तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के मामले की तर्ज पर केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों को विमान द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र जाने के लिए अखिल भारतीय अवकाश यात्रा रियायत देने की अनुमति देने के संबंध में, प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार के समूह "क" और "ख" कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत नियमों में छूट देते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र का दौरा करने के लिए हवाई यात्रा करने की अनुमति देने संबंधी पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय से प्राप्त प्रस्ताव की जांच की गई थी, लेकिन उस पर सहमति नहीं हुई।

केन्द्र सरकार के समूह "क" और "ख" कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत नई दिल्ली और श्रीनगर के बीच यात्रा हवाई जहाज की

इकॉनामी क्लास द्वारा करने की अनुमति 16.6.2004 से दो वर्ष की सीमित अवधि के लिए दी गई थी। इसे और आगे नहीं बढ़ाया गया है। इसी प्रकार, केन्द्र सरकार के सभी समूह "क" और "ख" कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत गृह नगर अथवा अखिल भारत छुट्टी यात्रा रियायत के बजाए अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का दौरा कोलकाता/चैन्नई से पोर्ट ब्लेअर और वापसी हवाई जहाज की इकॉनामी क्लास से करने की अनुमति 25/5/2005 से छह माह की सीमित अवधि के लिए दी गई थी तथा इसे और आगे नहीं बढ़ाया गया है।

दोहरी कर दरें

3215. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घरेलू तथा विदेशी कंपनियों हेतु दोहरी कर दरें हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस दोहरी कर नीति के क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत में निवेश की बातचीत करते समय कुछ देशों ने इस पर आपत्ति की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, हां। घरेलू कंपनियों के मामले में 30% की तुलना में विदेशी कंपनियों पर 40% की उच्च दर से कर लगाया जाता है। तथापि, विदेशी कंपनियों के लिए अधिभार की दर घरेलू कंपनियों के लिए 10% की तुलना में कम यानी 2.5% है। कराधान की विभेदक दर इस वजह से है कि विदेशी कंपनियों द्वारा वितरित लाभांश कारपोरेट और शेयर धारक दोनों ही स्तरों पर भारत में कराधेय नहीं है।

(ग) भारत के साथ द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण करार पर बातचीत करते समय किसी भी विदेशी राष्ट्र के घरेलू और विदेशी कंपनियों के लिए दोहरी कर दरों पर आपत्ति नहीं की है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पनधारा विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत धनराशि का उपयोग

3216. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पनधारा विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई धनराशि का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने इसके अंतर्गत आबंटित धनराशि का पूर्ण उपयोग किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) से (घ) भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय तीन क्षेत्र विकास कार्यक्रमों, नामतः सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.), मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) तथा समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई. डब्ल्यू. डी. पी.) को वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित कर रहा है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत इन्हें आरंभ किए जाने की तारीख से लेकर 30.11.2007 तक विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

वाटरशेड परियोजनाओं को पांच वर्षों की अवधि के लिए स्वीकृत किया जाता है और परियोजना की कुल लागत को पांच किस्तों में जारी किया जाता है। निधियों के उपयोग की मॉनीटरिंग के लिए एक प्रक्रिया परियोजना में पहले से ही शामिल है, जिसके तहत केन्द्रीय भाग की अगली किस्त तभी जारी की जाती है जब पहले जारी किए गए केन्द्र तथा राज्य के भाग की 50% से अधिक राशि का उपयोग कर लिया गया हो।

परियोजनाओं के कार्य – निष्पादन की निगरानी करने के लिए राज्यों के ग्रामीण विकास विभागों को शामिल करते हुए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। प्रत्येक राज्य के कार्य निष्पादन की समीक्षा करने के लिए राज्य नॉडल अधिकारियों की बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाती है। वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति की निगरानी के लिए एक वेब आधारित ऑन लाइन प्रणाली शुरू की गई है। विभाग ने उपयोग प्रमाण–पत्र के प्रोफार्मा को भी संशोधित किया है, जिसमें कार्यान्वयन एजेंसी के लिए प्रगति तथा परिणामों का ब्यौरा, परिणाम (आउटकम) बजट में शामिल किए गए अनुसार उपलब्ध कराना आवश्यक किया है।

विवरण

वाटरशेड विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत इन्हें आरंभ किए जाने की तारीख से लेकर 30.11.2007 तक विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियां

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आई.डब्ल्यू.डी.पी.	डी.पी.ए.पी.	डी.डी.पी.
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	225.01	475.52	150.15
2.	अरुणाचल प्रदेश	57.30	–	–

1	2	3	4	5
3.	असम	155.61	–	–
4.	बिहार	29.40	32.50	–
5.	छत्तीसगढ़	99.02	87.65	–
6.	गोवा	1.07	–	–
7.	गुजरात	132.74	226.82	366.54
8.	हरियाणा	30.18	–	146.68
9.	हिमाचल प्रदेश	122.92	36.17	61.29
10.	जम्मू और कश्मीर	39.38	28.85	91.91
11.	झारखंड	12.84	64.35	–
12.	कर्नाटक	157.82	234.36	160.60
13.	केरल	20.69	–	–
14.	मणिपुर	50.15	–	–
15.	मेघालय	29.29	–	–
16.	मिजोरम	67.50	–	–
17.	महाराष्ट्र	103.15	277.79	–
18.	मध्य प्रदेश	235.22	413.36	–
19.	नागालैंड	143.79	–	–
20.	उड़ीसा	122.34	101.91	–
21.	पंजाब	11.79	–	–
22.	राजस्थान	163.86	139.80	980.29
23.	सिक्किम	22.96	–	–
24.	त्रिपुरा	14.25	–	–
25.	तमिलनाडु	140.24	178.97	–
26.	उत्तर प्रदेश	224.05	195.63	–
27.	उत्तराखंड	64.85	50.46	–
28.	पश्चिम बंगाल	14.28	24.32	–
29.	अन्य	12.50	11.36	–
	योग	2504.20	2579.82	1957.46

अनुबंध प्रणाली

3217. श्री हरिसिंह चावड़ा :
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपके मंत्रालय के अंतर्गत कई एजेंसियों में बड़े पैमाने पर अनुबंध प्रणाली प्रचलन में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ विभागों के कार्यों में कोई अनियमितताएं पाई गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार अनुबंध कार्य को कम से कम करने तथा सरकारी एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) आउटसोर्सिंग करने और अनुबंध पर नियोजित करने का कार्य केवल उन कार्यकलापों के लिए किया जाता है, जिनके लिए स्वदेशी विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं होते हैं। अतः व्यापक स्तर पर इसका आश्रय नहीं लिया जाता है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

मेगा सिटी कार्यक्रम

3218. श्री एम. अंजनकुमार यादव :
श्री काशीराम राणा :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेगा सिटी कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक कुल कितनी धनराशि आबंटित, जारी तथा उपयोग की गई;

(ख) इससे किन–किन सुविधाओं का सृजन किया गया/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) मेगा शहरों हेतु भावी कार्यक्रम क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) मेगा सिटी कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक आबंटित, जारी तथा उपयोग की गई कुल धनराशियों का ब्यौरा इस प्रकार है:–

* आबंटित – 1449.80 करोड़ रुपये
* जारी की गई – 1753.84 करोड़ रुपये
* उपयोग की गई – 1639.28 करोड़ रुपये

(ख) मेगा सिटी स्कीम का पात्र शहरों में अवसंरचना के लिए धनराशियों में वृद्धि करने के संबंध में पर्याप्त योगदान रहा है जिसके परिणामतः अवसंरचना तथा सेवाओं का स्तर बेहतर हुआ है। मेगा सिटी स्कीम के भाग के रूप में कार्यान्वित अधिकतर परियोजनाएं पूरे नगर की अवसंरचना परियोजनाएं हैं। विशेष रूप से सड़कों, जल आपूर्ति तथा सीवरेज से संबंधित इन परियोजनाओं के परिणामतः नागरिकों का जीवन–स्तर काफी बेहतर बना है।

(ग) इस स्कीम का विलय दिसम्बर, 2005 में शुरू किए गए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) में कर दिया गया है और इस प्रकार इसे 1 अप्रैल, 2007 से औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया है।

[अनुवाद]

बच्चों हेतु पौष्टिक आहार

3219. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए पौष्टिक आहार सुनिश्चित करने हेतु विधान लाने के संबंध में कोई सिफारिशें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आईसीआईसीआई बैंक द्वारा ऋण की वसूली

3220. श्री पी. एस. गढ़वी :
श्री अविनाश राय खन्ना :
श्री प्रहलाद जोशी :
श्री एस. के. खारवेंथन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निजी क्षेत्र के बैंक ऋणों की वसूली के लिए बाहुलियों तथा गुंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस प्रकार की अधिकांश शिकायतें आईसीआईसीआई बैंक के विरुद्ध दर्ज की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन शिकायतों पर बैंकों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा ऋण वसूली के लिए चूककर्ता ग्राहकों के लिए बाहुबलियों के प्रयोग तथा उन्हें उत्पीड़ित करने के संबंध में मीडिया की रिपोर्टों पर उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए इन रिपोर्टों को बैंकों के साथ उठाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पाया कि चूककर्ता ग्राहकों को कथित रूप से उत्पीड़ित किए जाने के ऐसे अधिकांश मामलों में आईसीआईसीआई बैंक लि. अंतर्ग्रस्त है। ऐसे कई मामलों में संबंधित बैंकों के वसूली एजेंटों द्वारा बल प्रयोग करने का आरोप लगाया गया था।

(ङ) आईसीआईसीआई बैंक के वसूली एजेंट द्वारा ग्राहकों के कथित उत्पीड़न तथा बैंक की एक उधारकर्ता श्रीमती प्रकाश कौर द्वारा दायर एक मामले के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ आईसीआईसीआई बैंक लि. द्वारा की गई अपील (2007 की संख्या 267) पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखकर, भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त, 2007 में बैंक को जांच करने, शामिल वसूली एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई करने, वसूली एजेंटों की नियुक्ति/निष्पादन की प्रणाली की उच्चस्तरीय समीक्षा करने, ग्राहक शिकायतों, आदि की व्यापक समीक्षा करने की सलाह दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्तूबर, 2007 में बैंक को सलाह दी थी कि यदि भविष्य में ऐसी घटनाएं घटी तो भारतीय रिजर्व बैंक कड़ी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा (दिनांक 30 अक्तूबर, 2007) में, भारतीय रिजर्व बैंक ने पाया कि हाल ही में वसूली एजेंटों की नियुक्ति के मामले में, बैंकों के विरुद्ध बढ़ती मुकदमों की संख्या के मद्देनजर यह महसूस किया गया कि प्रतिकूल प्रचार से पूरे बैकिंग क्षेत्र की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से आग्रह किया है कि वे वसूली एजेंट नियुक्त करते समय निर्धारित विशेष विचाराधीन बिन्दुओं का पालन करें और उसने यह भी स्पष्ट किया है कि बैंक के वसूली एजेंटों द्वारा अपनाए गए गलत तरीकों के बारे में प्राप्त शिकायतों से पर्यवेक्षण संबंधी गंभीर नाराजगी पैदा होगी। भारतीय रिजर्व बैंक उन बैंकों पर अस्थायी प्रतिबंध (अथवा निरंतर गलत तरीकों के मामले में स्थायी प्रतिबंध भी) लगा सकता है जिन पर उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय ने वसूली एजेंटों द्वारा अपनाए गए गलत तरीकों के संबंध में उनके निदेशकों/अधिकारियों की निन्दा की है/जुर्माना लगाया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 नवम्बर, 2007 को बैंकों द्वारा वसूली एजेंटों की नियुक्ति के संबंध में मार्गनिर्देशों का मसौदा भी अपनी वेबसाइट पर दिया है। इन मार्गनिर्देशों में बैंकों द्वारा वसूली एजेंटों की नियुक्ति, उनके द्वारा देय राशि की वसूली के लिए अपनाए गए तरीकों, वसूली एजेंटों के लिए प्रशिक्षण, बैंकों के पास बंधक रखी गई/

दृष्टिबंधक संपत्ति को कब्जे में लेने की प्रक्रिया, आदि से संबंधित परिचालनात्मक मुद्दे शामिल हैं। बैंकों से यह भी कहा गया है कि देयराशियों की वसूली से संबंधित संहिताओं का कड़ाई से पालन करें।

नारियल पर निर्यात शुल्क

3221. श्री एल. राजगोपाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में नारियल के निर्यात पर लगाए गए शुल्क की दरें अलग-अलग हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, नहीं। नारियल के निर्यात पर कोई सीमा शुल्क नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य बीमा हेतु मानदंडों को शिथिल करना

3222. श्री के. एस. राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जनसंख्या के एक बड़े वर्ग तक बीमा पैकेजों के विस्तार हेतु अस्पतालों तथा अन्य स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं को मानदंडों में छूट देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार स्वास्थ्य बीमा संघटक हेतु एक पृथक पूंजी ढांचे के सृजन को सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान कानूनों में संशोधन करने तथा स्वास्थ्य बीमा की नई परिभाषा देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) कानून के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार, बीमा अधिनियम, 1938 तथा उसके तहत बनाई गई विनियमावली से संबंधित प्रावधानों की शर्तों के अनुसार, केवल बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण में पंजीकृत कंपनियां ही स्वास्थ्य बीमा पालिसियों को प्रदान कर सकती है। बीमा अधिनियम, 1938 (1999 में यथा संशोधित) की धारा 3(2कक) में यह उल्लेख है कि यदि आवेदक व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए जीवन बीमा कारोबार या साधारण बीमा कारोबार करने के लिए प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमों में निर्धारित स्वरूप और तरीके से सहमत है, तो प्राधिकरण आवेदक को पंजीकृत करने के लिए प्राथमिकता देगा और पंजीकरण का एक प्रमाण पत्र प्रदान करेगा। अतः बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण के साथ विधिवत् रूप से पंजीकृत जीवन या साधारण बीमा कंपनी के अतिरिक्त कोई बीमा कंपनी बीमा प्रदान नहीं कर सकती है।

(ग) और (घ) इस संबंध में प्रस्तावित संशोधन बीमा विधि संशोधन विधेयक, 2008 में निहित है, जो कि मंत्रियों के समूह (जीओएम) के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

बैंक खाता खोलना

3223. श्री पंकज चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बैंक-वार कुल कितने बैंक खाते हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अधिकतर लोग बैंक खाता खुलवाना पसंद नहीं करते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकाले;

(ङ) क्या सरकार ने लोगों को बैंक खाता खुलवाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कोई योजना तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) दिनांक 31 मार्च, 2006 तक की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाओं और ऋण खातों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) सरकार ने इस तरह का सर्वे नहीं किया है।

(ङ) और (च) नए बैंक खातों को खोलने की सुविधा द्वारा, वित्तीय अंतर्वेशन को बढ़ावा देने के लिए, सरकार द्वारा की गई विशिष्ट पहलों में, अन्य बातों के साथ-साथ, "शून्य शेष" अथवा "अतिरिक्त सुविधा रहित" खातों का प्रारंभ, कुछ निश्चित वर्ग के खातों के लिए सरलीकृत अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) प्रक्रिया, बैंक की पहुंच बढ़ाने के लिए स्मार्ट कार्ड/मोबाइल तकनीक के उपयोग के लिए शुरूआती प्रायोगिक परियोजना, ग्राहकों की अद्वितीय पहचान स्थापित करने हेतु बायोमैट्रिक विधि, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में न्यूनतम एक जिले का 100 प्रतिशत वित्तीय अंतर्वेशन के लिए चयन के लिए प्रायोगिक परियोजना, बैंकों को गैर-सरकारी संस्थाओं (एनजीओ)/स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), व्यष्टि वित्त संस्थानों (एमएफआई) गैर बैकिंग वित्तीय

कंपनियों के अलावा) और दूसरी सिविल सोसाइटी संगठनों (सीएसओ) की सेवाओं के उपयोग मध्यवर्ती के रूप में वित्तीय एवं बैंकिंग सेवाओं को उपलब्ध करवाने के लिए अनुमति दी गई है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कारोबार परिचालन को नए क्षेत्रों में विविधीकरण को सुलभ करने हेतु नीतिगत पहलें, डाकघरों का उपयोग कारोबार संपर्की के रूप में करने के लिए बैंकों और डाक–प्राधिकारियों के बीच सहमति, ग्राहकों को सेवाएं देने में सधार, तथा, और ज्यादा वित्तीय अंतर्वेशन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए राज्य विशिष्ट कार्य समूहों का गठन, शामिल है।

विवरण

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमाखातों तथा ऋणखातों की संख्या

(31 मार्च, 2006 के अनुसार)

क्रम संख्या	बैंक	जमा खातों की संख्या	ऋण खातों की संख्या
1	2	3	4
1.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	5957410	842666
2.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	6434542	1237833
3.	भारतीय स्टेट बैंक	74788407	11735504
4.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	2930338	489416
5.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	3532314	564268
6.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	5007758	636087
7.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	3186762	542053
8.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	7129171	2831831
9.	इलाहाबाद बैंक	15606521	1601874
10.	आंध्रा बैंक	11454075	2211985
11.	बैंक ऑफ बड़ौदा	24021389	1798128
12.	बैंक ऑफ इंडिया	20873457	2297532
13.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	9040761	756485
14.	केनरा बैंक	22818202	4100319
15.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	19972023	1937458
16.	कार्पोरेशन बैंक	6387752	520052
17.	देना बैंक	7254435	437285
18.	इंडियन बैंक	12625149	1932918
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	10417205	2117677
20.	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	7498215	737950
21.	पंजाब एंड सिंध बैंक	4930249	359670
22.	पंजाब नेशनल बैंक	30638736	3390690
23.	सिंडिकेट बैंक	14037505	2608572
24.	यूको बैंक	11401309	1383316
25.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	14888749	1710539

1	2	3	4
26.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	10122567	952499
27.	विजया बैंक	5592548	723711
28.	आईडीबीआई लि.	1098421	134978
29.	एबीएन आमरो बैंक एनवी	471515	604159
30.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	21549	396
31.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	27607	463272
32.	एंटवर्प डायमंड बैंक एनवी	82	74
33.	अरब बांग्लादेश बैंक लि.	383	25
34.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	322	11
35.	बैंक ऑफ अमेरिका एनटी एंड एसए	6168	301
36.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बीएससी	13376	1813
37.	बैंक ऑफ सीलोन	3032	125
38.	बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया	10297	538
39.	बारक्लेज बैंक पीएलसी	11561	58
40.	बीएनपी परिबास	5214	1120
41.	केलोन बैंक	1144	128
42.	चाइना ट्रस्ट कामर्शियल बैंक	806	61
43.	चो हंग बैंक	194	44
44.	सिटी बैंक एनए	939970	5614987
45.	डीबीएस बैंक लि.	516	85
46.	ड्यूश बैंक (एशिया)	25481	1307
47.	हांगकांग एंड शंघाई बैकिंग कारपोरेशन लि.	811964	572294
48.	जेपी भोरगन चेस बैक नेशनल एसोसिएशन	130	0
49.	क्रूंग थाई बैंक पब्लिक कम्पनी लि.	7624	10
50.	मशरेक बैंक पीएससी	496	2
51.	मिझुओ कार्पोरेट बैंक लि.	214	77
52.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एसएओजी	15314	72
53.	सोसाइटी जनरल	407	139
54.	सोनाली बैंक	2044	91
55.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	910810	2452927
56.	स्टेट बैंक ऑफ मारीशस लि.	33021	181
57.	दि. बैक ऑफ टोक्यो-मित्सुबिशी यूएफजी लि.	9363	640
58.	अधियामन ग्राम बैंक	102685	74761

1	2	3	4
59.	अलकनंदा ग्रामीण बैंक	98373	12816
60.	अलीगढ़ ग्रामीण बैंक	474425	108631
61.	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	1723772	353216
62.	अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	54024	7083
63.	असम ग्रामीण विकास बैंक	2230297	278898
64.	औरंगाबाद जालना ग्रामीण बैंक	277256	55634
65.	अवध ग्रामीण बैंक	673432	162171
66.	बैतरणी ग्राम्य बैंक	385173	125292
67.	बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	454259	52635
68.	बाराबंकी ग्रामीण बैंक	504342	114948
69.	बर्धमान ग्रामीण बैंक	412924	97622
70.	बड़ौदा ईस्टर्न उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक	3591115	203887
71.	बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक	591994	100755
72.	बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक	844381	174686
73.	बड़ौदा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ग्राभीण बैंक	602686	84292
74.	बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	176847	44353
75.	भंडारा ग्रामीण बैंक	182552	33971
76.	बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	477838	95445
77.	बीकानेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	54757	10329
78.	बिलासपुर–रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	351218	84472
79.	बोलंगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक	613019	1524930
80.	बुदेलखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	214872	86138
81.	कावेरी ग्रामीण बैंक	387330	104131
82.	चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक	356093	163026
83.	चंबल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	112794	14129
84.	चंद्रपुर गड़चिरोली ग्रामीण बैंक	185740	33704
85.	छिंदवाड़ा स्योनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	15623	38634
86.	चिकमंगलूर–कोडागु ग्रामीण बैंक	98749	24618
87.	दमोह पन्ना सागर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	202535	51454
88.	डेक्कन ग्रामीण बैंक	590761	300696
89.	देना गुजरात ग्रामीण बैंक	536442	73153
90.	देवीपाटन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	450055	62724
91.	देवास–शाजापुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	174232	35650

1	2	3	4
92.	धेनकनाल ग्राम्य बैंक	192739	79920
93.	दुर्ग राजनंदगांव ग्रामीण बैंक	348623	57639
94.	एल्लाकुवई देहाती बैंक	110652	9245
95.	ऐटा ग्रामीण बैंक	251597	47933
96.	इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	183496	33242
97.	फरीदकोट–भटिंडा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	59629	10925
98.	फर्रुखाबाद ग्रामीण बैंक	379816	82895
99.	गंगा यमुना ग्रामीण बैंक	89678	15685
100	गौड़ ग्रामीण बैंक	697808	224085
101.	गिरिध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	101677	22305
102.	गुडगांव ग्रामीण बैंक	594044	106692
103.	ग्वालियर दतिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	73248	17301
104.	हडोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	210697	44187
105.	हरियाणा ग्रामीण बैंक	492399	128659
106.	हजारीबाग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	104339	29081
107.	हिमाचल ग्रामीण बैंक	394391	49760
108.	हावड़ा ग्रामीण बैंक	328604	46715
109.	इंदौर उज्जैन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	80660	15134
110.	जयपुर थार ग्रामीण बैंक	585365	117875
111.	जम्मू ग्रामीण बैंक	378546	30048
112.	जमुना ग्रामीण बैंक	214601	38634
113.	झबुआ धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	229840	43955
114.	केए बैंक नानकींडोंग आरआई खासी जयंतिया	128773	27833
115.	कालाहांडी आंचलिक ग्राम्य बैंक	177038	72954
116.	कलिंगा ग्राम्य बैंक	811347	223486
117.	कल्पतरू ग्रामीण बैंक	255963	76802
118.	कामराज ग्रामीण बैंक	210497	11812
119.	कनकदुर्गा ग्रामीण बैंक	101754	50151
120.	कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक	1936326	417330
121.	काशी गोमती संयुत्त ग्रामीण बैंक	2376000	273926
122.	किसान ग्रामीण बैंक, बदायूं	187617	53403
123.	कोरापुट–पंचबटी ग्राम्य बैंक	265833	128541
124.	कोशी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	417624	154621

1	2	3	4
125.	कृष्णा ग्रामीण बैंक	304642	203599
126.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, होशंगाबाद	226544	58254
127.	क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक, मैनपुरी	288193	59436
128.	लंगपी देहांगी ग्रामीण बैंक	102799	16904
129.	लखनऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1521346	217064
130.	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक	1606287	429001
131.	महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	88950	17590
132.	मल्लभूम ग्रामीण बैंक	971599	243894
133.	मालवा ग्रामीण बैंक	88029	25440
134.	मांडला बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	132385	35462
135.	मणिपुर ग्रामीण बैंक	41451	11461
136.	मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक	357313	134306
137.	मारवाड़ ग्रामीण बैंक	488105	81719
138.	मयूराक्षी ग्रामीण बैंक	419567	107232
139.	मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक	136589	16916
140.	मिजोरम ग्रामीण बैंक	78505	16867
141.	मुर्शिदाबाद ग्रामीण बैंक	193780	39250
142.	नाडिया ग्रामीण बैंक	274870	74664
143.	नागालैंड ग्रामीण बैंक	7446	2572
144.	नैनीताल अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	157255	25824
145.	निमार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	181800	45357
146.	नॉर्थ मालाबार ग्रामीण बैंक	1014211	318316
147.	पलामु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	238594	58906
148.	पांडियन ग्राम बैंक	526628	519809
149.	पर्वतीय ग्रामीण बैंक	67215	11447
150.	पिनाकिनी ग्रामीण बैंक	470221	20825
151.	पिथौरागढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	76184	14378
152.	प्रगति ग्रामीण बैंक	1439092	9501
153.	प्रथमा बैंक	1043281	270170
154.	पंजाब ग्रामीण बैंक	460433	55578
155.	पुरी ग्राम्य बैंक	354462	161203
156.	पूर्वांचल ग्रामीण बैंक	1956802	281010
157.	रायगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	184263	35147
158.	राजस्थान ग्रामीण बैंक	575861	129806

1	2	3	4
159.	राजगढ़ सीहोर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	131310	29195
160.	रांची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	250919	43823
161.	रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	130501	43213
162.	रतलाम मंदसौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	132873	24217
163.	रत्नागिरी सिंधुदुर्ग ग्रामीण बैंक	115248	23166
164.	रायलसीमा ग्रामीण बैंक	990092	370084
165.	रीवा–सिधी ग्रामीण बैंक	318225	31505
166.	रूशीकुल्या ग्राम्य बैंक	291925	96704
167.	सागर ग्रामीण बैंक	585793	113979
168.	समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	164472	48343
169.	संथाल परगना ग्रामीण बैंक	280958	117381
170.	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	293888	118049
171.	शहडोल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	135725	23908
172.	शारदा ग्रामीण बैंक	202552	33474
173.	शिवपुरी गुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	165915	33216
174.	श्री वेंकटेश्वर ग्रामीण बैंक	322423	211370
175.	सिंहभूम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	219725	67942
176.	सोलापुर ग्रामीण बैंक	140370	12643
177.	साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक	1316856	623136
178.	श्री अनंता ग्रामीण बैंक	590589	206375
179.	श्रीगंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	97578	21459
180.	सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	268620	59686
181.	थाने ग्रामीण बैंक	69345	6482
182.	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक	494562	151431
183.	त्रिवेणी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	729670	65056
184.	उत्तर बंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	521256	139483
185.	उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2122279	413875
186.	उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक	316351	680
187.	वल्लालर ग्राम बैंक	72967	57029
188.	विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	271407	73598
189.	विदिशा–भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	50452	10601
190.	विश्वेश्वरैया ग्रामीण बैंक	97703	29559
191.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	2053850	107736
192.	भारत ओवरसीज बैंक लि.	395022	25089

1	2	3	4
193.	कैथोलिक सीरियन बैंक लि.	1444852	267251
194.	सेंचुरियल बैंक ऑफ पंजाब लि.	1490344	366904
195.	सिटी यूनियन बैंक लि.	715665	101747
196.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	438859	71040
197.	फेडरल बैंक लि.	3325518	625689
198.	गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाड लि.	167991	10046
199.	एचडीएफसी बैंक लि.	6325703	2307060
200.	आईसीआईसीआई बैंक लि.	12745709	4392323
201.	इंडसइंड बैंक लि.	544593	500404
202.	आईएनजी वैश्य बैंक लि.	1544642	248702
203.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	3570473	326748
204.	कर्नाटक बैंक लि.	2582381	216395
205.	करूर वैश्य बैंक लि.	1839218	336925
206.	कोटक महिन्द्रा बैंक लि.	154290	135838
207.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	1113448	244964
208.	लॉर्ड कृष्णा बैंक लि.	330614	21804
209.	नैनीताल बैंक लि.	314436	31086
210.	रत्नाकर बैंक लि.	407638	27920
211.	सांगली बैंक लि.	750145	30742
212.	एसबीआई कामर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि.	10709	739
213.	साउथ इंडियन बैंक लि.	1707126	476069
214.	तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लि.	1535886	273946
215.	दि धनलक्ष्मी बैंक लि.	753818	128061
216.	युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	1685600	137470
217.	यूटीआई बैंक लि.	4292542	319588
218.	यस बैंक लि.	89450	803
	कुल	48509771	85435381

स्रोत : मूलभूत सांख्यिकीय विवरणीय (बीएसआर) सर्वेक्षण 1 और 2 मार्च 2006

[अनुवाद]

आयकर का दर ढांचा निर्धारित करना

3224. श्री रेवती रमन सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आयकर के वर्तमान दर ढांचे में वैज्ञानिक तथा वास्तविकता के आधार पर संशोधन करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय बजट प्रक्रिया के रूप में आयकर दरों

की समीक्षा की जाती है। यदि कोई परिवर्तन होते हैं तो उन्हें वित्त विधेयक में दर्शाया जाता है। इसलिए, भावी आयकर दरों के संबंध में इस स्तर पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

[हिन्दी]

आईएवाई के अंतर्गत मकानों में स्वच्छता सुविधाएं

3225. श्री अनंत गुढे : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत आवासीय इकाइयों में देश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं को आवश्यक करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहु) : (क) और (ख) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवासीय इकाई के निर्माण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार को मैदानी क्षेत्रों में 25000 रु. और पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्रों में 27,500 रु. की वित्तीय सहायता दी जाती है। स्वच्छ शौचालय और धूआंरहित चूल्हा बनाना आईएवाई मकान का अभिन्न हिस्सा है। इसके अलावा, संपूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम से प्रति इकाई 1200 रु. की राशि उन लाभार्थियों को दी जा सकती है जो आईएवाई मकान के साथ स्वच्छ शौचालय बनाते हैं।

[अनुवाद]

गैस आधारित विद्युत परियोजनाएं

3226. श्री अबु अयीश मंडल :
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में एलएनजी और सीएनजी का उपयोग करके विद्युत उत्पादन करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) देश में विद्युत उत्पादन के लिए कितनी प्राकृतिक गैस उपलब्ध है; और

(ङ) देश में विद्युत उत्पादन के लिए अन्य ईंधनों की तुलना में प्राकृतिक गैस का ईंधन के रूप में उपयोग करने संबंधी लाभ/हानियों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (ग) विद्युत उत्पादन हेतु ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस और तरल प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल करने वाली परियोजनाओं को 11वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है। 11वीं योजना के दौरान लाभ हेतु केवल उन गैस/तरल प्राकृतिक गैस उपयोग वाली परियोजना पर विचार किया गया जिनके मामले में गैस आपूर्ति सुनिश्चित कर ली गई है या जो परियोजनाएं निर्माणाधीन है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के मूल्यांकन के अनुसार 11वीं योजना के दौरान प्रस्तावित 78577 मे. वा. क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम में गैस/एनएनजी आधारित परियोजनाओं से 4266 मे.वा. क्षमता शामिल है। ब्यौरा संलग्न विवरण–। में दिया गया है। गैस आधारित परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने वाली सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र कंपनियां निवेशगत निर्णय लेने से पहले इस प्रकार की परियोजनाओं के संबंध में सामान्यतः व्यवहार्यता, तकनीकी व वित्तीय व्यवहार्यता तथा ईंधन आपूर्ति सुरक्षा से संबंधित अध्ययन कार्य कराती है।

(घ) अप्रैल–अक्तूबर, 2007 की अवधि के दौरान औसतन गैस आपूर्ति की मात्रा 35.82 मिलियन स्टेन्डर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन (एमएमएससीएमडी) रही है। स्टेशनवार ब्यौरा संलग्न विवरण–।। में दिया गया है।

(ङ) गैस की वर्तमान कीमत पर गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं की विद्युत उत्पादन लागत कोयला आधारित विद्युत परियोजनाओं की उत्पादन लागत से अधिक बैठती है। तथापि गैस आधारित परियोजनाओं के लाभ अन्य ईंधनों की तुलना में निम्नवत है:–

* पाईप लाइनों के जरिये गैस पहुंचाकर भार केंद्रों के समीप परियोजनाएं स्थापित की जा सकती हैं।
* पारेषण हानियां न्यूनतम होती हैं क्योंकि परियोजनाएं भार केन्द्रों के समीप स्थापित की जाती हैं।
* विद्युत उत्पादन की स्थिति लागत कम होती है।
* भूमि, पानी व ओरएण्डएम कार्मिकों की कम आवश्यकता, कम निर्माणावधि तथा कम निस्सरण।

विवरण-।

क्र.सं.	संयंत्र का नाम	राज्य	स्थिति	क्षमता (मे.वा.)	लाभ का संभावित वर्ष
1	2	3	4	5	6
1.	रत्नागिरि जेवी	महाराष्ट्र	चालू	740	2007–08
2.	त्रिपुरा गैस आईएलएफएस	त्रिपुरा	ठेका संबंधी पत्र (एलओए) दिया जाना है।	750	2011–2012

1	2	3	4	5	6
3.	धौलपुर जीटी--2	राजस्थान	चालू	110	2007–08
4.	धौलपुर एसटी	राजस्थान	निर्माणाधीन	110	2007–08
5.	धुवरण	गुजरात	चालू	40	2007–08
6.	उतरान*	गुजरात	निर्माणाधीन	350	2009–10
7.	वलुथुर विस्तार	तमिलनाडु	निर्माणाधीन	92	2007–08
8.	लकवा डब्ल्यूएच	असम	निर्माणाधीन	37.2	2008–09
9.	सुगेन टोरेंट	गुजरात	निर्माणाधीन	1128	2008–09
10.	कोनासीमा	आंध्र प्रदेश	निर्माणाधीन	445	2008–09
11.	गौतमी	आंध्र प्रदेश	निर्माणाधीन	464	2008–09
	कुल गैस/एनएनजी आधारित			4266	

*374 मेगावाट के लिए एलओए दिया गया है।

विवरण-III

(31.10.2007 की स्थिति के अनुसार)

90% पीएलएफ पर स्टेशन–वार गैस की आवश्यकता

क्र.सं.	विद्युत केन्द्र का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	किस राज्य में स्थित है	गैस आवश्यकता* (एमएमएससीएमडी)	अप्रैल–अक्तूबर, 2007 के (दौरान औसत गैस आपूर्ति) (एमएमएससीएमडी)
1	2	3	4	5	6
	केंद्रीय क्षेत्र				
1.	फरीदाबाद सीसीजीटी	430.00	हरियाणा	2.06	1.48
2.	अंता सीसीजीटी	413.00	राजस्थान	1.98	1.55
3.	औरैया सीसीजीटी	652.00	उत्तर प्रदेश	3.13	2.54
4.	दादरी सीसीजीटी	817.00	उत्तर प्रदेश	3.92	2.93
5.	कवास सीसीजीटी	644.00	गुजरात	3.09	1.91
6.	गांधार सीसीजीटी	648.00	गुजरात	3.11	2.33
7.	कैथालगुड़ी सीसीजीटी (एजीबीपीपी)	291.00	असम	1.40	1.33
8.	अगरतला जीटी	84.00	त्रिपुरा	0.58	0.72
9.	रत्नागिरि सीसीजीटी @	2220.00	महाराष्ट्र	10.66	0.65
	उप जोड़ (केंद्रीय क्षेत्र)	6199.00		29.44	15.44
	राज्य क्षेत्र				
1.	इन्द्रप्रस्थ सीसीजीटी	282.00	दिल्ली	1.35	1.12
2.	प्रगति सीसीजीटी	330.40	दिल्ली	1.59	1.45

1	2	3	4	5	6
3.	रामगढ़ सीसीजीटी	113.80	राजस्थान	1.18	0.59
4.	धौलपुर जीटी #	220.00	राजस्थान	1.53	0.46
5.	उतरान सीसीजीटी	144.00	गुजरात	0.69	0.49
6.	हजीरा सीसीपीपी (जीएससीजी)	156.10	गुजरात	0.75	0.61
7.	धुवरण सीसीपीपी (जीएसईसीएल)	106.62	गुजरात	0.51	0.33
8.	धुवरण सीसीपीपी (जीएसईएल) विस्तार $	112.00	गुजरात	0.54	0.12
9.	उतरान सीसीजीटी	912.00	महाराष्ट्र	4.38	2.33
10.	विज्जेश्वरम सीसीजीटी	272.00	आंध्र प्रदेश	1.31	0.14
11.	कराईकल सीसीजीटी	32.50	पांडिचेरी	0.16	0.18
12.	नरीमनम जीटी	10.00	तमिलनाडु	प्रचालन में नहीं	
13.	कोविलकलप्पल (थिरूमाकोट्टई) सीसीजीटी	107.00	तमिलनाडु	0.51	0.39
14.	वलुथुर सीसीजीटी	94.00	तमिलनाडु	0.45	0.37
15.	कुट्टालम सीसीजीटी	100.00	तमिलनाडु	0.48	यूनिट की व्यापक मरम्मत हो रही है
16.	नामरूप सीसीजीटी	133.50	असम	0.64	0.49
17.	लकवा जीटी	120.00	असम	0.84	0.55
18.	मोबाइल जीटी	21.00	असम	प्रचालन में नहीं	
19.	ब्रह्मपुरम जीटी	37.50	त्रिपुरा	0.26	0.17
20.	रोखिया जीटी	90.00	त्रिपुरा	0.63	0.36
	उप जोड़ (राज्य क्षेत्र)	3394.42		17.79	10.15
	निजी क्षेत्र				
1.	वटवा सीसीजीटी (एईसी)	100.00	गुजरात	0.48	0.37
2.	रोखिया जीटी	180.00	महाराष्ट्र	0.86	0.75
3.	उप जोड़ (निजी क्षेत्र)	280.00		1.34	1.12
	निजी यूटिलिटियां (आईपीपी)				
1.	जीपीईसी पगुथन सीसीजीटी	655.00	गुजरात	3.14	1.98
2.	जीआईपीसीएल चरण-II सीसीजीटी	160.00	गुजरात	0.77	0.67
3.	एस्सार इम्प. सीसीजीटी	515.00	गुजरात	2.47	2.10
4.	गोदावरी सीसीजीटी (स्पैक्ट्रम)	208.00	आंध्र प्रदेश	1.00	0.84
5.	कोंडापल्ली सीसीजीटी	350.00	आंध्र प्रदेश	1.68	1.21
6.	जेगरूपाडु सीसीजीटी (जीवीके)	235.40	आंध्र प्रदेश	1.13	0.70

1	2	3	4	5	6
7.	जेगरूपाडु सीसीजीटी विस्तार (जीवीके)	220.00	आंध्र प्रदेश	1.06	0.00
8.	समलकोट सीसीपीपी/पेद्दापुरम	220.00	आंध्र प्रदेश	1.06	0.65
9.	वेमागिरि सीसीपीपी	370.00	आंध्र प्रदेश	1.78	22.9.06 से गैस आपूर्ति बंद है।
10.	पिनल्लूर सीसीजीटी	330.50	तमिलनाडु	1.59	0.26
11.	करूपपुर सीसीजीटी	119.80	तमिलनाडु	0.58	0.47
12.	वालनथरावी सीसीपीपी	52.80	तमिलनाडु	0.25	0.13
13.	डीएलएफ प्रा. सीसीजीटी	24.50	असम	0.12	0.10
	उप जोड़ (आईपीपी)	3461.00		16.61	9.11
	कुल	13334.42		65.69	35.82

* गैस जीसीवी के साथ नियामक गैस की जरूरत = 9000 कि. कैलारी/एससीएम (रामगढ़ सीसीजीटी को छोड़कर जिसके लिए जेसीवी 4150 कि. कैलोरी/एससीएम) है, ओपन साइकिल हेतु स्टेशन हीटरेट 2900 कि. कैलोरी/कि.वा.घं. और कंबाईड साइकिल के लिए 2000 कि. कैलोरी/कि.वा.घं.

जीटी–2 (110 मेगावाट) 16.6.2007 को चालू

$ एसटी(40 मेगावाट) 13.8.2007 को चालू

@ ब्लॉक–3 (740 मेगावाट) 28.10.2007 को चालू

एमएमएससीएमडी–मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर

सीसीजीटी–कंबाईड साइकिल गैस टरबाईन

जीटी–गैस टरबाईन

सीसीपीपी–कंबाईड साइकिल पावर प्लांट

जीसीवी–ग्रोस क्लोरोफिक वैल्यू

के.कैल./कि.वा.घं. किलो कैलोरी प्रति किलोवाट घंट

[हिन्दी]

प्रदूषित जल को फिल्टर करने के लिए नैनो प्रौद्योगिकी का उपयोग

3327. श्री सुभाष महरिया : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में प्रदूषित जल को शुद्ध करने और उसे फिल्टर करने के लिए नैनों प्रौद्योगिकी की तकनीक मौजूद है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रदूषित जल के शुद्धिकरण हेतु इस प्रौद्योगिकी को आम आदमी की पहुंच में लाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ग) जी, हां। पीने के लिये प्रदूषित जल को शुद्ध करने की प्रौद्योगिकियां विकसित करने हेतु भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा नैनों प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। उदाहरणार्थ, इण्टरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाऊडर मैटालर्जी एण्ड न्यू मैटीरियल्स (ए आर. सी आई), हैदराबाद और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, चेन्नई में वैज्ञानिकों द्वारा नैनो सिल्वर और नैनोगोल्ड पार्टिकल्स का उपयोग कर वाटर फिल्टरों को विकसित किया गया है। इन फिल्टरों का फील्ड परीक्षण हो चुका है और ये देश में वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध हैं। सरकार ने हाल ही में अनुसंधान और विकास को प्रोन्नत करने के लिए नैनों विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन (नैनो मिशन) आरंभ किया है, जिसमें 5 वर्षों के लिए 1000 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। नैनो मिशन के लिए शुद्ध पेयजल चयनित प्राथमिकता वाले क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने सुरक्षित पेयजल मुहैया कराने के लिए विकास, फील्ड परीक्षण, कम लागत और आसन घरेलू प्रणालियों पर संकेन्द्रित स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकियों का पायलट पैमाने पर प्रदर्शन तथा सीमित पैमाने पर प्रतिकृति हेतु सहायता प्रदान करने के लिए 50 करोड़ रुपये के परिव्यय से 11वीं योजना में एक नयी जल प्रौद्योगिकी पहल आरंभ की है।

[अनुवाद]

भारत सरकार के मुद्रणालयों का आधुनिकीकरण

3228. श्री मोहन जेना : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत सरकार के कुछ मुद्रणालयों को आधुनिक बनाये जाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शेष मुद्रणालयों के आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार ने भारत सरकार के निम्नलिखित मुद्रणालयों को आधुनिक बनाने का निर्णय लिया है:–

1. भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली
2. भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, नई दिल्ली
3. भारत सरकार मुद्रणालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
4. भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद, हरियाणा
5. भारत सरकार मुद्रणालय, नीलोखेड़ी, हरियाणा
6. भारत सरकार मुद्रणालय, अलीगढ़
7. भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक
8. भारत सरकार मुद्रणालय, कोयम्बटूर
9. भारत सरकार मुद्रणालय, कोरट्टी
10. भारत सरकार मुद्रणालय, संतरागाछी, हावड़ा
11. भारत सरकार मुद्रणालय, टैम्पल स्ट्रीट, कोलकाता
12. भारत सरकार मुद्रणालय, शिमला (उत्पदन–कम–प्रशिक्षण केन्द्र में परिवर्तित किया जाना है)

भुवनेश्वर, मैसूर और चण्डीगढ़ स्थित शेष 3 पाठय–पुस्तक मुद्रणालयों का निजीकरण किया जा रहा है और भारत सरकार मुद्रणालय, गंगटोक को सिक्किम की राज्य सरकार के पास अंतरित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत समय और गति अध्ययन

3229. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के मुख्य मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार राज्यों के लिए समय और गति अध्ययन करना आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्यों द्वारा उक्त अध्ययन किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) से (ग) जी, हां। एनआरईजीए के प्रचालन दिशा–निर्देश, 2006 के पैरा 6.3.3 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकारों को व्यापक कार्य, समय एवं गति अध्ययन करवाना चाहिए। इस तरह के अध्ययन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल की सरकारों द्वारा करवाए गए हैं तथा इन अध्ययनों के अनुसरण में, उनके द्वारा दर सूची संशोधित की गई है।

[हिन्दी]

जाली ऑटो फाइनेंस कंपनियां

3230. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या कॉरपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जाली ऑटो फाइनेंस कंपनियों ने लोगों के साथ 300 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है जैसाकि दिनांक 29 अगस्त, 2007 के 'लोकमत समाचार, में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में वसूली के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए लीज और फाइनेंस कंपनियों को विनियमित करने के लिए नियमों तथा विनियमों में कोई संशोधन करने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : (क) से (ग) 29 अगस्त, 2007 के 'लोकमत समाचार' में प्रकाशित रिपोर्ट के पश्चात महाराष्ट्र पुलिस ने ठाणे में ऑटो फाइनेंस कंपनियों के रूप में कार्य कर रही कतिपय कंपनियों के परिसरों पर छापे मारे हैं जिनपर लोगों से भारी राशि की धोखाधड़ी करने का आरोप है। महाराष्ट्र राज्य पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के पश्चात् प्रश्न में पूछी गई राशियों की वसूली, यदि कोई हो, के सहित उचित अनुवर्ती कानूनी कार्रवाई संबंधित न्यायालयों में महाराष्ट्र पुलिस द्वारा किए जाने की आवश्यकता होगी।

(घ) और (ङ) लीजिंग एवं वित्तीय कंपनियों की गतिविधियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित की जाती हैं। ऐसा विनियमन भारतीय दंड संहिता के किसी भी उपबंध के उल्लंघन से उठे अपराधिक दायित्व के अतिरिक्त है। वर्तमान में इस विषय से संबंधित वर्तमान नियमों एवं विनियमों में किसी प्रकार की परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

[अनुवाद]

कार्बन क्रेडिट से प्राप्त राजस्व

3231. श्री पी. सी. थामस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग कार्बन क्रेडिटों से अर्जित राजस्व को निर्यात आय मानने के पक्ष में है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या क्लीन विकास तंत्र परियोजनाओं को बढ़ावा देने के अनुकूल विनियामक रूपरेखा तैयार करने की कोई मांग की गई है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या भारत सरकार को कार्बन क्रेडिट से आय प्राप्त हो रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) सरकार को इस संबंध में कोई औपचारिक अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) क्लीन विकास तंत्र संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संबंधी ढांचागत अभिसमय (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.) के तहत क्योटो प्रोटोकॉल के लिए पक्षकारों की बैठक के रुप में सेवा करने वाले पक्षकार (देश) सम्मेलन द्वारा अनुमोदित नियमों एवं विनियमों के अंतर्गत संचालित है।

(ङ) और (च) जी, हां। आजतक, भारत से 295 कंपनियों ने क्लीन विकास तंत्र के कार्यकारी बोर्ड के साथ पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर ली है और भारतीय कंपनियों को 32 मिलियन प्रमाणित उत्सर्जन कटौतियां जारी की गई हैं। एक प्रमाणित उत्सर्जन कटौती कम की गई एक मीट्रिक टन कार्बनडाईआक्साइड के बराबर है। सरकार के पास ऐसी प्रमाणित उत्सर्जन कटौतियों की बिक्री पर भारतीय कंपनियों की आय उपलब्ध नहीं है।

आयकर विभाग के भवन में आग लगना

3232. श्री अधीर चौधरी :
श्री रेवती रमन सिंह :
श्री निखिल कुमार :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली के एक भवन में जिसमें आयकर विभाग का कार्यालय स्थित है, आग लगने के कारण बड़े पैमाने पर आयकर चूककर्ताओं से संबंधित रिकार्ड नष्ट हो गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला से घटनास्थल से नमूने एकत्रित करके आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस आग के लिए कोई जिम्मेदारी तय की गई है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) 6.10.2007 को नई दिल्ली में मयूर भवन स्थित आयकर कार्यालय में आग लग गई थी जिसमें आयकर के कुछ रिकार्ड, प्रशासनिक रिकार्ड, कार्यालय फर्नीचर और उपस्कर नष्ट हो गए हैं। आग दिल्ली दमकल सेवा द्वारा बुझाई गई।

(ग) और (घ) 6.10.2007 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दिल्ली पुलिस में दर्ज कराई गई है। दिल्ली पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। केन्द्र सरकार ने जांच के लिए सी एफ एस एल की सेवाओं की मांग नहीं की है।

(ङ) और (च) आग के कारण के संबंध में दिल्ली पुलिस की जांच के परिणाम की प्रतीक्षा है। तत्पश्चात यथोचित कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली दमकल सेवा, सी पी डब्ल्यू डी और एन डी एम सी से भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी सुरक्षोपाय करने का अनुरोध किया गया है।

मेजिया ताप विद्युत स्टेशन के भू-विस्थापित

3233. श्री सुनील खां : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम द्वारा पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विद्युत संयंत्र की सथापना करने के लिए भूमि का अधिग्रहण करते समय पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार और दामोदर घाटी निगम के प्रबंधन ने मेजिया ताप विद्युत स्टेशन के भू–विस्थापित परिवारों को रोजगार देने का करार किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संयंत्र की चौथी इकाई को चालू करने के बाद 240 परिवारों को रोजगार नहीं दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके पीछे क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) जी, नहीं। दामोदर वैली कारपोरेशन (डीवीसी) ने सूचित किया है कि डीवीसी द्वारा मेजिया ताप विद्युत स्टेशन (एमटीपीएस) के भू–विस्थापित परिवारों को रोज़गार प्रदान करने हेतु पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के साथ कोई करार हस्ताक्षरित नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) डीवीसी ने सूचित किया है कि 1996 में बनाई गई

पुनर्वास आधार पर विस्थापित व्यक्तियों की एमटीपीएस में अकुशल तथा मैनुअल पदों के लिए भर्ती नीति" के अनुसार उन्होंने 500 सूचीबद्ध विस्थापित व्यक्तियों में से 280 व्यक्तियों को चरणबद्ध रुप से नियमित समूह "घ" पदों पर पहले ही आमेलित कर लिया है। आगे पैनल में शेष बचे व्यक्तियों का आमेलन एमटीपीएस में जनशक्ति की वास्तविक आवश्यकता पर निर्भर करता है।

इस तथ्य के मद्देनजर कि डीवीसी ताप विद्युत स्टेशनों में मानव-मेगावाट अनुपात राष्ट्रीय मानदंडों की तुलना में काफी अधिक है, डीवीसी ने सूचीबद्ध विस्थापित व्यक्तियों में से प्रत्येक को रोजगार के एवज में 3 लाख रुपये की एकमुश्त राशि एकबारगी निपटान के तौर पर दिए जाने की नीति बनाई है जो अधिग्रहीत भूमि के बदले पहले से भुगतान किए गए मुआवजे के अतिरिक्त होगी।

[हिन्दी]

भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसियों का व्यपगत होना

3234. श्री संतोष गंगवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दस वर्षों के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा पॉलिसीधारकों द्वारा प्रीमियम का भुगतान न किए जाने के कारण वर्ष-वार कितनी पॉलिसियों को रद्द किया गया है; और

(ख) उक्त पॉलिसियों के अंतर्गत बीमित धनराशि के लिए कितनी धनराशि जमा की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने सूचित किया है कि अप्रैल, 1997 से चुकता मूल्य अधिग्रहण के बिना 6,64,38,280 पालिसियां व्यपगत हुई। पालिसियों की संख्या, कुल बीमित राशि और अदा किए गए प्रीमियम का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

व्यपगमन का वर्ष	पालिसियों की सं.	कुल बीमित राशि (राशि करोड़ रु. में)	अदा किया गया कुल प्रीमियम (राशि करोड़ रु. में)
1	2	3	4
1997-98	4394572	17215	601
1998-99	4809115	19336	715
1999-00	4985303	23023	837
2000-01	5963359	27629	930
2001-02	6668256	33905	1217
2002-03	7348807	54750	1436
2003-04	8172839	50432	1611
2004-05	8511165	52918	2045
2005-06	7751102	52252	2294
2006-07	7833762	58855	2716

[अनुवाद]

बड़े विद्युत संयंत्र का दर्जा

3235. श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1000 मेगावाट से अधिक क्षमता वाले विद्युत संयंत्रों को बड़े विद्युत संयंत्र का दर्जा देने तथा वित्तीय प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वित्तीय प्रोत्साहन छोटे विद्युत संयंत्रों को भी दिया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) सरकार की वर्तमान मेगा विद्युत नीति के अनुसार जो 1995 से लागू है तथा जिसे अप्रैल, 2006 में अंतिम बार संशोधित किया गया था, वित्तीय छूटें, लाभ मेगा विद्युत परियोजनाओं को उपलब्ध है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि नीति की मंशा स्केल की अर्थव्यवस्था से लाभ लेने के लिए देश में बड़ी आकार की विद्युत परियोजनाओं के विकास को संवेग प्रदान करना है।

विवरण

मेगा विद्युत परियोजनाएं : संशोधित नीति दिशा-निर्देश

मेगा विद्युत स्तर की मंजूरी के लिए विकासकर्त्ता द्वारा निम्न शर्तें पूरी की जानी अपेक्षित हैं:-

(क) जम्मू व कश्मीर, सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड तथा त्रिपुरा राज्यों में स्थित 700 मे.वा. या अधिक क्षमता के अंतरराज्यीय ताप विद्युत संयंत्र; या

(ख) उपर्युक्त खंड (क) में विनिर्दिष्ट राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों में स्थित 1000 मे.वा. अधिक क्षमता के अंतर-राज्यीय ताप विद्युत केन्द्र; या

(ग) जम्मू व कश्मीर, सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड त्रिपुरा राज्यों में स्थित 350 मे.वा. या अधिक क्षमता के अंतरराज्यीय जल विद्युत संयंत्र; या

(घ) उपर्युक्त खंड (ग) में विनिर्दिष्ट राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों में स्थित 500 मे.वा. या अधिक क्षमता के अंतरराज्यीय जल विद्युत संयंत्र

मेगा विद्युत परियोजनाओं को उपलब्ध वित्तीय छूटें/लाभ

शून्य सीमा शुल्क - 26 मई, 2006 को अधिसूचना सं. 49/2006–सीमा शुल्क के साथ पठित वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 21/2002–सीमा शुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2002 के अनुसार, पूंजीगत उपकरणों का आयात इन परियोजनाओं के लिए सीमा शुल्क से मुक्त होगा।

मानित निर्यात लाभ - विदेश व्यापार नीति के अध्याय 8 (च) के तहत, मानित निर्यात लाभ उसमें विहित शर्तों का अनुसरण करते हुए परियोजनाओं के घरेलू बोलीदाताओं, सरकारी व निजी क्षेत्र दोनों के लिए उपलब्ध हैं।

लाभ लेने के लिए पूर्व-शर्तें-

किसी मेगा विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए अपेक्षित सामग्री को उपर्युक्त वित्तीय लाभ तभी मिलेंगे जब संयुक्त सचिव, भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय स्तर या उच्च रैंक का कोई अधिकारी यह प्रमाणित करे कि–

i) विद्युत क्रय राज्यों ने टैरिफ निर्धारित करने हेतु पूरे अधिकारों सहित विनियामक आयोगों का गठन किया गया।

ii) विद्युत क्रय राज्य, सैद्धांतिक रुप से विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गई अवधि के भीतर उस राज्य के सभी शहरों में, जिनमें प्रत्येक की जनसंख्या एक मिलयन से अधिक है, वितरण का निजीकरण करने का वचन देता है।

घरेलू पीएसयूज बोलीदाताओं को मूल्य अधिमानतः

यह सुनिश्चित करने के लिए कि घरेलू बोलीदाताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, 15% का मूल्य अधिमानतः सार्वजनिक क्षेत्रों के अधीन परियोजनाओं को दिया जाएगा। घरेलू बोलीदाताओं को यूएस डालरों या अपनी पसंद की किसी अन्य विदेशी मुद्रा में मूल्य उद्धृत करने की अनुमति होगी।

आयकर लाभ : इसके अलावा, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80–1ए के अनुसार इनकम टैक्स होलिडे रिजाइम भी प्राप्त किया जा सकता है।

सुनामी

3236. श्रीमती निवेदिता माने :

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलियाई भूवैज्ञानिक ने चेतावनी दी है कि बंगाल की खाड़ी में अत्यधिक तीव्रता वाला भूकंप आ सकता है जिसके फलस्वरूप सुनामी आ सकता है; जो कि म्यांमार, बांग्लादेश और संभवतः भारत को जलमग्न कर सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके संबंध में सरकार द्वारा क्या एहतियाती उपाय किए गए हैं/किए जाने हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी हां। कैनबरा स्थित आस्ट्रेलियाई एजेन्सी–राष्ट्रीय भू–विज्ञान के भूकंप–विज्ञानी डॉ. फिल आर. क्यूमिन्स ने 'नेचर' (खण्ड सं. 449 मु.पृ.सं. 75–78 दिनांक 6 सितम्बर, 2007) पत्रिका में "उत्तरी बंगाल की खाड़ी में विनाशकारी सुनामी पैदा करने वाले भूकंपों की संभावना" विषय पर एक लेख प्रकाशित किया है।

(ख) इस लेख के अनुसार म्यांमार समुद्री तट के निकट बहुत बड़े परिमाण वाले ऐसे भूकंप आ सकते हैं जिनसे सुनामी लहरे पैदा होती हैं। परंतु इस लेख में संभावित भूकंप के समय अथवा परिणाम के बारे में नहीं बताया गया है। इस शोध में जो संकेतक उपयोग किए गए हैं उनमें विवर्तनिक पर्यावरण भी शामिल है जो अन्य उसी प्रकार के सबडक्शन क्षेत्रों के समान हैं जिनमे भीषण विनाशकारी भूकंप, प्रतिबल एव भूपर्पटी में विकृति प्रेक्षण तथा ऐतिहासिक भूकंप आए हैं। इसमें लेखक ने 2 अप्रैल, 1762 के अराकन भूकंप की ऐतिहासिक रिपोर्टों का हवाला दिया है जिसका विवरण वर्ष 1841 में ब्रिटिश शीप "चाईल्डर्स" ने सर्वेक्षण के दौरान तैयार किया था।

इसके अतिरिक्त लेखक ने यह भी उल्लेख किया है जी पी एस (भूमंडल पोजीशनिंग प्रणाली) प्रेक्षणों के अनुसार 200 वर्ष से भी अधिक समय पहले अर्थात् 1762 में आए भूकंप जैसे विनाशकारी भूकंप आ सकते हैं। इस शोध पत्र के निष्कर्ष "वर्स्ट केस सिनारियो मॉडल प्रीडिक्शन" पर आधारित हैं जिसकी समीक्षा की जानी है, इस बात को लेखक ने स्वयं भी स्वीकार किया है।

इस लेख पर विश्वभर से प्राप्त प्रतिक्रियाओं/समाचारों, जिसमें स्वयं लेखक भी शामिल है, के अनुसार नीति निर्धारक कुछ भी करने से पहले इन मतों की पुष्टि अवश्य करें। यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि विश्व में कहीं भी भूकंप आने का पूर्वानुमान करने वाली कोई वैज्ञानिक तकनीक उपलब्ध नहीं है।

(ग) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार ने सुनामी के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (इंकॉइस), हैदराबाद में स्थापित कर दी है जो सातों दिन चौबीसों घंटे कार्य कर रही है। सुनामी जैसी प्रचंड लहरें पैदा करने वाले भूकंपों का पता लगाने पर यह प्रणाली सुनामी से प्रभावित होने वाले संभावित तटीय क्षेत्रों के बारे में उपयुक्त ढंग से निगरानी रखेगी/सतर्क करेगी/चेतावनी जारी करेगी।

दिसम्बर 2004 में आई सुनामी के बाद तटीय राज्यों ने तटवर्ती संवेदनशील क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षित स्थान पर बसाने, उनके सुरक्षित आवास, जीविका का सुरक्षा, उनमें जागरूकता बढ़ाने, आपात स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई आदि के संबंध में व्यापक स्तर पर अन्य कदम उठाए हैं।

महानगरों में यातायात

3237. श्री मंजुनाथ कुन्नुर : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स विल्बर स्मिथ एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड ने यातायात और परिवहन नीति पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) जी, हां। मैसर्स विल्बर स्मिथ एसोसिएट्स लिमिटेड द्वारा शहरी क्षेत्रों में यातायात और परिवहन नीतियों एवं कार्यनीतियों के बारे में किए गए अध्ययन की प्रारुप अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। सलाहकार समिति की दिनांक 23.11.2007 को हुई बैठक में प्रारूप अंतिम रिपोर्ट का पुनरीक्षण किया गया है तथा अंतिम रिपोर्ट में समाविष्ट करने के लिए कुछ संशोधन सुझाए गए हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण आजीविका परियोजनाएं

3238. श्री महावीर भगोरा : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्यों से आंध्र प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना (एपीआरएलपी) तथा पश्चिमी उड़ीसा ग्रामीण आजीविका परियोजनाओं (डब्ल्यूओआरएलपी) की तर्ज पर प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) और (ख) मार्च, 2007 में मध्य प्रदेश की सरकार से मध्य प्रदेश ग्रामीण जीविका परियोजना (एम.पी.आर.एल.पी.) के चरण–II को शुरू करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस परियोजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश के आठ जिलों में रहने वाले सबसे गरीब लोगों की जीविका संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है। निधियां जीविका बढ़ाने संबंधी विशिष्ट कार्यकलापों, जिनमें पशुधन तथा फसलों के लिए सहायता, मृदा तथा जल संरक्षण, मूल प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन, वित्तीय सेवाएं तथा सतत् स्वरूप के ग्रामीण उद्यमों के विकास के लिए सहायता शामिल है, में सहायता करने के लिए उपलब्ध करायी जानी है।

मध्य प्रदेश की सरकार तथा यू.के. की सरकार के डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डिवलेपमेंट (डी.एफ.आई.डी.) के बीच परियोजना ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् मध्य प्रदेश ग्रामीण जीविका परियोजना के चरण–II को जुलाई, 2007 में 5 वर्षों की अवधि के लिए शुरू किया गया है। डी.एफ.आई.डी. चरण–II के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 45 मिलियन पाउन्ड उपलब्ध कराएगा।

विद्युत अधिनियम के अंतर्गत विशेष अदालत

3239. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत अधिनियम के अंतर्गत सरकार द्वारा विशेष अदालतें लगाई गई हैं;

(ख) क्या ऐसी विशेष अदालतों में अपील करने के लिए केवल निजी विद्युत संवितरण कंपनियों को प्राधिकृत किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या निजी विद्युत संवितरण कंपनियां इन विशेष अदालतों की स्थापना लागत वहन करने में हिस्सेदार हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सीमा शुल्क का अपवंचन

3240. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया तथा बोकारो स्टील सिटी के एक समूह द्वारा करोड़ों रुपये के सीमा शुल्क के अपवंचन की शिकायत सरकार के सामने आई है;

(ख) क्या यह मामला मई, 2006 में केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त दोनों कंपनियों के उन कर्मचारियों के नाम क्या हैं जिन्हें सीमा शुल्क के अपवंचन का दोषी पाया गया है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में कुछ राशि और तस्करी की वस्तुएं बरामद की गई हैं; और

(च) क्या इस मामले में संलिप्त पाये गए बोकारो स्टील तथा पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी नहीं। इस मंत्रालय की जानकारी में ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी है जिसमें यह कह गया हो कि पोर्ट ट्रस्ट आफ इंडिया समूह और बोकारो स्टील सिटी द्वारा कई सौ करोड़ रुपये के सीमा शुल्क का अपवंचन किया गया है।

(ख) से (च) उपर्युक्त "क" के मद्देनजर ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए विकासात्मक तथा सामाजिक लक्ष्य

3241. श्री लक्ष्मण सिंह : क्या **कॉर्पोरेट मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारपोरेट क्षेत्र नरसिम्हन रिपोर्ट के सुझाव के अनुसार विकासात्मक तथा सामाजिक उद्देश्यों को कार्यान्वित करने में सफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में कारपोरेट क्षेत्र के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

चैक द्वारा धनराशि का आहरण

3242. श्री शैलेन्द्र कुमार : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पंद्रह हजार रुपए से कम की धनराशि को बैंक काउंटर से आहरित करने पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

यमुना नदी के तल पर निर्माण कार्य

3243. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यमुना का कुल क्षेत्र कितना वर्ग कि.मी. है;

(ख) उक्त क्षेत्र में से कुल कितने क्षेत्र का निर्माण के लिए उपयोग किया गया है तथा राष्ट्रमंडल खेलगांव और मैट्रो रेल आदि के लिए कितना क्षेत्र आबंटित किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार नदी तल क्षेत्र में आवासीय फ्लैटों, पांच सितारा होटलों तथा हवाई पट्टी का निर्माण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) डीडीए ने यह बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जोन 'ओ' का क्षेत्र (यमुना नदी/नदी मुहाना) करीब 97 वर्ग किमी. है।

(ख) रिहायशी प्रयोजना के लिए 11.00 हेक्टे., अस्थायी ओवर ले, एथलेटिक ट्रेक, फिटनेस सेंटर, स्विमिंग पूल के लिए 21 हेक्ट. अस्थायी पार्किंग के लिए 5.5 हेक्ट. तथा डीएमआरसी द्वारा 117.34 हेक्टे.।

(ग) और (घ) राष्ट्रमंडल खेल गांव के लिए 11 हेक्टे. भूमि पर रिहायशी फ्लैट बनाए जा रहे हैं। इस समय डीडीए द्वारा किसी भी होटल अथवा हवाई पट्टी का निर्माण नहीं किया जा रहा है।

वृद्धावस्था पेंशन योजना

3244. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एनओएपीएस) के लाभार्थियों के लिए पेंशन की धनराशि बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत राज्यवार कितने वृद्ध लोगों को शामिल किया गया है/किया जा रहा है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) और (ख) जी, नहीं। पेंशन के लिए केन्द्रीय सहायता की राशि को केवल पिछले वर्ष प्रति लाभार्थी प्रति माह 75 रु. से बढ़ाकर 200 रु. किया गया था।

(ग) 2006–07 के दौरान एनओएपीएस के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006–07 के दौरान एनओएपीएस के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित लाभार्थियों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	466000
2.	बिहार	904916
3.	छत्तीसगढ़	198906
4.	गोवा	3409
5.	गुजरात	40117
6.	हरियाणा	95800
7.	हिमाचल प्रदेश	41342
8.	जम्मू और कश्मीर	66038
9.	झारखंड	366236
10.	कर्नाटक	533334
11.	केरल	134409
12.	मध्य प्रदेश	453620
13.	मध्य प्रदेश	742561
14.	उड़ीसा	643400
15.	पंजाब	45853
16.	राजस्थान	418566
17.	तमिलनाडु	494996
18.	उत्तर प्रदेश	1576481
19.	उत्तराखण्ड	65752
20.	पं. बंगाल	467846
21.	अरूणाचल प्रदेश	12923
22.	असम	628949
23.	मणिपुर	43619
24.	मेघालय	33446
25.	मिजोरम	10525
26.	नागालैंड	28053
27.	सिक्किम	14869
28.	त्रिपुरा	83972
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	702
30.	चण्डीगढ़	4350
31.	दादर और नगर हवेली	1132
32.	दमन और दीव	246
33.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	84000
34.	लक्षद्वीप	36
35.	पांडिचेरी	असूचित
	कुल	8706404

[अनुवाद]

अवसंरचना विकास में निवेश

3245. श्री मोहन रावले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अवसंरचना विकास के लिए वर्ष 2012 तक 492 बिलियन डालर के निवेश की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) हाल ही के चर्चा पत्र में योजना आयोग ने आयोजना व्ययों के ऐतिहासिक क्रम विकास सहित क्षेत्रक प्रवृत्तियों की ब्यौरेवार पुनरीक्षा के आधार पर ग्यारहवीं योजना के दौरान प्रत्येक अवसंरचना क्षेत्र में सरकारी और निजी निवेश का अनुमान लगाया है। इस बुनियादी "बोटम अप" प्रक्रिया में ग्यारहवीं योजना (2007–2012) के दौरान अवसंरचना में 23,84,905 करोड़ रुपए अथवा 581.68 बिलियन (41 रुपए एक अमरीकी डालर) अमरीकी डालर का कुल निवेश प्राप्त हुआ है। रूढ़िवादी रूप में मानते हुए कि विस्तृत क्षेत्रक विश्लेषणों के आधार पर प्रायोजित निवेश का 15 प्रतिशत बारहवीं योजना (2012–2017) के दौरान समाहित किया जाएगा, अनुमान लगाया गया है ग्यारहवीं योजना अवधि (2007–2012) के दौरान अवसंरचना में कुल निवेश 20,27,169 करोड़ रुपए (अथवा 494.43 बिलियन अमरीकी डालर) होगा। क्षेत्रवार ब्यौरा नीचे की सारणी में दिया गया है।

(मूल्य करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	2006–07 के मूल्यों के आधार 2007–12 के दौरान प्रायोजित निवेश
विद्युत	616,526
सड़क	311,816
टेलेकॉम	267,001
रेलवे	258,001
सिंचाई	223,131
जलापूर्ति और सफाई	199,127
पत्तन	73,941
विमानपत्तन	34,748
भंडारण	22,378
गैस	20,500
कुल निवेश	2027,169
योग (बिलियन अमरीकी डालर)	494.43

भूमि की स्पष्ट हकदारी तथा अभिलेखों के संबंध में योजनाएं

3246. श्री एस. के. खारवेन्थन : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भूमि की स्पष्ट हकदारी तथा अभिलेखों के लिए एक त्रुटिरहित प्रणाली स्थापित करने हेतु किसी योजना की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों से परामर्श लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों से क्या प्रतिक्रिया मिली है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (घ) भूमि अभिलेखों का रखरखाव राज्य का विषय है। तथापि, जिन राज्यों एवं नगरों ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत धनराशियां प्राप्त की हैं, मिशन के अंतर्गत चुने हुए शहरों के संबंध में 7 वर्ष की मिशन अवधि के भीतर संपत्ति हकदारी प्रमाणन प्रणाली शुरू करने हेतु सहमत हो गए हैं। ऐसी प्रणाली प्रस्तुत करने संबंधी प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की जानी है। जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत मिशन निदेशालय को अब तक कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, यह केन्द्र सरकार द्वारा आरंभ की गई स्कीम नहीं है, यह जेएनएनयूआरएम के तहत सुधार का एक भाग है।

ग्रामीण ऋण के लक्ष्य और उपलब्धियां

3247. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण ऋण के लक्ष्यों और उपलब्धियों का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) ग्रामीण ऋण लेने व वाले व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या निजी बैंकों को अपनी कुल शाखाओं में से एक–चौथाई शाखाएं ग्रामीण तथा अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों में खोलनी पड़ती हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन वर्षों में निजी तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य–वार कितनी शाखाएं तथा किओस्क खोले गए; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कोई अलग लक्ष्य/उप–लक्ष्य नहीं हैं। बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने समायोजित निवल बैंक ऋण (एनएनबीसी) का 18% या तुलनपत्र इतर ऋण जोखिम के बराबर ऋण–राशि, जो भी ज्यादा हो, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र को दें। वर्ष 2004–05 से वाणिज्य बैंकों (सरकारी क्षेत्र एवं गैर–सरकारी क्षेत्र), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और सरकारी बैंकों द्वारा कृषि संबंधी अग्रिम राशि के संबंध में लक्ष्य एवं उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:

(करोड़ रुपए)

वर्ष	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08
लक्ष्य	1]05,000	1,41,000	11,75,000	2,25,000
उपलब्धि	1,25,300	1,80,486	2,03,296	*1,01,022

*(सितम्बर, 2007 तक)

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार, गैर–सरकारी क्षेत्र के नए बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी 25% शाखाएं अर्धशहरी एवं ग्रामीण केन्द्रों पर सतत आधार पर खोलें। तथापि, यह शर्त गैर–सरकारी क्षेत्र के पुराने बैंकों के लिए नहीं हैं, क्योंकि उनकी ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में पहले ही काफी शाखाएं हैं। पिछले तीन वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई शाखाओं की संख्या के राज्य–वार और बैंक समूह–वार ब्यौरे समेकित किए जा रहे हैं।

गैर-सरकारी क्षेत्र के नए बैंकों की ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में कुल 26.88%: शाखाएं हैं। इस समय इन बैंकों में से कुछ ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में 25%: शाखाओं की शर्त का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 के अनुसार बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि नए स्थान पर व्यवसाय शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करें। ऐसे अनुमोदन शाखा प्राधिकार नीति तथा इस संबंध में जारी निदेशों पर दिए जाने वाले बल पर निर्भर करते हुए विवेक के आधार पर दिए जाते हैं। बैंकों को कम बैंक वाले और ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और इसीलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ग्रामीण एवं कम बैंक वाले क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के अनुरोधों पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाता है।

भारतीय उप-महाद्वीप में समुद्री तटों पर प्रदूषण

3248. श्री के. सी. पल्लानी शामी : क्या **पृथ्वी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्र में देश के विभिन्न भागों से भारी मात्रा में प्लास्टिक अपशिष्ट बहकर आता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय उप-महाद्वीप में विभिन्न समुद्री तटों के प्रदूषण स्तर का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने देश में समुद्री तटों की जांच करने तथा साफ करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) समुद्र में बहाए जाने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा का आकलन करने के लिए अभी तक कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वीप प्रदेशों सहित भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों की जल गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए 'तटीय समुद्र मॉनीटरन एवं पुर्वानुमान प्रणाली (कोमैप्स)' संबंधी समन्वित अनुसंधान कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। भारतीय तट के 10 किमी. तक के अपतटीय 76 ट्रांजेक्टों पर 25 पैरामीटरों पर व्यवस्थित ढंग से डेटा एकत्र किए जा रहे हैं। मुंबई के पास के तट को छोड़कर भारतीय तट रेखा से लगभग 2 किमी. आगे का समुद्री जल स्वच्छ और स्वच्छ समुद्री जल की गुणवत्ता के अनुरूप पाया गया है। मुंबई में 5 किमी. से आगे समुद्र स्वच्छ है।

(ङ) और (च) कोमैप्स कार्यक्रम के तहत लिए गए प्रेक्षणों की संचालन समिति द्वारा नियत समय पर समीक्षा की जाती है। इसकी अध्यक्षता केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष करते हैं तथा तटीय राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के सभी सदस्य सचिव इसके सदस्य होते हैं। कोमैप्स रिपोर्टों से तटवर्ती राज्य प्राधिकारियों को उपचारात्मक उपाय करने में सुविधा रहती है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

शेयरधारकों का बचाव

3249. श्री एम. अप्पादुरई : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार यह सुनिश्चित करती है कि विदेशी संस्थानिक निवेशक (एफआईआई) बिना पूर्व नोटिस के अपनी शेयर पूंजी वापस न निकाले; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए उपाय का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) भारत में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा किया गया निवेश सेबी (एफआईआई) विनियम, 1995 और दि. 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी के अंतर्गत विनियमित होता है। इन विनियमों के एफआईआई अपने निवेशों को किसी भी समय कर का भुगतान, प्रतिभूतियों के लेन-देन पर लगने वाले कर का भुगतान, जो भी लागू हो, करके वापस ले सकते हैं। कुछ मामलों में एफआईआई निवेश, एफडीआई योजना के अंतर्गत निवेश करने वाले अन्य निवेशकों पर लागू होने वाली "लाक-इन" शर्तों के अधीन होता है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विशेष आर्थिक क्षेत्र का सृजन

3250. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अंडमान और निकोबार द्वीप

समूह में औद्योगिकीकरण रोजगार सृजन तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए एक विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जलाशयों में जल संकट

3251. श्री जी. एम. सिद्दीश्वर : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ जलाशयों में जल संकट के कारण भी विद्युत उत्पादन प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) 26 बड़े जलाशय आधारित विद्युत स्टेशनों को मानीटर कर रहा है। जैसा कि सीईए द्वारा सूचित किया गया है कि केवल रिहंद जल विद्युत स्टेशन के जलाशय आधारित एक विद्युत स्टेशन का उत्पादन इसके आवाह क्षेत्र में इस मानसून के दौरान कम वर्षा होने की वजह से कम जल अंतः प्रवाह होने के कारण प्रभावित हुआ है। रिहंद में विद्युत उत्पादन 450 मि. यू. लक्ष्य की तुलना में 299.40 मि.यू. था।

(ग) जल विद्युत स्टेशनों का विद्युत उत्पादन आवाह क्षेत्र में बारिश के कारण उत्पन्न होने वाले पानी के अंतः प्रवाह पर निर्भर करता है। जल विद्युत उत्पादन में कमी की प्रतिपूर्ति ताप विद्युत स्टेशनों का उत्पादन बढ़ाकर की जाती है।

ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि

3252. श्री सुखदेव पासवान : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण सड़कों हेतु केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम में संशोधन के माध्यम से आरआईडीएफ के अंतर्गत अलग से व्यवस्था शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक ऐसी कायिक निधियों से कितनी धनराशि खर्च की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) से (ग) केन्द्रीय सड़क अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, 2007 जो केन्द्रीय सड़क कोष अधिनियम, 2000 में और संशोधन के लिए है को भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II खंड–I में 2007 के अधिनियम संख्या 28 के रूप में प्रकाशित किया गया है उक्त संशोधन के पश्चात दिनांक 27 सितम्बर, 2007 को भारत सरकार (ग्रामीण विकास मंत्रालय), राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एनआरआरडीए) तथा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के बीच एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नाबार्ड भारत निर्माण के ग्रामीण सड़क घटक के वित्तपोषण के लिए ग्रामीण अवसंरचना विकास बोर्ड (आरआईडीएफ) के अंतर्गत एक अलग विंडो के माध्यम से 16,000 करोड़ रु. का ऋण उपलब्ध कराने पर सहमत हो गया है। नाबार्ड की आर.आई.डी. एफ विंडो से 30.11.2007 तक 1001.90 करोड़ रु. आहरित किए गए हैं।

[हिन्दी]

विश्व बैंक प्रायोजित पोषण परियोजनाएं

3253. श्री रामदास आठवले : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत विश्व प्रायोजित पोषण परियोजनाओं को स्वीकृति देने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं जो योजना आयोग के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाई की गई है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति दिए जाने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) मंत्रालयों को कुछ राज्यों से ये अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि उन्हें प्रस्तावित विश्व बैंक सहायता – प्राप्त समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) IV परियोजना में शामिल किया जाए।

"आई.सी.डी.एस. के सर्वाधिक जरूरतमंद जिलों" तथा राज्यों के सर्वोत्तम अनुभवों का पता लगाने के लिए विश्व बैंक द्वारा कराए गए एक अध्ययन, अर्थात् "भारत में आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्य जिलों का मानचित्रण और रूपरेखा" के आधार पर 8 राज्यों को प्रस्तावित परियोजना में शामिल करने के लिए चुना गया है। इस समय, मंत्रालय परियोजना की तैयारी के लिए आवश्यक कदम उठाने, जैसे परियोजना कार्यान्वयन योजनाएं तैयार करने, के कार्य में संलग्न है।

(ग) प्रस्तावित परियोजना को संस्वीकृत करने में विलम्ब नही हैं। इस समय परियोजना तैयार की जा रही है और भारत सरकार तथा विश्व बैंक के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा इसके अनुमोदन से पूर्व विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई अपेक्षित है।

(घ) यद्यपि इस समय कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती, तथापि इस परियोजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान शुरू होने की संभावना है।

विशेष ग्रामीण विकास परियोजनाएं

3254. श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छत्तीसगढ़ सरकार के विशेष ग्रामीण विकास परियोजनाओं से संबंधित प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन प्रस्तावों को स्वीकृति कब तक दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) से (ग) योजना की शुरूआत से अब तक ग्रामीण विकास मंत्रालय को छत्तीसगढ़ सरकार से स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत विशेष परियोजनाओं के लिए 21 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 21 प्रस्तावों में से अब तक 6 परियोजनाएं स्वीकृत/अनुमोदित कर दी गई हैं। 6 परियोजना प्रस्ताव विभिन्न कारणों से संबंधित राज्य सरकारों अथवा अन्य प्रायोजक एजेंसियों को वापस भेज दिए गए हैं तथा परियोजना जांच समिति द्वारा किंतु परियोजना अनुमोदन समिति के पास भेजे जाने वाले प्रस्तावों सहित 9 परियोजना प्रस्ताव सरकार के पास प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में है।

एसजीएसवाई के अंतर्गत स्वीकृति के लिए राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों से अनेक विशेष परियोजना प्रस्ताव प्राप्त किए जाते हैं। चूंकि ये आजीविका की वृहद परियोजनाएं हैं, जिनकी लागत अधिकतम 15 करोड़ रुपए तक हो सकती है, इसलिए ऐसी परियोजनाओं की पहले संवीक्षा की जाती है ताकि वे एसजीएसवाई के अंतर्गत विशेष परियोजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुरूप हों। जो परियोजनाएं इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती हैं, उन्हें संबंधित राज्य सरकारों को लौटा दिया जाता है। राज्य सरकारें ऐसे प्रस्तावों को पुनः संशोधित, तैयार और प्रस्तुत करती है। जो परियोजना प्रस्ताव दिशानिर्देशों के मूलभूत मानदंडों के अनुरूप होते हैं, उन्हें जांच और अनुमोदन के लिए द्वि-स्तरीय अंतर-मंत्रालया समिति के पास भेजा जाता है। ये समितियां हैं-परियोजना जांच समिति (पीएससी) और परियोजना अनुमोदन समिति। परियोजना प्रस्तावों की प्राप्ति, प्रायोजक राज्य सरकारों द्वारा उनमें सुधार तथा उपर्युक्त द्वि-स्तरीय अंतर-मंत्रालयी समिति के माध्यम से उनका मूल्यांकन और अनुमोदन एक सतत प्रक्रिया है। एसजीएसवाई के अंतर्गत विशेष परियोजनाओं के मौजूदा दिशानिर्देशों को संशोधित करने का भी प्रस्ताव है ताकि उन्हें वर्तमान प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाया जा सके। चूंकि प्रस्तावों का मूल्यांकन और अनुमोदन/ स्वीकृति एक सतत प्रक्रिया है और यह विभिन्न कारकों जैसे-निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुपालन करना, प्रस्ताव की आर्थिक व्यवहार्यता, परियोजनाओं का केन्द्र बिन्दु बीपीएल को बनाना इत्यादि पर आधारित होता है, इसलिए ऐसे परियोजना प्रस्तावों को अंतिम स्वीकृति दिए जाने के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

[अनुवाद]

बाल संरक्षण

3255. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोत्चा : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बाल संरक्षण और शिक्षा हेतु न्यूनतम बजट को अलग रख देने संबंधी समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है जैसाकि दिनांक 12 सितम्बर, 2007 के 'द एशियन एज' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त प्रयोजनों हेतु आबंटन में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार बच्चों से संबंधित सभी स्कीमों और कार्यक्रमों, जिनमें बच्चों की शिक्षा और बाल संरक्षण भी शामिल है, हेतु आबंटन में वृद्धि करने का प्रयास करती है। ग्यारहवीं योजना अवधि के लिए सर्व शिक्षा अभियान हेतु योजना आयोग ने 71,000 करोड़ रुपये के आबंटन का संकेत दिया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का ग्यारहवीं योजना में समेकित बाल संरक्षण स्कीम नामक एक नई स्कीम को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।

महिला और बाल विकास हेतु योजनाएं

3256. श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री सर्वानन्द सोनोवाल :
श्री बालासाहिब विखे पाटील :
श्री पी. सी. गद्दीगउडर :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महिला और बाल विकास की विभिन्न सरकार प्रायोजित योजनाओं हेतु आबंटित निधियों का समुचित उपयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि के दौरान तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त योजनाओं में आमूल-चूल परिवर्तन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ग) जी, हां। ब्यौरे मंत्रालय की वेबसाइट www.wcd.nic.in पर उपलब्ध होने के साथ-साथ लोक सभा के पुस्तकालय में उपलब्ध मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टों (2002-03 से 2006-07) में भी दर्शाये गये हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय करों और सहायता अनुदान में हिस्सा

3257. श्री सुग्रीव सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में केन्द्रीय करों और सहायता अनुदान में हिस्से के वितरण हेतु निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या कुछ राज्यों के हिस्सों में प्रतिवर्ष कमी आ रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) राज्यों को केन्द्रीय करों और सहायता अनुदान में हिस्से के वितरण हेतु मानदण्ड वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। अपनी अवार्ड अवधि 2005-10 के लिए बारहवें वित्त आयोग (टी.एफ.सी.) द्वारा राज्यों के बीच केन्द्रीय करों एवं प्रशुल्कों में हिस्सेदारी के संवितरण हेतु अपनाए गए मानदंड और सापेक्षिक महत्व इस प्रकार है:

क्रम संख्या	मानदण्ड	सापेक्षिक हिस्सा (प्रतिशत)
1	जनसंख्या	25.0
2.	आय दूरी	50.0
3.	क्षेत्रफल	10.0
4.	कर प्रयास	7.5
5.	राजकोषीय अनुशासन	7.5

स्थानीय निकायों के अतिरिक्त राज्यों के अन्य क्षेत्रों के सहायता-अनुदान के लिए टी.एफ.सी. द्वारा राज्यों के हिस्से का निर्धारण राज्यों द्वारा मुहैया कराई जा रही सेवाओं, के स्तर और उन जरूरतों को किस सीमा तक राज्य के निजी संसाधनों से पूरा किया जा सकता है, इन सभी के आधार पर किया जाता है। स्थानीय निकायों को सहायता-अनुदान के लिए टी एफ सी ने निम्न मानदण्ड अपनाए हैं:

क्रम संख्या	मानदण्ड	सापेक्षिक हिस्सा (प्रतिशत)
1.	जनसंख्या	40.0
2.	भौगोलिक क्षेत्रफल	10.0
3.	उच्चतम प्रति व्यक्ति आय से अंतर	20.0
4.	विकेन्द्रीकरण सूचकांक	10.0
5.	राजस्व प्रयास	20.0
	(क) राज्यों के अपने राजस्व के संबंध में	10.0
	(ख) जी एस डी पी के संबंध में	10.0

(ख) से (घ) टी.एफ.सी. ने केन्द्रीय करों और प्रशुल्कों तथा सहायता अनुदान की प्रमात्रा, जो इसकी अवार्ड अवधि 2005-10 के दौरान परिवर्तित नहीं होगी, को प्रत्येक राज्य की हिस्सेदारी की वर्ष-वार प्रतिशतता निर्धारित की है।

कॉर्पोरेट विनियमों का अनुपालन न किया जाना

3258. श्री उदय सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेबी ने कार्पोरेट गवर्नेंस विनियमों का अनुपालन करने में विफल रहने के लिए अनेक सूचीबद्ध कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सेबी के दिशानिर्देशों के विभिन्न उपबंधों का सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा उल्लंघन न किया जाना सुनिश्चित करने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जी हां, सेबी ने बीस सूचीबद्ध कंपनियों के विरुद्ध उनकी कारपोरेट अभिशासन अपेक्षाओं का पालन न करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है जैसाकि सूचीकरण करार के खंड 49 में उल्लेख किया गया है।

(ग) और (घ) प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम, 1956, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992, निक्षेपागार अधिनियम 1996 और कंपनी अधिनियम 1956 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन सेबी के दिशानिर्देशों के विभिन्न उपबंधों का अनुपालन न करने की स्थिति में सिविल एवं आपराधिक कार्रवाई की जाती है, जो सूचीबद्ध कंपनियों को उपबंधों का उल्लंघन करने से रोकने के लिए आशयित है।

[हिन्दी]

छोटे और मझौले कस्बों हेतु विकास कार्यक्रम

3259. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास यूआईडीएसएसएमटी और आईएचएसडीपी के अंतर्गत राज्यों द्वारा उपयोग की गई धनराशि का कोई रिकार्ड है; और

(ख) यदि हां, तो तक आज तक का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) 15.11.2007 तक विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को केन्द्र प्रायोजित छोटे और मझोले कस्बों हेतु शहरी अवसंरचना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) और एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के तहत क्रमशः 1837.87 करोड़ रु. और 848.36 करोड़ रु. की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) जारी की गई हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

उपरोक्त दो स्कीमों के तहत जारी धनराशि के उपयोग के बारे में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा सूचित किया जाना अभी बाकी है।

विवरण

क्र. सं.	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नाम	वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एसीए (करोड़ रु.)							
		यूआईडीएसएसएमटी				आईएचएसडीपी			
		2005-06	2006-07	2007-08	कुल	2005-06	2006-07	2007-08	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	49.20	255.68	235.46	540.34	0.00	83.33	40.83	124.16
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	13.64	0.00	13.64	0.00	5.09	5.20	10.29
4.	बिहार	0.00	36.43	3.15	39.58	0.00	8.96	15.42	24.38
5.	छत्तीसगढ़	0.00	24.47	0.00	24.47	0.00	31.26	29.74	61.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	24.44	60.03	1.13	85.60	0.00	18.00	23.38	41.38
8.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.61	41.87	91.48
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	3.57	3.92	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	0.00	101.00	27.24	128.24	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	0.00	82.17	15.01	97.18	0.00	14.93	14.97	29.90
13.	केरल	0.00	33.63	31.28	64.91	0.00	21.46	18.19	39.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	मध्य प्रदेश	0.00	75.55	3.44	78.99	0.00	45.77	25.38	71.15
15.	महाराष्ट्र	0.00	117.75	73.12	190.87	0.00	55.80	32.47	88.27
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.63	12.44	22.07
20.	उड़ीसा	0.00	22.34	14.35	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58	3.58
22.	राजस्थान	13.84	43.01	2.14	58.99	0.00	39.26	30.54	69.80
23.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	0.00	121.69	28.79	150.48	0.00	43.37	31.92	75.29
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	205.34	37.31	242.65	0.00	11.05	0.00	11.05
27.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	52.67	25.08	77.75	0.00	55.08	29.83	84.91
29.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00			0.00				0.00
32.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दादरा व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	दमन और द्वीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	87.48	1248.97	501.42	1837.87	0.00	492.60	355.76	848.36

[अनुवाद]

बच्चों को गोद लेना

3260. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बच्चों को गोद लेने हेतु केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (सीएआरए) की तर्ज पर राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बच्चों को गोद लेने वाले इच्छुक माता–पिताओं द्वारा भरे जाने वाला ऑनलाइन वार्षिक फीडबैक फॉर्म शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 11वीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय प्रायोजित एक नई स्कीम, नामतः "समेकित बाल संरक्षण स्कीम" तैयार की है, जिसके अंतर्गत देश में दत्तक–ग्रहण के संवर्धन/समन्वयन तथा अनुवीक्षण तथा देश के बाहर दत्तक–ग्रहण के विनियमन हेतु प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण स्थापित किये जाने का प्रावधान है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बीमा धनराशि का भुगतान

3261. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बीमे की धनराशि का पारदर्शी और शीघ्र भुगतान करने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) को एक स्वतंत्र विनियामक के रुप में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य, अन्य बातों के साथ–साथ, पालिसीधारकों के हितों की रक्षा करना है। आईआरडीए ने बीमा तथा विकास प्राधिकरण (पालिसीधारकों के हितों की सुरक्षा) विनियमावली, 2002 अधिसूचित की है। ये विनियम, एक बीमा संविदा के संदर्भ में, बिक्री और दावे दोनों स्थितियों में बीमाकर्ता और पालिसीधारकों के कर्तव्यों और दायित्वों और बीमा कंपनियों में आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना के लिए व्यवस्था करते हैं। विनियमों में यह व्यवस्था है कि बीमित व्यक्ति द्वारा सभी प्रकार के दस्तावेजों की प्रस्तुति पर, बीमाकर्ता निर्धारित अवधि के अंतर्गत राशि का भुगतान करेगा। अदायगी में विलंब की स्थिति में, वित्तीय वर्ष के आरंभ में, जिसमें दावे की राशि का भुगतान करेगा। अदायगी में विलंब की स्थिति में, वित्तीय वर्ष के आरंभ में, जिसमें दावे की समीक्षा की गई है? प्रचलित बैंक से 2% अधिक ब्याज अदा करने के लिए बीमाकर्ता जिम्मेदार होगा।

[अनुवाद]

शहरी अकादमियां

3262. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय का विचार देश में तेजी से बढ़ते शहरीकरण के मद्देनजर शहरी अकादमियां स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी कितनी अकादमियां खोले जाने की संभावना है और इन्हें किन–किन स्थानों पर खोला जाएगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, नहीं।

(ख) उत्तर के उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

लिंग अनुपात में अन्तर

3263. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विश्व आर्थिक मंच की नवीनतम रिपोर्ट महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशायें भारत के निराशाजनक प्रदर्शन का उल्लेख करती है, जैसाकि दिनांक 11 नवंबर, 2007 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने लिंग अनुपात के अंतर को समाप्त करने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) जिनेवा स्थित वर्ल्ड इकानामिक फोरम नामक स्वतंत्र अन्तराष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रकाशित 'द ग्लोबल जैन्डर गैप रिपोर्ट, 2007" सरकार के ध्यान में आई है, किंतु सरकार ने इस रिपोर्ट की समीक्षा नहीं की है। इस रिपोर्ट में विश्व में समग्र महिला–पुरुष अनुपात संसूचक 2007 में भारत को 128 देशों में 114वें स्थान पर रखा गया है।

(ग) और (घ) महिला सशक्तिकरण महिला एवं बाल विकास

मंत्रालय का अधिदेश है और इस मंत्रालय ने महिलोन्मुख बजट आयोजना को महिला–पुरुष समानता के उद्देश्य की प्राप्ति के साधन के रूप में अपनाया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 2006–07 के 'महिलोन्मुख बजट आयोजना–महिला पुरूष समानता हेतु बजट आयोजना' से संबंधित अध्याय 6 में इस विषय का वर्णन किया गया है। यह रिपोर्ट में इस विषय का वर्णन किया गया है। यह रिपोर्ट मंत्रालय की वेबसाइट www.wcd.nic.in पर उपलब्ध है।

कृषि क्षेत्र को ऋण सुविधा

3264. श्री के. सुब्बारायण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में निजी क्षेत्र के बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशानुसार कृषि और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण प्रदान करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जी, हां। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के अंतर्गत सभी घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम (जिसमें व्यष्टि और लघु उद्यम क्षेत्र शामिल हैं) समायोजित निवल बैंक ऋण का 40% अथवा तुलनपत्र बाह्य ऋण जोखिम के ऋण के बराबर राशि, जो भी अधिक हो, होनी चाहिए। इसमें से समायोजित निवल बैंक ऋण का 18% या तुलनपत्र बाह्य ऋण जोखिम, जो भी अधिक हो, कृषि अग्रिम के लिए है और शेष 22% लघु उद्यमों और अन्यों के लिए है। कृषि ऋण और एसएसआई क्षेत्र के बैंक–वार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 2006–07 के दौरान निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा (बैंक वार) कृषि एवं प्राथमिकता क्षेत्र को प्रदान किये गये ऋण

(रुपये लाखों में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	कृषि क्षेत्र	छोटे पैमाने के उद्योग क्षेत्र
1	2	3	4
1.	बैंक आफ राजस्थान लि.	530.43	181.88
2.	भारत ओवरसीज बैंक लि.	55.72	286.92
3.	कैथोलिक साइरियन बैंक लि.	274.47	315.54
4.	सेन्चुरियन बैंक ऑफ पंजाब	736.60	138.70
5.	सिटी यूनियन बैंक लि.	105.58	702.61
6.	देव क्रेडिट बैंक लि.	519.69	160.14
7.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	132.20	180.62
8.	फेडरल बैंक लि.	929.30	1173.93
9.	गणेश बैंक ऑफ कुरूडंवाड	–	–
10.	एच.डी.एफ.सी. बैंक लि.	9607.90	1848.05
11.	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लि.	18224.71	322.23
12.	इडसंड बैंक लि.	1136.38	222.26
13.	जम्मू–कश्मीर बैंक लि.	173.01	628.13
14.	कर्नाटक बैंक लि.	390.84	1217.74
15.	करूर वैश्य बैंक लि.	1023.23	654.87
16.	कोटक महिन्द्रा बैंक लि.	1806.24	44.46
17.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	667.31	447.00
18.	लार्ड कृष्णा बैंक लि.	667.31	447.00
19.	नैनीताल बैंक लि.	49.07	83.63
20.	रत्नाकर बैंक लि.	66.12	69.17
21.	सांगली बैंक लि.	14.14	24.52
22.	साऊथ इंडियन बैंक लि.	1191.21	602.89
23.	तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक लि.	827.08	610.09
24.	यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	827.08	610.09
25.	यू.टी. आई बैंक लि.	3451.83	2134.32
26.	आई. एन. जी. वैश्य बैंक लि.	751.01	885.84
27.	यस बैंक लि.	1341.90	28.26
	कुल	44042.93	13063.06

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास योजनाएं

3265. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में भूमिहीन/बेघर किसानों/श्रमिकों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इनकी स्थिति में सुधार करने ओर इन्हें धनराशि आबंटित करने हेतु कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन कार्यक्रमों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) और (ख) भारत के महापंजीयक ने 2001 की जनगणना के आधार पर 148.35 लाख मकानों की कमी का आकलन किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन तथा आवास रहित बीपीएल परिवारों को आवास, ग्रामीण संपर्क, स्वच्छ पेय जल तथा स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कई योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। पिछले तीन वर्षों अर्थात 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के अंतर्गत आबंटित केन्द्रीय निधियों तथा मकानों की कमी का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आवधिक प्रगति रिपोर्टों, निष्पादान समीक्षा समिति की बैठकों, क्षेत्र अधिकारी योजना, राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं, जिला स्तरीय निगरानीकर्ताओं तथा राज्य/जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों के माध्यम से निधियों के उपयोग सहित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी की एक व्यापक प्रणाली तैयार की है। इसके अलावा, राज्य सरकारों को पांच आयामी कार्यनीति अपनाने की भी सलाह दी गई है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं – (i) योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना, (ii) पारदर्शिता, (iii) जनभागीदारी और (iv) जवाबदेही-ग्राम सभा के माध्यम से सामाजिक लेखा-परीक्षा और (v) सभी योजनाओं पर कड़ी सतर्कता और निगरानी। ये सभी ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत निधियों के अधिकतम उपयोग में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों का जीवन स्तर सुधारने में सहायता देने में सहायक होंगे।

विवरण

वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत आवास की कमी और केन्द्रीय आबंटन।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2001 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की कमी	केन्द्रीय आबंटन 2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1350282	17981.83	24399.42	25939.14
2.	अरुणाचल प्रदेश	105728	825.98	949.43	1018.68
3.	असम	2241230	18584.99	20994.23	22525.46
4.	बिहार	4210293	48846.34	72020.72	76565.57
5.	छत्तीसगढ़	115528	3074.96	3773.17	4011.28
6.	गोवा	6422	116.18	150.28	159.77
7.	गुजरात	674354	5167.82	11966.03	12721.14
8.	हरियाणा	55572	1747.40	1680.04	1786.06
9.	हिमाचल प्रदेश	15928	773.06	592.56	629.95
10.	जम्मू और कश्मीर	92923	924.74	1840.52	1956.67
11.	झारखण्ड	105867	14351.50	6423.93	6829.31
12.	कर्नाटक	436638	9301.41	9400.43	9993.64

1	2	3	4	5	6
13.	केरल	261347	5763.87	5227.51	5557.39
14.	मध्य प्रदेश	207744	10730.71	7504.14	7977.69
15.	महाराष्ट्र	612441	16503.47	14714.56	15643.12
16.	मणिपुर	69062	984.83	824.15	884.26
17.	मेघालय	148657	1308.47	1435.38	1540.07
18.	मिजोरम	30250	314.12	305.89	328.20
19.	नागालैंड	97157	844.67	949.84	1019.11
20.	उड़ीसा	655617	14476.04	14149.75	15042.66
21.	पंजाब	75374	1157.56	2077.71	2208.83
22.	राजस्थान	258634	4876.10	6013.11	6392.56
23.	सिक्किम	11944	226.45	181.66	198.91
24.	तमिलनाडु	431010	9030.00	9768.97	10385.44
25.	त्रिपुरा	174835	1910.49	1849.42	1944.31
26.	उत्तर प्रदेश	1324028	32923.88	32348.75	34390.12
27.	उत्तराखण्ड	53521	3419.68	1621.77	1724.11
28.	पश्चिम बंगाल	974479	19407.12	19518.40	20750.10
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	17890	218.73	309.46	328.99
30.	दादर और नगर हवेली	1926	114.78	51.56	54.82
31.	दमन और द्वीव	787	47.51	23.07	24.52
32.	लक्षद्वीव	190	3.72	20.00	21.26
33.	पांडिचेरी	7778	108.59	154.14	163.86
	कुल	14825436	246067.00	273240.00	290753.00

[अनुवाद]

पीएमजीएसवाई में खामियां

3266. श्री पी. एस. गढ़वी :

श्री जे. एम. आरून रशीद :

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत सभी गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस महत्वकांक्षी योजना का योजना आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य का केवल पांचवां हिस्सा पूरा हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) शत–प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य मैदानी क्षेत्रों में 500 और इससे अधिक आबादी वाली और पर्वतीय, मरुस्थल तथा जनजातीय क्षेत्रों के मामले में 250 और इससे अधिक आबादी वाली सड़कों से न जुड़ी सभी बसावटों को बारहमासी सड़कों के माध्यम से सड़क संपर्क मुहैया कराना है।

(ख) से (ङ) नवीनतम आकलन के अनुसार, सड़कों से न जुड़ी लगभग 1.79 लाख बसावटें प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कवर किए जाने के लिए पात्र हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक, 37487 बसावटों को योजना के अंतर्गत सड़क संपर्क उपलब्ध कराए गए हैं। राज्य सरकारों से यह अपेक्षित था कि वे प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरूआत से लेकर चरण–VII तक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करें। जिन राज्यों ने चरण–VII तक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए हैं अथवा जिन राज्यों ने परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए हैं किंतु अभी तक वे स्वीकृत नहीं हुए हैं, ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) निधियों के आबंटन में वृद्धि, मानक बोली दस्तावेज में परिशोधन करके निविदा क्षमता में वृद्धि संयंत्र और मशीनरी की खरीद, ठेकेदार के कार्मिकों सहित क्षेत्र कर्मचारी के प्रशिक्षण के लिए ठेकेदारों को ब्याज रहित अग्रिम राशि देकर और कार्यक्रम की नियमित निगरानी के माध्यम से कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गति को बढ़ाने के उपाय किए गए हैं। राज्यों को, जहां आवश्यक हो, कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयों की संख्या बढ़ाने और निविदा तथा परियोजनाओं के आबंटन की प्रक्रिया समय पर पूरा करने की सलाह दी गई है।

विवरण

उन राज्यों के नाम जिनसे चरण–VII तक परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं	उन राज्यों के नाम जिनसे चरण–VII के लिए परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं किंतु अभी तक स्वीकृत नहीं हुए हैं
1	2
आंध्र प्रदेश	कर्नाटक
अरुणाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश
बिहार	
गोवा	
जम्मू एवं कश्मीर	
झारखण्ड	
केरल	
महाराष्ट्र	
मणिपुर	
मेघालय	
मिजोरम	
नागालैंड	
पंजाब	
सिक्किम	
तमिलनाडु	
त्रिपुरा	
उत्तर प्रदेश	
उत्तराखंड	
पश्चिम बंगाल	

स्वयंसिद्धा योजना

3267. श्री एल. राजगोपाल : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वयं सिद्धा योजना का प्रथम चरण पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके निष्पादन का आकलन करने के लिए सरकार द्वारा कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त योजना का द्वितीय चरण आरंभ करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी, नहीं। यह स्कीम 31 मार्च, 2008 को समाप्त होगी।

(ख) और (ग) स्वयंसिद्धा स्कीम का मूल्यांकन वर्ष 2005–06 में एक बाह्य अभिकरण द्वारा किया गया था। मूल्यांकन रिपोर्ट में बताया गया है कि स्कीम ने परियोजना क्षेत्र में महिलाओं के सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण के अपने उद्देश्यों को कुल मिलाकर प्राप्त कर लिया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। सरकार का मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित इसी प्रकार की अन्य स्कीमों के अनुभव के आधार पर पूरे देश में आगामी वित्त वर्ष से स्वयंसिद्धा स्कीम का दूसरा चरण शुरू करने का प्रस्ताव है।

दिल्ली मेट्रो रेल की कमाई

3268. श्री रेवती रमन सिंह : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान दिल्ली मेट्रो रेल निगम की प्रति दिन औसतन कमाई कितनी है; और

(ख) विभिन्न एजेंसियों को वार्षिक रूप से ऋण की अदायगी और अनुसंधान एवं विकास तथा यात्रियों के कल्याण की क्या स्थिति है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड ने सूचित किया है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) की दिल्ली में प्रतिदिन औसत कमाई 67.63 लाख रु. है।

(ख) डीएमआरसी अब तक कुल 268.72 करोड़ रु. की अपनी समस्त ऋण पुनर्भुगतान वचनबद्धताएं पूरी कर चुका है।

डीएमआरसी द्वारा स्वदेशीकरण के समग्र कार्यक्रम के अधीन अनुसंधान और विकास के तहत अत्याधुनिक उपस्करों की कुछ मदों जैसे स्वचालित किराया नियंत्रण प्रणाली, सिग्नल प्रणाली तथा दूर संचार प्रणाली के स्थान पर स्वदेशी उपकरण लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

यात्रियों की सुविधाओं के लिए स्टेशनों पर पेयजल, शौचालय सुविधाएं आदि उपलब्ध कराई गई हैं। मेट्रो स्टेशनों से यात्रियों को लाने और ले जाने के लिए हाल ही में फीडर बस सेवा शुरू की गई है।

[हिन्दी]

आई.एच.एस.डी.पी. के अंतर्गत राजस्थान से प्रस्ताव

***3269. श्री सुभाष महरिया :** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार की आई.एच.एस.डी.पी. के अंतर्गत राजस्थान के किन–किन शहरों के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार को एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के तहत राजस्थान में 37 शहरों/कस्बों में 38 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। शहरों का ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(ग) सरकार ने 15090 आवासीय इकाईयों के निर्माण/उन्नयन हेतु तथा इन शहरों में मूल भूत सुविधाएं भी मुहैया करवाने के लिए 205.59 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत वाली इन 38 परियोजनाओं में से 24 शहरों की 24 परियोजनाओं को अनुमोदित किया है। ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

क्र.सं.	शहर/कस्बे का नाम
1	2
1.	चित्तौड़ गढ़
2.	टौंक
3.	निवाई
4.	देवली
5.	उनियारा
6.	बीकानेर
7.	डुगुरपुर
8.	देशनोक
9.	मांगरोल
10.	सीकर
11.	नीम का थाना
12.	भरतपुर
13.	गुलाबपुरा
14.	भीलवाड़ा
15.	पाली
16.	भवानी मंडी
17.	झालरपाटन
18.	असिंध

1	2
19.	निम्बाखेड़ा
20.	नोखा
21.	सुमेरपुर
22.	बाली
23.	फलाना
24.	रानी
25.	सदारी
26.	सोजट (पाली)
27.	अमटा
28.	बारन (कोटा)
29.	छबरा
30.	झालावाड़
31.	हनुमानगढ़
32.	कोटा
33.	सवाई माधोपुर
34.	प्रतापगढ़
35.	जैसलमेर फेज–I
36.	जैसलमेर फेज–II
37.	गंगापुर सिटी
38.	अलवर सिटी

विवरण-II

एकीकृत आवास स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)

कुल अनुमोदित परियोजनाएं

(करोड़ रु. में)

राज्य का नाम	शहर/शहरी स्थानीय निकाय/नगर पालिका का नाम	अनुमोदित परियोजनाओं की सं.	अनुमोदित कुल परियोजना लागत	निर्माण के लिए अनुमोदित नई रिहायशी इकाईयों की कुल सं.	उन्नयन के लिए रिहायशी इकाइयों की कुल संख्या	रिहायशी इकाइयों की कुल सं. (नई+ उन्नयन)	अनुमोदित कुल केन्द्रीय अंश	अनुमोदित कुल राज्य अंश	पहली किश्त (अनुमोदित केन्द्रीय अंश का 50%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
राजस्थान	असिंध	1	5.08	227	467	694	3.91	1.18	1.95
राजस्थान	बाली नगर	1	3.30	110	191	301	2.64	0.66	1.32
राजस्थान	भवानी मंडी	1	1.82	97	17	114	1.43	0.38	0.72
राजस्थान	छबरा	1	4.47	210	102	312	3.58	0.89	1.79
राजस्थान	चित्तौड़गढ़	1	6.70	176	364	540	5.12	1.58	2.56
राजस्थान	फालना	1	4.46	290	71	361	3.52	0.95	1.76
राजस्थान	झालनपाटन	1	4.21	200	213	413	3.16	1.05	1.58
राजस्थान	रानीनगर	1	0.79	19	0	19	0.63	0.16	0.32
राजस्थान	सादरी	1	1.29	36	10	46	1.03	0.26	0.52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
राजस्थान	सीकर	1	5.44	556	0	556	4.35	1.09	2.18
राजस्थान	सोजट	1	3.16	48	148	196	2.53	0.63	1.27
राजस्थान	बारण	1	9.70	270	137	407	7.37	2.33	3.68
राजस्थान	गुलाबपुरा	1	1.24	0	0	0	1.00	0.25	0.50
राजस्थान	बीकानेर	1	3.32	0	0	0	2.66	0.66	1.33
राजस्थान	टोंक	1	4.46	0	136	136	3.57	0.89	1.78
राजस्थान	झालावाड़	1	4.58	245	0	245	3.48	1.10	1.74
राजस्थान	हनुमानगढ़	1	22.25	440	211	651	17.54	4.71	8.77
राजस्थान	कोटा	1	21.62	1478	0	1478	17.04	4.58	8.52
राजस्थान	पाली	1	22.06	1643	1079	2722	17.64	4.41	8.82
राजस्थान	भीलवाड़	1	19.13	652	1052	1704	15.10	4.03	7.55
राजस्थान	प्रतापगढ़	1	11.20	590	121	711	7.20	4.00	3.60
राजस्थान	जैसलमेर	1	16.76	941	101	1042	12.64	4.12	6.32
राजस्थान	गंगापुर	1	8.82	666	0	666	6.33	2.50	3.16
राजस्थान	अलवर	1	19.71	1776	0	1776	14.60	5.11	7.30
		24	205.59	10670	4420	15090	158.06	47.53	79.03

[अनुवाद]

भारत सरकार के पाठ्य पुस्तक मुद्रणालयों का निजीकरण

3270. श्री मोहन जेना : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसूर, चण्डीगढ़ और भुवनेश्वर स्थित भारत सरकार के पाठ्य पुस्तक मुद्रणालयों का निजीकरण करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने दिनांक 01 फरवरी, 2006 के अपने समीक्षा निर्णय में मैसूर, चण्डीगढ़ तथा भुवनेश्वर स्थित भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालयों का निजीकरण किए जाने का निर्णय लिया है। भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालयों की स्थापना राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण के लिए की गई थी। चूंकि राज्य सरकारें इन मुद्रणालयों को पर्याप्त कार्य नहीं दे पा रही थीं इसलिए सरकार ने मैसूर, चण्डीगढ़ तथा भुवनेश्वर स्थित भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालयों का निजीकरण किए जाने का निर्णय लिया है।

एनआरईजीएस के अंतर्गत कार्यस्थलों पर सुविधाएं

3271. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना (एनआरईजीएस) के अंतर्गत कार्यस्थल पर स्वच्छ पेयजल, बच्चों के लिए शेड और विश्राम अवधि, प्राथमिक उपचार बाक्स जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) और (ख) एन आर ई जी अधिनियम, 2005 की अनुसूची–II के पैरा

27 में प्रावधान है कि कार्य स्थलों पर सुरक्षित पेय जल, बच्चों के लिए आश्रय, विश्राम का समय और आपातकालीन चिकित्सा की पर्याप्त सामग्री से युक्त प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। ये सुविधाएं सामान्यतया जरूरत के आधार पर कार्यस्थल पर ही उपलब्ध कराई जाती हैं।

शैक्षिक ऋण हेतु अतिरिक्त शर्तें

3272. श्री पी. सी. थॉमस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों ने मानक शिक्षा ऋण योजना 2004 के दिशा–निर्देशों और नीतियों के अलावा शैक्षिक ऋण प्रदान करने के लिए अतिरिक्त शर्तें बना ली हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) सरकारी क्षेत्र के प्रमुख बैंकों द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, उनके द्वारा स्वीकृत शिक्षा ऋण भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा वर्ष 2004 में परिचालित मॉडल शिक्षा ऋण योजना के अनुरूप हैं। इन बैंकों ने आईबीए द्वारा संस्तुत की गई शर्तों के अलावा कोई अन्य अतिरिक्त शर्तें निर्धारित नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

फरक्का और कहलगांव विद्युत संयंत्रों हेतु कोयला संयोजन

3273. श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम फरक्का और कहलगांव चरण–I और चरण–II सुपर ताप विद्युत संयंत्रों के लिए कोयला संयोजन को जुटाने में सफल नहीं हो पाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोयले एवं गैस की कमी की वजह से विद्युत उत्पादन के योजनागत लक्ष्यों की प्राप्ति कम होने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को अपने विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले की पर्याप्त आपूर्ति हो रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और कोयले की आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) एनटीपीसी लिमिटेड की फरक्का और कहलगांव सुपर ताप विद्युत परियोजनाओं चरण–I और II को नीचे दिए गए ब्योरे के अनुसार कोयला मंत्रालय द्वारा दीर्घावधि कोयला लिंकेज प्रदान किया गया है:-

थर्मल विद्युत स्टेशनों (टीपीएस) का नाम	क्षमता (मेगावाट)	सम्बद्ध मात्रा (एमटीपीए)	संबद्ध साधन
फरक्का चरण–I	600 (3x200)	11	इसीएल$
फरक्का चरण–II	1000 (2x500)		
कहलगांव चरण–I	840 (4x210)	5.80	इसीएल
कहलगांव चरण–II	1500 (3x500)*	8.82	इसीएल

* कहलगांव स्टेज – के यूनिट 6 और 7 निर्माणाधीन है।

* मिलियन टन प्रति वर्ष

$ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड

(ख) और (ग) वर्तमान में कोयले और गैस की कमी के कारण विद्युत उत्पादन के लक्ष्यों को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) अप्रैल, से अक्तूबर, 2007 की अवधि के दौरान एनटीपीसी स्टेशनों को संबद्ध खानों पर कोयले के कम उत्पादन के कारण लिंकेज के अनुसार कोयला आपूर्ति प्राप्त नहीं हो सकी थी।

(ङ) देश में थर्मल विद्युत स्टेशनों को कोयला आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय के साथ–साथ मंत्रीमंडल सचिवालय में ढांचागत अवरोध समीक्षा समिति द्वारा की गई है। क्रिटिकल स्टाफ वाले विद्युत स्टेशनों में कोयले के स्टाक के सुधार हेतु एक आकस्मिक योजना घरेलू साधनों से कोयला आपूर्ति के पुनः वितरण के माध्यम से तैयार की गई है। कोयले के आयात को तेज करने की आवश्कता हेतु राज्य विद्युत यूटिलिटियों पर दबाव डाला गया है। बंदरगाह की भीड़–भाड़ को कम करने के लिए एनटीपीसी को हलदिया और पारादीप बंदरगाहों पर पश्चिमी तट के माध्यम से कोयले का आयात करने और पूर्वी तट पर इन पोर्टों से रेलवे द्वारा कोयेले के परिवहन मे आने वाले अवरोधों को दूर करने की सलाह दी गई है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के तुलन पत्रों को सुदृढ़ बनाना

3274. श्रीमती निवेदिता माने :

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के तुलन–पत्रों को सुदृढ़ बनाने, संबंधी कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के उद्देश्य से, इनसे संबंधित मामलों पर सिफारिश करने हेतु, समय-समय पर समितियों का गठन किया है। परिचालन कार्य दक्षता के लिए आर आर बी के निदेशक मंडलों को अधिकार देने पर जुलाई 2007 में गठित डॉ. के जी करमाकर समिति, पूर्वोत्तर क्षेत्र के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की विशिष्ट समस्याओं और उनके कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के उपायों का अध्ययन करने के लिए और आर आर बी के पुनर्गठन के लिए आर आर बी पर आंतरिक कार्य समूह की रिपोर्ट के अध्ययन हेतु जुलाई 2005 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए वित्तीय योजना पर गठित समिति हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित समितियां हैं

(ग) भारत सरकार/रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आर बी आई) तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाये हैं, जो निम्नानुसार हैं:-

(i) व्यावसायिक समेकन, विस्तार, आदि के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समामेलन। इसके परिणामस्वरूप, इस समय 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कम होकर 92 तक पहुंच गए हैं। बेहतर आधारभूत सुविधाओं, शाखाओं के कंप्यूटरीकरण, अनुभवी कार्य बल का समूह बनने, सामान्य प्रचार और विपणन प्रयासों आदि के कारण समामेलित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करेंगे। वे एक बड़े क्षेत्र का परिचालन एवं बढ़ी हुई ऋण एक्सपोजर सीमाओं का लाभ भी प्राप्त करेंगे।

(ii) वर्ष 2007-08 के लिए बजट प्रस्ताव में सरकार ने घोषणा की है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ऋणात्मक निवल संपत्ति को आरआरबी को वित्तीय रूप से मजबूत करने के लिए पणधारकों द्वारा पुनर्पूंजीकृत किया जाएगा।

(iii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सलाह दी गई है कि वे उन जिलों, जहां अपना परिचालन नहीं है, को भी कवर करें और त्वरित गति से शाखाओं का विस्तार करें।

(iv) गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ऋण में बढ़ोतरी।

(v) आय बढ़ाने के लिए गैर-निधि आधारित व्यावसायिक गतिविधियां जैसे बीमा पालिसियों को बेचना, पेंशन, वेतन, आदि के संवितरण का विस्तार करना तथा सरकारी कार्य को कार्यान्वित करना।

(vi) वसूलियों में सुधार हेतु "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (एसएआरएफ एईएसआई)" क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर लागू करना।

(vii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) जमाराशियों को स्वीकार करने की अनुमति।

(viii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को संघीय उधार की अनुमति।

[हिन्दी]

आंगनवाड़ी केन्द्र

3275. श्री महावीर भगोरा : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंगनवाड़ी केन्द्रों में कामगारों की नियुक्ति में आरक्षण का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को स्थानीय समुदाय की "अवैतनिक कार्यकर्त्रिया" माना गया है। इसके परिणामस्वरूप, इस स्कीम के अंतर्गत उनके चयन में अनुसूचित जातियों/जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि उन्हें सरकारी कर्मचारी नहीं माना गया है।

गर्भावस्था का अनिवार्य पंजीकरण

3276. श्री रशीद मसूद : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाने के लिए गर्भधारण के तत्काल पश्चात् गर्भावस्था के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कब तक क्रियान्वित होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में प्राप्त सूचना के अनुसार, 'गर्भाधान-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) अधिनियम, 1994' तथा इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों व विनियमों में इस समय ऐसा कोई उपबंध नहीं है कि गर्भाधान के तुरंत पश्चात गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण अनिवार्य हो।

[अनुवाद]

सहकारी समितियों हेतु पुनरूद्धार पैकेज

3277. श्री एस. के. खारवेनथन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न सरकारों द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल करते हुए दीर्घकालिक सहकारी क्रेडिट हेतु पुनरूद्धार पैकेज को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) भारत सरकार, संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से, दीर्घ अवधि सहकारी ऋण ढांचे (एल टी सी सी एस) को सुदृढ़ करने के लिए, एक पुनुरूज्जीवन पैकेज पर विचार कर रही है। इस संबंध में, कार्यान्वियन योग्य कार्य योजना के लिए राज्य सरकारों के वित्त/सहकारी मंत्रियों के साथ अक्तूबर 2007 में एक विचार–विमर्श बैठक का आयोजन किया गया था। तथापि, पैकेज पर अंतिम निर्णय राज्य सरकारों की टिप्पणियों पर निर्भर करता है।

वैट के अंतर्गत मदें

3278. श्री जी. करूणाकर रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास वैट (वीएटी) के अंतर्गत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस की मदों को रखने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मुद्दे पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ चर्चा की थी;

(घ) यदि हां, तो उनसे क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में वैट के अंतर्गत वर्तमान में कितनी मदें हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ङ) राज्य सरकारें संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 54 के फलस्वरूप, राज्य के भीतर पेट्रोलियम उत्पादों एवं प्राकृतिक गैस के क्रय या विक्रय पर कर लगाती रही हैं। अन्य बातों के साथ–साथ बिक्री कर संबंधी मामलों पर विचार–विमर्श करने और बिक्री कर/वैट (वी.ए.टी.) संबंधी मामलों पर राज्यों को संस्तुति करने के लिए राज्य वित्तमंत्रियों की एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है। अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश के अनुसार पेट्रोल, डीज़ल, एविएशन टरबाइन फ्यूल (ए.टी.एफ.) तथा अन्य मोटर स्पिरिटों पर न्यूनतम दर के रूप में 20% कर लगाया जाता है तथा इन्हें वैट से बाहर रखा गया है। प्राकृतिक गैस वैट में पहले से ही शामिल है तथा इसे 12.5% दर (अर्थात् सामान्य वैट दर) के वर्ग में रखा गया है। चूंकि बिक्री कर/वैट एक राज्य का विषय है, वर्तमान कराधान व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन केवल राज्य सरकारों द्वारा ही किया जा सकता है। फिलहाल, अधिकार प्राप्त समिति या राज्य सरकारों ने पेट्रोलियम उत्पादों को वैट के अंतर्गत लाने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया है।

(च) राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति में हुई सहमति के अनुसार केवल कुछ समान जैसे शराब, पैट्रोल, डीजल, एटीएफ तथा अन्य मोटर स्पिरिअ, जिनकी कीमत पूरी तरह से मार्किट पर निर्भर करती है, को छोड़कर सामान्यतः सभी सामान वैट के अंतर्गत आते हैं। इन पर संबंधित राज्य बिक्री कर अधिनियम अथवा अन्य किसी राज्य अधिनियम अथवा वैट अधिनियम के अंतर्गत ही विशेष प्रावधान बनाकर अधिकार प्राप्त समिति द्वारा निर्धारित एक समान न्यूनतम दर पर कर लगाया जा रहा है। आगे यह भी उल्लेख किया जाता है कि राज्यों में वैट के अंतर्गत कुछ सामानों के लिए कर की दर 0% है। अतः यद्यपि ये राज्य वैट प्रणाली के अंतर्गत शामिल हैं इनको कर से छूट दी गई हैं।

कूड़ा करकट का निपटारा

3279. श्री मनोरंजन भक्त : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह मे विद्यमान अनुपयुक्त अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में विद्यमान कूड़ा करकट निपटान प्रणाली की समीक्षा की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

समेकित वन्य गतिविधियों से आजीविका

3280. श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या ग्रामीण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर छत्तीसगढ़ में

समेकित वन्य गतिविधियों से आजीविका अर्जित करने के संबंध में विभिन्न राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्वार्टर्स

3281. श्री रामदास आठवले : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में दिल्ली एनसीटी क्षेत्र में और केन्द्र सरकार के टाईप – i, ii, iii, iv, vi, v और vi के टाईप–वार कितने क्वार्टर हैं;

(ख) आज की तिथि के अनुसार श्रेणी–वार और स्थान–वार कितने क्वार्टर खाली पड़े हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार अपने कर्मचारियों के लिए दिल्ली में उक्त श्रेणियों हेतु और अधिक क्वार्टरों का निर्माण करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इनका निर्माण कब तक किये जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) सामान्य पूल क्वार्टर्स की श्रेणी–वार संख्या निम्नवत है :–

क्वार्टर्स की श्रेणी	क्वार्टरों की सं.
I	16908
II	23810
III	11900
IV	5467
IV (स्पेशल)	796
V ए(डी–II)	1535
VI बी(डी–I)	869
VI ए(सी–II)	572
VI बी(सी–I)	212

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(ग) विभिन्न कारणों से क्वाटर्स खाली पड़े हुए हैं:– जैसे पेशकशाधीन, अस्थायी मरम्मत, असुरक्षित घोषित, बिजली भुगतान लंबित इत्यादि।

(घ) जी, हां।

(ङ) ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(च) दिल्ली में निर्माण हेतु समान्य पुल रिहायशी आवास की नई स्कीम जो अनुमोदनाधीन है, से जुलाई, 2009 तक आवास प्रदान किए जाने की संभावना है।

विवरण-I

खाली पड़े आवासों का ब्यौरा

क्र.सं.	स्थान	आवास की श्रेणी								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		I	II	III	IV	IV (स्पेशल)	Vए (डी–II)	Vबी (डी–I)	VIए (सी–II)	VIबी (सी–I)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अकबर रोड़	2								
2.	अलीगंज	1								
3.	एंड्रूजगंज	15		12			2			
4.	एंड्रूजगंज एक्सटेंशन					4				
5.	आराम बाग	6	17	4						
6.	डीआईजेड एरिया	9	13	16						
7.	गार्ड बैरक्स	2								
8.	जैसलमेर हाऊस	9								
9.	जाम नगर हाऊस	20								
10.	जनपथ	23								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	काली बाड़ी मार्ग	2	8							
12.	कस्तूरबा नगर	86								
13.	किदवई नगर	9	2				6			
14.	किदवई नगर वेस्ट						9			
15.	लांसर रोड़	4	2	1						
16.	एम बी रोड़	34	234	40	13	2	23			
17.	मायापुरी प्रेस कालोनी	3	2							
18.	मायापुरी				13					
19.	मिंटो रोड़ एरिया	2	1	6						
20.	मोहम्मदपुर	3								
21.	मोती बाग	2	7				1		1	3
22.	नार्थ वेस्ट मोती बाग		1	1	5					
23.	नेताजी नगर	6	4	2	2					
24.	पंचकुंइया रोड़	3								
25.	प्रेम नगर	17								
26.	पृथ्वीराज लेन	5								
27.	पुषा रोड़	23								
28.	आर के पुरम	20	23	11	58	4	7	7	6	
29.	सादिक नगर	1	8	9	4					
30.	श्रीनिवासपुरी	49	4							
31.	सरोजनी नगर			72	5					
32.	सुजानसिंह पार्क	2								
33.	सुंदर नर्सरी	10								
34.	तिमारपुर	15	64	7	1					
35.	बसंत विहार	1	1	1						
36.	बिन्दुसार पैलेस	1								
37.	एल्बर्ट एस्कावयर		4							
38.	बाबा खड़ग सिंह मार्ग		5	10						
39.	हनुमान रोड़		2							
40.	लक्ष्मीबाई नगर		13		16					
41.	लोदी कालोनी		12	13	1					
42.	लोदी रोड़ काम्पलेक्स		16	1			2			
43.	नानकपुरा		11	2	11		2			
44.	चित्रगुप्त रोड़			9						
45.	नौरोजी नगर		5	3	3					
46.	प्रोबीन रोड़			8						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	यूडीपी नेहरू नगर			3						
48.	कालेज रोड़				1					
49.	हुडको प्लेस				4				1	
50.	हुडको प्लेस एक्सटेंशन					6		17		
51.	काली बाड़ी अपार्टमेंट				1					
52.	माल रोड़				1					
53.	मिंटो रोड़ (एमएस फ्लैट)				2					
54.	पीएस कृष्णा नगर				2					
55.	महावतखान रोड़			2						
56.	पेशवा रोड़				1					
57.	पंडारा रोड़				4	3				
58.	रोहिणी				1	5				
59.	तानसेन मार्ग				1					
60.	एशियन गेम्स विलेज						7			
61.	बेर सराय						1			
62.	बंगलो रोड						3			
63.	काका नगर						5			
64.	पश्चिम विहार						1			
65.	पुष्प विहार						1			
66.	राजौरी गार्डन						5			
67.	विनय मार्ग						2			
68.	अलीपुर रोड़							1		
69.	चाणक्यपुरी							1	1	
70.	जल विहार कालोनी							1		
71.	रविन्द्रा नगर							1		
72.	सरदार पटेल मार्ग							3		
73.	बापा नगर								4	3
74.	शाहजहां रोड़								1	
75.	कैनिंग लेन									1
76.	लोदी एस्टेट									1
77.	पंडारा पार्क									5
78.	राजाजी मार्ग									1
79.	तालकटोरा रोड़									2
80.	तिलक मार्ग									1
81.	देव नगर		1	10						
82.	मंदिर मार्ग		2	1						
83.	मीरदर्द रोड		1							
84.	गुरूद्वारा रकाबगंज रोड़									2

विवरण-II

दिल्ली में निर्माणाधीन जीपीआरए का ब्यौरा

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्थान	श्रेणी-I	श्रेणी-II	श्रेणी-III	श्रेणी-IV	श्रेणी-V	श्रेणी-VI	कुल
1.	राष्ट्रपति संपदा ब्लॉक-III में 36 क्वार्टरों का निर्माण	नई दिल्ली			36				36
2.	राष्ट्रपति संपदा ब्लॉक-IV में 36 क्वार्टरों और ब्लॉक-II में 18 क्वार्टरों का निर्माण	नई दिल्ली			54				54

दिल्ली में मंजूर कार्य प्रारंभ होने के लिए जीपीआरए का ब्यौरा

क्र.सं.	कार्य का नाम	लेखा शीर्ष	स्थान	आवासों की संख्या	11वीं योजना में प्रस्तावित परिव्यय	वार्षिक योजना 2007-08 में प्रस्तावित परिव्यय	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पाकेट 6, डीडीयू मार्ग, नई दिल्ली में 140 टाईप-V और 104 टाईप-VI फ्लैटों का निर्माण	4216 यूडी (पी)	डीडीयू मार्ग	244.0	80.6	37.37	
2.	पाकेट-1, डीडीयू मार्ग नई दिल्ली में 340 टाईप-IV क्वार्टरों का निर्माण	4216 यूडी (पी)	डीडीयू मार्ग	340.0	0.0	0.0	31.3.2007 तक अनुमोदन के बाद यह कार्य पीपीपी प्रणाली आधार पर किया जा रहा है।
3.	बसंत विहार, नई दिल्ली में जनरल पूल रिहायशी आवास में 108 टाईप-V और 24 टाईप-VI क्वार्टरों का निर्माण		नई दिल्ली	132.0	43.3	3.0	
4.	देव नगर, नई दिल्ली में 450 टाईप-II क्वार्टरों का निर्माण	4216 यूडी (पी)	नई दिल्ली	450.0	18.3	0.5	
5.	देव नगर में 400 टाईप-III क्वार्टरों का निर्माण	4216 यूडी (पी)	नई दिल्ली	400.0	50.9	0.5	
6.	देव नगर में 180 टाईप-IV क्वार्टरों का निर्माण	4216 यूडी (पी)	नई दिल्ली	180.0	25.4	0.5	
7.	अलीगंज में अलीगंज क्षेत्र पुर्नविकास एसएच: 300 टाईप-II क्वार्टरों का निर्माण	4216 यूडी (पी)	नई दिल्ली	300.00	21.4	1.0	

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	राष्ट्रपति संपदा ब्लॉक–5 में 36 क्वार्टरों का निर्माण		नई दिल्ली	36.0			
9.	राष्ट्रपति संपदा ब्लॉक–7 में 40 क्वार्टरों का निर्माण		नई दिल्ली	40.0			
10.	राष्ट्रपति संपदा ब्लॉक–12 में 40 क्वार्टरों का निर्माण		नई दिल्ली	40.0			
11.	राष्ट्रपति संपदा ब्लॉक–10 में 16 टाईप–II क्वार्टर और ब्लॉक–11 में 28 टाईप–II क्वार्टरों का निर्माण		नई दिल्ली	44.0			

[अनुवाद]

प्रमुख शहरों में यातायात

3282. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के प्रमुख और छोटे शहरों में लगातार बढ़ते यातायात से निपटने के लिए कोई पद्धति अथवा कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) व्यस्ततम अवधि के दौरान प्रमुख शहरों में बढ़ते यातायात से निपटने के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (घ) शहरी परिवहन राज्यों का विषय है, अतः निरंतर बढ़ रही यातायात समस्या को सुलझाने हेतु कार्य योजना बनाने का दायित्व संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का है। तथापि, शहरी यातायात में तेजी से बढ़ रही भीड़–भाड़ की समस्या की गंभीरता को देखते हुए, सरकार ने अप्रैल, 2006 में राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एनयूटीपी) तैयार की है। यह नीति राज्यों/शहरों को अपनी शहरी परिवहन कार्यनीतियां बनाने के लिए दिशानिर्देश और प्रोत्साहन देती है। बेहतर परिवहन उपलब्ध करवाने और यातायात की भीड़–भाड़ को कम करने के लिए विभिन्न स्कीमों जैसे जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम), अवसंरचना और बजटीय सहायता में सार्वजनिक निजी भागीदारी हेतु वित्तीय सहायता के लिए वित्त मंत्रालय की स्कीम के तहत शहरी परिवहन आयोजना के लिए और शहरी परिवहन परियोजनाओं को शुरू करने के लिए सरकार, केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रही है।

ग्रामीण विद्युतीकरण

3283. श्री सुकदेव पासवान :
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री श्रीचन्द कृपलानी :
श्री संतोष गंगवार :
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
श्री अनंत कुमार :
प्रो. प्रेम कुमार धूमल :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में तीव्र ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु किसी विशेष पैकेज की परिकल्पना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) 2006–07 और 2007–08 के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ राज्य–वार आबटित और प्रयुक्त धनराशि कितनी है;

(घ) क्या कुछ निजी कम्पनियां ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में संलग्न हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) जी, हां। तीव्र ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए, अप्रैल, 2005 में भारत सरकार ने देश में 2009 तक सभी ग्रामीण घरों तक विद्युत की पहुंच उपलब्ध कराने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को शुरू किया है। योजना का लक्ष्य लगभग एक लाख गांवों के विद्युतीकरण और 2.34 करोड़ बीपीएल घरों सहित 7.8 करोड़ ग्रामीण घरों तक विद्युत की पहुंच उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की समग्र लागत के लिए 90% पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाती है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) योजना के लिए एक नोडल एजेंसी है।

(ख) प्राप्त, स्वीकृत सैद्धांतिक रूप में अनुमोदित और विचाराधीन आरजीजीवीवाई परियोजनााओं के राज्यवार ब्यौरे–I संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(ग) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत निधियां किश्तों में कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा रिपोर्ट की गई प्रगति के अनुरूप जारी की जाती है। वर्ष 2006–07 और 2007–08 के दौरान वितरित राज्यवार राशि संलग्न विवरण–II में दी गई है।

(घ) और (ङ) आरजीजीवीवाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्य विद्युत यूटिलिटियों और चार केंद्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) अर्थात् पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल), नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी), नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) और दामोदर वैली कारपोरेशन (डीवीसी द्वारा किया जा रहा है। 27 कार्यान्वित करने वाले राज्यों में से 13 ने इन सीपीएसयू की 139 जिलों में आरजीजीवीवाई कार्यों का कार्यान्वयन सौंपा है। जिनके राज्यवार और सीपीएसयू–वार ब्यौरे संलग्न विवरण III में दिए गए हैं।

विवरण-I

राज्यवार रुप से स्वीकृत, सैद्धांतिक रुप से अनुमोदित तथा जांचाधीन आरजीजीवीवाई डीपीआर की संख्या

12.11.07 के अनुसार

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत एवं क्रियान्वयनाधीन (संख्या)	स्वीकृत किंतु अभी रुकी हुई है (संख्या)	सैद्धांतिक रुप से अनुमोदित	जांचाधीन	कुल (संख्या)
1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	17	–	5	4	26
2	अरुणाचल प्रदेश	2	–	14	0	16
3	असम	3	4	8	8	23
4	बिहार	26	3	9	6	44
5	छत्तीसगढ़	3	2	–	11	16
6	गुजरात	3	6	16	0	25
7	हरियाणा	4	2	12	0	18
8	हिमाचल प्रदेश	1	–	3	8	12
9	जम्मू और कश्मीर	3	1	6	4	14
10	झारखंड	13	–	5	4	22
11	कर्नाटक	17	9	–	1	22
12	केरल	1	6	7	0	14
13	मध्य प्रदेश	8	8	5	27	48
14	महाराष्ट्र	4	13	–	17	34
15	मणिपुर	2	1	1	0	4
16	मेघालय	2	1	–	4	7
17	मिजोरम	2	6	–	0	8
18.	नागालैंड	2	1	2	6	11
19	उड़ीसा	4	2	3	22	31
20	पंजाब	–	1	16	0	17

1	2	3	4	5	6	7
21	राजस्थान	25	2	12	2	41
22	सिक्किम	2	2	–	0	4
23	तमिलनाडु	–	16	13	0	29
24	त्रिपुरा	1	–	1	2	4
25	उत्तर प्रदेश	64	–	2	5	71
26	उत्तरांचल	13	–	–	0	13
27	पश्चिम बंगाल	13	–	–	19	32
	कुल	235	86	140	150	611

स्रोत–आरईसी

विवरण-II

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत दिनांक 23/11/2007 को राज्यवार और वर्ष वार वितरित की गई धनराशि

क्रम सं.	राज्य	रुपये करोड़ में	
		2006–07 के दौरान	2007–08 के दौरान (12.11.2007 तक)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	94.35	191.36
2.	असम	39.22	
3.	बिहार	470.14	398.97
4.	छत्तीसगढ़	36.18	12.34
5.	गुजरात	13.36	12.15
6.	हरियाणा	12.33	12.34
7.	हिमाचल प्रदेश	7.48	
8.	झारखंड	285.24	136.47
9.	जम्मू और कश्मीर	19.59	
10.	कर्नाटक	87.36	92.58
11.	केरल	5.13	
12.	मध्य प्रदेश	104.66	60.08
13.	महाराष्ट्र	10.02	
14.	मणिपुर	13.53	
	मेघालय		12.73
15.	नागालैंड	4.23	0.26
16.	उड़ीसा	63.67	52.17
17.	राजस्थान	87.19	86.56
18.	उत्तर प्रदेश	1544.41	95.02
19.	उत्तराखण्ड	278.28	17.89
20.	पश्चिम बंगाल	204.76	26.33
	कुल	3381.13	1207.25

विवरण-III

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत राज्यवार और सीपीएसयू–वार जिलों का आबंटन

क्र.सं.	राज्य	सीपीएसयू को आबंटित जिले				कुल संख्या
		पीजीसी आईएल	एनटीपीसी	एनएच पीसी	डीबी	
1	2	3	4	5	6	7
1	असम	7				7
2	बिहार	24		6		30
3	छत्तीसगढ़	4	5	7		16
4	गुजरात	2				2
5	झारखंड		8		8	16
6	जम्मू और कश्मीर			7		7
7	केरल		6			6
8	मध्य प्रदेश		4			4
9	उड़ीसा	12	12	6		30

1	2	3	4	5	6	7
10	राजस्थान	7				7
11	त्रिपुरा	2				2
12	उत्तर प्रदेश	8				8
13	पश्चिम बंगाल	2		1	1	4
	कुल	68	35	27	9	139

लंबित आयकर प्रतिदाय

3284. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय वर्ष 2005–06 और 2006–07 के लिए सरकार के पास बड़ी मात्रा में आयकर (आईटी) प्रतिदाय के मामले लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन राशियों के प्रतिदाय में अब तक विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन सभी लंबित आयकर प्रतिदायों को कब तक निपटाये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) आयकर अधिनियम, 1961 के सांविधिक उपबंधों के अनुसार निर्धारण के परिणाम स्वरूप प्रतिदाय स्वीकृत करना अथवा मांग उठाना आयकर विभाग की एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है;

(ख) प्रतिदाय की लंबित राशियों के संबंध में अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं क्योंकि विवरणियों पर कार्रवाई करने के बाद ही प्रतिदाय संबंधी राशि का निर्धारण किया जा सकता है;

(ग) कर्मचारियों की कमी के कारण कुछ देरी हो जाती है। कुछेक मामलों में, अदा किए गए अथवा काटे गए करों का सत्यापन करना पड़ता है तथा जब तक सत्यापन की यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती प्रतिदाय जारी करने में उतनी ही देरी हो जाती है। कुछेक मामलों में, निम्नलिखित कुछेक ऐसे कारणों से जिसके लिए निर्धारिती उत्तरदायी हैं; प्रतिदाय जारी करने में विलंब हो जाता है:–

(i) निर्धारती द्वारा स्थायी लेखा संख्या का उल्लेख न करना/गलत उल्लेख करना;

(ii) निर्धारती द्वारा बैंक लेखे संबंधी ब्यौरे न देना;

(iii) द्विगुणीकृत वैयक्तिक लेखा संख्या को समाप्त किए जाने संबंधी बकाया कार्य।

(घ) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, विवरणियों के प्राप्त होने के चार माह की अवधि के भीतर इन पर कार्रवाई करनी होती है। वित्त वर्ष 2006–07 में प्राप्त हुई विवरणियों पर कार्रवाई करने की समय – सीमा 31.3.2008 तक है।

[हिन्दी]

बालिका दिवस

3285. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मंत्रालयों से बालिका दिवस मनाने का अनुमोदन प्राप्त होने के बावजूद इस वर्ष बालिका दिवस नहीं मनाया जा सका; और

(ख) यदि हां, तो कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) राष्ट्रीय बालिका दिवस की घोषणा करने के लिए कोई औपचारिक तारीख फिलहाल निर्धारित नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी वित्तीय कंपनियां

3286. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ऐसी कंपनियों से ऋण हेतु प्रावधान का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में ऐसी कंपनियों की संख्या बढ़ रही है;

(ग) क्या हां, तो विगत तीन वर्षों का वर्ष–वार ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार किस रीति से इन कंपनियों को विनियमित कर रही है;

(ङ) क्या सरकार को इन कंपनियों के विरुद्ध इस अवधि के दौरान शिकायतें मिली हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन कंपनियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक की मौजूदा प्रबंधन प्रणाली द्वारा मांगे गए अनुसार सूचना नहीं रखी जाती। तथापि, मार्च 2007 के अंत में, जमा स्वीकार करने वाली गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिमों

की कुल राशि 10602 करोड़ रुपए थी और व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर–जमा स्वीकार करने वाली गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा कुल बकाया सुरक्षित/असुरक्षित ऋण 184507 करोड़ रुपए थे।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अध्याय ।।।–ख, III–ग और ट वर्ष 1997 में संशोधित किए गए थे जिससे भारतीय रिजर्व बैंक को जमा स्वीकार करने वाली गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर नज़र रखने के लिए महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हो गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर प्रभावी रुप से नजर रखने तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के प्रावधानों के कंपनियों द्वारा अनुपालन पर निगरानी के लिए एक व्यापक चार पक्षीय तंत्र विकसित और लागू किया है तथा उसके अंतर्गत निर्देश जारी किए। इसमें शामिल हैं (क) गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का स्थल पर निरीक्षण, (ख) अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली का प्रयोग करते हुए आवधिक नियंत्रण परिणामों के माध्यम से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की स्थलेतर निगरानी, (ग) एक प्रभावी बाजार आसूचना तंत्र और (घ) गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लेखा परीक्षकों द्वारा असाधारण रिपोर्टों की प्रस्तुति प्रणाली। भारतीय रिजर्व बैंक आवश्यकता पड़ने पर कंपनियों के कामकाज पर निगरानी रखने के लिए प्रेक्षकों की नियुक्ति द्वारा या विशेष विवरणियों के माध्यम से चूक कर्ता/दोषी कंपनियों पर सूक्ष्मता से निगरानी रखता है।

(ङ) से (छ) भारतीय रिजर्व बैंक को ऐसी अनेक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें मिली हैं जिन्होंने जमा राशि के पुनर्भगतान में चूक की है। भारतीय रिजर्व बैंक उन गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत निर्देशों का पालन नहीं किया है या वित्तीय स्थिति के मामले में कमियां दर्शायी हैं। ऐसी कार्रवाई में कंपनी को गैर–बैंकिंग वित्तीय कार्य, जमा राशि की स्वीकृति और परिसम्पत्तियों का अन्य संक्रमण करने से रोकना शामिल है। जहां भी चूक जारी रहती है, भारतीय रिजर्व बैंक कार्रवाई रोकना शुरू कर देता है और गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के निदेशकों के विरुद्ध आपराधिक शिकायत भी दर्ज कराता है। अब तक भारतीय रिजर्व बैक ने 84 गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध समापन याचिकाएं और 70 मामलों में आपराधिक कार्यवाहियां दर्ज की हैं।

[हिन्दी]

चुनाव में अत्यधिक खर्च पर रोक

3287. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रत्याशियों द्वारा चुनाव में अत्यधिक खर्च करने पर रोक लगाने के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के संशोधन करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) और (ख) अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों से संबंधित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के साथ पठित धारा 77 और धारा 78 के उपबंध, विहित रीति में सही लेखा रखे जाने के लिए उपबंध करते हैं, जो कि विहित सीमा से अधिक नहीं होगा और यह कि उस लेखा को निर्वाचनों के तीस दिन के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना होता है। यद्यपि, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का नियम 90 निर्वाचन व्ययों की अधिकतम सीमा विहित करता है, "निर्वाचन व्ययों" से संबंधित निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के भाग 8 के अन्य नियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के पूर्वोक्त उपबंधों के साथ मिलकर विधि के उपबंधों का ऐसा सेट बनाते हैं, जो वर्तमान में निर्वाचनों के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा उपगत किसी अधिक व्यय की जांच करता है। अधिनियम या नियमों के पूर्वोक्त उपबंधों को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तथापि, निर्वाचन आयोग का यह प्रस्ताव है कि अध्यापक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से विधान परिषदों के निर्वाचनों को, अभ्यर्थियों द्वारा उपगत किए जाने वाले किसी अधिक व्यय की जांच करने के लिए विद्यमान उपबंधों की, जो इस समय केवल लोक सभा और किसी राज्य की विधान सभा के निर्वाचनों को लागू हैं, परिधि के भीतर लाया जाए।

उच्च न्यायालयों की पीठों का कार्य न करना

3288. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ उच्च न्यायालयों की पीठें कार्य नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख के अनुसार तत्संबंधी न्यायालय–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

क्रेडिट कार्ड से लेन-देन पर अत्यधिक ब्याज दर

3289. श्री रेवती रमन सिंह :
श्री संतोष गंगवार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बैंक कुछ मामलों में क्रेडिट कार्ड धारकों से 30% से अधिक दर पर ब्याज वसूल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार इसे तर्कसंगत बनाने के लिए क्या कदम उठा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 2 जुलाई 2007 को, क्रेडिट कार्ड परिचालन पर जारी मूल परिपत्र के अनुसार, क्रेडिट कार्ड पर देयता, गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के निजी ऋणों की तरह है और बैंक बिना आधार मूल उधार दर (बीपीआरएल) के संदर्भ के और ऋण की राशि को ध्यान दिए बिना क्रेडिट कार्ड पर ब्याज-दर तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने, बैंकों को सलाह दी है कि क्रेडिट कार्ड बकाया पर वार्षिक ब्याज दर (एपीआर), एपीआर तय करने का तरीका, गणना करने के तरीके सहित, देरी भुगतान प्रभार ब्याज की गणना हेतु बकाया राशि को शामिल करने का तरीका इत्यादि क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक को "वेलकम किट" और मासिक बिल विवरण में इंगित करना चाहिए। बैंकों को यह भी सलाह दी गयी है कि वे ऐसे प्रभार न लगाएं जो क्रेडिट कार्ड जारी करते समय और ग्राहकों की सहमति लेते समय उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं बताए गए हों। इसके अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड परिदृश्य पर लगातार निगरानी रखी जाती है और उनके क्रेडिट कार्ड परिचालनों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, निरंतर, अनुदेश जारी किए जाते रहते हैं।

[हिन्दी]

पृथ्वी के आकार में परिवर्तन

3290. श्री सुभाष महरिया : क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नासा (एनएएसए) ने सेटेलाइट लेजर रेंजिंग के आंकडों के आधार पर पृथ्वी के आकार में परिवर्तन होने का खुलासा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नासा (एनएएसए) भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में किसी निर्णय पर पहुंचा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी हां।

(ख) आस्टिन स्थित अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, टेक्सास विश्वविद्यालय के मिनकेंस चेंग और बेरॉन डी टेपले द्वारा किए गए और ज्योफिजिकल रिसर्च-सॉलिड अर्थ नामक पत्रिका के जून 2005 अंक में प्रकाशित अध्ययन से पता चलता है कि पिछले 28 वर्षों के दौरान पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र आस्था जीऑयड से बताए गए पृथ्वी के आकार के महत्वपूर्ण परिवर्तन कुछ हद तक जलवायु संबंधी स्थितियों से जुड़े हो सकते हैं।

अध्ययन में पृथ्वी के चपटेपन की इस दृष्टि से जांच की गई है कि ध्रुवों पर इसकी गोल आकृति कितनी चपटी और आक्षांश पर कितनी चौड़ी हो गई है। वैज्ञानिकों ने उपग्रह लेजर रेंजिंग (एसएलआर) डेटा का प्रयोग कर भू-केन्द्रों से उपग्रहों तक की दूरी को मापा है जो ठीक एक मिलीमीटर के भीतर है।

आंकडों से पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में परिवर्तन होने के कारण पानी का समुद्र, वायुमंडल और मिट्टी में पुनः वितरण होने जैसे व्यापक परिवर्तन होने का पता चलता है। अध्ययन के अनुसार पुनः वितरण के कारण पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र में मामूली परिवर्तन हो रहे हैं। इन परिवर्तनों का पता उन भूगणितीय उपग्रहों से लगाया जा सकता है जो पृथ्वी के आकार व आकृति का अध्ययन करते हैं। यद्यपि अध्ययन से पृथ्वी के चपटेपन को एस एल आर डेटा से जोड़ने का प्रयास किया गया है, तथापि यह भी बताया गया है कि 1978 और 2001 के बीच की 21 वर्ष की अवधि में पृथ्वी की मात्रा में हुए परिवर्तन अभी भी रहस्य बने हुए हैं। इस कारण से वे पृथ्वी के आकार में हो रहे परिवर्तनों को मॉनीटर करने के लिए एस एल आर प्रौद्योगिकी पर निर्भर होकर और अध्ययन करने का प्रस्ताव करते हैं।

परंतु अन्य मतावलम्बियों के अनुसार उपग्रह लेजर रेंजिंग तकनीक एक पोजीशनल प्रौद्योगिकी है जो पृथ्वी की सतह की तात्कालिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने अथवा आधार रेखा का ठीक-ठीक मापने वाली ग्लोबल पोजीशनिंग प्रणाली (जी पी एस) के समान है। अतः पृथ्वी की आकृति और परिमाण का निर्धारण करने के लिए ऐसी प्रौद्योगिकियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में शोधकर्ता

3291. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में शोधकर्ताओं की संख्या 3 लाख से कम है जबकि चीन में शोधकर्ताओं की संख्या 9 लाख से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में शोधकर्ताओं की संख्या को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत और चीन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधानकर्ताओं की संख्या क्रमशः 1,15,936 और 8,05,176 है। भारत सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी म

अनुसंधानकर्ताओं की वृद्धि करने और उनको इसमें बनाये रखने के लिए विभिन्न कदम उठाये हैं। इन उपायों में कुछ शामिल हैं:

* युवा और कार्यशील वैज्ञानिकों के लिए नयी और आकर्षक अध्येतावृत्तियां शुरू करना।
* विश्वविद्यालयों, शैक्षिक संस्थानों और प्रयोगशालाओं में उत्कृष्टता/उन्नत अध्ययन/इन्क्यूबेशन केन्द्रों की स्थापना।
* विज्ञान के नये और अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक आधुनिक सुविधाओं के साथ व्यावसायिकों के प्रमुख ग्रुपों का सृजन।
* परवर्ती पंचवर्षीय योजनाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रक के लिए परिव्यय में वृद्धि करना।
* वैज्ञानिकों अथवा नवोन्मेषक के साथ बाहरी आमदनी की हिस्सेदारी का प्रावधान तथा आई पी आर, संविदा अनुसंधान एवं परामर्श की शर्तों के अनुसार इसकी आवधिक पुनरीक्षा।
* उद्यमवृत्तिक विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित प्रशिक्षण।
* कैरियर के रूप में अनुसंधान और विज्ञान को अपनाने के लिए प्रतिभाशाली युवा वैज्ञानिकों को आकर्षित और प्रेरित करने हेतु संपर्क कार्यक्रम।
* आरंभिक संकाय प्रवेश कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य प्रतिभावन युवा अण्डरग्रेज्युएट छात्रों को अनुसंधान के रूप में इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी/फार्मेसी/वास्तुशिल्प आदि में कैरियर आरंभ करने के लिए आकर्षित करना है।
* युवा वैज्ञानिकों के लिए फास्ट ट्रेक स्कीम।
* अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनों और विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वैज्ञानिकों/युवा अनुसंधानकर्ताओं को वित्तीय सहायता।
* अन्तरराष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और संस्थानों का दौरा करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के चयनित क्षेत्रों (बी ओ वाई एस सी ए एस टी) की अध्येतावृत्ति में युवा वैज्ञानिकों के लिए अधिक अच्छे अवसर।
* विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी और उभरते हुए क्षेत्रों में सहायता करने के लिए लघु अवधि तकनीकी कार्यों के लिए विदेश में बसे भारतीय मूल के विशिष्ट पुरुषों और महिलाओं को आमंत्रित करना।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम संयंत्रों के कारण प्रदूषण

3292. श्री पी. सी. थामस :

श्री एन. एन. कृष्णदास :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने यह पता लगाया है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) विश्व में तीसरा सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाला संगठन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) हाल ही में समाचार पत्रों ने यह समाचार छापा है कि वाशिंगटन के सेन्टर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट नामक एक संगठन ने एनटीपीसी लि. को विश्व के तीसरे सर्वाधिक प्रदूषक विद्युत प्रतिष्ठान का दर्जा दिया है। तथापि, जिन तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है, वे मान्य अथवा अभिप्रमाणित नहीं है।

(ग) वर्ष 2007–08 की संयुक्त राष्ट्र मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2004 में भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन डायऑक्साइड का उत्सर्जन, 4.5 टन प्रति वर्ष के विश्व औसत की तुलना में 1.2 टन प्रति वर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेन्सी के एक अन्य प्रकाशन "की वर्ल्ड इनर्जी स्टेटिस्टिक्स"–2007" में अनुमान लगाया गया है कि भारत में प्रति व्यक्ति 1.05 टन कार्बन डाईऑक्साइड का उत्सर्जन विश्व में सर्वाधिक न्यूनतम में से एक है। इसकी तुलना में अमरीका का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन 19.61 टन है वहीं चीन का 3.88 टन है। तथापि सरकार ने स्वच्छ एवं दक्ष ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:–

* ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 का अधिनियम तथा ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो की स्थापना।
* विद्युत अधिनियम, 2003 का अधिनियम जो यह निर्धारित करता है कि वितरण कंपनियां अपनी विद्युत खरीद का एक हिस्सा अक्षय स्रोतों से अवश्य प्राप्त करें।
* प्रमुख ऊर्जा खपतकारी उपकरणों के लिए ऊर्जा लेवलिंग कार्यक्रम तथा ऊर्जा संरक्षण बिल्डिंग कोड शुरू करना।
* ताप विद्युत उत्पादन के लिए सुपर क्रिटिकल यूनिटों को बढ़ावा।
* देश में जल विद्युत संभाव्यता के विकास को प्राथमिकता तथा वर्ष

2003 में 50,000 मे.वा. जल विद्युत क्षमता के विकास की पहल।

- स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) कार्यक्रम तथा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन लीडरशिप फोरम (सीएसएलएफ) में प्रतिभागिता।
- उत्सर्जन-मुक्त कोयला दहित विद्युत संयंत्र के विकास के लिए अमरीका के फ्यूचर जेन प्रोजेक्ट में साझेदारी।

कार्बन डाईऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी के लिए एनटीपीसी लि. ने निम्नलिखित कदम भी उठाए हैं:-

1. एनटीपीसी लि. के सभी कार्य-स्थलों पर बड़े पैमाने पर वनीकरण शुरू किया गया है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने का काम करता है। आज तक 1.8 करोड़ पेड़ लगाए गए हैं।
2. 660 मेगा वाट और इससे अधिक क्षमता के यूनिटों के साथ एनटीपीसी लि. अपनी आगामी विद्युत परियोजनाओं में सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी अपना रहा है। सुपर क्रिटिकल यूनिटों की कार्यकुशलता अधिक होती है। (लगभग 2.5%) और फलस्वरूप कार्बन डाईआक्साइड का उत्सर्जन कम होता हैं (3x660 मे. वा. की परियोजना के लिए लगभग 0.5-1 मिलियन टन प्रति वर्ष)। यहां तक कि सामान्य यूनिटों में भी कार्यकुशलता में सुधार करने तथा फलस्वरूप कार्बन डाईआक्साइड के उत्सर्जन में कमी करने (500 मे.वा. की यूनिट के लिए लगभग 10,000-15,000 टन प्रति वर्ष) के लिए भाप का री-हीट तापमान बढ़ाया जा रहा है।
3. एनटीपीसी लि. ने जल विद्युत क्षेत्र में भी प्रवेश किया है तथा इसकी अनेक जल विद्युत परियोजनाएं क्रियान्वयनाधीन/विकास के विभिन्न चरणों में है। जल विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन से कंपनी की औसत कार्बन सघनता में कमी आएगी।
4. एनटीपीसी लि. अक्षय ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में भी प्रवेश कर रहा है। एनटीपीसी लि. ने वर्ष 2017 तक अक्षय ऊर्जा स्रोतों के जरिए लगभग 1000 मे.वा. क्षमता की अभिवृद्धि के लिए अपनी व्यवसाय योजना तैयार कर ली है।
5. एनटीपीसी लि. पुराने विद्युत संयंत्रों की कार्यकुशलता में वृद्धि करने तथा कार्बन सघनता में कमी करने के लिए उनका नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (आर एंड एम) कर रहा है।

महानगरों से आयकर का संग्रहण

3293. श्री मोहन रावले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान महानगरों से संग्रहित आयकर का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान नागरिक सुविधाओं पर व्यय करने के लिए इन्हें कितनी धनराशि आबंटित की गई और जारी की गई;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने और अधिक आबंटन की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमणिक्कम): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान चार मेट्रो शहरों से एकत्र किया गया आयकर निम्नवत है:-

(करोड़ रुपए में)

मेट्रो शहर	2004-05	2005-06	2006-07
दिल्ली	20047	26158	38388
चेन्नई	8037	10716	14818
कोलकाता	5686	7548	9806
मुम्बई	42136	52656	76096

(ख) केन्द्र सरकार नागरिक सुविधाओं सहित राज्य वार्षिक योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों के लिए निधियां जारी करती हैं तथा न कि मेट्रो शहरों के लिए पृथक रूप से।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

एकल मतदाता सूची

3294. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ग्राम पंचायतों और विधान सभा/संसदीय चुनावों के लिए पृथक मतदाता सुचियों का प्रयोग किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ग्राम पंचायत/विधान सभा और संसद के चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची का प्रयोग करने की तत्काल आवश्यकता है;

(घ) इस संबंध में क्या कठिनाइयां हैं; और

(ङ) देश में चुनाव करान में एकल मतदाता सूची के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रयास है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) और (ख) लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचनों के लिए मतदाता सूची भारत निर्वाचन आयोग द्वारा रखी जाती है। तथापि, अधिकांश राज्यों

के पास, उनके स्थानीय निकायों के निर्वाचनों के लिए उनकी पृथक मतदाता सूचियां हैं, इस समय संविधान/विधियों में इन सभी निर्वाचनों के लिए एक समान मतदाता सूची के लिए कोई उपबंध नहीं है।

(ग) से (ङ) सरकार को इन सभी निर्वाचनों के लिए एक समान मतदाता सूची के लिए सुझाव प्राप्त हुए हैं तथापि, जिसे कार्यान्वित करना केवल तभी संभव है यदि सभी राज्य सरकारें इसके लिए सहमति दें और उनकी अपनी-अपनी राज्य विधियों में उचित संशोधन करें।

कृषि क्षेत्र को कर संबंधी लाभ

3295. श्री जी. करूणाकर रेड्डी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अधिकाधिक कर लाभों के जरिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) चूंकि कृषि आय को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर से पहले ही छूट है, अतः कृषि को आगे कर लाभ प्रदान करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

निर्यातकों को कर लाभ

3296. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यातकों को केन्द्रीय बिक्री कर तथा सीमान्त उत्पाद शुल्क लाभों के प्रतिदाय में विलम्ब पर ब्याज भुगतान के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) सरकार ने निर्यातोन्मुखी इकाइयों के प्रभारी विकास आयुक्तों के कार्यालय और विदेश व्यापार महानिदेशालय के तहत विभिन्न प्राधिकारियों से प्रापत सूचनाओं के आधार पर सीमान्त उत्पाद शुल्क (टी ई डी), प्रति अदायगी और केन्द्रीय बिक्री कर (सी एस टी) की धन वापिसी में विलम्ब पर ब्याज के भुगतान के संबंध में मूल्यांकन किया है। इस कारण वर्ष 2006-07 के संबंध में सीमान्त उत्पाद शुल्क/प्रति अदायगी/ केन्द्रीय बिक्री कर की देर से धन वापिसी पर लगभग 12. 50 करोड़ रुपये की कुल राशि अनुमानित की गई है।

[हिन्दी]

औद्योगिक इकाइयों की सीलिंग से प्रभावित कर्मचारियों का पुनर्वास

3297. श्री रामदास आठवले : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र के रिहायशी की औद्योगिक इकाइयों की सीलिंग से उत्पन्न स्थिति से निपटने तथा इससे प्रभावित कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए योजना तैयार करने हेतु बोर्ड को निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोर्ड ने इन इकाइयों की सीलिंग से प्रभावित कर्मचारियों के पुनर्वास की कोई योजना तैयार की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इसे कब तक अंतिम रूप दिए जाने तथा कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

(ङ) इसे कब तक अंतिम रुप दिए जाने तथा कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का कार्यान्वयन

3298. श्री सुग्रीव सिंह :

श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) के तहत स्थायी सामाजिक-आर्थिक परिसंपत्तियों यथा गांवों में कंक्रीट की सड़कें, बाजार परिसर और जलाशय इत्यादि बनाने के लिए नियत मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) एसजीआरवाई दिशानिर्देशों के तहत गरीब अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थ आरक्षित 22.5%: धनराशि से व्यक्तियों को किस तरह फायदा होगा; और

(ग) सरकार ने एसजीआरवाई के तहत धनराशि के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एसजीआरवाई) एक आबंटन आधारित कार्यक्रम है। पंचायती राज संस्थानों का कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार स्वतंत्र रूप से वार्षिक कार्य योजना तैयार करने तथा अनुमोदित करने की जरूरत होती है। दिशानिर्देशों में श्रम बहुल कार्यों पर बल देने की व्यवस्था की गई है।

(ख) एसजीआरवाई दिशानिर्देशों के अनुसार, जिला एवं मध्यवर्ती पंचायतों के वार्षिक आबंटन का 22.5% गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वैयक्तिक/सामूहिक कार्यों के लिए निर्धारित होगा।

(ग) निधियों का दुरुपयोग रोकने के लिए, मासिक प्रगति रिपोर्टों, निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकों, क्षेत्र अधिकारी की योजना राज्य/जिला स्तर पर सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठकों के माध्यम से एसजीआरवाई के कार्यान्वयन की एक व्यापक प्रणाली बनाई गई है जिसमें कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी करने तथा कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए संसद सदस्यों और राष्ट्रस्तरीय निगरानीकर्ताओं की अधिकतम भागीदारी होती है। इसके अलावा, पारदर्शिता, जवाबदेही और जन–भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक कार्य के लिए ग्रामीणों की निगरानी समिति के गठन को अनिवार्य बना दिया गया है।

[हिन्दी]

एनसीएल द्वारा सस्ते बायो-डीज़ल का विकास

3299. श्री सुभाष महरिया : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल कैमिकल्स लैबोरेटरी (एनसीएल) ने सस्ते बायो–डीज़ल का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका उत्पादन कब तक शुरू होने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

देश में विदेशों से आने वाली धनराशि

3300. श्री एल. राजगोपाल : क्या वित्त मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार देश में विदेशों से आने वाली धनराशि के मामले में भारत चीन से आगे निकल गया है;

(ख) यदि हां, तो भारत का विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों से विगत पांच वर्षों के दौरान प्राप्त धनराशि का वर्ष–वार और देशवार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान विदेशों से आई धनराशि का देश के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष–वार कितना हिस्सा था;

(घ) क्या भारत की तुलना में बंग्लादेश और नेपाल में विदेशों से अधिक धनराशि आ रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) विश्व बैंक के प्रकाशन 'ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स, 2006 के अनुसार भारत 2004 में विदेशों से आने वाली धनराशि प्राप्त करने वाला शीर्ष देश था।

(ख) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार विदेशों में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों से आने वाली अनुमानित कुल धनराशि नीचे सारणी में दी गई है। लेकिन इस तरह प्राप्त होने वाली की देशवार सूचना उपलब्ध नहीं है।

सारणी : विदेशों में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों से आने वाली कुल अनुमानित धनराशि

वर्ष	विदेशों से आने वाली धनराशि (करोड़ रुपये)	आने वाली धनराशि स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में
2002–03	247,915	1.95
2003–04	49,683	1.80
2004–05	33,345	1.07
2005–06	56,580	1.59
2006–07	1,01,812	2.47

स्रोतः भारतीय रिजर्व बैंक

(घ) और (ङ) विश्व बैंक की उपर्युक्त रिपोर्ट के अनुसार बंग्लादेश और नेपाल में विदेशों से आने वाली धनराशि वास्तविक अर्थ में भारत द्वारा प्राप्त धनराशि से अधिक नहीं है।

प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को आमेलित करना

3301. प्रो. महादेवराव शिवनकर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेखा महानियंत्रक (सीजीए) के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों में समूह 'ग' और 'घ' के पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान सी जी ए के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों विशेषकर उद्योग मंत्रालय में भरे गए ऐसे पदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सी जी ए ने विभिन्न मंत्रालयों से अपनी वार्षिक प्रत्यक्ष भर्ती योजना के तहत वर्ष 2004-05 से 2006-07 के लिए अपने कार्यालयों में समूह 'ग' और 'घ' के रिक्त पदों पर इन प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को आमेलित करने के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो विलम्ब से इन दिशा-निर्देशों/अनुरोधों को करने के क्या कारण हैं जबकि मंत्रालय अपनी चयन समितियों के माध्यम से 2006-07 तक पहले ही अपनी उपरोक्त योजना को पूरा कर चुके हैं;

(ङ) क्या इन प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के मूल कार्यालयों ने पहले ही विभिन्न मंत्रालयों में सी जी ए के अंतर्गत उनके आमेलन हेतु अपने अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) दे दिए हैं; और

(च) यदि हां, तो सी जी ए के अंतर्गत इन प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को आमेलित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं क्योंकि उन्होंने लेखा कार्य के लिए अपेक्षित व्यावसायिक निपुणता को हासिल कर लिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) महालेखा नियंत्रक के अधीन विभिन्न मंत्रालयों में प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक/मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक कार्यालयों में कुछ समूह 'ग' पदों को प्रतिनियुक्ति आधार पर पहले ही भरा जा चुका है। समूह 'घ' का कोई पद प्रतिनियुक्ति आधार पर नहीं भरा गया है।

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान कई मंत्रालयों में समूह 'ग' में लेखाकारों (वेतनमान 4500-7000 रु.) और अवर श्रेणी लिपिक (वेतनमान 3050-4590) के कुछ रिक्त पदों को कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेकर पहले ही भरा जा चुका है। मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय, उद्योग मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति आधार पर भरे गए पदों की स्थिति निम्नानुसार है:-

	समूह 'ग' पद				
वर्ष	2003	2004	2005	2006	2007
उद्योग मंत्रालय	16	(-)2	(-) 4	15	(-) 3

(-) प्रतिनियुक्ति कर्मचारियों का उनके मूल संगठनों को प्रत्यावर्तन दर्शाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपुर्यक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) और (च) महालेखा नियंत्रक कार्यालय ने इच्छुक कर्मचारियों के आमेलन की व्यवहार्यता पर विचार करने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों से प्रतिनियुक्त कर्मचारियों की सूचना/आंकड़े मांगे हैं। इस संबंध में कुछ मूल विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त हो गए हैं।

[हिन्दी]

झूठे शपथ-पत्र दायर करना

3302. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीडीए ने गत तीन वर्षों के दौरान न्यायालय के समक्ष कोई झूठा शपथ-पत्र दायर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा डीडीए के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह सूचना दी है कि गत तीन वर्षों के दौरान उसने कोई झूठा शपथ-पत्र दायर नहीं किया है।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केन्द्रीय क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के रिक्त पद

3303. श्री हरिभाऊ राठौड़ :

श्री स्वदेश चक्रवर्ती :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय क्षेत्र में विभिन्न विभागों तथा सरकारी संगठनों में कुल कितने पद रिक्त हैं;

(ख) समाप्त किए गए पदों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकारी कार्यालयों तथा विभागों में विभिन्न पद समाप्त करने का औचित्य क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) हालांकि, वित्त मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के यूनिटों (एककों) में रिक्त पदों की सूचना एकत्र नहीं की गयी है, फिर भी उपलब्ध अद्यतन जानकारी के अनुसार 1.3.2005 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की संख्या लगभग 4.71 लाख है।

(ख) वित्त मंत्रालय समाप्त किए जा चुके पदों का ब्यौरा नहीं

रखता क्योंकि इस संबंध में आदेश संबद्ध मंत्रालयों/विभागों द्वारा ही निकाले जाते हैं।

(ग) सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए अपनी रिक्तियों को नियमित तौर पर समीक्षा करना और इस विषय पर मौजूदा अनुदेश तथा मितव्ययिता उपायों संबंधी दिशा-निर्देशों के आधार पर उक्त समीक्षाओं के आलोक में आवश्यक कदम उठाना अपेक्षित है।

[हिन्दी]

संसद सदस्यों के बंगलों का रख-रखाव

3304. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा :
श्री अशोक अर्गल :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में संसद सदस्यों तथा मंत्रियों के बंगलों के रख-रखाव पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा 1 जून, 2003 से 31 अक्तूबर, 2007 तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) तत्संबंधी कार्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या इस संबंध में भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं की कोई शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या कोई निविदाएं देने के उपरांत केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा उन्हें रद्द कर दिया गया था; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

घरेलू हिंसा अधिनियम

3305. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री आनंदराव विठोबा :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का प्रस्ताव घरेलू हिंसा अधिनियम के कतिपय उपबंधों का विस्तार करके माता-पिता द्वारा बच्चों के पीटे जाने को अपराध बनाये जाने का है जैसाकि 31 अक्तूबर, 2007 के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) फिलहाल इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दहेज विरोधी विधियां

3306. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दहेज विरोधी विधियों में खामी का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में किन्हीं अतिरिक्त विधायी उपबंधों का प्रस्ताव किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार को देश में दहेज मृत्यु की बढ़ती हुई संख्या की जानकारी है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय महिला आयोग ने सरकार से दहेज-विरोधी कानूनों में कुछ संशोधनों की सिफारिश की है। इन संशोधनों में दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में "दहेज" की परिभाषा में संशोधन करना तथा दहेज मृत्यु के संबंध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-ख के अंतर्गत दण्ड में बढ़ोतरी करना शामिल है। संस्तुत संशोधनों की जांच की जा रही है।

(घ) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, देश में वर्ष 2004, 2005 तथा 2006 के दौरान मृत्यु के दर्ज मामलों की संख्या क्रमशः 7026, 6787 तथा 7618* थी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संघ को मान्यता

3307. श्री बसुदेव आचार्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को क्रमशः वर्ष 1980 और 1996 के दौरान कामगारों तथा अधिकारियों के संघों को मान्यता देने का परामर्श दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक ग्रामीण विकास ने अपने कामगार संघ को

---

* अंतिम आंकड़े।

जिसने काफी समय पहले मान्यता हेतु आवेदन किया था, मान्यता दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्षों को सलाह दी गयी थी कि वे दिनांक 27.12.1980 के पत्र द्वारा व्यवसाय संघ अधिनियम, 1929 के अंतर्गत पंजीकृत संघों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों को उचित मान्यता देने के लिए उचित कार्रवाई करे। इसके अलावा यह भी परामर्श दिया गया कि इसे श्रम मंत्रालय द्वारा निर्धारित "यूनियनों की मान्यता का मानदण्ड" तथा "उद्योग में अनुशासन संहिता" में समाविष्ट दिशानिर्देशों के अनुरूप पूरा किया जाये।

(ग) और (घ) बैंक के बोर्ड ने कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने व अनुशासन संहिता पर हस्ताक्षर करने के कारण मान्यता प्रदान करने की मंजूरी दी है। बैंक के प्रबंधन द्वारा बोर्ड के निर्णय से संघ को इसके दिनांक 27 फरवरी 2007 के पत्र द्वारा अवगत करा दिया गया था।

सप्तम विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन

3308. श्री सी. के. चन्द्रप्पन : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सप्तम विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा शिखर सम्मेलन के कौन से संकल्प/निर्णय लिए गए?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) जी, हां। सुलभ इन्टरनेशनल सोशल सर्विस आग्रेनाइजेशन ने 31 अक्तूबर से 2 नवम्बर, 2007 तक नई दिल्ली में सातवां विश्व शौचालय व्यवस्था संबंधी शिखर सम्मेलन 2007 (डब्ल्यूटीएस–2007) आयोजित किया है।

(ख) सुलभ इन्टरनेशनल सोशल सर्विस आग्रेनाइजेशन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इस शिखर सम्मेलन के दौरान पारित किए संकल्प/लिए गए निर्णयों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विश्व शौचालय व्यवस्था संबंधी शिखर सम्मेलन (डब्ल्यूटीएस 2007) में 44 देशों ने भाग लिया और इस सम्मेलन में 172 अन्तर्राष्ट्रीय और 207 राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने सहभागिता की।

सिंगापुर स्थित "वर्ल्ड टॉयलेट ओरगेनाइजेशन" के तत्वावधान सुलभ इन्टरनेशनल सोशल सर्विस आग्रेनाइजेशन ने इस शिखर सम्मेलन के आयोजन का दायित्व संभाला। भारत सरकार के आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा यू एन हेबिटाट द्वारा इस सम्मेलन को अपना सहयोग समर्थन दिया था।

इस शिखर सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य सफाई व्यवस्था के संबंध में विचारों के आदान–प्रदान तथा कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए विचार–विमर्श हेतु मंच मुहैया करवाना था। यह नोटिस किया गया था कि सफाई व्यवस्था संबंधी सहस्राब्दि विकास लक्ष्य को 2015 तक प्राप्त करने की दिशा में होने वाली प्रगति की ओर गतिशील बनाने की आवश्यकता है, इस लक्ष्य के तहत 2015 तक उन लोगों की संख्या को कम करके आधा कर देना है जिनको बुनियादी सफाई व्यवस्था की सुविधा नहीं है।

शिखर सम्मेलन के अंत में सफाई व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित दिल्ली घोषणा 2007 पारित की गई:–

विश्व शौचालय व्यवस्था संबंधी शिखर सम्मेलन 2007 (डब्ल्यूटीएस 2007) सफलतापूर्वक सम्पन्न हो जाने के बाद इस बात पर गौर किया गया है कि सफाई व्यवस्था संबंधी सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य 2015 तक प्राप्त करने की दिशा में होने वाली प्रगति को तेजी से करने की आवश्यकता है। भागीदारी ने उस शपथ को पुनः दोहराया जो राष्ट्रों ने वर्ष 2002 में जाहनसवर्ग में ली थी।

डब्ल्यू टी एस 2007 ने सफाई व्यवस्था संबंधी दिल्ली घोषणा 2007 को निम्न विवरणानुसार पारित करता है:–

1. जागरूकता और राजनैतिक इच्छा शक्ति में वृद्धि, स्थायी सफाई व्यवस्था को प्राथमिकता, सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य–7 और अन्य लक्ष्य प्राप्त करने की महत्व तथा राष्ट्रीय नेताओं को इस दिशा में और अधिक उपाय करने के लिए राजी करना।

2. सफाई व्यवस्था के दायरे को बढ़ाने के लिए अपेक्षित कदम उठाने हेतु मजबूत भागीदारी और सहयोग के माध्यम से सरकारों, यू एन एजेंसियों, वित्तीय संस्थानों, नियमित निकायों, सफाई सेवा प्रदाताओं, स्थानीय निकायों और अन्य संबंधित पक्षों को प्रेरित करना।

3. अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर दोनों पर स्थाई व्यवस्था कार्यक्रमों में वृद्धि करने और नीतियों को सुदृढ़ करने के लिए आंकड़े एकीकरण, वार्षिक समीक्षा, निगरानी और प्रभावी कार्रवाई करना।

4. सभी प्रमुख संबंधित पक्षों और महत्वपूर्ण भागीदारों के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय सफाई व्यवस्था वर्ष 2008 के लिए देश विशिष्ट राष्ट्रीय सड़क नक्शे के साथ–साथ गतिविधियां तैयार करना और योजना बनाना।

5. सफाई पर सतत प्रगति प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय बजट के

माध्यम से वित्तीय आबंटन और सहायता सुनिश्चित करना तथा बढ़ाना।

6. जल आपूर्ति और सफाई व्यवस्था क्षेत्र में गतिविधियां और रोजगार सृजित करने के सभी स्तरों पर संस्थागत, अनुसंधान और विकास तथा मानव संसाधन का विकास करना और उन्हें सुदृढ़ करना।

7. सभी क्षेत्रों में उपलब्ध स्थायी सफाई व्यवस्था प्रौद्योगिकियों और व्यवहार के संबंध में ज्ञान आदान–प्रदान करने के कार्यक्रमों का बढ़ावा देना।

8. संस्थागत वित्त प्राप्त करने के लिए स्थानीय समुदायों और शैक्षिक संस्थानों को सहायता प्रदान करने के साथ–साथ विशिष्ट सफाई व्यवस्था लक्ष्य और उद्देश्य नियत करने हेतु राष्ट्रीय सरकारों को प्रेरित करना।

9. क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय सम्मेलन तथा कार्यशालायें आयोजित करना। क्षेत्रीय प्रयासों को मान्यता देने और उनका समर्थन करने हेतु सफाई व्यवस्था पुरस्कारों की घोषणा करना।

10. मांग आधारित एप्रोच के जरिये स्थायी सफाई व्यवस्था कार्यक्रम कार्यान्वित करना तथा कुशल विपणन तंत्र मुहैया कराना।

11. स्कूल, सफाई व्यवस्था, स्वास्थ्य और स्वच्छता कार्यक्रमों को प्राथमिकता देना।

12. बच्चों के लिए उन बाल अनुकूल सुविधायें मुहैया करना जो सांस्कृतिक और क्षेत्रीय जरूरतों के संदर्भ में उपलब्ध ही न हो बल्कि प्रासंगिक भी हों।

13. महिलाओं और बालिकाओं के लिए सफाई सुविधायें सुनिश्चित करके क्षेत्र विशिष्ट महिला समस्याओं का समाधान करना।

14. निपटान व्यवस्था के स्थान पर पुनउर्पयोग और पुनः चक्रण सफाई व्यवस्था प्रणालियों को अपनाये जाने को सुविधाजनक करना और गुणता नियंत्रण सुनिश्चित करना।

दहेज की मांग का सबूत

3309. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 अक्तूबर, 2007 के 'एशियन एज' में प्रकाशित समाचार के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने अपने हाल के निर्णय में दहेज की मांग के सबूत को आवश्यक नहीं माना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विधि में दहेज की मांग की परिभाषा दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उपर्युक्त वाद में दिया गया विनिर्णय विधिक परिभाषा के तहत था अथवा साक्ष्य पर आधारित था अथवा विधि के निर्वचन की और गुंजाईश है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में विधि को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) और (ख) सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता, 1861 (आईपीसी) की धारा 304ख के अधीन दहेज मृत्यु से संबंधित मुद्दे पर देवीलाल बनाम राजस्थान राज्य (2007 12 स्केल 265) के मामले में विचार किया है। इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर विश्वास किया था कि अभियोजन दहेज की मांग के संबंध में और साथ ही इस संबंध में भी आईपीसी की धारा 304ख के संघटकों की पूर्ति होती थी, बिना किसी युक्तियुक्त संदेह के मामले को साबित करने में समर्थ रहा था। इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्वोक्त मामले में दहेज की मांग के लिए सबूत की आवश्यकता को समाप्त नहीं किया है।

(ग) और (घ) दहेज प्रतिबंध अधिनियम, 1961 की धारा 4 प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग करने के लिए शास्ति अधिकथित करती है। अधिनियम यह परिभाषित नहीं करता है कि दहेज की मांग के संघटक क्या हैं।

(ङ) देवीलाल बनाम राजस्थान राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कथन भी किया था कि अपीलार्थी के दोष के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अभियोजन साक्षियों के परिसाक्षियों पर विश्वास किया गया है। हमें भिन्न मत बनाने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है।

(घ) दहेज की मांग की परिभाषा को उक्त अधिनियम में सम्मिलित करने के लिए अधिनियम को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है (राष्ट्रीय महिला आयोग ने अधिनियम को संशोधित करने के लिए कुछ सिफारिशें की हैं जिनके अंतर्गत दहेज की परिभाषा का संशोधन भी है। आईपीसी की धारा 304ख को संशोधित करने की सिफारिश भी की गई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय इन सिफारिशों की समीक्षा कर रहा है)।

जनजातीय कल्याण के अंतर्गत लक्ष्य की प्राप्ति

3310. श्री तापिर गाव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मंत्रालय बजट के भाग (जनसंख्या के अनुपात में) के जनजातीय कल्याण कोटे के अंतर्गत केवल सैद्धांतिक तौर पर लक्ष्य की प्राप्ति दर्शाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा जनजातीय उप–आयोजना आबंटन इस संबंध में सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार जनजातीय जनसंख्या के अनुपात में किये जाते हैं। केंद्रीय बजट में जनजातीय उप–आयोजना के लिए राज्यों की योजनाओं हेतु विशेष केंद्रीय सहायता निर्दिष्ट की जाती है। इसके अतिरिक्त, यह मंत्रालयों/विभागों द्वारा केंद्रीय आयोजना परिव्यय का प्रावधान करता है जिसमें जनजातीय कार्य मंत्रालय भी शामिल है। योजना आयोग ने केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के संबंध में जनजातीय उप–योजना से जुड़े विभिन्न नीतिगत मुद्दों के समाधान के लिए उसकी विशेष कार्यनीति के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक त्रिपक्षीय समिति का गठन किया है।

नियमित पदों की घटती संख्या

3311. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न सरकारी विभागों में नियमित पद कम हो रहे हैं तथा दिहाड़ी/अनुबंध वाली नौकरियों की संख्या में बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2005 में कर्मचारियों की संख्या 32.74 लाख थी जो वर्ष 2006 में घटकर 32.30 रह गयी है। देश में विभिन्न सरकारी विभागों में दिहाड़ी और अनुबंध वाली नौकरियां संबंधी कोई सूचना केन्द्रीयकृत तौर पर एकत्र नहीं की जा रही है।

[हिन्दी]

म्यूचुअल फंड में निवेश

3312. श्री मनसुखभाई डी. वसावा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा चलाए जा रहे म्यूचुअल फंड्स में निवेशकों के हितों की रक्षा किस प्रकार की जाती है; और

(ख) निवेशकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या उपबंध किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियमन, 1996 में म्यूचुअल फंड की कार्यप्रणाली और संचालन के लिए एक फ्रेमवर्क की व्यवस्था है ताकि यूनिट धारकों के हितों की रक्षा की जा सके। सभी पंजीकृत म्यूचुअल फंडों चाहे उन प्रयोजकों की प्रकृति जो भी हो अर्थात निजी क्षेत्रक, सरकारी क्षेत्रक अथवा संयुक्त उद्यम, भारतीय या विदेशी, के लिए उक्त विनियमों और उनके तहत बनाए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन करना अपेक्षित है।

[अनुवाद]

लीजहोल्ड का फ्रीहोल्ड में परिवर्तन

3313. श्री टेक लाल महतो : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीडीए की दुकानों/व्यावसायिक स्थानों को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तित किया जा रहा है;

(ख) क्या डीडीए की जमीन पर बिल्डर की दुकानों निजी/व्यावसायिक दुकानों के आबंटन सरकार के पास लंबित है;

(ग) यदि हां, तो इसे फ्रीहोल्ड में परिवर्तित न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस कारण डीडीए को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (च) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि मौजूदा नीति के अनुसार उनके द्वारा आबंटित दुकानें लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तित की जाती है और वाणिज्यिक परिसरों के संबंध में, समग्र वाणिज्यिक भूखंड को फ्रीहोल्ड के रुप में परिवर्तित किया जा सकता है। बहु–मंजिले वाणिज्यिक परिसरों में व्यक्तिगत वाणिज्यिक यूनिटों/स्थानों के परिवर्तन के लिए परिवर्तन शुल्क निर्धारित किया जाना अपेक्षित होता है, जिसके लिए प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है।

आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों पर प्रतिबंध

3314. डा. रामेश्वर उरांव : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(ख) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) और (ख) हाल ही में, निर्वाचन प्रक्रिया को आपराधिक और भ्रष्ट प्रभावों से साफ और मुक्त करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2002 और लोक प्रतिनिधित्व (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2002 अधिनियमित किए गए हैं। तथापि, सरकार आगे और सुधार करने के उद्देश्य से अपने प्रयास जारी रखते हैं और अतिरिक्त माध्यमों और उपायों का पता लगाती रहती है। इस संबंध में, सरकार के समक्ष विभिन्न निकायों/व्यष्टियों, जैसे कि दिनेश गोस्वामी समिति, इन्द्रजीत गुप्त समिति, भारत निर्वाचन आयोग, विधि आयोग, कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय की विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति, आदि की सिफारिशें है। चूंकि निर्वाचन सुधारों की प्रक्रिया एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया और इसे राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति से ही आगे बढ़ाया जा सकता है जो कि एक लंबी प्रक्रिया है, इसलिए कोई समय नहीं बताई जा सकती है।

महिलाओं और बच्चों संबंधी विधान की समीक्षा

3315. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महिलाओं और बच्चों के संबंध में मौजूदा कानूनों में कोई अपर्याप्तता पाई है;

(ख) यदि हां, क्या ऐसे विधान की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ग) सरकार महिलाओं से संबंधित अथवा उन्हें प्रभावित करने वाले कानूनों की समीक्षा कर रही है। जहां तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का संबंध है, समीक्षा की मौजूदा स्थिति संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

बच्चों के प्रति अपराध और हिंसा के मामलों में भारतीय दण्ड संहिता, दाण्डिक प्रक्रिया संहिता, बाल श्रम अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम जैसी कानूनों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। इन अधिनियमों को पहले से अधिक प्रभावी और कठोर बनाने के लिए समय-समय पर इनकी समीक्षा की जाती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किशोर न्याय अधिनियम से प्रशासनिक रूप से संबंधित है। हाल ही में विधि मंत्रालय के अनुमोदन से किशोर न्याय अधिनियम के अधीन नियमावली अधिसूचित की गई है।

विवरण

महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानूनों की समीक्षा की मौजूदा स्थिति

क्र.सं.	अधिनियम का नाम	मौजूदा स्थिति
1	2	3
(I) लंबित मामले		
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित कानून		
1.	स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1996	राष्ट्रीय महिला आयोग सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के पूर्व कुछ और परामर्श सत्र आयोजित कर रहा है।
2.	अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1996	इस अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव मंत्री समूह के विचाराधीन है।
3.	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण विधेयक, 2007	जनसामान्य से प्राप्त अनेक टिप्पणियों के आधार पर इस विधेयक को संशोधित किया गया है। इस विधेयक पर शीघ्र ही एक और परामर्श सत्र आयोजित किया जा रहा है।
4.	दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961	राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस अधिनियम और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-ख में संशोधनों की सिफारिश की है। इन सिफारिशों की जांच की जा रही है।
(II) जिन अधिनियमों के संबंध में कार्रवाई की जा चुकी है/अन्य किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है, उन अधिनियमों की स्थिति		
1.	घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005	यह अधिनियम सितम्बर, 2005 में अधिनियमित किया गया तथा 26.10.2006 से लागू किया गया।

1	2	3
2.	बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929	'बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006' शीर्षक से एक नया कानून अधिनियमित किया गया तथा दिनांक 11.1.2007 को भारत के राजपत्र, भाग II खण्ड I में अधिसूचित किया गया। इसी के साथ बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 निरस्त कर दिया गया। नया अधिनियम 1 नवम्बर, 2007 से लागू किया गया है।
3.	सती (निवारण) अधिनियम, 1987	समीक्षा कर ली गई है। संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

शेयर बाजार में पूंजी निवेश

3316. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय शेयर बाजार में क्रमशः वर्ष 1992 और 2007 में कुल कितना पूंजी निवेश किया गया; और

(ख) अक्तूबर, 2007 तक किए गए कुल पूंजी निवेश की तुलना में पैन संख्या दर्शाकर भारतीय शेयर बाजार में किए गए पूंजी निवेश का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) सेबी की रिपोर्ट 1992-93 के अनुसार, वित्त वर्ष 1991-92 के दौरान सार्वजनिक और अधिकार निर्गम के माध्यम से प्राथमिक बाजारों से कुल 5,562.53 करोड़ रुपए की राशि जुटाई गई है। जनवरी, 2007 से अक्तूबर, 2007 तक सार्वजनिक और अधिकार निर्गम द्वारा प्राथमिक बाजार से कुल 33,507.58 करोड़ रुपए की राशि जुटाई गई है।

(ख) शेयर बाजार में निवेश करने के लिए 2 जुलाई, 2007 से केवल पैन का उल्लेख करना अनिवार्य हो गया था। अतः अक्तूबर, 2007 के दौरान, पैन का उल्लेख किए बगैर, सार्वजनिक पेशकश के जरिए कोई पूंजी निवेश नहीं किया गया था।

बहुराष्ट्रीय औषध कंपनियों द्वारा अनुसंधान कार्य के लिए मानदंड

3317. श्री काशीराम राणा : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत में बहुराष्ट्रीय औषध कंपनियों द्वारा कंपनी-वार और वर्ष-वार कुल कितने मूल्य की दवाइयां का उत्पादन किया गया और कुल कितने मूल्य का अनुसंधान कार्य शुरू किया गया;

(ख) क्या सरकार ने भारत के कार्यशील बहुराष्ट्रीय औषध कंपनियों के लिए अनुसंधान कार्य शुरू करने हेतु कोई मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन विदेशी औषध कंपनियों के नाम क्या हैं, जिन्होंने उक्त मानदंडों का अनुपालन नहीं किया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) की उद्योग की संस्थागत अनुसंधान एवं विकास इकाइयों को मान्यता प्रदान करने की एक योजना है। गत तीन वर्षों के दौरान, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास इकाईयों वाली विदेशी बहुराष्ट्रीय औषध कंपनियों द्वारा बिक्री का कारोबार (अन्य शब्दों में, उत्पादित औषधियों का कुल मूल्य) और अनुसंधान एवं विकास व्यय (अन्य शब्दों में, किए गए अनुसंधान का कुल मूल्य) निम्नलिखित है :

लाख रुपयों में

क्र. सं.	फर्म	अप्रैल 04-मार्च 05		अप्रैल-05 मार्च 06		अप्रैल 06-मार्च 07	
		अनुसंधान एवं विकास व्यय	बिक्री का कारोबार	अनुसंधान एवं विकास व्यय	बिक्री का कारोबार	अनुसंधान एवं विकास व्यय	बिक्री का कारोबार
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सैंडोज प्रा. लि.	8358	30058	10777	47185	10363	53032
2.	यूनी-सैन्क्यो लि.	8	2917	48	3698	21	4958
3.	रीजेंट ड्रग्स लि.	412	5433	703	10833	953	12909

1	2	3	4	5	6	7	8
		दिसम्बर 04– नवम्बर 04		दिसम्बर 05 – नवम्बर 05		दिसम्बर 05 – नवम्बर 06	
4.	अबोट्ट इंडिया लि.	14	40507	156	44467	208	51024
5.	फाईजर लि.	2351	55800	2235	59900	2380	66200
		जनवरी 04– दिसम्बर 04		जनवरी 05 – दिसम्बर 05		जनवरी 06 – दिसम्बर 06	
6.	मर्क लि.	30	37660	161	39646	159	32949
7.	जीएसके फार्मा. लि. (ग्लैक्सो)	443	147959	443	157588	615	167757
	कुल	11747	320334	14523	363317	14696	388829

(ख) और (ग) सरकार ने अनुसंधान कार्य करने तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा अपनी संस्थागत अनुसंधान एवं विकास इकाइयों की मान्यता प्राप्त करने के लिए भारत में कार्यशील उद्योगों (विदेशी बहुराष्ट्रीय औषध कंपनियों सहित) के लिए मानदण्ड तैयार किए हैं। मान्यता प्राप्त करने के लिए पात्र संस्थागत अनुसंधान एवं विकास इकाईयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे फर्म के कारोबार के अनुरूप अनुसंधान एवं विकास की गतिविधियों से जुड़े रहें, जैसे नई प्रौद्योगिकियों का विकास; अभिकल्पन और अभियांत्रिकी; प्रक्रिया/उत्पाद/अभिकल्पन सुधार; विश्लेषण और परीक्षण की नई पद्धतियों का विकास; प्रदूषण नियंत्रण; बहिःस्त्राव प्रबंधन; अपशिष्ट उत्पादों का पुनश्चक्रण और पूंजीगत उपस्कर, सामग्री तथा ऊर्जा जैसे संसाधनों के उपयोग में बढ़ती हुई कार्यक्षमता के लिए अनुसंधान। आशा की जाती है कि अनुसंधान एवं विकास की गतिविधियां, फर्म के उत्पादन और गुणवत्ता नियंत्रण जैसे नेमी कार्यकलापों से अलग होंगी। संस्थागत अनुसंधान एवं विकास इकाईयों के पास अनुसंधान एवं विकास के लिए पूर्णतया अलग स्टाफ होना चाहिए तथा एक पूर्ण – कालिक अनुसंधान एवं विकास प्रबंधक होना चाहिए, जिसकी पहुंच इकाई के आकार के अनुसार मुख्य कार्यकारी अथवा निदेशक बोर्ड तक हो। संस्थागत अनुसंधान एवं विकास इकाइयों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी पहचान और अनुसंधान एवं विकास लेखे अलग रखें।

(घ) ऐसी अनेक विदेशी औषध कंपनियां हैं, जिन्होंने अपनी अनुसंधान एवं विकास इकाईयों की मान्यता के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग से संपर्क नहीं किया है और इसलिए, उनके द्वारा अपनाए जा रहे मानदण्डों का ब्यौरा ज्ञात नहीं है।

सीपीडब्ल्यूडी, डीडीए और हुडको में निजी पारदर्शिता

3318. डा. धीरेंद्र अग्रवाल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी), डीडीए, हुडको में पर्याप्त इंजीनियरिंग ज्ञान रखने वाले सात हजार से ज्यादा इंजीनियर उपलब्ध होने के बावजूद भवनों के डिजाइन और निर्माण से संबंधित कार्यों के लिए निजी परामर्शदाताओं की सेवाएं ली जा रही हैं।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

डीडीए के खाली भूखंडों की नीलामी

3319. श्री टेकलाल महतो : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीडीए ने गत तीन वर्षों में बैंकों/अतिथि गृहों हेतु भूखंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन भूखंडों के नीलामी के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) डीडीए ने यह सूचित किया है कि पिछले तीन वर्ष के दौरान वाणिज्यिक स्कीमों, अर्थात सामुदायिक केन्द्रों और स्थानीय शॉपिंग केन्द्रों के विस्तृत डिजाइन में बैंकों और गेस्ट हाउसों के लिए विशिष्ट भू–खण्ड निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ख) और (ग) उत्तर के उपर्युक्त (क) भाग को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

डीडीए में भर्ती नियम

3320. प्रो. महादेवराव शिवनकर : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण में निदेशकों के पदों हेतु अधिसूचित भर्ती नियमों में कोई अनियमितता पाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने डीडीए को इस स्थिति में सुधार करने का आदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या डीडीए ने अब तक निदेशकों के पदों हेतु भर्ती नियमों की अधिसूचना जारी नहीं की है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं क्या प्राधिकरण विलंब के लिए जिम्मेदार है; और

(च) इस संबंध में डीडीए संशोधित नियमों की अधिसूचना कब तक जारी करेगा?

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (च) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि निदेशक (अनुसचिविय) के पद को भरने की प्रक्रिया इस प्रकार है:–

(1) 50% प्रोन्नति द्वारा और ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

(2) 50% प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा

(i) प्रोन्नति :

उप निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप सचिव या समकक्ष पद 3000–4500/– रु. (संशोधन पूर्व) वेतनमान में तथा उस कैडर ग्रेड में न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या समतुल्य।

(ii) प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण केवल आईएएस अधिकारी (एजीएमयू कैडर) और दानिक्स (डीएएनआईसीएस) के अधिकारी जिन्होंने दानिक्स के वरिष्ठ वेतनमान में 3 वर्ष की सेवा सहित 8 वर्ष की सेवा की हो (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)। शहरी विकास मंत्रालय ने दिनांक 13.10.2006 के अपने पत्र सं. के – 11011/14/2005–डीडी1ए के द्वारा भर्ती विनियम को निम्नलिखित अनुसार संशोधित करने की सलाह दी है:–

"समतुल्य पदधारित केन्द्र/राज्य सरकारों के अधिकारी या 10000–15200/– रु. के वेतनमान में 5 वर्ष की सेवा वाले अधिकारी"

डीडीए ने यह भी सूचित किया है कि संशोधित नियमावली को अधिसूचित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

न्यायिक अधिकारियों के वेतन

3321. श्री मिलिन्द देवरा : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन्नत देशों के न्यायाधीशों की तर्ज पर उच्चतम नयायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) जी हां। वर्तमान में इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आरबीडी पामोलीन पर आयात शुल्क

3322. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आरबीडी पामोलीन पर आयात शुल्क घटाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

नोटरी के रूप में नियुक्ति

3323. श्री अधीर चौधरी : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल ओर पंजाब में नोटरी के रूप में नियुक्ति को स्वीकृति देने हेतु सरकार के पास कितने आवेदन लंबित हैं; और

(ख) इन सभी लंबित आवेदनों को कब तक स्वीकृति दी जाएगी?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) नोटेरियों की नियुक्ति के लिए पश्चिमी बंगाल के संबंध में 62 आवेदन और पंजाब के संबंध में 203 आवेदन विचारार्थ लंबित हैं।

(ख) ये आवेदन विभिन्न प्रक्रमों पर प्रक्रियाधीन है। जैसे ही नोटरी अधिनियम, 1952 और नोटरी नियम, 1956 के अनुसार अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाता है, सरकार द्वारा उन पर विचार किया जाएगा।

सरकारी कालोनियों में होर्डिंग

3224. श्री शैलेन्द्र कुमार : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने किसी कंपनी को सरकारी कालोनियों में अपनी होर्डिंग लगाने की अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार को यह जानकारी है कि 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' ने दिल्ली की कुछ सरकारी कालोनियों में, विशेषकर सेक्टर–VIII, आर. के. पुरम में अपने होर्डिंग्स लगाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) टाइम्स ऑफ इंडिया का एक होर्डिंग सरकारी कालोनी, आर. के. पुरम. सेक्टर–VIII परिसर की दीवार के बाहर लगा हुआ है।

(घ) उपयुक्त कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विपणन एवं वसूली अधिकारियों की नियुक्ति

3325. श्री पंकज चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राईवेट बैंकों द्वारा वसूली के लिए गुंडों/बाहुबलियों की नियुक्ति पर निगरानी रखने के लिए विपणन एवं वसूली अधिकारियों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अधिकारियों की नियुक्ति कब तक किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राजीव रत्न आवास योजना

3326. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राजीव रत्न आवास योजना नामक कोई स्कीम लाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) जी, नहीं। इस समय राजीव रत्न आवास योजना नाम से कोई स्कीम प्रस्तावित नहीं है। भारत सरकार ने दिसम्बर, 2005 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) आरंभ किया है। जिसमें 63 चुनिंदा शहरों/कस्बों के लिए शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) तथा अन्य शहरों/कस्बों के लिए एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत मकानों के निर्माण तथा अवस्थापना सुविधाओं का प्रावधान है। तथापि, यह बताया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने राजीव रत्न आवास योजना नाम से गरीबों के लिए आवास हेतु एक कार्यक्रम आरंभ किया है।

[हिन्दी]

किसान क्रेडिट कार्ड

3327. श्री संतोष गंगवार :

श्री महावीर भगोरा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जारी किए गए किसान क्रेडिट कार्डों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त योजना के अंतर्गत जनजातीय किसानों के लिए पृथक प्रावधान विद्यमान है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) सभी वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान जारी किए गये किसान क्रेडिट कार्डों (केसीसी) का राज्य–वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) किसान क्रेडिट कार्ड योजना में जनजातीय किसानों के लिए कोई पृथक प्रावधान नहीं है। तथापि, नाबार्ड उनके मौसमी कृषि कार्यों (एस ए ओ) के वित्तपोषण हेतु राज्य सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अल्पावधि पुनर्वित्त प्रदान करता है। जनजातीय ऋण सीमा का एक संघटक "जनजातीय जनसंख्या का विकास" स्वीकृत है जिसके अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड भी जारी होते हैं।

विवरण

किसान क्रेडिट कार्ड योजना (राज्य-वार) वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05		2005-06		2006-07	
		जारी किए गए कार्ड	स्वीकृत राशि	जारी किए गए कार्ड	स्वीकृति कार्ड	जारी किए गए कार्ड	स्वीकृति राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश**	1582480	333725	1345804	450460	1378365	631774
2.	असम	83416	11666	64963	9109	34117	6098
3.	अरुणाचल प्रदेश	4345	700	2173	145	1409	478
4.	बिहार**	231781	59229	209249	64293	279376	99267
5.	गुजरात	209758	399035	238534	415277	216758	445456
6.	गोवा$	2131	845	2826	3771	597	637
7.	हरियाणा	158441	220179	253997	304559	110747	153103
8.	हिमाचल प्रदेश	32191	11330	35170	32752	28908	9952
9.	जम्मू और कश्मीर	12678	2533	9056	2356	5165	3495
10.	कर्नाटक	406589	226631	505037	790727	386786	170708
11.	केरल	318899	107932	240090	91804	317523	110378
12.	मध्य प्रदेश	759448	264813	497855	346072	373557	230903
13.	महाराष्ट्र	590723	536061	778374	510106	1087696	439164
14.	मेघलय #	10883	1180	9855	1589	11956	2427
15.	मिजोरम #	3495	724	3748	593	4446	1547
16.	मणिपुर #	5769	1084	6045	773	14646	3697
17.	नागालैंड	4277	519	4321	802	3948	869
18.	उड़ीसा	602605	122972	493979	220654	348726	166310
19.	पंजाब	152243	193046	179235	196410	114108	181654
20.	राजस्थान	875218	361055	346500	300246	264731	187345
21.	सिक्किम #$	1438	211	1726	371	685	182
22.	तमिलनाडु	614641	162447	527892	190379	518203	236378
23.	त्रिपुरा #	10415	1345	11476	2124	9842	1437

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	उत्तर प्रदेश	1998378	247887	1333064	653768	1358072	696334
25.	पश्चिम बंगाल	498094	96899	479726	78699	181931	114482
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह #$	902	182	364	146	466	111
27.	चंडीगढ़ #$	928	164	1	2	0	0
28.	दमन और दीव @			5	30	22	2
29.	नई दिल्ली #$	1139	657	658	607	1013	818
30.	दादरा और नागर हवेली @$	3	1	5	3	12	2
31.	लक्षद्वीप* @$	75	32	109	45	67	27
32.	पांडिचेरी #$	5378	1563	5222	1724	7482	1842
33.	झारखण्ड	158472	16964	126633	29200	201057	47766
34.	छत्तीसगढ़	251944	18505	238537	35625	176068	52682
35.	उत्तराखण्ड	91197	16392	59956	24916	31755	32630
	कुल	9680374	3418508	8012251	4760137	7470240	4029958

नोट #एससीबी, सीएफए के रूप में कार्य करती है।
@इन संघ राज्यों में कोई सरकारी बैंक नहीं है। इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है।
*योजना का कार्यान्वयन कर रहे बैंकों की संख्या। संस्वीकृति राशि के आंकड़े अनंतिम हैं।
**सहकारी बैंक के लिए आंकड़ों का मिलान किया जा रहा है।

[अनुवाद]

दिल्ली विकास प्राधिकरण में निदेशक के पद को भरने की प्रक्रिया

3328. प्रो. महादेवराव शिवनकर : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण में निदेशकों के पदों को भरने के लिए भर्ती नियमों के अनुसार क्या प्रक्रिया है तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उस प्रक्रिया का अनुपालन किया जा रहा है;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण में निदेशकों के पद दानिक्स सेवा अधिकारियों के लिए संवर्गीय पद हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण में निदेशकों के पदों को भरने में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रक्रिया नहीं अपनाए जाने के क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा यथा सूचित निदेशक (अनुसचिवयीय) के पद को भरने की भर्ती विधि इस प्रकार है:–

(1) 50% प्रोन्नति द्वारा और ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

(2) 50% प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा

(i) प्रोन्नति :

उप निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप सचिव या समकक्ष पद 3000–4500/–रु. (संशोधन पूर्व) वेतनमान में तथा उस कैडर ग्रेड में न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या समतुल्य।

(ii) प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण: केवल आईएएस अधिकारी (एजीएमयू कैडर) और दानिक्स (डीएएनआईसीएस) के अधिकारी जिन्होंने दानिक्स के वरिष्ठ वेतनमान में 3 वर्ष की सेवा सहित 8 वर्ष की सेवा की हो (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)। शहरी विकास मंत्रालय ने दिनांक 13.10.2006 के अपने पत्र सं. के–11011/14/2005–डीडीIए के द्वारा भर्ती विनियम को निम्नलिखित अनुसार संशोधित करने की सलाह दी है:–

"समतुल्य पदधारित केन्द्र/राज्य सरकारों के अधिकारी या 10000–15200 रु. के वेतनमान में 5 वर्ष की सेवा वाले अधिकारी"

डीडीए ने यह भी सूचित किया है कि संशोधित नियमावली को अधिसूचित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

मरणासन्न मरीजों हेतु विधि आयोग की सिफारिशें

3329. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग की रिपोर्ट में मरणासन्न मरीजों से जीवन रक्षक उपकरण हटाए जाने के संबंध में प्रसिद्ध चिकित्सकों का एक त्रिसदस्यीय पैनल स्थापित करने की सिफारिश की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे किसी निकाय का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस रिपोर्ट को किस तिथि तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) जी हां।

(ख) ऐसे प्रत्येक 'सक्षम रोगी' जो किसी असाध्य रोग से पीड़ित है, के पास चिकित्सीय उपचार से इंकार करने का अधिकार है। डाक्टर का यह समाधान हो जाना चाहिए कि ऐसा निर्णय एक सक्षम रोगी' द्वारा लिया गया है और यह एक जागरूक निर्णय है।

अक्षम रोगियों की दशा में, डाक्टर तब तक उपचार को नहीं रोकेगा या वापस नहीं लेगा जब तक कि उसने एक उच्च स्तरीय प्राधिकारी द्वारा तैयार किए गए पैनल में से तीन विशेषज्ञ चिकित्सा वृत्तिकों के एक निकाय से राय प्राप्त न कर ली हो। उपचार को रोकने या वापस लेने का विनिश्चय भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए।

(ग) सरकार ने सिफारिश की समीक्षा की है और वह उसे स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

औद्योगिक विकास दर में गिरावट

3330. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक औद्योगिक उत्पादों में आयी तीव्र कमी की वजह से औद्योगिक विकास दर में गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो उन औद्योगिक क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां गिरावट दर्ज की गयी है;

(ग) क्या मांग की कमी की वजह से यह गिरावट आयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मांग होने के बावजूद यह गिरावट आयी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या वित्त मंत्री ने इस संबंध में कोई सुझाव दिया है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से झ) औद्योगिक विकास की दर अप्रैल–सितंबर 2006 के दौरान 11.1 प्रतिशत से गिरकर अप्रैल–सितंबर 2007 के दौरान 9.2 प्रतिशत हो गई। उद्योग वार चित्र नीचे सारणी में दिया गया है।

उद्योग समूह	अप्रैल–सितंबर के दौरान वृद्धि	
	2006–07	2007–08
1	2	3
खाद्य उत्पाद	1.9	13.3
पेय और तम्बाकू	14.2	8.3
सूती वस्त्र	12.8	6.3
ऊन, रेशम और मानव निर्मित वस्त्र	6.7	5.1
जूट के वस्त्र	–0.3	18.9
वस्त्र उत्पाद	14.9	3.4
लकड़ी उत्पाद	–0.1	78.8
कागज उत्पाद	81	1.1
चमड़ा उत्पाद	–5.2	7.8
रसायन	10.5	7.8
रबड़ और पेट्रोलियम	10.9	12.0
गैर धात्वीय खनिज उत्पाद	13.7	8.3
बुनियादी धातुएं	19.4	18.5
धात्विक धातुएं	5.0	–0.8
मशीनरी और उपस्कर	16.2	10.9

1	2	3
परिवहन उपस्कर	17.7	1.7
अन्य विनिर्माण	15.1	12.4
विनिर्माण	12.3	9.7
खनन	3.1	5.3
बिजली	6.6	7.7
औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक	11.1	9.2

बाजार संचालित अर्थव्यवस्था में व्यष्टि उद्योगों का निष्पादन मांग और आपूर्ति की स्थितियां, निविष्टियों के सापेक्ष मूल्य, प्रतिस्पर्धा, विनिमय दर में घटबढ़ और बृहत आर्थिक कारकों जैसे अनेक घटकों पर निर्भर है। प्रमुख आयातक देशों में मांग की स्थितियां और व्यापार माहौल भी ऐसे उद्योगों का निष्पादन प्रभावित करता है। जिनमें निर्यात उत्पादन का महत्वपूर्ण अंश होते हैं।

सरकार ने व्यापक आधार वाले औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियां लागू की हैं। इनमें, अन्य बातों के अलावा, उद्योग को लाइसेंस मुक्त कराना, प्रतिस्पर्धी पर निविष्टियां की बेहतर उपलब्धता के लिए विदेश व्यापार व्यवस्था का उदारीकरण, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क की शुल्क दरों का यौक्तिकरण और उनमें कमी करना, बेहतर अवसंरचना सहायता और उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश व्यवस्था शामिल है।

अक्षरधाम मंदिर के निकट फ्लाईओवर के निर्माण में अनियमितताएं

3331. श्री रशीद मसूद : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अधिकारियों ने अक्षरधाम मंदिर के निकट फ्लाईओवर के एक लूप के निर्माण में वहां स्थित एक पेट्रोल पंप की वजह से अनियमितताएं बरती थीं;

(ख) यदि हां, तो इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ग) उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त पेट्रोल पम्प को बंद करने का विनिर्णय देने के परिणामस्वरूप उस फ्लाईओवर के लूप का निर्माण कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि कलोवरलीफ के सुधार की औपचारिकताओं के पूर्ण होने में लगभग 8 महीने का समय लग सकता है।

[अनुवाद]

काली सूची में डाले गए गैर सरकारी संगठनों के विरुद्ध मामले

3332. श्री अधीर चौधरी :
श्री निखिल कुमार :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काली सूची में डाले गए गैर सरकारी संगठनों के विरुद्ध दर्ज किए गए मामले में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या इन गैर सरकारी संगठनों को जारी की गई धनराशि वसूल कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने गैर सरकारी संगठनों द्वारा बरती गई अनियमितताओं की पहचान करने के लिए और क्या कदम उठाए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) से (ग) लोक कार्य एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपार्ट) ने काली सूची में डाले गए गैर–सरकारी संगठनों के खिलाफ 129 मामले दर्ज किए। इन 129 मामलों में से, काली सूची में डाले गए 33 गैर–सरकारी संगठनों से 28.97 लाख रु. वसूल किए गए हैं। वसूल की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) गैर–सरकारी संगठनों द्वारा की गई अनियमितताओं की पहचान करने के लिए कपार्ट ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं;

* परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय स्वैच्छिक संगठन की प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों के फोटोग्राफ पर जोर डाला जाता है।
* प्राप्त परियोजना प्रस्तावों का भलीभांति मूल्यांकन किया जाता है तथा सोसाइटी से संबंधित बुनियादी दस्तावेजों पर भी जोर डाला जाता है।
* वित्त–पोषण पूर्व मूल्यांकन के पश्चात परियोजनाओं को स्वीकृत किया जाता है।
* स्वीकृत परियोजना का कार्यान्वयन के दौरान दी गई सहायता के परिमाण के अनुसार एक बार अथवा दो बार आकलन किया जाता है। फाइल बंद करने से पहले परियोजनाओं का पश्च मूल्यांकन भी किया जाता है।

- जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत पैनलबद्ध विशेषज्ञों के स्थान पर संस्थागत निगरानीकर्ताओं द्वारा परियोजनाओं की निगरानी।
- स्वीकृति आदेशों को संबंधित जिला कलक्टरों/ग्रामीण विकास के प्रभारी राज्य सचिव/संसद सदस्य/विधान सभा के सदस्यों/ संबंधित ग्राम पंचायत इत्यादि को पृष्ठांकित किया जाता है।
- परियाजनाओं की स्वीकृति से संबंधित जानकारी वेबसाइट पर डाली जाती है।
- विभिन्न डोनर एजेंसियों/राज्य सरकारों/मंत्रालयों/स्वायत्तशासी संगठनों इत्यादि के बीच जानकारी का आदान-प्रदान किया जाता है।
- सामाजिक लेखा-परीक्षा पर भी जोर दिया जाता है।
- स्वैच्छिक संगठन से इस आशय का प्रमाण-पत्र लेने पर जोर दिया जाता है कि उसने जिस परियोजना के लिए वित्तीय सहायता ली है उन्हीं लाभार्थियों को कवर करने वाली उसी परियोजना के लिए किसी अन्य सरकारी, गैर-सरकारी, अंतरराष्ट्रीय अथवा किसी अन्य एजेंसी से न तो सहायता प्राप्त की है, न ही सहायता प्राप्त कर रहा है और न ही सहायता के लिए आवेदन करेगा।
- एकदम नए गैर-सरकारी संगठनों को पहली किस्त जारी करते समय मूल बैंक पास बुक तथा पंजीकरण प्रमाण-पत्र का सत्यापन किया जाता है।

विवरण

काली सूची में डाले गए संगठनों से वसूल की गई राशि का ब्यौरा (4.12.2007 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठन का नाम और पता	वसूली गई राशि
1	2	3
1.	सामरितन सोसायटी आफ मिजोरम, बुंगकावन, जि. आइजोल, मिजोरम	17,727/-
2.	प्रिया सामाजिक कल्याण सेवा समिति, हाउस आफ योगेश लामटे 203, अंसार कॉलोनी एमआईजी, बीएच-पुलिस स्टेशन	1,49,500/-
3.	अम्बेडकर युवाजन संघम, गांधीनगर, निडाडावालू, जि. डब्ल्यूजी, आंध्र प्रदेश	10,000/-
4.	तरामरला इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एंड सोशल तरामरला, सत्य सांई तालुक, जि. अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	2,57,020/-
5.	आर्टिजन्स इंडिया इंटीग्रेटेड फाउंडेशन, बी-50, एसबीएच कॉलोनी, सैदाबाद, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	60,000/-
6.	मल्टीपर्पस सोशल डेवलपमेंट सोसायटी, ग्राम-गुंडीपतली, डुग्गान्नागराईएल्ली टीक्यू, पुलिवेंडाला, जि. कुडप्पा, आंध्र प्रदेश	55,800/-
7.	सोसायटी फॉर नेचुरल स्टडीज, 206, खन्ना पुरामहावेली, इंडस्ट्रीयल एरिया, जि. खम्माम, आंध्र प्रदेश	15,000/-
8.	किशोरी शिक्षण एवंम प्रशिक्षण औद्योगिक संस्थान, कुमाहेरी, ब्लॉक-नगर, जि. भरतपुर, राजस्थान	22,500/-
9.	लोक सेवा दल, 137, पुचन्द हेल्थक्लब, एमटी, जि. रोहतक, हरियाणा	12,800/-
10.	थिक्काडावूर फिश कल्टीवेटिंग सोसायटी, कुरीपुझा, पोपेरीनाड, जि. क्विलोन, केरल	79,800/-
11.	यूथ एसोसिएशन फॉर रूरल डेवलपमेंट, ग्राम-बेहटा	40,500/-
12.	युवा एवं बाल विकास समिति, राम गुलाब टोला, जि. देवरिया, उ.प्र.	2,89,800/-
13.	नूतन ग्राम विकास समिति, ग्राम/पो. गोहावर जि. बिजनौर, उ.प्र.	26,971/-
14.	खादी ग्रामोद्योग सेवा सदन, ग्राम/पो. खेमपुर जि. रामपुर, उ.प्र.	29,400/-
15.	खादी ग्रामोद्योग विकास समिति, ग्राम-सलकाना, पो. चौकिनी, जि. मुरादाबाद उ.प्र.	3,05,281/-
16.	श्री विद्यानाथ विद्यालय समिति, डी-428, राजाजी पुरम, जि. लखनऊ, उ.प्र.	26,000/-
17.	विवेकानंद चाइल्ड वेलफेयर होम, ग्राम/पो. काकद्वीप, जि. 24 परगना, प. बंगाल	2,90,000/-
18.	आशा वेलफेयर, गणेशनगर, विनामखाना, जि. दक्षिण 24 परगना, पं. बंगाल	83,467/-
19.	नारी ओ शिशु कल्याण समिति, गणेशनगर विनामखाना, 24 परगना, प. बंगाल	82,382/-

1	2	3
20.	आल इंडिया समाजोत्थान समिति, ए-3-51/1, एलआईजी, रोहिणी, सेक्टर-7, दिल्ली	83,788/-
21.	समाज सुधार सोसायटी, एफ-18, धरमपुरा, नजफगढ़, नई दिल्ली-43	84,350/-
22.	विकास एजुकेशनल सोशल वेल. सोसायटी, 456/एस-1, विकासपुरी, नई दिल्ली	63,100/-
23.	अंबा सामाजिक विकास संस्थान, हरिगंज, पटना सिटी, जि. पटना, बिहार	27,500/-
24.	रश्मिरथी नव चेतना समिति, एच.क्यू. रश्मि ज्योति भवन, नया जनकपुर, जीपीयू पटना, बिहार	6,700/-
25.	दरभंग जिला खादी ग्रामोद्योग संघ, एच.ओ. बेटा रोड़, पो. लाहेरिया सराय जिल. दरभंगा, बिहार	6,700/-
26.	कमला नेहरू समाज कल्याण केंद्र, गोपालगंज, सासाराम, जि. रोहतास	1,56,633/-
27.	कलेक्टिव रूरल ऑपरेशन आफ द पुअर, 2-86 द्वारा-पोतेदार, नरसम्हुलू, एपीएसईबी सब स्टेशन, परिगी, जि. रंगारेड्डी, आंध्र प्रदेश	2,47,500/-
28.	श्री योगानंद शिक्षण प्रसारक मंडल, महाराष्ट्र	71,000/-
29.	ब्राइटर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, आंध्र प्रदेश	58,475/-
30.	श्री लक्ष्मी हरिजन महिला मंडली, आंध्र प्रदेश	10,000/-
31.	गायत्री खादी ग्रामोद्योग मंडल	1,26,000/-
32.	मास वेलफेयर एसोसिएशन, तमिलनाडु	39,000/-
33.	अम्बिका महिला संघ, कर्नाटक	20,000/-
	कुल	28,96,594/-

[हिन्दी]

केन्द्रीय आवास योजना के अंतर्गत कार्य

3333. श्री शैलेन्द्र कुमार : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में केन्द्रीय आवास योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न कार्य करने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को कुल कितनी धनराशि जारी की गई;

(ख) वसन्त विहार और पेशवा रोड़ स्थित सी.पी.डब्ल्यू.डी. परिसर में मरम्मत/नवीकरण कार्य पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;;

(ग) क्या सरकार ने सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सी.पी.डब्ल्यू. डी. द्वारा धनराशि का दुरुपयोग करने के बारे में किसी अनियमितता का पता चला है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे सी.पी.डब्ल्यू.डी. अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय आवास स्कीम के अंतर्गत विभिन्न कार्य करने के लिए आबंटित की गई कुल धनराशि तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा खर्च का ब्यौरा इस प्रकार है:-

मुख्य शीर्ष : 4216 (पी) (रुपये लाखों में)

वर्ष	आबंटन	व्यय
2004-05	10035	10118
2005-06	10900	10587
2006-07	20004	14541

मुख्य शीर्ष : 4216 (एनपी)

वर्ष	आबंटन	व्यय
2004-05	7843	6247
2005-06	7723	6941
2006-07	8436	7564

(ख) पेशवा रोड और वसंत विहार आवास पर व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(रुपये लाखों में)

वर्ष	पेशवा रोड	वसंत विहार
2004-05	15.98	4.39
2005-06	30.94	41.45
2006-07	9.92	5.07

(ग) और (घ) जी, हां। कार्य का पुनरीक्षण करना सीपीडब्ल्यूडी में एक सतत प्रक्रिया है।

सीपीडब्ल्यूडी तथा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा कार्यों का पुनरीक्षण इस प्रकार किया जाता है:-

क्र.सं.	पुनरीक्षण प्राधिकारी	पुनरीक्षित कार्य की अनुमानित लागत	पुनरीक्षण की बारंबारता
1.	कार्यपालक इंजीनियर'	10 लाख रु. से कम	मासिक
2.	अधीक्षण इंजीनियर	10 लाख रु. से अधिक लेकिन 1 करोड़ रुपए से कम	मासिक
3.	मुख्य इंजीनियर, अपर महानिदेशक, महानिदेशक (निर्माण)	1 करोड़ रु. से अधिक	मासिक
4.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	20 करोड़ रु. से अधिक	त्रैमासिक

सीपीडब्ल्यूडी द्वारा धनराशि के दुरुपयोग के संबंध में कोई अनियमितता नहीं पाई गई।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

मुद्रास्फीति दर की गणना

3334. श्री पंकज चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार थोक मूल्य सूचकाक की बजाय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति दर की गणना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) मुद्रास्फीति 435 वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक की घटबढ़ के संदर्भ में साप्ताहिक आधार पर मापी जाती है। मासिक आधार पर मूल्यों की घटबढ़ प्रतिबिंबित करने के लिए औद्योगिक कामगार (सीपीआई–आईडब्ल्यू) शहरी श्रमिकेतर कर्मचारी (सीपीआई–यूएनएमई), कृषि श्रमिक (सीपीआई–आरएल) और ग्रामीण श्रमिक (सीपीआई–आरएल) के लिए भी राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग चार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलित किए जाते हैं।

विश्व बैंक से प्राप्त सहायता

3335. श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आंगनवाड़ी तथा महिला और बाल विकास के अन्य कल्याण और विकास कार्यक्रमों के लिए विश्व बैंक से प्राप्त सहायता का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस सहायता के संबंध में निबंधन और शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस राशि से शुरू किए गए कार्यों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त कार्यों के कब तक पूरा होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक ने एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस–III) और आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्सरचना परियोजना (एपीईआरपी) के पोषण घटक के लिए सहायता मुहैया करायी है। इन दो परियोजनाओं के संबंध में वर्षवार संवितरण निम्नानुसार है:

	वर्ष	मिलियन में एसडीआर सहायता
आईसीडीएस–III परियोजना (1999–2006)		
1.	2004–05	39.24
2.	2005–06	60.04
3.	2006–07 (31.3.2006 तक)	18.61
एपीईआरपी का पोषण घटक (2002–05)		
1.	2004–05	9.79
2.	2005–06	(दोनों वर्षों के लिए कुल आंकड़े)

(ख) समेकित बाल विकास सहायता योजना (आईसीडीएस–III) को आईडीए से वित्तपोषित किया गया था जब कि आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्सरचना परियोजना (एपीईआरपी) का वित्त पोषण करने में आईडीए और आईबीआरडी दोनों शामिल हैं। आईडीए ऋण बिना ब्याज के उपलबध हैं और 0.50% वचनबद्धता प्रभार और 0.75: सेवा प्रभार लगता है जबकि आईबीआरडी ऋण 6 माह के लीबोर जमा ब्याज दर और परिवर्तनीय विस्तार एवं 0.25% वचनबद्धता प्रभार पर उपलब्ध है।

(ग) और (घ) परियोजना के संकार्यों में सिविल निर्माण कार्य, तोलन स्केलों की आपूर्ति, "आउट डोर प्ले" सामग्रियां, पीएसई और

औषधिकिट आदि, आईसीडीएस के कर्मचारियों को प्रशिक्षण, नई स्कीमों, अध्ययन दौरे, निगरानी और मूल्यांकन कार्यकलाप आदि शामिल हैं। दोनों परियोजनाएं 31.3.2006 को बंद हुई हैं।

[अनुवाद]

कर मांग

3336. श्री मोहन रावले : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग ने कार्पोरेट और व्यक्तियों से अतिरिक्त कर की मांग को बढ़ा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके फलस्वरूप आज की तारीख तक उनसे कितनी कर राशि एकत्र की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 1 अप्रैल से सितम्बर, 2007 तक जारी की गई वर्तमान मांग 30622 करोड़ रुपए है। वर्तमान मांग में से 19792 करोड़ रुपए की राशि सितम्बर, 2007 तक पूर्व संदत्त करों में कटौती और नकद संग्रहण के माध्यम से वसूली/संग्रहित की गई है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। श्री विजय कुमार हान्डिक।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : महोदय, मैं श्री प्रणब मुखर्जी की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7843/07)

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(क) (एक) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद का वर्ष 2006–2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल. टी. 7844/07)

(ख) (दो) एनटीपीसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एनटीपीसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल. टी. 7845/07)

(ग) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 2006–2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल. टी. 7846/07)

(घ) (एक) टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, टिहरी के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, टिहरी का वर्ष 2006–2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल. टी. 7847/07)

(2) (एक) सेन्ट्रल पावर रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल पावर रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7848/07)

(3) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 101 के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7849/07)

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : महोदय, मैं श्री एस. जयपाल रेड्डी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली का वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली का वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7850/07)

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) शेयर बाजार घोटालों और तत्संबंधी मामलों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में की गई कार्रवाई के बारे में 9वीं प्रगति रिपोर्ट – दिसंबर, 2007 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7851/07]

(2) भारत के राजपत्र में 14. सितम्बर, 2007 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 1550 (अ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जिसमें आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत 30 अगस्त, 2007 को जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1484 (अ) का शुद्धिपत्र शामिल है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7852/07]

(3) राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत राजवित्तीय वर्ष 2006–2007 मध्यावधि समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7853/07]

[हिन्दी]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) कॉयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) कॉयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7854/07]

(2) (एक) क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एण्ड स्माल इंटरप्राइजेज, मुम्बई के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एण्ड स्माल इंटरप्राइजेज, मुम्बई के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7855/07]

(3) (एक) खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, मुम्बई के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, मुम्बई के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7856/07]

(4) खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28

के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन), नियम 2007 जो भारत के राजपत्र में 15 सितम्बर, 2007 को अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 191 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खादी और ग्रामोद्योग आयोग विनियमन, 2007, जो भारत के राजपत्र में 31 अक्तूबर, 2007 को अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 688 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7857/07]

(5) अधिसूचना संख्या का.आ. 1594 (अ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 25 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 2007 को अधिसूचना सख्या का. आ. 306 (अ) में प्रकाशित विनियमों में कतिपय संशोधन किए गए हैं, जो खादी और ग्रामीण आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत जारी हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7858/07]

(6) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड विनियमन, 1988 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड नियम, 2001, जो अंडमान और निकोबार के राजपत्र में 5 दिसम्बर, 2001 की अधिसूचना संख्या 219/2001/एफ. सं. 50–469/2001 – डीईवी. । में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड उपनियम, जो अंडमान और निकोबार के राजपत्र में 5 दिसम्बर, 2001 को अधिसूचना संख्या 217/2001/एफ. सं. – एएनआईकेवी आईबी/5–4/2001 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) नियम, 2003, जो अंडमान और निकोबार के राजपत्र में 11 सितम्बर, 2001 को अधिसूचना संख्या 166/2003/एफ. सं. 50–560/2000–डीईवी. ।., में प्रकाशित हुए थे।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी- 7859/07]

[अनुवाद]

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक– महा–लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी0 7860/07]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) बॉम्बे डॉक लेबर बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बॉम्बे डॉक लेबर बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7861/07]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम का वर्ष 2006–2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा

परीक्षित लेख तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7862/07]

(3) (एक) नाविक भविष्य निधि संगठन (नाविक भविष्य निधि), मुंबई के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नाविक भविष्य निधि संगठन (नाविक भविष्य निधि), मुंबई के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7863/07]

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) **विधि आयोग के लंबित प्रतिवेदन–दिसम्बर, 2007 के बारे में तीसरे वार्षिक विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।**

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7864/07]

(2) भारतीय दंड संहिता की धारा 304–ख में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव–अक्तूबर, 2007 के बारे में विधि आयोग के 202वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7865/07]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : महोदय, मैं डा. रघुवंश प्रसाद सिंह की ओर से राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 11 के अंतर्गत वर्ष 2006–2007 के लिए उक्त अधिनियम के बारे में प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी0 7865/07]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : महोदय मैं डॉ. अंबुमणि रामदास की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7866/07]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : महोदय, मैं डा. अंबुमणि रामदास की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूशन ऑफ बॉयोलॉजिकल्स, नोएडा के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूशन ऑफ बॉयोलॉजिकल्स, नोएडा के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7867/07]

(2) उसमें उल्लिखित 39 संस्थानों के वर्ष 2006–2007 के और दो संस्थानों के 2003–2004, 2004–2005, 2005–2006 और 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7868/07]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) रामन रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संसकरण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामन रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष (2006–2007) के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7869/07]

(2) (एक) नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया, इलाहाबाद के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया, इलाहाबाद के वर्ष (2006– 2007) के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7870/07]

(3) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ ऐस्ट्रोफिजिक्स, बंगलौर के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ ऐस्ट्रोफिजिक्स, बंगलौर के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7871/07]

(4) (एक) टेक्नालॉजी इन्फार्मेशन, फोरकास्टिंग एण्ड असेसमेंट काउसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नालॉजी इन्फार्मेशन, फोरकास्टिंग एण्ड असेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7872/07]

(5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) –

(क) (एक) सेन्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेन्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7873/07]

(ख) (एक) नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7874/07]

(6) (एक) कंसल्टेन्सी डेवलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कंसल्टेंसी डेवलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7875/07]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : महोदय, मै श्री प्रेमचन्द गुप्ता की ओर से, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 की उपधारा (5) के अंतर्गत मालाबार स्टील री–रौलिंग मिल लिमिटेड एण्ड स्टील काम्पलैक्स लिमिटेड (विलय) संशोधन आदेश, 2007 जो 7 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.326 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7876/07]

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं–

(1) सरकार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रिन्यूएबल इनर्जी, कपूरथला के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) सरकार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रिन्यूएबल इनर्जी, कपूरथला के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7877/07]

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं–

(1) (एक) सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पलाईज वेलफेयर हाउसिंग आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लाईज वेलफेयर हाउसिंग आर्गेनाईजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी- 7878/07]

(2) (एक) नेशनल कोआपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल कोआपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7879/07]

(3) (एक) बिल्डिंग मैटेरियल्स एण्ड टैक्नालॉजी प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बिल्डिंग मैटेरियल्स एण्ड टेक्नालॉजी प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7880/07]

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) हिन्दुस्तान प्रिफैब लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान प्रिफैब लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7881/07]

(5) राष्ट्रीय शहरी भवन और आवास नीति-2007 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7882/07]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(क) (एक) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7883/07]

(2) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7884/07]

(3) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एण्ड रिसर्च के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7885/07]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : महोदय, मैं श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) -

(क) (एक) एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2006–2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7886/07]

(ख) (एक) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, अल्मोड़ा के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल कारपोरशन लिमिटेड, अल्मोड़ा के वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7887/07]

(3) (एक) इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर पोपुलेशन साईन्सेज, मुंबई के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर पोपुलेशन साईन्सेज, मुंबई के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7888/07]

(4) (एक) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर, शिमला के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पोपुलेशन रिसर्च सैंटर, शिमला के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7889/07]

(5) (एक) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ स्पीच एण्ड हियरिंग, मैसूर के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ स्पीच एण्ड हियरिंग, मैसूर के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7890/07]

(6) (एक) ऑल डेन्टल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) ऑल डेन्टल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 की वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) डेन्टल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7891/07]

(7) (एक) इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7892/07]

(8) खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 101 के अंतर्गत खाद्य संरक्षा और मानक (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2007 जो 15 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 1757 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7893/07]

(9) राष्ट्रीय आरोग्य निधि, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7894/07]

(10) (एक) महात्मा गांधी इस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साईसेज एण्ड कस्तूरबा हॉस्पिटल, सेवाग्राम के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साईसेंज एण्ड कस्तूरबा हॉस्पिटल, सेवाग्राम के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7895/07]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन) : महोदय, मैं डा. शकील अहमद की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर साफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7896/07]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं–

(1) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 20 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) –

(एक) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन पर की–गई–कार्यवाही ज्ञापन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7897/07]

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : महोदय, मैं श्री तस्लीमुद्दीन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं–

(एक) नेशनल डेरी डेवलपमेंट बोर्ड, आनंद के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल डेरी डेवलपमेंट बोर्ड, आनंद के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7898/07]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं–

(1) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अंतर्गत 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम के 37वें मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7899/07]

(2) (एक) भारतीय जीवन बीमा निगम के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7900/07]

(3) (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 18 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7901/07]

(4) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनान्स एण्ड पॉलिसी, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनान्स एण्ड पॉलिसी, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7902/07]

(5) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(एक) विजया बैंक के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण और कार्यकलाप संबंधी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7903/07]

(दो) ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण और कार्यकलाप संबंधी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7904/07]

(तीन) यूको बैंक के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण और कार्यकलाप संबंधी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7905/07]

(चार) इंडियन बैंक के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण और कार्यकलाप संबंधी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7906/07]

(पांच) पंजाब एण्ड सिंध बैंक के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण और कार्यकलाप संबंधी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7907/07]

(छह). पंजाब नेशनल बैंक के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण और कार्यकलाप संबंधी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7908/07]

(सात) बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण और कार्यकलाप संबंधी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7909/07]

(आठ) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण और कार्यकलाप संबंधी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7910/07]

(नौ) बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण और कार्यकलाप संबंधी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7911/07]

(दस) इलाहाबाद बैंक के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण और कार्यकलाप संबंधी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7912/07]

(ग्यारह) सिंडिकेट बैंक के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण और कार्यकलाप संबंधी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7913/07]

(6) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उपधारा (3) के अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7914/07]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(क) (एक) कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2006–2007 का वार्षिक

प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7915/07]

(ख) (एक) हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैंडलूम एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7916/07]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : महोदय, मैं श्री पवन कुमार बंसल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं–

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक–संघ सरकार (2007 का संख्यांक 13)–संघ सरकार के लेखे प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7917/07]

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(एक) संघ सरकार – वर्ष 2006–2007 के वित्तीय लेखे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7918/07]

(दो) संघ सरकार – वर्ष 2006–2007 के विनियोग लेखे (सिविल)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी0 7919/07]

(तीन) संघ सरकार – वर्ष 2006–2007 के लिए विनियोग लेखे (डाक सेवा)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7920/07]

(चार) संघ सरकार – वर्ष 2006–2007 के लिए रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7921/07]

(3) सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 की धारा 32 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति विनियम, 2007 जो 1 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 228 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7922/07]

(4) सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 की धारा 4 की उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 2020 (अ) जो 30 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 1 दिसम्बर, 2007 को उक्त अधिनियम के सभी उपबंधों के लागू होने की तारीख के रूप में नियत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7923/07]

(5) राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2007–2008 की पहली तिमाही के अंत में बजट के संबंध में प्राप्तियां और व्यय के रूझान का त्रैमासिक समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7924/07]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं–

(1) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एण्ड बिल्डिंग मेटिरियल्स, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एण्ड बिल्डिंग मेटिरियल्स, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7925/07]

(2) (एक) क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7926/07]

(3) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18छ के अंतर्गत न्यूजप्रिंट कंट्रोल (संशोधन) आदेश, 2007 जो 21 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 1967 (अ) में प्रकाशित हुई थी की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7927/07]

(4) (एक) सेन्ट्रल पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इंस्टिट्यूट, सहारनपुर के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7928/07]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : महोदय, मैं श्री जयराम रमेश की ओर से, श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं–

(1) (एक) एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल और एक्सपोर्ट इन्सपेक्शन एजेन्सी, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल और एक्सपोर्ट एजेन्सी, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल और एक्सपोर्ट इन्सपेक्शन एजेन्सी, नई दिल्ली की वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी0 7929/07]

(2) (एक) केशिव एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, कोच्चि के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केशिव एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, कोच्चि के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7930/07]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7931/07]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहु) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं–

(1) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ रूरल डेवलपमेट, हैदराबाद के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7932/07]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : महोदय मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा सभीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7933/07]

(2) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट, हैदराबाद के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट, हैदराबाद के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7934/07]

(3) (एक) नागालैण्ड विश्वविद्यालय, कोहिमा के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नागालैण्ड विश्वविद्यालय, कोहिमा के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7935/07]

(5) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिलचर के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिलचर के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा। (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7936/07]

(6) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगरतला के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगरतला के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा। (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7937/07]

(7) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7938/07]

(9) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के वर्ष 2006–2007 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जा सकने के कारणों को दर्शाने (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7939/07]

(10) मिजोरम विश्वविद्यालय के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भतीर सभा पटल पर न रखे जा सकने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7940/07]

(11) मणिपुर विश्वविद्यालय के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जा सकने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7941/07]

(12) इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भतीर सभा पटल पर न रखे जा सकने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7942/07]

(13) बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भतीर सभा पटल पर न रखे जा सकने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7943/07]

(14) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जा सकने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7944/07]

(15) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जा सकने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7945/07]

(16) असम विश्वविद्यालय के वर्ष 2006–2007 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भतीर सभा पटल पर न रखे जा सकने के कारणों को दर्शाने (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7946/07]

(17) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जा सकने के कारणों को वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7947/07]

(18) दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जा सकने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी.0 7948/07]

(19) विश्वभारती के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जा सकने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7949/07]

(20) नागालैण्ड विश्वविद्यालय के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जा सकने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7950/07]

(21) जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जा सकने के कारणों को बनाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7951/07]

(22) तेजपुर विश्वविद्यालय के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा तर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जा सकने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7952/07]

(23) उत्तर–पूर्व पर्वतीय विश्वविद्यालय के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भतीर सभा पटल पर न रखे जा सकने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7953/07]

(24) हैदराबाद विश्वविद्यालय के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भतीर सभा पटल पर न रखे जा सकने के कारणों को दर्शाने (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी0 7954/07]

(25) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जा सकने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7955/07]

(26) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जा सकने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7956/07]

अपराह्न 12.08 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:–

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 6 दिसम्बर, 2007 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 5 दिसंबर 2007 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण विधेयक, 2007 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

अपराह्न 12.04½ बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री चरणजीत सिंह अटवाल (फिल्लौर) : महोदय, मैं गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयक और संकल्पों संबंधी समिति की वर्तमान सत्र के दौरान हुई इकत्तीसवीं से तैंतीसवीं बैठकों के कार्यवाही–सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.08½ बजे

कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति

अट्ठाईसवें से तीसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, मैं कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2007–2008) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:–

(1) कोयला मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007–2008) के बारे में 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही संबंधी 28वां प्रतिवेदन;

(2) खान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007–2008) के बारे में 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही संबंधी 29वां प्रतिवेदन;

(3) इस्पात मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007–2008) के बारे में 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही संबंधी 30वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.08¾ बजे

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति

पच्चीसवां और छब्बीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डा. करण सिंह यादव (अलवर) : महोदय, मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित की–गई–कार्यवाही प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक–एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) स्वास्थ्य विभाग की अनुदानों की मांगों (2007–2008) के बारे में समिति के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 25वां प्रतिवेदन;

(2) आयुष विभाग की अनुदानों की मांगों (2007–2008) के बारे में समिति के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर आयुष विभाग द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 26वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.09 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) विद्युत मंत्रालय से संबंधित ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के अठारहवें, बीसवें, इक्कीसवें और बाईसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : मैं, दिनांक 01 सितंबर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन, भाग-2 में दिए गए माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश 73ए के अनुसरण में, ऊर्जा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बारहवीं और अठारहवीं रिपोर्टों में समाविष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति पर एक वक्तव्य प्रस्तुत कर रहा हूं।

18वीं रिपोर्ट वर्ष 2006-07 की अनुदान मांगों से संबंधित है। इसमें आठ सिफारिशें शामिल हैं और इन सभी को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। 20वीं रिपोर्ट वर्ष 2007-08 की अनुदान मांगों से संबंधित है। इसमें 20 सिफारिशें शामिल है और इन सभी को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। जहां तक 21वीं रिपोर्ट, जोकि दामोदर वैली कॉरपोरेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2007 पर आधारित है, का संबंध है, मुझे यह कहना है कि मंत्रालय में यह रिपोर्ट 07.09.2007 को प्राप्त हुई है और 21वीं रिपोर्ट में की गई सभी सिफारिशें विचाराधीन हैं।

जहां तक 22वीं रिपोर्ट, जोकि अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स पर आधारित है, का संबंध है, मुझे यह कहना है कि मंत्रालय में यह रिपोर्ट 15.10.2007 को प्राप्त हुई है और 22वीं रिपोर्ट में की गई सभी सिफारिशें विचाराधीन हैं।

समिति द्वारा उक्त रिपोर्ट में की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध में इंगित है, जिसे सदन के सभा पटल पर रख दिया गया है। मैं इस अनुबंध की समस्त विषय वस्तु को पढ़कर सदन का कीमती समय नहीं लूंगा। मेरा अनुरोध है कि इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

अपराह्न 12.9¼ बजे

(दो) शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित "दिल्ली विकास प्राधिकरण" के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के आठवें और सोलहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : महोदय, मैं श्री एस. जयपाल रेड्डी की ओर से लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निदेश 73क के अनुपालन में यह विवरण सभा पटल पर रखता हूं। इस निदेश का पाठ इस प्रकार है:-

"अपने मंत्रालय के संबंध में लोक सभा की विभागीय स्थायी समिति की रिपोर्टों में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में संबंधित मंत्री छः महीने में एक बार सदन में विवरण देंगे।"

मैं सदन के माननीय सदस्यों की सूचना के लिए यह बताना चाहूंगा कि शहरी विकास के संबंध में 14वीं लोक सभा की स्थायी समिति की 8वीं रिपोर्ट 2 अगस्त, 2005 को लोकसभा में प्रस्तुत की गई थी। इन दोनों रिपोर्टों में कुल 58 सिफारिशें हैं। संलग्न विवरण में प्रत्येक सिफारिश के सामने सरकार द्वारा उस पर की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति दी गई है। नवम्बर, 2005 में इन सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियां शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शहरी विकास से संबंधित स्थायी समिति को 17 नवम्बर, 2005 को भेज दी गई थी।

अध्यक्ष महोदय मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहता हूं कि जहां कहीं आवश्यक होगा और आगे अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।

इस विवरण का अनुबंध सभा पटल पर रख दिया गया है।

अपराह्न 12.9½ बजे

(तीन) वित्तीय लेखे 2006-2007 और लेखा एक दृष्टि में/बजट एक दृष्टि में दिए गए राजस्व और राजकोषीय घाटे का समाधान।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, मैं वित्त लेखा 2006-2007 तथा लेखा सार/बजट सार में निहित राजस्व तथा राजकोषीय घाटे के मिलान पर यह वक्तव्य प्रस्तुत कर रहा है।*

[अनुवाद]

केंद्र सरकार के वित्त लेखा २००६-२००७ के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने निम्नलिखित राय व्यक्त की है-

"वर्ष 2006-2007 में राजस्व घाटा 1,32,47 करोड़ रुपए था जबकि राजकोषीय घाटा 1,82,934 करोड़ रुपए था। राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.22 प्रतिशत है जबकि राजकोषीय घाटा सकलू घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.43 प्रतिशत है। केन्द्र सरकार के 2006-07 के वित्त लेखा अनुसार राजस्व और राजकोषीय घाटे का वास्तविक स्तर महत्वपूर्ण रूप से उनके बजट अनुमानों की अपेक्षा क्रमशः 1.12 और 0.63 प्रतिशत अंक अधिक था।"

2. मैं इस बात की पुष्टि करना चाहूंगा कि वर्ष 2006-07 के बजट

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 7957/07

सभा-पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 7958/07

अनुमानों में प्रत्याशित राजकोषीय तथा राजस्व घाटे की तुलना में कोई गिरावट नहीं हुई। जीडीपी के अनुपात के रूप में राजकोषीय घाटा तथा राजस्व घाटे के 3.8 और 2.1 प्रतिशत अंक को न केवल पूर्णतः प्राप्त किया गया बल्कि उसमें सुधार भी हुआ। वर्ष 2006–07 का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.5 प्रतिशत तथा राजस्व घाटा 1.9 प्रतिशत था, जैसा कि 2006–07 के लेखा सार में दिखाया गया है।

3. राजस्व तथा राजकोषीय घाटे के आंकडे जो केन्द्र के वित्त लेखे से सूचित/लिए गए हैं, वे लेखा सार/बजट सार के आंकड़ों से भिन्न हैं और बजट दस्तावेजों के साथ कुछ दस्तावेजों के राजस्व तथा व्यय साइड पर कुछ लेन–देन को शामिल करने/बाहर करने की वजह से हैं। जहां इन्हें बजट दस्तावेजों में सूचित किया गया है, वहां नीचे दी गयी सारणी राजस्व तथा राजकोषीय घाटे के आंकड़े में अंतर के कारणों को उजागर करती है और जो वित्त लेखे से सूचित/लिए गए हैं तथा जिन्हें आवश्यक मिलान लेने–देनों के साथ बजट सार/लेखा सार में दिखाया गया है।

(करोड़ रुपए)

वित्त लेखे के अनुसार घाटा	2006–2007
राजस्व घाटा	132847
राजकोषीय घाटा	182934
लेखा सार के अनुसार घाटा*	
राजस्व घाटा	80221
राजकोषीय घाटा	142573
दोनों आंकड़ों में अंतर	
राजस्व घाटा	52626
राजकोषीय घाटा	40361
विभिन्नता को स्पष्ट करने वाले कारण	**राजस्व घाटा**
(i) तेल कंपनियों को जारी बांड	24122
(ii) भारतीय खाद्य निगम को जारी प्रतिभूतियां	16200
(iii) राज्य सरकारों के ऋणों को बट्टे खाते डालना	12304
(iv) आईएमएफ को जारी प्रतिभूतियां	...
योग	52626

4. महालेखा नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत लेखा सार के साथ घाटे के आंकड़ों और ऊपर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्राप्त किए गए वित्त लेखा आंकड़ों के साथ किया गया मिलान उनमें, राजस्व और राजकोषीय घाटे के आंकड़ों के बीच अंतर के कारणों को दर्शाता है। राजस्व घाटे में 52,626 करोड़ रुपए और राजकोषीय घाटे में 40,361 करोड़ रुपए का अंतर मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण है कि प्राप्तियां जिन्हें प्रतिभूतियों/बाण्डों को जारी करने, सरकारी लेखे में ऋणों को बट्टे खाते डालने के एवज में दिखाया गया है, "नकदी–भिन्न" लेन–देनों के स्वरूप की हैं, उन्हें समतुल्य राशियों में से "घटाया" गया है और इसलिए लेखा सार/बजट सार में राजस्व और राजकोषीय घाटे से ली गई गणनाओं में शामिल नहीं किया गया है।

5. तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि जबकि इन लेन–देनों को संसद में प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक वित्तीय विवरणियों तथा अनुदानों की मांगों में शामिल किया जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरणी/अनुदानों की मांग और व्यय/प्राप्ति बजट/बजट सार के बीच अंतर को स्पष्ट करने वाली मिलान विवरणियों को वर्ष के व्यय/प्राप्ति बजट के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बजट सार में निवल व्यय को दर्शाने वाली प्रक्रिया (वार्षिक वित्तीय विवरणी में यथा सूचित सकल व्यय में से नकद–भिन्न व्यय की मदों के घटाकर) का सरकार के लेन–देन की बजटीय व्यवस्था करने और उसका हिसाब करने के लिए परम्परागत रूप से वर्षों से पालन किया जाता रहा है।

अपराह्न 12.09¾ बजे

(चार) ग्रामीण विकास मंत्रालय के पेयजल आपूर्ति विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के अट्ठाईसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : महोदय, मैं डा. रघुवंश प्रसाद सिंह की ओर से लोक सभा के 1 सितम्बर, 2004 के समाचार भाग–।। में जारी लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निदेश 73 'क' के अनुसरण में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (पेयजल आपूर्ति विभाग 2005–06) के 28वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य दे रहा हूं।

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (पेय जल आपूर्ति विभाग)

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया देखिए संख्या एल.टी. 7959/07

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया देखिए संख्या एल.टी. 7960/07

(14वीं लोक सभा) ने वित्त वर्ष 2007-08 के लिए पेय जल आपूर्ति विभाग की अनुदान मांग की जांच की तथा लोक सभा में 4 मई, 2007 को अपनी 28वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की इस रिपोर्ट में 39 सिफारिशें थीं।

28वीं रिपोर्ट में समिति की टिप्पणियों/अभियुक्तियों पर 'की गई कार्यवाई' विवरण को 26 अक्तूबर, 2007 को ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेय जल आपूर्ति विभाग की ग्रामीण विकास से संबंधित स्थायी समिति को भेज दिया गया है।

समिति की 39 सिफारिशें मुख्यतः लोक सभा अध्यक्ष द्वारा दिए गए निदेश 73 'क' के अंतर्गत अपनी पहले की रिपोर्टों में समिति द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति; राज्यों के पास मौजूद खर्च न किए गए शेष, अंतर घटक आबंटन, तथा एआरडब्ल्यूएसपी के अंतर्गत वास्तविक उपलब्धियों के मुद्दे; पूर्णतः कवर की स्थिति से बसावटों के पुरानी स्थिति में लौटने; स्वजलधारा के अंतर्गत वित्तीय एवं जल प्रबंधन एवं संरक्षण; पेय जल योजनाओं के लिए भू-जल पर निर्भरता के मुद्दे; ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की गुणवत्ता; ग्रामीण स्कूलों में पेय जल परिदृश्य; सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत वित्तीय एवं वास्तविक निष्पादन; सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निर्धारित की गई कार्य योजना तथा कार्य नीतियों; तथा अन्य विभागों और राज्य सरकारों के और ज्यादा सहयोग से संपूर्ण स्वच्छता अभियान की गति को तेज करने से संबंधित है।

समिति द्वारा दी गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति, मेरे वक्तव्य के साथ लगे अनुबंध में दी गई है, जो सदन के पटल पर प्रस्तुत है। सदन का बहुमूल्य समय व्यर्थ चले जाने से बचने के लिए मेरा अनुरोध है कि अनुबंध में दी गई सामग्री को पढ़ लिया गया समझा जाए।

अपराह्न 12.10 बजे

(पांच) अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006*

[अनुवाद]

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया) : महोदय, मुझे सभा को यह सूचित करने में प्रसन्नता है कि "अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 को लागू करने के लिए 1 जनवरी 2008 तक अधिसूचित कर दिया जाएगा। तत्पश्चात् नियमों को तत्काल अधिसूचित किया जाएगा।

---

*ग्रंथालय में रखा गया **देखिए संख्या एल.टी. 7961/07**

[अनुवाद]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकाराझार) : महोदय, मैं यह मांग करता हूं कि नियमों को...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बैसीमुथियारी, यह क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री सानछुमा खंगुर बैसीमुथियारी जी, मंत्री जी, आपके बारे में कोई बात नहीं कह रहे हैं। वे तो सूचना दे रहे हैं कि पहली जनवरी तक हो जाएगा।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.11 बजे

केन्द्रीय कर अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण विधेयक, 2007*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 245 ण के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण और सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 च के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा-शुल्क और सेवा कर) के प्रतिस्थानी के रूप में केन्द्रीय कर अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के गठन और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं पता कि श्री वरकला राधाकृष्णन ने नोटिस क्यों दिया है। वे उपस्थित हैं।

प्रश्न यह है :

कि आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 245ण के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण और सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28च के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, सीमा-शुल्क और सेवा कर) के प्रतिस्थानी के रूप में केन्द्रीय कर अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के गठन और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उल्लंघन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं विधेयक पुरः स्थापित** करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड 2, दिनांक 7.12.2007 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरः स्थापित।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, हमने कार्य–स्थगन का नोटिस दिया था। सदन के शुरू होते ही हमने यह मामला उठाया था। आपने हमें कहा था कि शून्य–काल में आप हमें समय देंगे।

अध्यक्ष महोदय : हां, बोलिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि संवैधानिक प्रक्रिया में परिसीमन आयोग होता है और संवैधानिक प्रक्रिया में ही निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है। संसद परिसीमन आयोग को अधिकार देती है कि उसे क्या–क्या काम करना है। इसी सदन में हम लोगों ने परिसीमन आयोग को अधिकार दिया था कि जहां जनसंख्या ज्यादा है, वहां बैलेंस बनाए और उसे ठीक करें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह जी, आप बहुत सीनियर और रैस्पैक्टेड मैम्बर हैं और आप इस बात को जानते हैं कि इसमें यह हाउस कुछ नहीं कर सकता है।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, मैं उस पर कुछ नहीं बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि संसद ने जो अधिकार परिसीमन आयोग को दिया था,...*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। यह शब्द रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां जनसंख्या को बैलेंस करने का उसे अधिकार दिया गया था, आबादी को बैलेंस करने के लिए कहा गया था, वहां परिसीमन आयोग ने नई कांस्टीटयूएंसी का निर्माण किया है। यहीं नहीं, आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देख लें, उसका अध्ययन कर लें। उसमें स्पष्ट लिखा गया है...*(व्यवधान)* जहां मुस्लिम–बहुल क्षेत्र है, उस कांस्टीटयूएंसी को रिजर्व कर दिया गया है, यानी अल्संख्यक समुदाय का जहां बहुमत है, वहां उसे निर्वाचित करने का अधिकार ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सब ऑनरेबल मैसर्स से हम अपील कर रहे हैं कि इस प्रकार के मुद्दे यहां नहीं आते हैं और न ही इस तरीके से उठाए जाते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, सदन का अधिकार है कि ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हो गया। आपका मामला आ गया। यह क्या हो रहा है? इस तरीके से नहीं चलेगा।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : यह हमारे लोकतंत्र पर एक धब्बा है। यह हमारे लोकतंत्र के लिए कलंक है...*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री अधीर चौधरी : यह हमारे लोकतंत्र पर कलंक है। यह हमारे लोकतंत्र पर धब्बा है। यह मानवता को कलंकित करने वाला है...* को उचित ठहरा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका नोटिस किसी अन्य विषय पर है।

...*(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी : महोदय, वे सफाई कार्यकर्ता को आध्यात्मिक गुरू बता कर उसे उचित ठहरा रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय मुख्यमंत्री के नाम का उल्लेख मत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अधीर चौधरी : सर, ... आज मनुवादी परम्परा पर उतर आए हैं...*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय मुख्यमंत्री का नाम कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया है इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अधीर चौधरी : ...*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया इसे मुझे दीजिए। हो गया।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृतान्त से सब कुछ निकाल दूंगा। मैं पहले ही इसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल चुका हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अधीर चौधरी : हमारे पास कमाने के लिए, पेट भरने के लिए दूसरा तरीका नहीं है...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। कृपया ऐसा मत कीजिए।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग थोड़ी मेहरबानी कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप लोगों को यह जानकारी है कि इस बारे में उनकी रिपोर्ट फाइनल है, इसमें हम क्या करेंगे। आप लोग थोड़ा एजीटेटिड हैं, इसलिए मुद्दा उठा दिया। उसका जो असर होगा, वह होगा अब आप बैठ जाइये। ठीक है।

[अनुवाद]

अधीर चौधरी जी आपने मुझे एक नोटिस दिया है और आपने अनेक विषय उठाए हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सिविल ज्यूडीशियरी हम पूरा मानते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप लोग थोड़ा परेशान हैं, हमने समझ लिया। ठीक है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री लोनाप्पन नम्बाडन।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : ...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। परिसीमन के संबंध में कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं?

[हिन्दी]

आप लोग लास्ट डे क्यों ऐसा कर रहे हैं, जाइये।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अपने स्थान पर जाए।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, मैं इस विषय पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकता, जो कि एक संवैधानिक संस्था है...*(व्यवधान)* मैं उनकी क्षमता पर कोई प्रश्न नहीं कर सकता। तथापि मैं माननीय गृहमंत्री को सभा की भावना से अवगत कराऊंगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि आप सहयोग नहीं करते तो मैं अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए सभा की कार्यवाही स्थगित कर दूंगा।

[हिन्दी]

इसमें हमारा कोई हक नहीं है, किसी को हक नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा की कार्यवाही अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.18 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

नियम 377 के अधीन मामले*

अध्यक्ष महोदय : आज के लिए सूचित नियम 377 के अधीन मामलों को सभा–पटल पर रखा माना जाए।

(एक) कर्नाटक में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास की व्यवस्था हेतु केन्द्रीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता।

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा) : कर्नाटक राज्य सरकार ने राज्य में आई भीषण बारिश। बाढ़ के संबंध में दो अभ्यावेदन दिए हैं और केन्द्र सरकार से 1,91,727.30 लाख के मुआवजे तथा सहायता की मांग की है। इसके अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए 1.17 लाख टन खाद्यान्नों की आवश्यकता है।

*सभा–पटल पर रखे माने गए।

विस्तृत वक्तव्य में राहत–बचाव और अगस्त 2007 के दौरान आयी भीषण बारिश/बाढ़ के कारण तात्कालिक कार्यों के लिए राशि दर्शायी गयी है। इसमें अन्य बातों के अतिरिक्त 3037.23 लाख रु. उपदान सहायता के लिए, 54,678.27 लाख रु. छोटे तथा मझौले किसानों की सहायता के लिए 10,000 लाख रु. रोजगार सृजन के लिए, 112.50 लाख रु. मछुआरों की सहायता के लिए मरम्मत तथा क्षतिग्रस्त उपस्करों को बदलने के लिए राजसहायता के माध्यम से 634.80 लाख रु. दस्तकारों व कारीगरों के लिए, 56.16 लाख रु. ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में आपातकालीन पेयजल आपूर्ति के लिए, 150रु. दवाइयों, निसंक्रमण, महामारी की रोकथाम के लिए कीटनाशकों का प्रावधान तथा प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ के पानी की निकासी के लिए 100 लाख रु. की आवश्यकता है।

कर्नाटक में स्थिति गंभीर है तथा काफी संख्या में लोग प्रभावित हैं, मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि वह अभ्यावेदन पर गंभीरता से विचार करे तथा यथाशीघ्र आवश्यक वित्तीय सहायता तथा खाद्यान्न जारी करे।

(दो) गेहूं का आयात किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर) : महोदय, मैं आज सदन के माध्यम से दिनांक 22 अक्तूबर, 2007 को आउटलुक पत्रिका में विदेश से आने वाला गेहूं महंगा होने के साथ ही घटिया होने के भी आसार, संबंधी प्रकाशित, लेख के विषय में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र द्वारा आयातित गेहूं के जिन 265 नमूनों की जांच के लिए सरकारी प्रयोगशाला में भेजा था, उनमें से 229 नमूनों की रिपोर्ट आई है कि वह गेहूं इंसानों के खाने योग्य भी नहीं है। रिपोर्ट आने के बावजूद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के कुछ इलाकों में इसका वितरण अब भी जारी है। महाराष्ट्र के कुछ सांसदों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से गुहार लगाई है कि सरकारी योजना के तहत वितरित हो रहे इस लाल गेहूं पर तुरंत रोक लगाई जाये।

महोदय, कुछ खास बहुराष्ट्रीय कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ऊंची कीमत पर गेहूं आयात का ठेका दे दिया गया। जबकि सरकार का ही एक उपक्रम पी.ई.सी. लिमिटेड इसे कम कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए तैयार था। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियां ग्लेनकोर, टोएफर, स्टारकॉम और कारगिल को करीब 390 डालर यानी 15 हजार 578 रुपये प्रति टन के हिसाब से इसे आयात करने का ठेका दे दिया गया। महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं।

(तीन) उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और सोनौली के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29 (ई) पर ''महेसरा सेतु'' का पुनर्निर्माण किए जाने की आवश्यकता

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : महोदय, गोरखपुर–सोनौली मार्ग भारत को नेपाल से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है। यह मार्ग पहले बौद्ध परिपथ के अंतर्गत आता था तथा राज्य मार्ग था। इसके अंतर्राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए वर्ष 2003 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29(ई) के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया। इस राजमार्ग के कि.मी. 86 पर गोरखपुर महानगर से जुड़ा हुआ महेसरा सेतु है, जिसका निर्माण 1964 में हुआ था। यह सेतु 2 अक्तूबर, 2006 को क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे इस मार्ग पर खासतौर पर नेपाल आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। यद्यपि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस सेतु में मरम्मत आदि का कार्य सम्पन्न किया, परन्तु 29 अप्रैल, 2007 को पुनः यह सेतु क्षतिग्रस्त हो गया जिसके कारण लगभग 3 माह तक इस मार्ग पर आवागमन पूरी तरह बाधित रहा। जुलाई अंत में मरम्मत के बाद जब यह सेतु आवागमन के लिए खोला गया तो 14 अगस्त, 2007 को यह सेतु तीसरी बार क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे इस मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से प्रभावित है। महेसरा का यह सेतु अपनी आयु पूरी कर चुका है। सेतु निर्माण से जुड़े हुए विशेषज्ञ तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों ने महेसरा सेतु के स्थान पर नए सेतु का निर्माण ही इसका एकमात्र विकल्प माना है। इस राजमार्ग के महत्व को देखते हुए व्यापक जनहित में भी पुराने पड़ चुके महेसरा सेतु के स्थान पर नए सेतु का बनना आवश्यक है।

कृपया गोरखपुर–सोनौली राजमार्ग के कि.मी. 86 पर महेसरा के पास नए सेतु का निर्माण तथा गोरखपुर से सोनौली राजमार्ग के उच्चीकरण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत किया जाये।

(चार) मध्य प्रदेश के मुरैना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से होकर गुजरने वाले चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक अर्गल (मुरैना) : महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 03, जो कि आगरा–मुम्बई के नाम से जाना जाता है। उक्त राजमार्ग को 4 लेन का किया गया है। तथा मेरे संसदीय क्षेत्र से होकर गुजरता है। उक्त मार्ग पर चम्बल नदी के पुल एवं दोनों तरफ की चार लेन की सड़क को छोड़ दिया गया है। मेरा आग्रह है कि उक्त सड़क एवं चम्बल नदी के पुल का कार्य शीघ्र शुरू कराया जाये जिससे नागरिक सुविधा का लाभ ले सकें।

(पांच) बिहार के अररिया जिले में फारबिसगंज स्थित इंडियन ऑयल कारपोरेशन डिपो को फिर से चालू किए जाने की आवश्यकता

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : महादेव, अररिया संसदीय क्षेत्र में आई.ओ.सी. का एक डिपो फारबिसगंज में है, वह भी पिछले 3–4 वर्षों से बंद कर दिया गया है। शुरू में यह कारण बताया गया कि वह मीटरगेज लाइन पर है। अब वहां ब्रॉडगेज लाइन हो गयी है। पूरे इलाके में इस डिपो के बंद होने से किसानों एवं अन्य नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण वहां पेट्रोल, डीजल और केरोसिन के दाम भी राज्य के अन्य भागों से ज्यादा वसूला जा रहा है। समय पर इन पदार्थों की सप्लाई भी नहीं हो पा रही है। लोगों को रोजी–रोटी की समस्या हो गयी है, जो इस डिपो पर आश्रित थे।

अतः मैं इस सदन के माध्यम से माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और आग्रह करता हूं कि फारबिसगंज, अररिया में आई.ओ.सी. के ऑयल डिपो को अविलम्ब चालू करने की अनुमति प्रदान करें।

(छह) राजस्थान के उदयपुर जिले में "जल ग्रहण योजना" के लिए धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री महावीर भगोरा (सलूम्बर) : महोदय, राजस्थान में विशेष रूप से उदयपुर संभाग में जल ग्रहण योजना में पिछले दो वर्षों से बजट का आबंटन नहीं होने से गरीब जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं मजदूरी भुगतान नहीं होने से, ये परिवार भूखा मरने पर मजबूर हो रहे हैं। मैं इस लोक महत्व के मामले पर माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर बजट आबंटन हेतु आग्रह करता हूं।

(सात) खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा भारतीय कॉफी बोर्ड को छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषय में शामिल किए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री सुधांशु सील (कलकत्ता उत्तर–पश्चिम) : मैं छठे वेतन आयोग के विचारार्थ विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। यह खेद का विषय है कि सरकार ने खादी और ग्राम उद्योग आयोग तथा भारतीय कॉफी बोर्ड के नाम को छठे वेतन आयोग के नामों को विचारार्थ विषय में शामिल नहीं किया गया, इस तरह इन दो संगठनों के कर्मचारियों को उनके वैध वित्तीय लाभों से वंचित किया गया है। यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि इन दोनों संगठनों के कर्मचारियों को पांचवें वेतन आयोग से लाभ प्राप्त हुआ था। सरकार ने उन्हें छठे वेतन आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर रखने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, जब दोनों संगठनों को संसद के अधिनियम द्वारा गठित किया गया है, तो खादी और ग्राम उद्योग आयोग तथा भारतीय कॉफी बोर्ड को छठे वेतन आयोग के विचारार्थ विषय से बाहर रखने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है। मैं खादी और ग्राम उद्योग आयोग तथा भारतीय काफी बोर्ड को तुरंत छठे वेतन आयोग के विचारार्थ विषय में शामिल करने की मांग करता हूं।

(आठ) दक्षिण रेलवे में कोलेनगोड और त्रिसूर के बीच नई रेल लाइन बनाए जाने की आवश्यकता

श्री एन. एन. कृष्णदास (पालघाट) : दक्षिण रेलवे में कोलेनगोड से थिरसुर के बीच एक रेल लाईन का निर्माण किए जाने के लिए एक सर्वेक्षण कराया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट को रेलवे अधिकारियों को सौंप दिया गया है। कोलेनगोड और थिररसुर के बीच की दूरी केवल 50 किलोमीटर है। यदि रेल लाइन का निर्माण कर दिया जाता है तो दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण तीर्थ केन्द्र जैसे गुरूवासपुर, पजहानी, मदुरै तक संपर्क स्थापित हो जाएगा तथा पोलाच्ची से माल की अवाजाही के लिए अत्यंत लाभप्रद व मददगार हो जाएगें। यदि यह कार्य पूरा हो जाता है तो कोचीन स्थित वलारपदम कन्टेनर ट्रांथिपमेन्ट टर्मिनल से कन्टेनर के यातायात के लिए यह मार्ग एक गलियारा बन जाएगा जिसकी 2009 तक चालू हो जाने की आशा है।

इसलिए मैं सरकार से कोलेनगोड से थिरूसूर के बीच शीघ्रताशीघ्र एक नई रेल लाईन का निर्माण आरंभ करने का अनुरोध करता हूं।

(नौ) उत्तर प्रदेश के जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के कर्मचारियों का आमेलन राज्य के पंचायती राज विभाग में किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री पारसनाथ यादव (जौनपुर) : महोदय, ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए 15 अगस्त, 1980 को जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (डीआरडीए) का गठन किया गया था। पिछले 27 वर्षों में इस विभाग के माध्यम से ग्रामों के विकास के कार्य केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कराये जा रहे हैं। इसके तहत योजनाओं के लिए 75 फीसदी बजट केन्द्र और 25 फीसदी बजट राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। परन्तु अब केन्द्र द्वारा उक्त अभिकरण द्वारा संचालित होने वाली सभी योजनाओं को पंचायती राज विभाग के अधीन करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण में कार्य करने वाले लगभग 2000 कर्मचारियों की तैनाती के बारे में कोई निर्णय सरकार द्वारा नहीं लिया गया है। इस अनिश्चितता को लेकर सभी कर्मचारी एवं उनके परिवारजन परेशान हैं।

अतः सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश में कार्य करने वाले सभी 2000 कर्मचारियों को पंचायती राज विभाग में समायोजित करने हेतु तत्काल कदम उठाए जायें।

(दस) उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में ऐतिहासिक स्मारक ''सूर्य मंदिर'' का जीर्णोद्धार कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री राजनरायन बुधौलिया (हमीरपुर, उ. प्र.) : महोदय, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में लगभग 1100 वर्ष पुरानी अनेक ऐतिहासिक महत्व की इमारतें हैं जिनमें कुछ को चिन्हित करके पुरातत्व विभाग के कागजों में अपने अधीन कर लिया है। अभी बहुत कुछ चिन्हित करना बाकी है। धीरे–धीरे सभी इमारतों का गिरना लगातार जारी है। उदाहरण के तौर पर नौवीं सदी में महोबा के चंदेल शासकों ने कोणार्क के सूर्य मंदिर की तर्ज पर ग्राम रहेलिया में सुंदर ग्रेनाइट पत्थर में बेमिसाल सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। लगभग एक हजार वर्ष से अधिक समय तक रहेलिया का यह सूर्य मंदिर उत्तर भारत के इकलौते सूर्य मंदिर के रूप में जाना जाता रहा है। लगभग सौ मीटर ऊंचाई के इस मंदिर में नीचे से ऊपर तक कोई जोड़ ढूंढ पाना असंभव था। पत्थरों को खांचे बनाकर कुछ इस तरह एक दूसरे से फंसाया गया कि बिना किसी गारा एवं मसाले के यह बेहतरीन इमारत तैयार की गयी। इस मंदिर को देखने के लिए देशी एवं विदेशी पर्यटकों का तांता लगा रहता था। वर्तमान में मंदिर का एक तिहाई हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। शेष हिस्सा अभी भी अपनी गौरव गाथा समेटे अपने भव्य अतीत की याद दिला रहा है। मंदिर के आसपास शिखर व बुर्ज से गिरे सैंकड़ों नक्काशीदार सुन्दर पत्थर बिखरे पड़े हैं। क्षेत्रीय लोगों में इसे लेकर भारी आक्रोश व्याप्त है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उत्तर भारत के इस इकलौते सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने का कष्ट करें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा अगले सत्र में जारी रहेगी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : एक सेंकेंट धीरज रखिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी हिंदी ठीक है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मूल्य वृद्धि पर चर्चा का क्या होगा?

अध्यक्ष महोदय : मूल्य वृद्धि पर की चर्चा अगले सत्र में की जाएगी।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, पिछले सत्र में भी, हम मूल्य वृद्धि पर चर्चा नहीं कर सकें।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : महोदय, जीरो आवर के लिए हमने नोटिस दिया है ...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, इंटरनल सिक्योरिटी पर चर्चा का क्या हुआ? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आंतरिक सुरक्षा तथा साथ ही मूल्यवृद्धि पर चर्चा अगले सत्र में की जाएगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब मैं अध्यक्षपीठ से कहता हूं तो इसका अर्थ है कि चर्चा होगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर मैंने आपको भाषण देने का अवसर प्रदान कर दिया है, इसका अर्थ यह नहीं है कि आप व्यवधान डालेंगे।

अपराह्न 2.02 बजे

विदाई समारोह

अध्यक्ष महोदय : 16 नवम्बर, 2007 को शुरू हुआ चौदहवीं लोक सभा का बारहवां सत्र आज समाप्त हो रहा है। इस सत्र में 17 बैठकें हुई जो लगभग 90 घंटे तक चली। सत्र के दौरान, सभा द्वारा महत्वपूर्ण वित्तीय, विधायी और अन्य कार्य निपटाए गए।

जहां तक वित्तीय कार्य का प्रश्न है, सभा में संबंधित विनियोग विधेयकों को पारित करने से पूर्व अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) 2007–2008 और अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) 2005–2006

पर लगभग 4 घंटे और अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) 2007–2008 पर 5 घंटे 22 मिनट संयुक्त चर्चा हुई और मतदान हुआ।

सभा ने कर्नाटक राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा के अनुमोदन के बारे में एक सांविधिक संकल्प को स्वीकार करने से पूर्व, लगभग 3 घंटे 45 मिनट तक चर्चा की।

जहां तक विधायी कार्य का प्रश्न है, सभा द्वारा 14 विधेयक पारित किए गए। सत्र के दौरान पारित महत्वपूर्ण विधेयकों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2007; संदाय और निपटान प्रणाली विधेयक, 2007 सशस्त्र सीमा बल विधेयक, 2007; टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (स्वामित्व का अपविनिधान) विधेयक, 2007; का निरनुमोदन करने के बारे में श्री वरकला राधाकृष्णन द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प सहित दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा विधेयक, 2007 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2007 तथा माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण विधेयक, 2007 शामिल है। सभा ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अध्यादेश, 2007 पर भी लगभग 2 घंटे 50 मिनट तक सार्थक चर्चा की। तत्पश्चात्, सांविधिक संकल्प वापस ले लिया गया और विधेयक पारित कर दिया गया। एक अन्य संयुक्त चर्चा बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 2007 का निरनुमोदन करने के बारे में प्रो. रासा सिंह रावत द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प सहित बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 2007 पर हुई। तत्पश्चात्, सांविधिक संकल्प वापस ले लिया गया और विधेयक पारित कर दिया गया।

इस अवधि के दौरान, निम्नलिखित चार महत्वपूर्ण विषयों पर अल्पकालिक चर्चा हुई अर्थात् (एक) नन्दीग्राम, पश्चिम बंगाल में विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने के प्रस्ताव के बारे में, (दो) भारत – अमेरिकी परमाणु समझौते के बारे में (तीन) राज्य के तीनों अंगों अर्थात विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के सौहार्दपूर्ण कार्यकरण की आवश्यकता के बारे में और (चार) आन्तिरिक सुरक्षा के बारे में जिस पर चर्चा पूरी नहीं हो सकी।

गैर–सरकारी सदस्यों के कार्य के संबंध में, सभा ने श्री राम कृपाल यादव द्वारा 31 अगस्त, 2007 को प्रस्तुत किए गये संकल्प 'उच्चत्तर माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के बारे में चर्चा पुनः शुरू की' संकल्प पर दो घंटे सत्रह मिनट से अधिक समय के लिए आगे चर्चा हुई। तथापि, चर्चा पूरी नहीं हुई।

इस सत्र के दौरान तेरह गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरः स्थापित किए गए। सभा में तीन गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर चर्चा हुई अर्थात् (एक) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2004 जिसे श्री मोहन सिंह द्वारा 24.08.2007 को पेश किया गया था, तथा (दो) अन्तर्राज्य जल विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2005 इसे भी श्री मोहन सिंह द्वारा पेश किया गया था। इन विधेयकों को वापस लिए जाने से पूर्व इन पर चर्चा हुई थी। एक अन्य विधेयक चुनाव सुधार आयोग विधेयक, 2006 जिसे श्री सी. के चन्द्रप्पन द्वारा पेश किया गया था, पर करीब 20 मिनट की चर्चा हुई और यह चर्चा पूरी नहीं हुई।

वर्तमान सत्र के दौरान सात महत्वपूर्ण मामले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए उठाए गए अर्थात् (एक) स्वास्थ्य सेवाओं की ऊंची लागत से उत्पन्न स्थिति तथा प्राइवेट नर्सिंग होमों को विनियमित करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता के बारे में, जिसे श्री गुरूदास दासगुप्त द्वारा उठाया गया। (दो) गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खराब गेहूं की आपूर्ति से उत्पन्न स्थिति, जिसे प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा उठाया गया। (तीन) बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता के बारे में, जिसे श्री बसुदेव आचार्य द्वारा उठाया गया। (चार) देश में एन्सेफलाइटिस् के फैलने से उत्पन्न स्थिति के बारे में, जिसे योगी आदित्यनाथ द्वारा उठाया गया। (पांच) देश में भूजल स्तर में कथित गिरावट तथा इसके फलस्वरूप देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जल का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति के बारे में, जिसे हंसराज गं. अहीर द्वारा उठाया गया। (छह) ऑल आदिवासी स्टूडेन्ट्स एसोसिएशन ऑफ असम (एएएसएए) द्वारा 24 नवम्बर, 2007 को गुवाहाटी में की गई हिंसा के बारे में, जिसे श्री अजय चक्रवर्ती द्वारा उठाया गया तथा (सात) देश में विभिन्न भागों में उर्वरकों की कमी से उत्पन्न स्थिति के बारे में, जिसे डा. चिन्ता मोहन द्वारा उठाया गया। इन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मामलों के प्रत्युतर में संबंधित मंत्रियों ने वक्तव्य दिए, तथा स्पष्टीकरण का जवाब दिया।

मंत्रियों द्वारा विभिन्न अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर 64 वक्तव्य दिए गए।

सत्र के दौरान, 340 तारांकित प्रश्नों के रूप में सूचीबद्ध थे जिनमें से 70 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए जा सके। इस प्रकार औसतन प्रतिदिन लगभग 4.11 प्रश्नों के उत्तर दिए गए।

334 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी लिखित रूप से सभा पटल पर रखे गए। विदेशों में रह रहे भारतीयों को वीजा तथा पासपोर्ट जारी न किए जाने के संबंध में एक आधे घंटे की चर्चा भी उठाई गई।

इस सत्र में, विभागीय स्थायी समितियों ने 42 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए।

प्रश्नकाल एवं दिन की कार्यवाही के उपरांत सदस्यों ने लगभग 193 अविलम्ब लोक महत्व के मामले उठाए। माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन भी 186 मामले उठाए।

इस सत्र में, व्यवधानों और मजबूरन किए गए स्थगनों के कारण हमने 20 घंटे से अधिक का समय गंवाया तथापि सभा ने 17 घंटे से

भी अधिक समय देर तक बैठकर अपना वित्तीय, विधायी तथा सभा के अन्य कार्यों को निपटाया और साथ ही अविलम्ब लोक महत्व से संबंधित विषयों को भी उठाया। मैं सभा के सुचारू कार्य संधालन में नेताओं तथा सदस्यों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं जिसकी वजह से सदन में अनेक मुद्दे सार्थक ढंग से निपटाए जा सके।

मैं माननीय उपाध्यक्ष तथा सभापति तालिका में शामिल अपने सहयोगियों का सदन की कार्यवाही संचालन में मुझे सहयोग देने के लिए धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद करता हूं। मैं माननीय सदस्यों के अलावा माननीय प्रधानमंत्री, सदन के नेता, प्रतिपक्ष के नेता, संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न दलों और समूहों के नेताओं तथा मुख्य सचेतकों के प्रति भी उनके सहयोग के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आप सभी की ओर से मैं अपने मीडिया के दोस्तों का भी धन्यवाद करता हूं। मैं इस मौके पर सदन के प्रति समर्पित और त्वरित सेवा के लिए लोक सभा के महासचिव और अन्य अधिकारिक एवं कर्मचारियों को भी धन्यवाद करता हूं। मैं सदन की कार्यवाही के संचालन में अपना कुशल सहयोग देने के लिए सम्बद्ध एजेंसियां का भी धन्यवाद करता हूं। मैं सभी माननीय सदस्यों को क्रिसमस और नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं।

अपराह्न 2.09 बजे

राष्ट्रगीत

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य खड़े हो जाएं, अब वन्दे मातरम की धुन बजाई जाएगी।

राष्ट्रगीत की धुन बजाई गई।

अध्यक्ष महोदय : सभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.11 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

क्रम सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री एम. राजामोहन रेड्डी	321
2.	प्रो. रासा सिंह रावत श्री जी. करूणाकर रेड्डी	322
3.	श्री पुन्नूलाल मोहले	323
4.	श्री क. विरुपाक्षप्पा श्री पी. सी. गद्दीगउडर	324
5.	श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोत्चा	325
6.	श्री रामदास आठवले	326
7.	श्री विजय कृष्ण	327
8.	श्री कीरेन रिजीजू	328
9.	श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	329
10.	श्री रायापति सांबासिवा राव	330
11.	श्री सुकदेव पासवान	331
12.	श्री सुग्रीव सिंह श्री किसनभाई वी. पटेल	332
13.	श्रीमती किरण माहेश्वरी श्री हेम लाल मुर्मू	333
14.	श्री उदय सिंह	344
15.	श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'	335
16.	श्री इकबाल अहमद सरडगी श्री कुलदीप बिश्नोई	336
17.	डा. एच. टी. संगलिअना	337
18.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	338
19.	श्री रवि प्रकाश वर्मा श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	339
20.	श्री के. सुब्बारायण श्री के. सी. थामस	340

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्रम सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरून रशीद, श्री जे. एम.	3125, 3266
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	3307
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	3131, 3263, 3305 3315
4.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	3140, 3158, 3165, 3167, 3318
5.	अहीर, श्री हंसराज गं.	3174, 3230
6.	अनंत कुमार, श्री	3153, 3283
7.	अंगड़ि, श्री सुरेश	3130
8.	अप्पादुरई, श्री एम.	3132, 3194, 3249
9.	अर्गल, श्री अशोक	3304
10.	आठवले, श्री रामदास	3197, 3253, 3281, 3297
11.	भडाना, श्री अवतार सिंह	3126
12.	भगोरा, श्री महावीर	3115, 3208, 3238, 3275, 3327
13.	भाईलाल, श्री	3168
14.	भक्त, श्री मनोरंजन	3134, 3198, 3250, 3279, 3296
15.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	3113
16.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	3244
17.	बोत्चा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी	3207, 3255
18.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	3303
19.	चन्द्रप्पन, श्री सी. के.	3308
20.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	3153, 3217
21.	चिन्ता मोहन, डा.	3156

1	2	3
22.	चौधरी, श्री पंकज	3159, 3223, 3325, 3334
23.	चौधरी, श्री अधीर	3169, 3232, 3223, 3332
24.	देवरा, श्री मिलिन्द	3133, 3195, 3321
25.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	3150, 3216, 3265, 3287, 3288
26.	धूमल, प्रो. प्रेम कुमार	3116, 3283
27.	दूबे, श्री चन्द्र शेखर	3136
28.	गद्दीगउडर, श्री पी. सी.	3203, 3256
29.	गढ़वी, श्री पी. एस.	3125, 3220, 3266
30.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	3173, 3236, 3266, 3274
31.	गंगवार, श्री संतोष	3170, 3234, 3283, 3289, 3327
32.	गाव, श्री तापिर	3310
33.	गीते, श्री अनंत गंगाराम	3131
34.	गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश	3124
35.	गुढ़े, श्री अनंत	3160, 3225
36.	हसन, चौ. मुनव्वर	3137
37.	जाधव, श्री प्रकाश बी.	3131, 3143
38.	जगन्नाथ, डा. एम.	3161
39.	जेना, श्री मोहन	3166, 3228, 3270
40.	जोगी, श्री अजीत	3161
41.	जोशी, श्री प्रहलाद	3179, 3220
42.	खैरे, श्री चंद्रकांत	3180
43.	खां, श्री सुनील	3142, 3233
44.	खन्ना, श्री अविनाश राय	3220
45.	खारवेनथन, श्री एस. के.	3114, 3189, 3220, 3246, 3277
46.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	3120, 3187, 3261, 3330
47.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	3283
48.	कृष्ण, श्री विजय	3208
49.	कृष्णदास, श्री एन. एन.	3176, 3292
50.	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	3175, 3237
51.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	3316
52.	लक्ष्मण, श्रीमती सुशीला बंगारू	3146
53.	लिब्रा, सरदार सुखदेव सिंह	3108
54.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	3127
55.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	3109
56.	महरिया, श्री सुभाष	3128, 3227, 3269, 3290, 3299
57.	महतो, श्री टेक लाल	3313, 3319
58.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	3283
59.	मंडल, श्री सनत कुमार	3129
60.	माने, श्रीमती निवेदिता	3173, 3236, 3274
61.	मनोज, डा. के. एस.	3151, 3205
62.	मसूद, श्री रशीद	3145, 3201, 3276, 3331
63.	मेहता, श्री आलोक कुमार	3163
64.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	3154, 3240, 3283
65.	मिश्रा, डा. राजेश	3125
66.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	3190, 3254, 3280, 3335
67.	मो. ताहिर, श्री	3181
68.	मंडल, श्री अबु अयीश	3162, 3226
69.	मोरे, श्री वसंतराव	3168
70.	मुर्मू, श्री हेमलाल	3202, 3259, 3285
71.	निखिल कुमार, श्री	3171, 3232, 3332
72.	उरांव, डा. रामेश्वर	3122, 3160, 3314
73.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	3199, 3215, 3262 3286
74.	पल्लानीशामी, श्री के. सी.	3121, 3192, 3208, 3248
75.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	3144, 3185, 3186, 3243
76.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	3123, 3230, 3326
77.	पासवान, श्री सुकदेव	3200, 3252, 3283
78.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	3165
79.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	3199, 3210, 3284 3298

1	2	3
80.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	3256, 3309
81.	पाटील, श्री प्रतीक पी.	3177
82.	पटले, श्री शिशुपाल एन.	3181
83.	प्रसाद, श्री धर्मेन्द्र	3141
84.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	3158, 3167, 3302
85.	राई, श्री नकुल दास	3183
86.	राजगोपाल, श्री एल.	3139, 3221, 3267, 3300, 3306
87.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	3157, 3219
88.	राणा, श्री काशीराम	3148, 3155, 3164 3218, 3317
89.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	3118, 3222
90.	राव, श्री के. एस.	31196, 3256, 3282
91.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	3144, 3303
92.	रावले, श्री मोहन	3110, 3188, 3245 3293, 3336
93.	रावत, प्रो. रासा सिंह	3206
94.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	3184, 3247, 3278, 3295
95.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	3206
96.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	3158, 3217, 3239
97.	रिजीजू, श्री किरेन	3141, 3209
98.	साई प्रताप, श्री ए.	3112
99.	संगलिअना, डा. एच. टी.	3214
100.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	3209, 3213, 3260 3329
101.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	3306
102.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	3311
103.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	3144, 3242, 3324, 3333
104.	शिवाजीराव, श्री अध[illegible]व पाटील	3263, 3305, 3315
105.	शिवन्ना, श्री एम.	3149, 3204
106.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	3301, 3320, 3328
107.	सिद्दीश्वर, श्री जी. एम.	3111, 3193, 3210 3251
108.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	3140, 3153, 3217
109.	सिंह, श्री लक्ष्मण	3182, 3241
110.	सिंह, श्री मानिक	3178
111.	सिंह, श्री मोहन	3138, 3199
112.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	3152
113.	सिंह, श्री रेवती रमन	3107, 3224, 3232 3268, 3289
114.	सिंह, श्री सुग्रीव	3210, 3257, 3284 3298
115.	सिंह, श्री उदय	3212, 3258
116.	सोनोवाल, श्री सर्वानन्द	3256
117.	सुब्बारायण, श्री के.	3199, 3264
118.	सुमन, श्री रामजीलाल	3156, 3316
119.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	3147, 3211
120.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	3119, 3191, 3322
121.	थामस, श्री पी. सी.	3153, 3231, 3272 3292
122.	तुम्मर, श्री वी. के.	3164
123.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	3185, 3243
124.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	3159, 3168, 3226, 3283
125.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	3135, 3199, 3229, 3271, 3291
126.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	3239, 3312
127.	वीरेन्द्र कुमार श्री एम. पी.	3172, 3235, 3273
128.	वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	3304
129.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	3183, 3263, 3294 3305
130.	विरूपाक्षप्पा, श्री के.	3203
131.	यादव, श्री एम अंजनकुमार	3155, 3218
132.	यादव, श्री गिरिधारी	3117, 3148
133.	यादव, श्री राम कृपाल	3163

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कॉर्पोरेट कार्य	–
पृथ्वी विज्ञान	–
वित्त	324, 325, 329, 332, 333, 335, 337, 340
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	330
विधि और न्याय	321, 327
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	339
विद्युत	322, 328, 334, 338
ग्रामीण विकास	323, 326, 331
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	336
जनजातीय कार्य	–
शहरी विकास	–
महिला और बाल विकास	–

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कॉर्पोरेट कार्य	3118, 3154, 3189, 3230, 3241
पृथ्वी विज्ञान	3112, 3114, 3236, 3248, 3290
वित्त	3108, 3110, 3111, 3115, 3122, 3124, 3126, 3137, 3141, 3142, 3143, 3203, 3208, 3212, 3214, 3215, 3220, 3145, 3146, 3148, 3156, 3159, 3164, 3167, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3177, 3180, 3184, 3186, 3188, 3194, 3199, 3200, 3221, 3222, 3223, 3224, 3231, 3232, 3234, 3240, 3242, 3245, 3247, 3249, 3250, 3257, 3258, 3261, 3264, 3272, 3274, 3277, 3278, 3284, 3286, 3289, 3293, 3295, 3296, 3300, 3301, 3303, 3307, 3310, 3311, 3312, 3316, 3322, 3325, 3327, 3330, 3334, 3335, 3336
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	3119, 3136, 3162, 3174, 3191, 3196, 3308
विधि और न्याय	3120, 3133, 3138, 3151, 3163, 3187, 3205, 3206, 3287, 3288, 3294, 3309, 3314, 3321, 3323, 3329
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत	3130, 3160, 3161, 3168
विद्युत	3125, 3129, 3132, 3175, 3178, 3182, 3198, 3209, 3226, 3233, 3235, 3239, 3251, 3273, 3283, 3292
ग्रामीण विकास	3113, 3116, 3128, 3144, 3147, 3153, 3157, 3190, 3210, 3216, 3225, 3229, 3238, 3244, 3252 3254, 3265, 3266, 3271, 3280, 3298, 3332
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	3117, 3127, 3135, 3139, 3179, 3207, 3227, 3291, 3299, 3317
जनजातीय कार्य	3150, 3166, 3176, 3211
शहरी विकास	3107, 3121, 3131, 3134, 3149, 3252, 3155, 3158, 3165, 3181, 3183, 3185, 3192, 3193, 3195, 3197, 3201, 3204, 3213, 3217, 3218, 3228, 3237, 3243, 3246, 3259 3262, 3268, 3269, 3270, 3279 3281, 3282, 3297, 3302 3313, 3318, 3319, 3320, 3324, 3326, 3328, 3331, 3333
महिला और बाल विकास	3109, 3123, 3140, 3202, 3219, 3253, 3255, 3256, 3260, 3263, 3267, 3275, 3276, 3285, 3305, 3306, 3315

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली–110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस. – 48/31/17/2007 (एन.)
232

© 2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (बारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली – 110006 द्वारा मुद्रित।